

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

रिपोर्ट 01–08–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2014 की संख्या 2
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राककथन	iii	
कार्यकारी सार	v	
अध्याय 1	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश	4
1.3.	सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल	12
1.4	घाटे वाली सीपीएसईज़	17
1.5	सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता	19
अध्याय 2	सीएजी की निरीक्षण भूमिका	
2.1	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	21
2.2.	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	21
2.3	सीपीएसईज़ के लेखाओं का बकाया	24
2.4	सीएजी का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	26
2.5	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	29
2.6	लेखांकन मानकों से विचलन	46
2.7	प्रबंधन पत्र	48
2.8	सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियां	48
2.9	सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित आपत्तियां प्रस्तुत निष्कर्ष	61
2.10	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण	63
अध्याय 3	निगमित अभिशासन	
3.1	प्रस्तावना	65

3.2	निदेशक मंडल	68
3.3	लेखापरीक्षा समिति	72
3.4	बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता	79
3.5	निष्पादन संबंधी वेतन पर पारिश्रमिक समिति	80
अध्याय 4	भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन	
4.1	प्रस्तावना	82
4.2	भारत में सम्मिलन प्रक्रिया	82
4.3	इन्ड-एएस को लागू करने की स्थिति	84
अध्याय 5	डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन	
5.1	प्रस्तावना	85
5.2	डीपीई के दिशानिर्देशों का अननुपालन	85
5.3	अननुपालन पर 'की गई कार्यवाही' की स्थिति	86
5.4	निरीक्षक की भूमिका में डीपीई	87
5.5	उद्योग पर स्थायी संसदीय समिति के निदेश	87
अध्याय 6	निगमित सामाजिक दायित्व	
6.1	प्रस्तावना	89
6.2	सीएसआर पर डीपीई के नये दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं	89
6.3	सीएसआर कार्य-कलापों का मॉनीटरिंग तंत्र	90
6.4	2012-13 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर बजट/व्यय में कमी	90
6.5	सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों में अप्रैल 2013 से परिवर्तन	92
अध्याय 7	सार्वजनिक निजी भागीदारी और संयुक्त उद्यम	
7.1	सार्वजनिक धन और परिसम्पत्तियों पर विधायी निरीक्षण तंत्र	94
7.2	सार्वजनिक निजी भागीदारी	94
7.3	पीपीपी परियोजनाओं पर वैयानिक निरीक्षण तंत्र का अभाव	96
7.4	सीपीएसईज द्वारा संयुक्त उद्यम	97
परिशिष्ट		99

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों (मानी गयी सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) उन कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देता है अथवा उसके द्वारा एक पूरक रिपोर्ट जारी की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उस विधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. पांच निगमों अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम अर्थात् केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निगम को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक अथवा नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में समीक्षित सीपीएसईज़ के लेखाओं में 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (जो प्राप्त हुए हैं) के लेखे शामिल हैं। सीपीएसईज़ के संबंध में जहां किसी विशेष वर्ष के लेखे 30 नवम्बर 2013 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, वहां पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े अपनाए गए हैं।

5. कुछ सीपीएसईज़ के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष के आंकड़े लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों द्वारा अनन्तिम आंकड़ों के प्रतिस्थापन के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013 की संख्या 2 में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

6. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसईज़ " के सभी प्रसंग 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों " के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2013 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 525 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) थे। इनमें 358 सरकारी कम्पनियाँ, 161 मानी गई सरकारी कम्पनियाँ तथा छः सांविधिक निगम शामिल थे। इस प्रतिवेदन में 327 सीपीएसईज़ (छः सांविधिक निगमों सहित) और 137 मानी गई सरकारी कम्पनियाँ हैं। इस प्रतिवेदन में उन 61 कम्पनियों (24 मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक के लिए बकाया में थे या समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे या जिनके पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या पहले लेखे देय नहीं थे को शामिल नहीं किया गया है।

[पैरा 1.1.3]

सरकारी निवेश

327 सीपीएसईज़ के लेखे दर्शाते थे कि भारत सरकार ने ₹ 2,25,037 करोड़ निवेश किए थे और 31 मार्च 2013 तक इसके ₹ 50,437 करोड़ के कर्ज़ बकाया थे। पिछले वर्ष की तुलना में, सीपीएसईज़ की इक्विटी में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निवेश में ₹ 19652 करोड़ की निवल वृद्धि हुई और उन्हें दिए गए कर्ज़ ₹ 2840 करोड़ तक कम हो गए। भारत सरकार ने आठ सीपीएसईज़ में अपने शेयरों के विनिवेश से ₹ 23,956 करोड़ वसूल किए।

[पैरा 1.2]

बाजार पूंजीकरण

44 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के शेयरों, जिनकी 31 मार्च 2013 को स्टॉक मॉर्किट में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ट्रेडिंग की गई थी, का बाजार मूल्य ₹ 11,10,382 करोड़ था। 31 मार्च 2013 को भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 8,30,913 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

327 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से, जहां इस प्रतिवेदन में आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, 182 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2012-13 के दौरान लाभ कमाया तथा

124 सरकारी कम्पनियों और निगमों ने हानि उठाई। शेष 21 कम्पनियां प्रचालन में नहीं थी। 182 सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹ 1,48,142 करोड़ था जिसमें से 62 प्रतिशत (₹ 91,981 करोड़) लाभ तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला एवं लिंगनाईट तथा विद्युत के अन्तर्गत 37 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों का था।

[पैरा 1.3]

लाभ कमाने वाली 182 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से, 107 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 49,929 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से ₹ 32,741 करोड़ का भारत सरकार को भुगतान कोयला एवं लिंगनाईट योग्य थी जोकि सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार के कुल निवेश (₹ 2,25,037 करोड़) पर प्रतिफल 14.55 प्रतिशत था।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों, जो आंशिक रूप से संचालित/नियंत्रित मूल्यों के अन्तर्गत प्रचालन कर रहे थे, ने ₹ 14,067 करोड़ का अंशदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 28 प्रतिशत था।

30 कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकारी निदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹ 3,588 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल सम्पत्ति/संचित हानि

327 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से, 65 कम्पनियों में इक्विटी निवेश उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्णतः समाप्त हो गया था। परिणामतः इन कम्पनियों की सकल निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2013 को ₹ 68,202 करोड़ की सीमा तक ऋणात्मक हो गई थी। यद्यपि 65 कम्पनियों में से मात्र 08 कम्पनियों ने 2012-13 के दौरान ₹ 1,745 करोड़ का लाभ कमाया।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

525 सीपीएसईजे में से, 421 सीपीएसईजे में समय (अर्थात् 30 सितम्बर 2013 तक) से वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए थे। इनमें से 283 सीपीएसईजे के लेखों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.3.2, 2.3.3 एवं 2.5.2]

वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सीएजी ने आम सहमति के आधार पर सीपीएसईज़ के लेखाओं की त्रि-चरण लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की। इसके कारण उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वर्ष 2012-13 के लिए 60 सीपीएसईज़ में त्रि-चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव, लाभकारिता पर ₹ 4,595.82 करोड़ तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 4349.74 करोड़ था।

[पैरा 2.5.1]

लेखों का संशोधन

सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, आठ कम्पनियों ने वर्ष 2012-13 के लिए अपने लेखे संशोधित किए। इन कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों पर संशोधन का प्रभाव ₹ 9.32 करोड़ की सीमा तक था। इसके अतिरिक्त, 15 सरकारी कम्पनियों (दो सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) और तीन मानी गई सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप पर अपनी रिपोर्टें संशोधित कीं।

[पैरा 2.5.2]

लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद सीएजी द्वारा कई टिप्पणियां जारी की गई थीं।

सांविधिक निगमों के मामले में जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहाँ ₹ 6222.30 करोड़ की त्रुटियों का संशोधन सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किया गया था।

[पैरा 2.5.3]

लेखाकरण मानकों से विचलन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखाकरण मानकों के प्रावधानों से विचलन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 36 कम्पनियों में देखे गए थे। सीएजी ने भी 11 अन्य कम्पनियों में ऐसे विचलनों का भी उल्लेख किया।

[पैरा 2.6]

प्रबंधन पत्र

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई वित्तीय रिपोर्टें में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबन्धन पत्र' के माध्यम से 53 सीपीएसईज़ के प्रबन्धन को सूचित किया गया था।

[पैरा 2.7]

सांविधिक लेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियाँ

सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक सांविधिक निगम तथा 59 कम्पनियाँ जिनमें 14 सूचीबद्ध कम्पनियाँ थीं, के संबंध में अपनी रिपोर्टों में महत्वपूर्ण कमियाँ बताईं।

[पैरा 2.8]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने विभिन्न कम्पनियों में स्थायी परिसम्पत्तियों, आन्तरिक पद्धति तथा प्रचालनात्मक दक्षता, निवेश, मालसूची, आन्तरिक लेखापरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों, धोखेबाजी एवं जोखिम तथा सतर्कता के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण साधनों की कमी सहित वित्तीय नियंत्रणों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित विसंगतियाँ सूचित कीं।

[पैरा 2.9 एवं 2.10]

III. निगमित अभिशासन

इस अध्याय में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत 45 कम्पनियों को कवर किया गया है। यद्यपि निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, तथापि कुछ सीपीएसईज द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा। निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे

➤ कुछ सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व पर्यास नहीं था। 13 कम्पनियों में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। 23 कम्पनियों में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

[पैरा 3.2.2]

➤ 15 कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 11 कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.3.2 एवं 3.3.3]

➤ 21 कम्पनियों में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

[पैरा 3.3.11]

IV. आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखांकन मानकों का सम्मिलन

मार्च 2010 में, कारपोरेट मंत्रालय (एमसीए) ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ से तीन चरणों में लागू किए जाने वाले आईएफआरएस (इंड-एएस) के साथ भारतीय लेखांकन मानकों के परिवर्तन के लिए रोड मैप की अधिसूचना की। तथापि, रोड मैप को लागू नहीं किया गया है।

[पैरा 4.2.2]

अगस्त 2013 में एक नया कम्पनी अधिनियम 2013 बनाया गया। अधिनियम में उल्लेख किया गया कि वित्तीय विवरण केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसार होंगे और उस रूप या रूपों में होंगे जिसे कम्पनियों के वर्ग या वर्गों को उपलब्ध कराया जा सके। यह चरणों में इन्ड-एएस के कार्यान्वयन को सरल बनाएगा।

[पैरा 4.2.4]

एमसीए इसके कार्यान्वयन पर मुख्यतः सामंजस्य की कमी के आधार पर इसके अधिसूचित रोड-मैप के अनुसार इन्ड-एएस के कार्यान्वयन की तारीख को अधिसूचित नहीं कर सका।

[पैरा 4.3.1]

व्यावसायिक विशेषज्ञ और आईटी अनुप्रयोगों की शर्तों में पर्यास अवसंरचना सम्मिलन के प्रति सुगम परिवर्तन के लिए आवश्यक है। पण्धारी इन्ड-एएस के प्रति तब तक अपने प्रारम्भिक प्रयासों में विलम्ब कर सकता है जब तक कि एक संशोधित रोड मैप की अधिसूचना नहीं कर दी जाती।

[पैरा 4.3.5]

V. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन

डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु सीपीएसईज को मॉनीटर करने के तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीपीएसईज में निरन्तर अननुपालन के परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान और लेखापरीक्षा पैराओं पर सुधारात्मक कार्रवाई सन्तोषजनक नहीं थी।

डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप 2 मामलों में ₹ 46.23 करोड़ के पर्याप्त अनियमित भुगतान हुए जैसाकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 8 में बताया गया है। वास्तव में ये अनियमितताएं मात्र नमूना जाँच के परिणामस्वरूप ध्यान में आई थी और ऐसे अनियमित भुगतानों के और अधिक मामले हो सकते हैं।

[पैरा 5.2]

सीपीएसईज़ द्वारा उसके अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में डीपीई की भूमिका प्रभावी नहीं थी क्योंकि

- डीपीई ने ऐसा कोई डॉटाबेस नहीं बनाया था कि कौन से सीपीएसईज़ के बोर्डों ने उसके दिशानिर्देशों को अपनाया था;
- डीपीई के पास उसके सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था;
- डीपीई ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए सीपीएसईज़ को नहीं लिखा।

[पैरा 5.4]

डीपीई को उसके सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सांस्थानिक प्रबन्ध की व्यवस्था करनी चाहिए और लेखापरीक्षा में बताए गए अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए सीपीएसईज़ को निदेश जारी करने चाहिएं।

[पैरा 5.6]

VI. निगमित सामाजिक दायित्व

अप्रैल 2010 में, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सीपीएसईज़ में सीएसआर के कार्यकलापों के अधिदेश तथा कार्यक्षेत्र का उल्लेख करते हुए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वर्ष 2012-13 के दौरान, सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर बजट/व्यय की समीक्षा ₹ 10 करोड़ से अधिक के लाभ सहित 103 सीपीएसईज़ के संबंध में की गई थी।

[पैरा 6.2]

103 सीपीएसईज़ में से 41 सीपीएसईज़ ने न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय की शर्तों में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया। अनुपालन ₹ 10 करोड़ और ₹ 500 करोड़ के मध्य लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में सन्तोषजनक नहीं था चूंकि 65 सीपीएसईज़ में से 29 दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहे। ₹ 500 करोड़ से

अधिक के लाभ वाले 38 सीपीएसईज में से 12 सीपीएसईज ने न्यूनतम आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।

[पैरा 6.4]

VII सार्वजनिक निजी भागीदारी और संयुक्त उद्यम

नई व्यवस्थाएं विशेष रूप से सरचनात्मक ढांचा क्षेत्र में विकसित की गई हैं जिससे पर्याप्त सार्वजनिक निधि और/या परिसम्पत्तियों का उपभोग दीर्घावधि आधार पर निजी पार्टियों की भागीदारी के माध्यम से सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों या आर्थिक कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु किया गया था। ये व्यवस्थाएं केन्द्र और राज्य दोनों में मुख्यतः सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और/या संयुक्त उद्यमों (जेवीज) के रूप में हैं। पीपीपी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के राजस्व प्रवाह के आकलन में जोखिम है जो महत्वपूर्ण रूप से सेवाओं के राजकोषीय या प्रयोक्ताओं को प्रभावित कर सकता है जोकि सामान्यतः कुल मिलाकर जनता है। तथापि, ये व्यवस्थाएं संसद द्वारा पारस्परिक विधायी निरीक्षण से बाहर हैं। अब तक हस्ताक्षर किए गए पीपीपी करार भी सीएजी द्वारा व्यापक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

[पैरा 7.1 एवं 7.3]

जेवीज़/विदेशी सहायकों में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा किया गया निवेश मार्च 2013 तक ₹ 70,761 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, 84 जेवीज़ (भारत में निगमित 76 जेवीज़ और अनिगमित 8 जेवीज़) में 23 सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा मार्च 2013 तक ₹ 10,300 करोड़ का निवेश किया गया था। इन जेवीज़/विदेशी सहायकों के लेखाओं का संसदीय निरीक्षण नहीं किया गया था।

[पैरा 7.4.]

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किए गए हैं। शब्द केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी के अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सौंपी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में एक सरकारी कम्पनी की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो इस प्रकार से परिभाषित कम्पनी की सहायक हो। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां भी इस प्रतिवेदन में मानी गई सरकारी कम्पनियों के रूप में संदर्भित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार संसद के विशेष नियमों के अधीन निगमों की स्थापना करती है जिन्हें सांविधिक निगमों के रूप में संदर्भित किया गया है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीएजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक) की नियुक्ति करता है और अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के अतिरिक्त वे निर्देश देता है जिनके अनुसार लेखापरीक्षा

की जाती है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन निगमों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2012-13 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता तथा कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके निष्पादन के मूल्यांकन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2012-13 (अथवा पिछले वर्षों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई केन्द्र सरकारी कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, तथा सीपीएसईज़ की वित्तीय विवरणियों का प्रमाणीकरण करते समय सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा सूचित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों की वित्तीय विवरणियों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा उन्हें जारी निदेशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का सार भी दिया गया है।

प्रतिवेदन में कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसईज़ द्वारा पालन का भी वर्णन किया गया है।

1.1.3 सीपीएसईज़ और मानी गई सरकारी कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2013 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 525 सीपीएसईज़ और मानी गई सरकारी कम्पनियाँ थीं। इनमें 358 सरकारी कम्पनियां, 6 सांविधिक निगम और 161 मानी गई

सरकारी कम्पनियां शामिल थीं। इस प्रतिवेदन में समग्र कवरेज तथा इन सीपीएसईज़ का स्वरूप निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

• सरकारी कम्पनियाँ	358
• मानी गई सरकारी कम्पनियाँ	161
• सांविधिक निगम	6
• कुल सीपीएसईज़	525

सीपीएसई का स्परूप	सीपीएसईज की कुल संख्या नवीनतम आंकड़े 2012-13	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या			जोड़	प्रतिवेदन में शामिल न की गई सीपीएसईज की संख्या
		नवीनतम आंकड़े 2011-12	पहले के आंकड़े 2010-11			
सरकारी कम्पनियां	358	306	14	1	321	37
सांविधिक निगम	6	6	0	0	6	0
कुल कम्पनियां/निगम	364	312	14	1	327	37
मानी गई सरकारी कम्पनियां	161	130	6	1	137	24
जोड़	525	442	20	2	464	61

नई/बन्द सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के विवरण परिशिष्ट I में दिए गए हैं। तथापि, इस प्रतिवेदन में 61 कम्पनियों (24 मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया में थे अथवा समाप्त/परिसमाप्त के अन्तर्गत थे अथवा पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे अथवा पहले लेखे देय नहीं थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन कम्पनियों को दो सितारों (**) के द्वारा परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

सीपीएसईज का आशुचित्र

(सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

सीपीएसईज की संख्या	364
इस अध्याय में शामिल सीपीएसईज	327
प्रदत्त पूँजी (327 सीपीएसईज)	₹ 2,89,455 करोड़
दीर्घकालिन कर्ज़ (327 सीपीएसईज)	₹ 7,18,577 करोड़
बाजार पूँजीकरण (44 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां)	₹ 11,10,382 करोड़
निवल लाभ (182 सीपीएसईज)	₹ 1,48,142 करोड़
निवल हानि (124 सीपीएसईज)	₹ 79,699 करोड़
घोषित लाभांश (107 सीपीएसईज)	₹ 49,929 करोड़
उत्पादन का मूल्य (327 सीपीएसईज)	₹ 12,15,187 करोड़
कुल परिसम्पत्तियां	₹ 29,45,185 करोड़
निवल धन (327 सीपीएसईज)	₹ 10,75,057 करोड़

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

2012-13 के अंत में 327 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज की सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं। कुछ सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने भी इन सीपीएसईज में निवेश किया था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

स्रोत	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज	जोड़	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज	जोड़
1.केन्द्रीय सरकार	2,25,037	50,437	2,75,474	2,05,385	53,277	2,58,662
2.केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां/निगम	27,413	23,933	51,346	17,322	29,145	46,467
3.राज्य सरकारें/राज्य सरकार की कम्पनियां/निगम	18,490	5,771	24,261	16,282	4,801	21,083
4.वित्तीय संस्थाएं/अन्य	18,515	6,38,436	6,56,951	15,320	5,53,350	5,68,670
जोड़	2,89,455	7,18,577	1,00,8032	2,54,309	6,40,573	8,94,882
कुल के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिशतता	77.75	7.02	27.33	80.76	8.32	28.90


भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों में धारित इक्विटी तथा दिए गए कर्जों के मंत्रालय/विभाग वार विवरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

1.2.1 इक्विटी निवेश

2012-13 के दौरान, इन सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के इक्विटी में निवेश में ₹ 35,146 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। भारत सरकार का निवेश सीपीएसईज के इक्विटी में 2012-13 में ₹ 19,652 करोड़ तक बढ़ गया।

भारत सरकार का निवेश सीपीएसईज के इक्विटी में 2012-13 में ₹ 19,652 करोड़ तक बढ़ गया।

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश



सीपीएसईज़ की प्रदत्त पूँजी में 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के बारे में नीचे दिए गए हैं:

सीपीएसईज़ का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम		
नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	15,856
सरकारी कम्पनियां		
डेडिकेट्ड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन लिमिटेड	रेलवे	1,543
चैनर्स मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	1,035
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	780
अन्य		438
जोड़		19,652

- वर्ष 2012-13 के दौरान नौ कम्पनियों ने ₹ 896 करोड़ की राशि के पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर जारी किए जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	राशि (₹ करोड में)
1	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	362
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड	361
3	राइट्स लिमिटेड	60
4	ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	50
5	पीईसी लिमिटेड	40
6	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	10
7	एमएसटीसी लिमिटेड	7
8	डब्ल्यूएपीसीओएस (इंडिया) लिमिटेड	5
9	एड्यूकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	1
जोड़		896

- ❖ वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 30,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 23,956 करोड़ की उगाही की। विनिवेश कार्यवाहियाँ निम्नलिखित दो सीपीएसईज के संबंध में इसके शेयरों के भाग की बिक्री से थीं।

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों का अंकित मूल्य (₹ करोड में)	सरकार द्वारा उगाही की गई राशि (₹ करोड में)
1	नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	12.00	125
2	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड	5.58	25.80	807
3	नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	39.65	5,973
4	ऑयल इंडिया लिमिटेड	10.00	60.11	3,141
5	एनटीपीसी लिमिटेड	9.50	783.26	11,457
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फार्टिलाइज़रस लिमिटेड	12.50	68.95	310
7	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	6.09	78.47	628
8	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.82	240.40	1,515
जोड़				23,956


इसके अतिरिक्त ₹ 1,432.24 करोड़ अधिमान शेयरों के विमोचन के कारण प्राप्त हुए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1,380.50
2	कोचीन शिर्पयार्ड लिमिटेड	39.14
3	मेकॉन लिमिटेड	12.60
	जोड़	1,432.24

1.2.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए कर्ज़

2012-13 के दौरान सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए दीर्घकालीन कर्ज़ों ने ₹ 78,005 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की।

सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए बकाया दीर्घकालीन कर्ज़
(₹ करोड़ में)



- ❖ 31 मार्च 2013 को सभी स्त्रोतों से 327 कम्पनियों/निगमों में बकाया कुल दीर्घकालीन कर्ज़ ₹ 7,18,577 करोड़ के थे। 2012-13 के दौरान उनके दीर्घकालीन कर्ज़ों के प्रति कुल परिसम्पत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीए सई की संख्या	दीर्घवधि कर्ज़	परिसम्प त्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्प त्तियां की प्रतिशत ता	सी पीए सई की सं ख्या	दीर्घव धि कर्ज़	परिस म्प त्तियां	कर्जों के प्रति परिस म्पत्ति यों की प्रतिश तता
	(₹ करोड़ में)					(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	3	41,657	1,89,227	454.25				
सूचीबद्ध कम्पनियां	31	4,42,617	13,66,437	308.72	1	4,460	399	8.95
असूचीबद्ध कम्पनिया	102	2,16,223	6,65,156	307.62	23	13,619	1,922	14.11
कुल	136	7,00,497	22,20,820		24	18,079	2,321	

1 सूचीबद्ध कम्पनी सहित 24 सीपीएसईज के उनकी कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक कर्ज थे। वहाँ 167 सीपीएसई (3 सांविधिक निगम सहित) थीं जिनके ऊपर कोई दीर्घवधि कर्ज नहीं था।

- ❖ ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज एवं कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतना ही अधिक कम्पनी पर ऋण खर्च का भार होता है। 1 से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि ब्याज खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण का सार नीचे दिया गया है:

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसई* की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसईज़ की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसइज़ की सं.
	(₹ करोड़ में)				
सांविधिक निगम					
2010-11	3,813	5,033	4	4	0
2011-12	6,143	6,586	4	4	0
2012-13	1,548	3,198	3	2	1
सूचीबद्ध सरकारी सम्पनियां					
2010-11	24,021	97,756	32	26	6
2011-12	33,285	98,910	34	26	8
2012-13	39,771	1,10,677	32	20	12
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2010-11	13,758	30,267	129	71	58
2011-12	15,444	30,022	124	68	56
2012-13	16,242	46,068	124	56	68


यह देखा गया था कि सांविधिक निगमों, सूचीबद्ध के साथ-साथ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान घट गई थी।

1.2.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा निवेशित पूँजी 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निम्न प्रकार से थी।

* इन सीपीएसईज़ को छोड़कर जिनकी ब्याज पर कोई देयता नहीं है।

मानी गई सरकारी कम्पनियों में शेयर पूँजी की संरचना



31 मार्च 2013 को 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में इक्विटी ₹ 25,755 करोड़ थी। भारत सरकार, राज्य सरकारों, कम्पनियों तथा निगमों द्वारा अंशदान के विवरण परिशिष्ट IV में दिए गए हैं। इन कम्पनियों में इक्विटी ₹ 5,807 करोड़ तक बढ़ गई अर्थात् 2011-12 में ₹ 19,948 करोड़ से बढ़ कर 2012-13 में ₹ 25,755 करोड़ हो गई।

1.2.4 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश का बाज़ार पूँजीकरण

बाज़ार पूँजीकरण पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी के बकाया शेयरों के बाज़ार मूल्य के आकार का माप है। 59 सरकारी कम्पनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए थे जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां, सरकारी कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियां और 8* मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल हैं।

- ❖ 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2012-13 के दौरान 41 कम्पनियों के शेयरों में ट्रेडिंग[†] हुई थी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के शेयरों को अप्रैल 2012 में सूचीबद्ध किया गया था और उसे वर्ष-वार तुलना के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकारी

* 1 इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड, 2 इन्डबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड, 3 पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, 4 दी बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, 5 उडीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, 6 तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, 7 ट्रिज़िम फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और 8 आईएफसीआई लिमिटेड

[†] 2012-13 के दौरान (1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (4) इंडिया ट्रिज़िम डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं (5) केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियों के संबंध में वर्ष के दौरान 4 में ट्रेडिंग हुआ था और एक कम्पनी⁺ के शेयर का ट्रेडिंग नहीं हुआ था।

- ❖ 44 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2013 तक ₹ 11,10,382 करोड़ थी। 31 मार्च 2013 तक 40 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 10,98,881 करोड़ था जिनमें से भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 8,30,913 करोड़ तक था। शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2013 की तुलना में 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,42,041 करोड़ (12.9 प्रतिशत) तक घट गया था। विवरण परिशिष्ट V-क में दर्शाए गए हैं। इस अवधि के दौरान, बीएसई सेसेक्स 17,404.20 (31.03.2012 को) से बढ़कर 18,835.77 (31.03.2013) हो गया, 8.23 प्रतिशत वृद्धि। तथापि, सीपीएसई इंडेक्स 7,311.47 (31.03.2012 को) से घटकर 6,481.16 (31.03.2013 को) हो गया जो 11.4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- ❖ 31 मार्च 2013 तक 4 सरकारी सहायक कम्पनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, जिन शेयरों की ट्रेडिंग 2012-13 के दौरान हुई थी, ₹ 11,501 करोड़ रहा था। 31 मार्च 2012 की तुलना में 31 मार्च 2013 तक सरकारी कम्पनियों द्वारा 4 सरकारी सहायक कम्पनियों में धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य घट कर ₹ 2,999.83 करोड़ तक हो गया था। विवरण परिशिष्ट V-ख में दर्शाया गया है।
- ❖ 31 मार्च 2013 को अधिकतम बाजार पूँजीकरण वाली 10 टॉप पीएसईज़ नीचे दर्शाई गई हैं:

क्रम सं.	पीएसई का नाम	बाजार पूँजीकरण (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	2,66,546
2	कोल इण्डिया लिमिटेड	1,95,270
3	एनटीपीसी लिमिटेड	1,17,086
4	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	68,335
5	नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	54,535
6	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	49,052
7	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	43,310
8	गोल (इण्डिया) लिमिटेड	40,483
9	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	30,733
10	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	27,343

⁺ 2012-13 के दौरान ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

11 सीपीएसईज़ में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य 29 सीपीएसईज़ में कमी हुई। बाजार पूंजीकरण में महत्वपूर्ण कमी वाले सीपीएसईज़ नीचे दिये गये हैं:


(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पीएसई का नाम	31.3.2012 को बाजार पूंजीकरण	31.3.2013 को बाजार पूंजीकरण	अंतर
1	एमएमटीसी लिमिटेड	78,345	19,925	58,420
2	कोल इंडिया लिमिटेड	2,16,714	1,95,270	21,444
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	62,891	43,310	19,581
4	एनटीपीसी लिमिटेड	1,34,154	1,17,086	17,068
5	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	24,750	8,577	16,173
6	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	38,846	25,754	13,092
7	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	63,872	54,535	9,337
8	गेल (इंडिया) लिमिटेड	47,562	40,483	7,079
9	नेशनल एल्यूमूनियम कंपनी लिमिटेड	14,097	8,544	5,553
10	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	8,558	5,207	3,351

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

327 सरकारी कम्पनियों और निगमों में 2010-11 से 2012-13 के दौरान लगाई गई निवल सम्पत्ति और पूंजी पर प्रतिफल परिशिष्ट VI में दर्शाया गया है। लाभ कमाने वाली सरकारी कम्पनियों और निगमों की संख्या 2011-12 में 191 (₹ 1,36,770 करोड़) से घट कर 2012-13 में 182 (₹ 1,48,142 करोड़) हो गई।

**लाभ कमाने वाले सांविधिक निगमों, सूचीबद्ध तथा
सरकारी कम्पनियों की संख्या**



वर्ष 2012-13 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्रों के विवरण का सार नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसईज की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	6	37,090	25.04
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	2,816	1.9
जोड़	10	39,906	26.94
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	11,254	7.60
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	16,584	11.19
जोड़	9	27,838	18.79
3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	20,253	13.67
सांविधिक निगम	1	392	0.26
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	13	3,592	2.42
जोड़	18	24,237	16.36
जोड़ (1) to (3)	37	91,981	62.09

182 सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित कुल लाभ में से 62 प्रतिशत (₹ 91,981 करोड़) इन तीन क्षेत्रों में 37 सीपीएसईज द्वारा दिया गया था।

2012-13 की टॉप दस लाभ कमाने वाली सीपीएसईज निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	20,926
2	एनटीपीसी लिमिटेड	12,619
3	कोल इंडिया लिमिटेड	9,794
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6,615
5	एनएमडीसी लिमिटेड	6,342
6	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	5,005
7	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	4,420
8	साठथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,300
9	पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	4,234
10	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	4212
जोड़		78,467

यह देखा जा सकता है कि 10 सीपीएसईज ने 182 सीपीएसईज द्वारा कुल अर्जित लाभ का 53 प्रतिशत अंशदान किया। ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी*, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति#, निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 327 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विशेषण परिशिष्ट VI में दिया गया है।

1.3.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभांश भुगतान

31 मार्च 2013 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली सरकारी कम्पनियों और निगमों की संख्या परिशिष्ट VII में दी गई है। 2012-13 में लाभांश की घोषणा करने


- सीपीएसईज द्वारा घोषित लाभांश 2010-11 में ₹ 35,680 से बढ़कर 2012-13 में ₹ 49,929 करोड़ हो गया।
- 75 सरकारी कम्पनियों/निगमों ने 2012-13 में ₹ 18,631 करोड़ का लाभ कमाया परन्तु लाभांश की घोषणा नहीं की।
- भारत सरकार ने ₹ 2,25,053 करोड़ के निवेश पर ₹ 32,741 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया।

* लगाई गई पूंजी का मतलब है शेयर धारकों की निधियों एवं दीर्घकालिक उधारी से है।

निवल सम्पत्ति का अर्थ है दत्त शेयर पूंजी का कुल योग और फ्रि रिजर्व और अधिशेष घटा संचित हानि और अस्थगित राजस्व व्यय फ्रि रिजर्व का अर्थ है सभी रिजर्व जो लाभ और शेयर प्रीमियम लेखे से सृजित हो किन्तु इसमें परिसम्पत्तियों के पुर्णमूल्यांकन से सृजित रिजर्व और मूल्यहास प्रावधान का राइट बैंक सम्मिलित नहीं है।

वाले 107 सीपीएसईज़ (2 सांविधिक निगमों तथा 32 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) थे। इन सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2010-11 में 33.34 प्रतिशत से बढ़ कर 2012-13 में 38.55 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, सीपीएसईज़ द्वारा 2012-13 में घोषित लाभांश 2010-11 में ₹ 35,680 करोड़ से ₹ 14,249 करोड़ तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 49,929 करोड़ हो गया।

निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश



वर्ष 2012-13 के दौरान 182 सीपीएसईज़ जिन्होंने लाभ कमाया उनमें से केवल 107 सीपीएसईज़ ने लाभांश की घोषणा की थी। 75 सीपीएसईज़ (5 सूचीबद्ध कम्पनियों और एक सांविधिक निगम सहित) जिन्होंने ₹ 18,631 करोड़ का लाभ कमाया था और 2012-13 के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेणी	कुल लाभ सीपीएसईज़ (सं.)	पीएसयूज जिन्होंने लाभ की घोषणा की				पीएसयूज जिन्होंने लाभ की घोषणा नहीं की		
		सीपीएसईज़ की संख्या	प्रदत्त पूँजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश	सीपीएसईज़ की संख्या	प्रदत्ता पूँजी	निवल लाभ
सांविधिक निगम	3	2	724.58	874.55	174.87	1	5,314.82	392.33
सूचीबद्ध कम्पनी	37	32	58,019.66	97,514.91	37,607.34	5	377.43	44.76
असूचीबद्ध कम्पनियां	142	73	41,701.15	31,121.98	12,146.97	69	37,451.38	18,193.56
जोड़	182	107	1,00,445.39	1,29,511.44	49,929.18	75	43,143.63	18,630.65

- ❖ चालू वर्ष में 107 सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा घोषित ₹ 49,929 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्य लाभांश ₹ 32,741 करोड़* था। 327 सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी पूँजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,25,037 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 14.55 प्रतिशत था। इसी प्रकार, 29 सरकारी कम्पनियों ने विभिन्न सरकारी कम्पनियों की इक्विटी में ₹ 4,482 करोड़ के दी गई पूँजी पर लाभांश के रूप में ₹ 9,403 करोड़ प्राप्त किए।
- ❖ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 14,067 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2012-13 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 49,929 करोड़ के कुल लाभांश का 28 प्रतिशत था।
- ❖ 1995 तथा 1996 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि लाभ कमाने वाली सभी कम्पनियां, जो अनिवार्यतः वाणिज्यिक उद्यम थे, या तो इक्विटी पर या कर-पश्चात् लाभ पर, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करेंगी। तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारभूत क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम लाभांश कर-पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत था। तथापि, 30 कम्पनियाँ (4 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) जिन्होंने लाभांश घोषित किया था ने लाभांश की घोषणा करते समय संबंधित सरकारी निदेश का पालन नहीं किया, जैसा कि परिशिष्ट VIII में दिया गया है। इस के कारण कुल कमी 2012-13 में ₹ 3,588 करोड़ थी।
- ❖ मंत्रालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि सरकार का उद्देश्य समूचे बोर्ड में सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों में समग्र निवेश पर न्यूनतम पांच प्रतिफल प्राप्त करना था। सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,25,037 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल ₹ 37,741 करोड़ अर्थात् 14.55 प्रतिशत था।

1.3.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल

2010-11 से 2012-13 वर्षों के लिए मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल के विवरण परिशिष्ट IV में दिए गए हैं। 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में से, 87 कम्पनियों ने ₹ 4,010 करोड़ का लाभ कमाया। इन 87 कम्पनियों में से, 39 ने ₹ 911 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी ₹ 6,376 करोड़ की कुल प्रदत्त पूँजी का 14.29 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों में से 40 कम्पनियों ने ₹ 1,308 करोड़ की हानि उठाई। शेष दस कम्पनियों ने अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किए थे।

* भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लाभांश सीधे केन्द्रीय सरकार के निवेश वाली 84 कम्पनियों से संबंधित था। बची हुई 23 कम्पनियां अन्य सरकारी कम्पनीं की सहायक कम्पनियां थीं और उनमें भारत सरकार का प्रत्यक्ष निवेश नहीं था।

1.3.3.1 2012-13 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से 39 मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 911 करोड़ का लाभांश आया जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूँजी	नि वल लाभ	लाभांश	(₹ करोड़ में)
वित्तीय सेवाएं	25	3,675	1,708	662	
विद्युत	2	1,229	280	135	
बीमा	1	1,000	622	50	
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	1	250	176	35	
परिवहन सेवाएं	1	164	30	20	
व्यापार एवं विपणन	1	41	16	4	
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	6	16	25	3	
खनिज एवं धातु	1	1	14	1	
औद्योगिक विकास	1	1	1	1	
जोड़	39	6,377	2,872	911	

1.4 घाटे वाली सीपीएसईज़

घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़ की संख्या 2010-11 में 83 सीपीएसईज़ से 2012-13 में 124 तक बढ़ गई। इस अवधि के दौरान इन सीपीएसई द्वारा उठाये गये घाटे में भी ₹ 22,246 करोड़ से ₹ 31,161 करोड़ की काफी वृद्धि हुई जिसका नीचे दी गई तालिका में विवरण है।

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	घाटे वाली सीपीएसईज़* की संख्या	वर्ष का निवल घाटा	संचित घाटा	निवल सम्पत्ति
(₹ करोड़ में)				
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2010-11	9	5,082	13,608	-2,277
2011-12	8	7,089	15,503	-2,598
2012-13	14	11,439	20,810	6,420
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों/निगम				
2010-11	74	17,182	52,641	77,647
2011-12	87	23,118	63,895	71,146
2012-13	110	19,722	58,889	54,278
जोड़				
2010-11	83	22,264	66,249	75,370
2011-12	95	30,207	79,398	68,548
2012-13	124	31,161	79,699	60,698

* फृड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, इनलैंड वाटरवेज आर्थोरिटी ऑफ इण्डिया तथा नेशनल हाइवेज अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया जिनके घाटे की भारत सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है, इस तालिका में शामिल नहीं हैं।

निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 500 करोड़ से अधिक का घाटा वहन किया।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2012-13 में निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	7,884
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5,321
3	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	1,767
4	हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड	885
5	मैंगलोर रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	757

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2013 तक 135 सरकारी कम्पनियां और निगम थे जिनका संचित घाटा ₹ 92,908 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान 135 सीपीएसईज़ में से 100 सीपीएसईज़ ने ₹ 19,559 करोड़ का घाटा उठाया तथा 35 सीपीएसईज़ ने वर्तमान वर्ष 2012-13 में घाटा नहीं उठाया तथापि ₹ 13,210 करोड़ का घाटा संचित था।

65 सरकारी कम्पनियों (135 में से) की निवल सम्पत्ति संचित घाटे द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 65 कंपनियों में निवल संपत्ति 31 मार्च 2013 को ₹ 12,889 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 68,202 करोड़ थी। इसमें 7 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 2,422 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 18,070 करोड़ थी। 65 कंपनियों जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, में से केवल 8 सीपीएसईज़ ने 2012-13 के दौरान ₹ 1,745 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।


65 सीपीएसईज़ में से 29 जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2013 को ₹ 16,115 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,561 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली 4 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।

संभावित रूणता दर्शाते हुए 259 सीपीएसईज़ जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 15 सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति 31 मार्च 2013 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 12,109 करोड़ के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान कुल परिसम्पत्ति तथा लगाई गई पूँजी के प्रति उत्पादन के मूल्य को दर्शाने वाला सार ग्राफ नीचे दिया गया है:



पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में यद्यपि कुल परिसम्पत्ति और नियोजित पूँजी में वृद्धि थी तथापि उत्पादन के मूल्य में थोड़ी सी कमी हुई थी।

1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2012-13 के दौरान 327 सीपीएसईज की कुल बिक्री ₹ 18,13,785 करोड़ थी। इनमें से 118 सीपीएसईज ने सरकारी विभागों को उनकी ₹ 9,45,238 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,03,376 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्र को उनकी कुल निवल बिक्री के संदर्भ में इन सीपीएसईज की बिक्री की समग्र प्रतिशतता 21.5 प्रतिशत परिकल्पित की गई।

67 सीपीएसईज ने ₹ 97,975 करोड़ का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 10,09,412 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 9.71 प्रतिशत परिकल्पित किया गया। 327 सीपीईज द्वारा की गई ₹ 18,13,785 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 5.4 प्रतिशत थी। ₹ 1000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	33,340
2	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	22,678
3	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	17,582
4	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,179
5	राष्ट्रीय एन्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	3,410
6	पीईसी लिमिटेड	3,029
7	एमएमटीसी लिमिटेड	2,980
8	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1,975
9	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,563
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,188
जोड़		92,924

इन 10 सीपीएसईज की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसईज के कुल निर्यात का 95% है।

1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रोन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्य करने पड़ते हैं। 2012-13 के दौरान, 59 सीपीएसईज ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 4,450 करोड़ लगाए। निम्नलिखित सीपीएसईज ने ₹ 100 करोड़ से अधिक का आर एंड डी व्यय किया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ के प्रति आरएंडडी व्यय की प्रतिशतता
1	हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड	1,949	2,997	65
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	538	20,926	3
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	510	890	57
4	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	337	6,615	5
5	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	249	5,005	5
6	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	148	2,400	6
7	एनटीपीसी लिमिटेड	102	12,619	1

अध्याय 2

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनेक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सरकारी कम्पनी सहित मानी गई सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) इन कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है। इसके बाद की गई पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर सीएजी टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए और एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए। पूरक/नमूना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी विशेष विषयों और क्षेत्रों की निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2.2.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में वास्तविकता

मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 619(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में सीएजी द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सीएजी द्वारा सनदी लेखाकारों के फर्म के एक पैनल का रखरखाव सनदी लेखाकारों के पात्र फर्मों से प्रत्येक वर्ष आवेदन पत्र मंगा कर किया जाता है। इस प्रकार गठित पैनल का उपयोग आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसईजे) के सांविधिक लेखापरीक्षकों के चयन के लिए किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है।

नियुक्ति के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन सनदी लेखाकारों की प्रत्येक फर्म लेखापरीक्षा समनुदेशन के आकार के साथ करते हैं, द्वारा अर्जित प्राप्तांक से सह संबंध स्थापित करके किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए, प्राप्तांक फर्म के अनुभव, भागीदारों की संख्या और फर्म से उनका साहचर्य, सनदी लेखाकार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होता है कि फर्म के पूर्ववृत्त सुस्थापित हैं और फर्म आबंटित लेखापरीक्षा करने में समर्थ है।

प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सनदी लेखाकार फर्मों को लेखापरीक्षा का आबंटन वस्तुनिष्ठता से क्षमता की योग्यता के आधार पर किया जाता है।

2.2.2 वर्ष 2012-13 के लिए सीपीएसईज़ के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 और 230 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अनुसार

सांविधिक लेखापरीक्षक एक एजीएम की समाप्ति से अगली एजीएम की समाप्ति तक कार्यालय धारण करता है।

वर्ष 2012-13 के लिए सूचीबद्ध कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई/अगस्त 2012 के दौरान की गई थी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान है कि स्टाक इक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) में प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवा कर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई/अगस्त 2012 के दौरान वर्ष 2012-13 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

2.2.3 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

सांविधिक लेखापरीक्षक का कम्पनी जिसकी वह लेखापरीक्षा करता है, के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र व्यवसायिक मत उपलब्ध कराना न्यासी कर्तव्य है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हित के द्वंद के किसी अवसर के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 निम्नलिखित नियुक्ति का निषेध करती है

- कम्पनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा उनका भागीदार अथवा कर्मचारी,
- एक व्यक्ति जो कम्पनी का कर्जदार है और
- ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में वोटिंग अधिकार वाली किन्हीं प्रतिभूतियों का धारक है।

इसी प्रकार, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान निहित है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की प्रथम अनुसूची का पैराग्राफ 10 फीस की स्वीकृति का निषेध करता है जो या तो लाभ से जुड़े हैं अथवा निष्कर्ष या रोजगार के परिणामों पर अन्यथा निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची, भाग-1 का पैराग्राफ 4 कारोबार जिसमें वह अथवा उसकी फर्म अथवा उसके फर्म के एक भागीदार का पर्यास हित है, के वित्तीय विवरणों पर तब तक राय व्यक्त करने के लिए सनदी लेखाकार के लिए एक कदाचार का कार्य बनता है जब तक ऐसे हित का प्रकटन नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

- गैर लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति पर प्रतिबंध।
- प्रत्येक चार वर्षों में लेखापरीक्षकों का रोटेशन।

सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सीएजी द्वारा निम्नलिखित और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है:

➤ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशनों की स्वीकृति

सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भागीदार अथवा संबंधी (पति, पत्नी, भाई, बहन अथवा कोई पूर्वज अथवा वंशज) अथवा सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के संगठन* लेखापरीक्षा के वर्ष और फर्म के कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन बाद एक वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा परामर्शी अथवा सरकारी कम्पनी को अन्य सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए कोई समनुदेशन लेने से निषेध करता है। गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति जिसमें प्रबन्धन कार्य निष्पादन अथवा प्रबन्धन निर्णय देना शामिल है, भी लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान और फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन के बाद एक वर्ष तक निषिद्ध है।

➤ लेखापरीक्षकों का रोटेशन

प्रत्येक चार वर्षों में सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रोटेशन की प्रणाली अच्छी पद्धति के रूप में अपनाई गई है।

* शब्द संगठन में (क) सनदी लेखाकारों की अन्य फर्म जिनमें कोई कर्मचारी अथवा लेखापरीक्षा फर्म का भागीदार हित रखता है (ख) लेखापरीक्षक फर्म का कोई कर्मचारी अथवा भागीदार जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सनदी लेखाकार के रूप में प्रेक्षित कर रहा है, शामिल है।

2.3 सीपीएसईज के लेखाओं का बकाया

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अनुसार सरकारी कम्पनी के कामकाज और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी एजीएम के तीन महीने के अन्दर तैयार करनी होती है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और सीएजी द्वारा की गई उस पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। सांविधिक निगमों के विनियमन के लिए अलग अलग अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कथन है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 में अनुबद्ध है कि उस दिन जिसको एजीएम के पूर्ववर्ती दिन से 6 महीने से अधिक नहीं होगा, को समाप्त होने वाली अवधि के लेखापरीक्षित लेखे उनके विचार के लिए उक्त एजीएम को प्रस्तुत किए जाने हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210(5) और (6) में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए कम्पनी के निदेशक सहित जिम्मेदार व्यक्ति पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के भी लगाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के लेखाओं में बकाया का मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सीएजी द्वारा निरन्तर सूचित किया गया है। सीएजी द्वारा मामले को जनवरी 2007 में कार्पोरेट मामले, मंत्रालय, भारत सरकार और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ भी उठाया गया था जिसने इन कम्पनियों के निदेशक मंडल को सरकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसके बदले कार्पोरेट मामले मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार को ऐसी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उप धारा (5) और उप-धारा (6) के प्रावधानों की तरफ ध्यान केन्द्रित करने का निदेश दिया, और जिनके लेखे बकाया थे उन्हें शीघ्र अपने लेखाओं को पूरा करने का निदेश दिया ताकि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों को अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सीएजी द्वारा नवम्बर 2011 में लेखाओं के बकाया के निपटान के लिए पुनः अनुस्मारक दिया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा

210 की उपधारा 5 और 6 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2013 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 358 सरकारी कम्पनियां और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां थीं। इनमें से 351 सरकारी कम्पनियों और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियों से वर्ष 2012-2013 के लेखे बकाया थे।

519 कम्पनियों में से 89 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

सात सरकारी कम्पनियों जो नई थीं, से लेखे बकाया नहीं थे। 30 सितम्बर 2013 को अथवा पहले कुल 288 सरकारी कम्पनियों और 127 मानी गई सरकारी कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। **63 सरकारी कम्पनियों और 26 मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।**

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

विवरण	केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां जहां सीएजी पूरक लेखापरीक्षा करते हैं					
	सरकारी कम्पनी		मानी गई सरकारी कम्पनी		कुल	
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध
31.03.2013 तक की संख्या	358		161		519	
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध
	51	307	8	153	59	460
घटाएँ: कम्पनियां जिनके 2012-13 के लेखे बकाया नहीं थे	0	7	0	0	0	7
कम्पनियां जिनसे 2012-13 के लेखे देय थे	51	300	8	153	59	453
कम्पनियों जिन्होंने 30 सितम्बर 2013 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए	48	240	8	119	56	359
लेखे प्रस्तुत नहीं किए	0	0	0	8	0	8
बकाया लेखे	3	60	0	26	3	86
बकाया के ब्यौरे	(i) समापनाधीन	0	22	0	8	0
	(ii) समाप्त	0	4	0	6	0
	(iii) अन्य	3	34	0	12	3
'अन्य' वर्ग के प्रति बकाया का समय वार विश्लेषण	एक वर्ष (2012-13)	3	29	0	9	3
	दो वर्ष (2011-12 तथा 2012-13)	0	1	0	1	0
	तीन वर्ष और अधिक	0	4	0	2	0

इन कम्पनियों के नाम **परिशिष्ट॥** में दर्शाए गए हैं।

सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में वित्तम् ब के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में निवेशित सार्वजनिक धन के प्रबंधन के ऊपर संसदीय नियंत्रण की कमी और सांविधिक प्रावधानों को उल्लंघन हुआ।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छ: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन जहां सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है, ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2012-13 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है।

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना। धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लेखापरीक्षिती संगठन में लेखाकरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना है और

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सीपीएसई के चयन का मापदंड

सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए समय कम करने हेतु सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 42 दिन निर्धारित किए हैं। सीएजी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक संकेन्द्रण और लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सीपीएसईज के चयन के लिए मानदंड में संशोधन किए। संशोधित मानदंड के अनुसार सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा उन सीपीएसईज के संबंध में वार्षिक रूप से किया जाना है जिनका टर्नओवर ₹ 5000 करोड़ अथवा उससे अधिक है या प्रदत्त पूँजी ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है। अन्य सभी सीपीएसईज का चयन इस शर्त कि इनकी लेखापरीक्षा पांच वर्षों में कम से कम एक बार हो, के अध्यधीन जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाना है।

2.4.4 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक आईसीएआई के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा
सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक गहन नवीकृत, संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी पहुंच लागू की गई।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, की सूचना वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी जाती है।

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात् पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पण्डारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा' की प्रणाली द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक

गहन, नवीकृत, संकेन्द्रित तथा परिणामोन्मुख पहुंच प्रस्तुत किया है। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नई लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य के आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध', नवरत्न, 'मिनीरत्न' और 'सांविधिक निगमों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चुने गए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लागू किया गया था।:

- **सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित**

असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी सप्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, छूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा

चरण-।

लेखाकरण नीति की समीक्षा और पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई

चरण-॥

वित्तीय विवरणों की जांच, प्रबन्धन को एक अवर देना और समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना

चरण-|||

प्रबन्धन के लेखों की स्वीकृति के बाद एवं उन लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अन्तिम जांच।

इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

नई लेखापरीक्षा पहुंच की सराहना विभिन्न सीपीएसईज जिन्होंने इसका विकल्प दिया, के प्रबन्धन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों दोनों द्वारा की गई थी। नई लेखापरीक्षा पहुंच का चरण-। और चरण-॥ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के विस्तारित प्रावधान हैं। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण |||) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।


2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

60 सीपीएसईज में की गई तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने वित्तीय विवरणों में सीपीएसईज द्वारा अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2012-13 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव



सीपीएसईज जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
3.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
6.	एमएमटीसी लिमिटेड
7.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राथिकरण
8.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	एनटीपीसी लिमिटेड
10.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
11.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
12.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
13.	ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	साठथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
15.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरण 288 सरकारी कम्पनियों (51 सूचीबद्ध कम्पनियों में से 48 सहित), 127 मानी गई सरकारी कम्पनियों (आठ सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा छः सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 198 सरकारी कम्पनियों और 80 मानी गई सरकारी कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सीएजी ने वर्ष 2012-13 के लिए 278 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

सारांशतः, सीएजी ने 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त लेखाओं में से 69 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 63 प्रतिशत मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

लेखाओं का संशोधन और इसका प्रभाव

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप आठ कम्पनियों ने अपने लेखे संशोधित किए। कम्पनियों की लाभप्रदत्ता* पर लेखाओं के संशोधन का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

लाभ में कमी

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0.03
2.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	6.30
3.	एचपीसीएल जैव ईंधन लिमिटेड	2.98

सीएजी द्वारा लेखाओं की समीक्षा के बाद कम्पनियों द्वारा लेखाओं के संशोधन से इन कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर ₹ 9.32 करोड़ का प्रभाव पड़ा था।

परिसम्पत्तियों में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0.01

परिसम्पत्तियों में कमी

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	6.30

* एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, बीईएल ओपट्रोनिक्स डिवाइस लिमिटेड, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कांउसिल, मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा मजागाँव डॉक लिमिटेड ने भी अपने लेखे संशोधित किए परन्तु ऐसे संशोधन के संबंध में इन कम्पनियों की लाभप्रदत्ता पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए तालिका में नहीं दर्शाया गया है।

देयताओं में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0.04
2.	एचपीसीएल बायोफ्यूएल्स लिमिटेड	2.98

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधन:

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 15 सरकारी कम्पनियों (दो सूचीबद्ध सरकारी कंपनी सहित) तथा तीन मानी गई सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट संशोधित की। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

18 कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	संशोधन का स्वरूप
1.	बोकारो वियुत आपूर्ति कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एसए-700 के अनुसार संसोधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने प्रस्तुतिकरण के फार्मेट को सुधारा
2.	भारतीय केन्द्रीय आस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री	निम्नलिखित पर आधारित पैरा को सम्मिलित करने हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया <ul style="list-style-type: none"> (i) वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व हेतु प्रबन्धन की जवाबदेही। (ii) अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताएं।
3.	डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सीएआरओ संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को संशोधित किया <ul style="list-style-type: none"> (i) वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन (ii) लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण।
4.	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	लाभांश की वृद्धि से संबंधित वार्षिक लेखों के संशोधन को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को संशोधित किया गया
5.	हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन	लेखापरीक्षक की संशोधित रिपोर्ट: <ul style="list-style-type: none"> (i) नकद प्रवाह विवरण पर राय को सम्मिलित किया गया। (ii) एसए-700 के अनुसार रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के मसौदे को ठीक किया गया।
6.	हाई स्पीड रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	संशोधित एसए-700 के अनुसार संशोधित रिपोर्ट नये मसौदे में प्रस्तुत की गई।
7.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को आशोधित किया गया: <ul style="list-style-type: none"> (i) ₹ 3.42 करोड़ राशि के प्रतिलेखन एसआरएफ लिमिटेड के पूँजीगत अग्रिम के लिए ऋणदाताओं को एएस-10 के अन्तर्गत

		<p>यथा अप्रेक्षित सम्बन्धित परिसम्पत्ति के मूल्य से राशि को कम करने के स्थान पर 'अन्य गैर-प्रचालित आय' में दर्शाया यदि राशि को सम्बन्धित परिसम्पत्ति के मूल्य से प्रतिलेखित कर दिया जाता तो लाभ इस वर्ष के लिए हानियों को ₹ 2.47 करोड़ तक कम करेगा।</p> <p>(ii) वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की संचित हानियाँ इसकी निवल सम्पत्ति से 50 प्रतिशत से अधिक थीं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानियाँ वहन की थी परन्तु पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानियाँ वहन नहीं की थीं। कम्पनी बीआईएफआर की योजना के तहत थी, और इसलिए रूगण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार एक रूगण कम्पनी थी।</p>
8.	एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड	अचल सम्पत्तियों के गलत शामिल करने तथा उत्पाद शुल्क के लिए लेखांकन से सम्बन्धित निष्कर्षों को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को संशोधित किया गया था। ६
9.	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	<p>(i) संशोधित एसए-700 के अनुसार संशोधित रिपोर्ट नये फार्मेट में प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>(ii) नगद प्रवाह विवरण से संबंधित राय को रिपोर्ट में शामिल किया गया था।</p>
10.	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड	संशोधित एसए-700 के अनुसार संशोधित रिपोर्ट नये फार्मेट में प्रस्तुत की गई थी।
11.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	संशोधित राय को उप-ठेकेदारों को प्रेषण के संबंध में राजस्व की स्वीकृति के संबंध में शामिल किया गया था जो एसए-7 को अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी।
12.	नाबार्ड फाईनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	बैंक जमा पर अर्जित व्याज के कारण नोट 17 एवं 19 तथा नकद प्रवाह विवरण संशोधित किया गया था।
13.	एनएचपीसी लिमिटेड	<p>रिपोर्ट को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया गया था</p> <p>(i) 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट' के रूप में रिपोर्ट का शीर्षक शामिल करने के लिए</p> <p>(ii) विवादों के कारण जमा न किए गए सांविधिक प्राप्त्यों की राशि में ₹ 329.63 करोड़ से ₹ 328.41 करोड़ परिवर्तन किया गया।</p>
14.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2008-09 से संबंधित ₹ 4.19 लाख के प्राथमिक व्यय उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् रिपोर्ट संशोधित की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए कर के पश्चात् ₹ 1.22 लाख की निवल हानि हुई।
15.	रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	<p>निम्नलिखित को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया:</p> <p>(i) रिपोर्ट के प्रेषित (सदस्य)।</p> <p>(ii) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उचित एवं निष्पक्ष विचार से सम्बन्धित राय।</p> <p>(iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 441ए के तहत भुगतान योग्य</p>

		उपकर की अधिसूचना। (iv) धर्मार्थ न्यास के गठन में विफलतर के संबंध में रिपोर्ट। (v) ₹ 4.69 करोड़ के मध्यस्थता पंचाट का विवरण।
16.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रमेन्ट लिमिटेड	संशोधित एसए-700 के अनुसार रिपोर्ट को नए फोर्मेट में प्रस्तुत किया गया था।
17.	सेल जगदीशपुर पावर प्लॉट लिमिटेड	संशोधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (i) नकद प्रवाह विवरण पर राय को शामिल करना। (ii) एसए-700 के अनुसार रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के फोर्मेट को ठीक किया गया।
18.	सेल रिफ्रेस्टरी कम्पनी लिमिटेड	‘लेखापरीक्षक के रिपोर्ट प्वाइन्ट (IX) (क) के अनुबन्ध में यह शामिल किया गया था, कि 1975 से 1991 की अवधि के लिए रायल्टी पर स्थानीय उपकर पर ब्याज को छोड़कर ₹ 4.28 करोड़ की राशि को उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा नहीं कराया गया था।’

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

❖ सूचीबद्ध कंपनियाँ

लाभप्रदता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित VI की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए वर्ष के दौरान आयात निर्यात आकस्मिक आरक्षित से निकाली गई ₹ 95.96 करोड़ की राशि को आरक्षित एवं अधिशेषों के लागू लाईन मद के स्थान पर लाभ एवं हानि विवरण के तहत दर्शाया गया था। इस प्रकार, वर्ष के लिए कर से पहले ₹ 14.42 करोड़ के लाभ के बजाए, ₹ 81.54 करोड़ की हानि हुई थी। ‘पूर्व अवधि समायोजन निवल’ में मैसर्ज लिंकन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2000 किया स्वर्ग के आयात के लिए जो आदेश के कार्यान्वयन के बिना की निरस्त किया गया, एक आदेश से संबंधित यूएसडी 100 मीलियन के अग्रेषण कवर के प्रति ₹ 31.94 करोड़ की आय को शामिल नहीं किया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
बीईएमएल लिमिटेड	अल्पकालिक ऋण एक अग्रिम विस्तारित सुपुर्दगी अवधि के दौरान तथा सुपुर्दगी अवधि को विस्तारित करते समय निर्धारित किये गए खण्डन खण्ड के आधार पर ग्राहकों द्वारा अस्वीकृत प्रभावी सुपुर्दर्गियों के लिए कम्पनी द्वारा किये गए करों एवं उदग्रहणों की बढ़ती दरों की वजह से ₹ 8.18 करोड़ को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान में सम्मिलित नहीं किया गया।
आईटीआई लिमिटेड	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम (वसूलीयोग्य दावे एवं व्यय) 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि से संबंधित किराये का प्रावधान न होनेके कारण सी-डॉट से वसूली योग्य ₹ 58.48 करोड़ अधिक बताए गए थे। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए किराये के संग्रहण के सम्बन्ध में अनिश्चितता कम्पनी द्वारा मानी गई थी। सांविधिक लेखापरीक्षक ने भी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अपनी राय भी व्यक्त की थी। कम्पनी ने वर्ष 2012-13 में पिछले वर्षों से संबंधित किराये के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कम्पनी ने अपने आश्वासन पर कार्य नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दावे एवं व्यय वसूली योग्य इन्वैण्ड अधिक बताए गए एवं देनदार/अग्रिम (अन्य व्यय) के लिए प्रावधान कम किया गया।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से वसूली योग्य राशि एवं को भुगतान योग्य राशि क्रमशः ₹ 36097.39 मीलियन एवं ₹ 16345.13 मीलियन बताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल से ₹ 19752.36 मीलियन की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। तथापि, वर्ष के लिए बीएसएनएल के वार्षिक लेखाओं के अनुसार कम्पनी से वसूली योग्य राशि तथा को देय राशि क्रमशः ₹ 33345.37 मीलियन तथा ₹ 9774.70 मीलियन थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी से ₹ 23570.67 मीलियन की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। इस प्रकार, उसी मंत्रालय के अन्तर्गत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच वसूली योग्य देय राशि में ₹ 43322.93 मीलियन का निवल अन्तर था।
एमएमटीसी लिमिटेड	इण्डियन कोमोडिटी एक्सेचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) जिस में आरंभ से ही भारी हानि थी जिससे 2012-13 तक इसकी शेयर पूँजी का 74 प्रतिशत क्षरण हो गया था, एवं प्रबन्धन की अपनी संभावन के अनुसार निकट भविष्य में किसी लाभ की संभावना के बिना गैर चालू निवेश में ₹ 26 करोड़ का निवेश शामिल था। एएस-13 के अनुसार निवेश के मूल्य में कमी के लिए ₹ 19.17 करोड़ की राशि के लिए एक प्रावधान का सृजन किया गया चाहिए।
दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	'दीर्घ अवधि व्यापार प्राप्त्यों में विदेशी क्रेताओं से वसूली योग्य ₹ 788.71 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जिसके संबंध में क्रेडिट को वर्ष 2007 से 2010 के दौरान एक्जिम बैंक द्वारा बढ़ाया गया था जिसके

	प्रति कम्पनी के पास ₹ 348.62 करोड़का एक तदुसार क्रेडिट शेष था। कम्पनी ने एक्जिम बैंक को पहले से ही भुगतान की गई राशि के प्रति ₹ 108.01 करोड़ का प्रावधान किया। यह राशि क्रेताओं के प्रति कोई कानूनी कार्यवाही किये बिना तीन वर्षों से अधिक समय तक लम्बित रही थी जैसा कि प्राप्त्यों की ऐसी वसूली संदेहास्पद थी एवं लेखाओं में ₹ 332.08 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता था।
--	--

प्रकटन पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<p>लेखा टिप्पणीयों के पैरा 20(ई) में यह प्रकटित किया गया था कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र सं. 40-29/2002-पेन(टी) दिनांक 29 अगस्त 2002 के द्वारा एमटीएनएल में समाहित किये गए सरकारी कर्मचारियों को परिवार पेंशन सहित पेंशन लाभ का भुगतान करने की सैद्धांतिक सहमति दर्शाई थी। पेंशन की सरकारी योजना का विकल्प दिया उसकी अदायगी सरकार द्वारा की जाएगी।</p> <p>एमटीएनएल में समाहित किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी पेंशन निधि के सूजन के लिए सरकारी अंशदान के रूप में जनवरी 2013 में ₹ 59250.50 मीलियन की राशि की डीओटी के लिए गणना की गई और सूचितकी गई थी। दावा की गई राशि के रूप में ₹ 13502.30 मीलियन की राशि को लेखागत किया गया था। तथापि, ₹ 59250.50 मीलियन की राशि को शामिल करके ₹ 46895.20 मीलियन की राशि के व्याज को लेखागत नहीं किया गया था। क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय से व्याज दावे पर कोई स्पष्टता नहीं थी। नोट इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था।</p>

❖ गैर सूची कम्पनियाँ

लाभकारिता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
फर्टीलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	चालू वर्ष के लिए 'आय' के रूप में 2012-13 के लिए गैर संबंधित लाभ वचनबद्धता शुल्क प्राप्त्यों के गलत लेखाकरण के कारण अपवादात्मक एवं असामान्य मर्दाँ तथा कर से पहले ₹ 25.00 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
हिन्दुस्तान ऐयरोनोटिक्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> प्रचालनों से राजस्व-इनलैण्ड बिक्री (तैयार माल) ₹ 820.13 करोड़ राशि के 15 एडवान्सड लाइट हेलीकॉप्टरों की बिक्री संकेतन प्रमाणपत्रों के आधार पर मान्य बताई गई थी। इन मामलों में, क्रेताके निरीक्षण द्वारा केवल प्रमाणीकरण किया गया था परन्तु जैसा कि संविदा में निर्धारित किया गया था, अधिकारी मण्डल द्वारा हेलीकॉप्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना एवं

	<p>स्वीकरण 31 मार्च 2013 तक पूरी नहीं किया गया था। अतः सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं स्वामित्व के सभी परिणामों सहित क्रेता को माल के हस्तांतरण के बिना इन 15 हेलीकॉप्टरों के संबंध में राजस्व की मान्यता वर्ष के दौरान एएस-9 के अनुपालन में नहीं थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रचालानों से राजस्व – इनलैण्ड बिक्री (विकसित माल) में निम्न सम्मिलित है। <p>क) रक्षा मंत्रालय के लिए लाईट काम्बैट हेलीकॉप्टर के डिजाईन एवं विकास पर वहन की गई राशि को पूरे किये गए माइलस्टोन के बजाए व्यय के वास्तविक वहन के आधार पर बिक्री के रूप में मान्य की गई – ₹ 18.50 करोड़।</p> <p>ख) एमटीए लिमिटेड, एक रूसी-भारतीय संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा विकसित किये जाने वाले बहुउद्देशीय परिवहन एयरक्राफ्ट के प्रारंभिक डिजाईन केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब कार्य पूरा एवं स्वीकृत हो जाता है - ₹ 8.70 करोड़।</p>
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन	<ul style="list-style-type: none"> • प्रतिभूति जमा तथा व्याना राशि के समायोजन के बाद सड़क निर्माण विभाग, बिहार तथा पूर्व केन्द्रीय रेलवे द्वारा भुनाई गई बैंक प्रतिभूति से अधिक होने की वजह से अशोध्य एवं संदिग्ध वसूली के प्रति कम प्रावधानों के कारण अन्य व्यय ₹ 0.66 करोड़ तक कम बताएगए थे। परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि भी जितना उसी राशि तक बताई गयी थी। • निम्नलिखित के कारण वित्तीय लागत कम बताई गई थी:- <p>(i) वीआरएस ऋण पर भारत सरकार द्वारा दी गई संस्थीकृति से अधिक व्याज सहायता का लेखाकरण ₹ 8.89 करोड़।</p> <p>(ii) भारत सरकार को देय गारन्टी फीस तथा शास्ति का गैर-भुगतान ₹ 1.84 करोड़।</p>
इण्डियन इंग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (2010-11)	<ul style="list-style-type: none"> • चालू देयताओं (अन्य देयताएँ) में भारत सरकार को देय गारन्टी ₹ 56.33 करोड़ फीस को शामिल किया गया। प्रतिभूति करार की शर्तों के अनुसार, कोई गारन्टी फीस देय नहीं थी। • 31 मार्च 2011 को ऋषिकेष, हैदराबाद एवं गुडगाँव ईकाईयों के संबंध में सीआईएसएफ को देय व्याज के लिए ₹ 11.62 करोड़ की कुल माँग उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस पर 2008-09 तथा 2009-10 में भी ध्यान दिया गया था।
एमएसटीसी लिमिटेड	<p>व्यापार प्राप्य तीन वर्षों से अधिक से देय स्वर्ण निर्यात के प्रति बकाया राशि के लिए प्रावधान करने के कारण ₹ 589.63 करोड़ तक अधिक बता गए थे। इसके लिए प्रावधान करना कर से पहले ₹ 193.40 करोड़ के लाभ को ₹ 396.23 करोड़ की हानि में बदल देगा।</p>
रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया	कर्मचारी लाभ व्यय में ₹ 1.58 करोड़ के निष्पादन सम्बन्धित वेतन

लिमिटेड	के प्रति प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया।
---------	--

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान आश्वासन के बावजूद, कम्पनी ने यथा अपेक्षित सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के तहत ₹ 9.96 करोड़ की राशि की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का सृजन नहीं किया था। अन्य चालू देयताओं में ₹ 7.57 करोड़ तथा उस पर ब्याज के रूप में ₹ 1.42 करोड़ की राशि को जनवरी 2009 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए सेवा कर को सम्मिलित नहीं किया था।
भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड	कम्पनी ने यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फण्ड जो नेशनल आप्टीकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट का प्रबन्ध करने हेतु दूरसंचार विभाग के तहत था, से निधियाँ प्राप्त की थी। कम्पनी ने इन निधियों के अस्थाई निवेश पर ₹ 1.85 करोड़ का ब्याज अर्जित किया एवं इसे 'अन्य आय' के रूप में इसी में लेखांकित किया।
भारत संचार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> चालू खाते पर महानगर टिप्पणी टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) से वसूली योग्य राशि एवं को देय राशि क्रमशः ₹ 3334.54 करोड़ एवं ₹ 977.47 करोड़ बताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल से ₹ 2357.07 करोड़ की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। तथापि, वर्ष के लिए एमटीएलएल के अनुमोदित लेखाओं के अनुसार, कम्पनी से वसूली योग्य राशि एवं को देय राशि क्रमशः ₹ 3609.74 करोड़ तथा ₹ 1634.51 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल से ₹ 1975.33 करोड़ की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। इस प्रकार, उसी मंत्रालय के अंतर्गत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच प्राप्त/देय राशि में ₹ 4332.30 करोड़ का निवल अन्तर था। यद्यपि, मामले पर 2001-2002 से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कई बार टिप्पणीयाँ की गई थी, इससे यह स्पष्ट है कि उचित कार्रवाई नहीं की गई और अन्तर वर्षदर वर्ष बढ़ रहा था, जिसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। अगले वर्ष अर्थात् 2013-14 से संबंधित अग्रिम किराये के लिए उद्धृत ₹ 913.61 करोड़ राशि के बिलों को 'व्यापार प्राप्यों' एवं 'पेशागी में प्राप्त आय' के रूप में लेखांकित किया गया था। सरकारी विभागों/कम्पनियों से वसूली योग्य राशि कम्पनी की लेखांकन निति के उल्लंघन में दो वर्षों से अधिक समय से बकाया रहे अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के कारण ₹ 3059.95 करोड़ तक अधिक बताई गई थी। ₹ 1795.82 करोड़ के अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान 'अन्यचालू परिसम्पत्तियों' के बजाए 'व्यापार प्राप्यों' के तहत दर्शाया जा रहा था।

फ्रेश एण्ड हेल्द इण्टरप्राईजेज लिमिटेड	रेफिजरेशन एवं इलैक्ट्रोकल मशीनरी सहित संयंत्र एवं मशीनरी, एनियंत्रित वातावरण संयंत्र, मूल्यग्रास 5.28 प्रतिशत के स्थान पर 4.75 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र एवं मशीनरी तथा आंतरिक्ष एवं अधिशेष प्रत्येक का निवल खण्ड ₹ 1.15 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
हसन मंगलौररेल डेवेलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> अन्य आय में दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा की बिक्री का मूल्य होने की वजह से ₹ 0.49 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया था। अचल परिसम्पत्तियों के तहत बीपीएवी प्रभार्य के गठन के प्रति वहन किया गया ₹ 0.56 करोड़ का व्यय 'ट्युय के तहत शामिल किया गया था।
हिन्दुस्तान ऐयनोनाटिक्स लिमिटेड	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में 12 माह से अधिक के लिए बैंकों के पास शेषों के प्रति ₹ 5750 करोड़ को शामिल किया गया है।
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	अन्य आय में लेण्डिंग प्लेटफार्म डॉक के निर्माण हेतु मशीनरी एवं अवसंरचना के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुई उपयुक्त निधियों पर व्याज के प्रति ₹ 30.91 करोड़ को शामिल किया गया है।
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड	व्यापार प्राप्त्यों में भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के बोकरों स्टील संयंत्र (बीएसएल) एवं दुर्गापुर स्टील संयंत्र (डीएसपी) से प्राप्त की राशि के रूप में ₹ 48.19 करोड़ को शामिल किया गया है। तथापि बीएसएल एवं डीएसपी ने अपने खातों में ₹ 23.62 करोड़ कंपनी को देय दर्शया हैं। अन्तर के समाधान की आवश्यकता है।
एचएलएल वायोटेक लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(1) तथा 210(3) के उल्लंघन में, लाभ एवं हानि लेखा तैयार नहीं किया। प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं में 31 मार्च को पूँजीगत प्रतिबद्धता के कारण ₹ 126.50 करोड़ की शामिल नहीं किया गया।
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	वन एवं काले मृग संरक्षण क्षेत्र के चारों तरफ 100 मीटर चौड़े हरित बेल्ट के विकास के प्रति व्यय का प्रावधान न करने के कारण लधु अवधि प्रावधान तथा दीर्घ अवधि प्रावधान क्रमशः ₹ 1.45 करोड़ तथा ₹ 2.33 करोड़ तक कम बताए गए थे।
मुम्बई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	'अन्य दीर्घ अवधि देयताओं' के तहत दर्शाई गई प्रयुक्त कुल मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) निधियों में 'कार्पोरेशन की अपनी निधि' से अन्य एमयूटीपी कार्यों पर वहन किये गए ₹ 4.57 करोड़ के व्यय को शामिल किया गया है। क्योंकि यह राशि न तो रेल मंत्रालय (एमओआर) एवं न ही महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) से वसूली योग्य थी। इसलिए एमओआर/जीओएम से प्राप्त हुई एमयूटीपी निधियों के प्रति प्रयुक्त एमयूटीपी निधियों के रूप में इस व्यय को लेखांकन गलत था तथा कम्पनी की अपनी विशिष्ट लेखांकन नीति सं. 8 का उल्लंघन था।
नेशनल इन्फ्रामैटिक्स सेन्टर	<ul style="list-style-type: none"> स्थाई परिसम्पत्ति (मूर्त सम्पत्ति) में एएस 10 तथा एएस 19 के

सर्विस इंक	<p>उल्लंघन में, परिचालन पट्टे पर लिए एक भवन के सुधार पर वहन किये गए व्यय के गलत पूँजीकरण के कारण ₹ 0.74 करोड़ को शामिल किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान) में दीर्घ अवधि व्यापार प्राप्त्यों पर ₹ 0.99 करोड़ के अधिक प्रावधान को शामिल किया गया था। • 12 माह से अधिक की परिपक्व अवधि सहित ₹ 177.25 करोड़ की स्थाई जमाओं को चालू परिसम्पत्तियों (नकद एवं नकद के समान) के तहत प्रकटित नहीं किया गया था। • वास्तविक व्यय के बजाए प्राप्त हुए अनुदानों/अग्रिमों के आधार पर प्रशासनिक प्रभारों के लेखांकन के कारण प्रचालनों (प्रशासनिक प्रभारों) से राजस्व ₹ 7.98 करोड़ तक अधिक बताया गया था। • 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के लिए प्रावधानों न करने के कारण सेवा सहायक व्यय ₹ 0.40 करोड़ तक कम बताए गए थे।
नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अचल सम्पत्ति (मूर्त सम्पत्ति) में प्रगति में चालू पूँजी कार्य के कारण ₹ 2.79 करोड़ की राशि को शामिल किया गया जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI के तहत यथा अपेक्षित अलग से दर्शाया जाना चाहिए। • नकद एवं बैंक शेष (अनुसूचित बैंकों के साथ अन्य शेष) में एक साल (12 माह) से अधिक की परिपक्व अवधि वाले तथा प्रतिभूति जमा/बैंक गारन्टी के लिए बैंकों/परियोजना प्राधिकारण को गिरवी रखते हुए ₹ 0.74 करोड़ की स्थाई जमाओं को शामिल किया गया। इसे 'अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए क्योंकि स्थाई जमाओं पर पहला प्रभार बैंक/परियोजना प्राधिकरण के पास था।
रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अन्य चालू देयताओं में राजस्व शेयरिंग व्यय के लिए रेलवे, दूरसंचार विभाग तथा कॉकण रेलवे को देय ₹ 50.63 करोड़ को शामिल किया गया जिसे कम्पनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार व्यापार देय में सम्मिलित किया जाना चाहिए। • दीर्घ अवधि प्रावधानों में कम्पनी के प्रति निपटान किए गए मध्यक्षता दावे के प्रति ₹ 1.94 करोड़ का शामिल किया गया। इसे वर्तमान देयता के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (2011-12)	<p>व्यापार प्राप्त्यों (आशोध्य जो अच्छे माने गए) में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है जिसकी वसूली संदेहास्पद है:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) रंजीत सागर बौध के निर्माण सम्बन्धी दावे – ₹ 4.06 करोड़ (ii) 1980 से 1987 के दौरान ईराक में कार्यान्वित परियोजनाओं संबंधी दावे – ₹ 2.29 करोड़

प्रकटन पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	<p>आक्समिक देयताएं निम्नलिखित के कारण ₹ 20.82 करोड़ तक अधिक बढ़ाई गई थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> मैसर्ज कादूर – चिकमंगलूर न्यू बीजी लाइन ट्रिवस के ₹ 6.16 करोड़ के दावों को शामिल करना वस्तुयोग्य के रूप में न्यायालयों में कंपनी द्वारा दावा किए गए ₹ 14.21 करोड़ का गलत समावेश न्यायालय द्वारा रद्द ब्रिज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ₹ 1.15 करोड़ के दावे का गलत समावेश दक्षिण पूर्व रेलवे (बोकारो यूनिट) द्वारा दावा किए गए ₹ 0.70 करोड़ को शामिल न करना।
मुम्बई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमयूटीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के अनुसार, निधियों को रेल मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार अपने हिस्से की ₹ 270.38 करोड़ की धनराशि की निधियों को उपलब्ध कराने में विफल रही। कंपनी द्वारा इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था।
तेशनल प्रोजेक्ट्स कनस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> नकद एवं बैंक बकाया (वर्तमान खाता) में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने एवं सड़क कार्यों, भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल हेतु फ्लड लाइटिंग तथा सीमा चौकियों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए ₹ 108.25 करोड़ को शामिल किया गया था। समर्पित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रखी राशि को उपयुक्त रूप से दर्शाया नहीं किया गया। पूँजी खाते पर निष्पादन किए जाने वाली शेष ठेके की अनुमानित राशि ₹ 2.79 करोड़ के बजाए ₹ 0.45 करोड़ थी जैसाकि लेखों की टिप्पणी में गलती से दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 26)।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (15 नवम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2012) (1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013)	यह आपत्ति कि टिप्पणी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा व्यय किए गए तथा आबंटन के रूप में जनशक्ति तथा अन्य प्रशासनिक अपरिव्यय से सम्बन्धित व्यय न तो अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण हेतु आरोप्य बताए जा सकते कार्यकलाप क्योंकि निर्माण अभी प्रारम्भ होना था जो सही नहीं था क्योंकि व्यय विशिष्ट रूप से प्रयोजन वाहन के रूप में गठित कंपनी द्वारा निष्पादन होने वाले ट्रांसमिशन परियोजना के लिए आरोप्य थी। यह खर्च व्यय पीएफसी

		कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा भावी बोलीदाता से वसूली योग्य थे जिसे बोलीदाता के चयन पर कंपनी को स्थानांतरित किया जाएगा।
एचएमटी लिमिटेड	चिनार वाजिज	31 दिसम्बर 2009 को आयोजित बैठक में सचिवों की समिति (सीओएस) ने एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, श्रीनगर की भूमि को छोड़कर परिसम्पत्तियों की नीलामी तथा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के व्यूरो की सिफारिशों के व्यष्टिगत शेष कर्मचारियों को राहत देने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) शुरू करने के लिए भारी उद्यम विभाग (डीएचआई) को निर्देश दिए। सीओएस के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए प्रबन्धन द्वारा की गई कार्यवाही का कर्मचारी संघ द्वारा विरोध किया गया तथा मामला जम्मू एवं कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था और 'वन गो' तथा कंपनी बंद होने में शेष कर्मचारियों के वीआरएस हेतु प्रबन्धन/डीएचआई तथा कंपनी के कर्मचारी संघ के बीच वार्ता चल रही थी। इसका 'नोट्स टू अकाउंट' अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था।
नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इंक		रिपोर्ट में दिया गया विवरण कि कंपनी ने नेशनल डॉटा सेन्टर से किसी राजस्व को स्वीकृति कंपनी ने नेशनल डॉटा सेन्टर से सुविधा प्रभारों के रूप में ₹ 0.47 करोड़ का राजस्व को मान्यता दी थी, गलत था।
राइट्स इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसिज लिमिटेड		<ul style="list-style-type: none"> • लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का प्रारूप एसए-700 (संशोधित) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। • लाभ तथा हानि के विवरण ने वर्ष के लिए हानि दर्शायी जबकि लेखापरीक्षकों ने अपनी राय में उसे वर्ष के लिए लाभ बताया है।
त्रिवेणी स्ट्रेक्चरल लिमिटेड (2011-12)		<p>कंपनी के वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए लेखा टिप्पणी के साथ पठित सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित ₹ 368.74 करोड़ के व्याज के प्रति प्रावधान न करने के प्रभाव स्वरूप वर्ष के लिए हानि ₹ 368.74 करोड़ के बजाए ₹ 138.65 करोड़ तक बढ़ गयी थी जैसा कि सेवा सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। वर्ष की हानि (₹ 52.34 करोड़) सांविधानिक लेखापरीक्षकों की सभी आपत्तियों पर विचार करते हुए, ₹ 432.90 करोड़ की बजाए ₹ 202.81 करोड़ होगी।</p> <p>वर्ष के लिए ₹ 52.34 करोड़ से ₹ 202.81 करोड़ अर्थात् 287 प्रतिशत से अधिक के सूचित घाटे के बढ़ने के प्रभाव के मद्दे नजर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण कि 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की बैलेंस शीट तथा लाभ एवं हानि लेखा एक सही तथा उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। धारणीय नहीं था।</p>

अन्य टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
हिन्दुस्तान ऐयरोनाइक्स लिमिटेड	लेखांकन नीति 9.1 के अनुसार एयरक्राफ्ट एवं हैलीकॉप्टर के विनिर्माण अथवा मरम्मत एवं पूरी तरह मरम्मत के मामले में, बिक्रि संकेतन प्रमाणपत्रों (एसओसी) के माध्यम से क्रेता के निरीक्षण द्वारा स्वीकरण के आधार पर ठेकागत कार्य के पूरा होने पर की गई थीं। इस प्रकार, एयरक्राफ्ट छूट तथा सीएटी बी इंजनों के साथ सिग्नता आठट किये गए थे ताकि 31 मार्च 2013 को सुपुर्दगी योग्य स्थिति प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके तथा राजस्व एसओसी के आधार पर मान्य हो। वर्तमान लेखांकन नीति जिसको कम्पनी द्वारा पालन किया गया, राजस्व की मान्यता के लिए एसओसी पर निर्भर करती है, को दोबारा देखने तथा पुनर्गठित करने की आवश्यकता है क्योंकि एसओसी भी महत्पूर्ण छूटों के साथ दिये गए थे। एसओसी के अतिरिक्त राजस्व मान्यता के लिए आधार के रूप में सुपुर्दगी के लिए एयरक्राफ्ट की तैयारी पर भी विचार किया जाना चाहिए।
इण्डियन इंग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड (2010-11)	जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर एवं डी परियोजनाओं के लिए मार्च 1990 में भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से प्राप्त हुआ अव्यसित सहायता अनुदान के सम्बन्ध में कम्पनी के लेखाओं पर 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. 1, में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्षके लिए टिप्पणी ग तथा 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी सं. ख(2) पर एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है। अनुदान की शर्तों के अनुसार, कम्पनी के लिए अनुदान हेतु एक अलग से बैंक खाता बनाना आवश्यक था, एवं अव्यसित शेष सरकार को जाना था एवं निधियों को केवल अग्रेनीत अथर्वित किया राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाना था। इसके डीबीटी को दी जानी थी एवं अनुदान की आगामी किस्तों के साथ समायोजित किया जाना था अथवा परियोजना की समाप्ति पर वापस किया जाना था। तथापि, 31 मार्च 2011 तक न तो अव्यसित शेष वापस लौटाया था और न ही अलग से बैंक खाता में रखा था।
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	“सविदाओं के गैर कार्यान्वित मूल्य पर वृद्धि के प्रभाव पर विचार न करने के कारण एक व्यत्पन्न दस्तावेज द्वारा रक्षित न की गई विदेशी मुद्रा अरक्षतिता अथवा अन्यथा को ₹ 319.05 करोड़ तक कम बताया गया थे।”

❖ गैर सूचीबद्ध मानी गई सरकारी कम्पनियाँ

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
सेंट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार सृजित की गई गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त ₹ 1.01 करोड़ प्रकटन नहीं किया गया था।

❖ सांविधिक निगम जहाँ सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

सांविधिक निगमों जहाँ सीएजी एक मात्र लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे व्यौराबद्ध हैं।

• भारतीय खाद्य निगम-वर्ष 2011-12 के लिए लेखा

- प्रबन्धन ने सीएजी द्वारा की गई आपति के आधार पर ₹ 5755.21 करोड़ तक के अनन्तियों लेखाओं में संशोधन किया था। इसके अतिरिक्त इसमें ₹ 467.09 करोड़ की चूक पाई गई।
- उपरोक्त के आधार पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा आपति का निवल प्रभाव निम्नवत है
 - (क) दो परियोजनाओं में किए गए हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर व्यय के गैर पूँजीकरण के कारण ₹11.90 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियाँ कम बतायी गई थीं।
 - (ख) विविध देनदार ₹ 17.81 करोड़ तक अधिक बताये गए थे।
 - (ग) प्राप्त दावे ₹ 29.56 करोड़ तक अधिक बताए गए थे।
 - (घ) चालू देयताएँ ₹ 54.86 करोड़ तक अधिक बतायी गयी थी।

• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- वित्त मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना 31.3.2010 तक भारत सरकार को देय 'नेट ऑफ टोल प्राप्तियों अनुदान पर व्यय के रखरखाव इत्यादि के प्रति चालू देयताओं पूँजी यू/एस 17 लेखा में अन्तरण के परिणामस्वरूप 'पूँजी - नेट ऑफ टोल कलेक्शन नकारात्मक अनुदान 31.03.2010 तक ₹ 6183.56 करोड़ तक कम बताया गया था और लेखा की उसी सीमा तक 31.03.2010 तक भारत सरकार को देय "टोल प्राप्तियाँ, अनुवाद पर अनुरक्षण व्यय" कम बताया गया था।

- लाभ और हानि खाते में शेष जमा काल्पनिक थे (न तो वसूले गए न ही वसूली योग्य) जो एजेंसी प्रभार दर्शाते थे। आरक्षित और अधिशेष के अन्तर्गत उसी को दर्शाने के परिणामस्वरूप आरक्षित और अधिशेष के अधिक बताए जाने के साथ साथ कार्यकी प्रगति में पूँजी ₹ 411.99 करोड़ तक थी। इस मामले को 2010-11 और 2011-12 के दौरान भी उठाया गया था; तथापि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

(iii) प्राधिकरण ने न तो सम्पूर्ण सङ्क परियोजनाओं को पूँजीकृत किया और न एएस-6 के प्रावधानों के अनुसार उस पर मूल्यहास प्रभारित किया है चूँकि यह 1995 में परिचालन में आया था। पहले से पूरे किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया ₹ 69280.44 करोड़ का व्यय हुआ था और इसे आम जनता द्वारा प्रयोग किया जा रहा था और इसे तुलन पत्र में 'पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय जिनका पूँजीकरण/अन्तरण प्रतीक्षित है' के अन्तर्गत दर्शाया गया था। विस्तृत रिकार्डों को अभाव में, लेखापरीक्षा उन परिसम्पत्तियों की राशि की मात्रा निर्धारित नहीं कर सका जिन्हे अधिक बताया गया था और वर्ष के लिए हानि कम बताई गई थी।

(iv) प्राधिकरण ने एएस-16 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना – वार उधार लागत तथा अप्रयुक्त उधार ती गई निधियों पर अर्जित व्याज के अवधारण के लिए परियोजना बार उधार ती गई निधियों के प्रयोग तथा आबंटन के संबंध में कोई अभिलेख नहीं बनाया था। ₹ 5894.66 करोड़ की कुल उधार लागत तथा ₹ 5419.32 करोड़ की अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित व्याज केवल अचल सम्पत्तियों में समायोजित किया गया था।

(v) प्राधिकरण की लेखांकन नीति सं. 6.2 के साथ-साथ एएस-16 के उल्लंघन में "पूँजीकरण/हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही पूरी की गई परियोजनाओं पर व्यय" के तहत बुक किए गए ₹ 865.54 करोड़ की राशि ₹ 1331.59 करोड़ की उधार लागत के शामिल थी। पूर्व वर्षों के लिए व्यौरे के अभाव में लेखापरीक्षा उपर्युक्त शीर्ष में गलत रूप से बुक की गई। ऐसी उधारों लागतों की कुल राशि की निर्धारित करने में असमर्थ थी।

(vi) पूँजीगत कार्य प्रगति पर तहत पूँजीकरण/हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही पूरी हो चुकी परियोजनाओं पर व्यय में एनएचएआई द्वारा 11 सङ्क परियोजनाओं पर वहन की गई ₹ 4493.96 करोड़ की राशि शामिल है जो बीओटी आधार पर छह लोन तक सङ्कों के उन्नयन के लिए टालिंग अधिकारों के साथ रिआयतियों को सौंपे जा चुके हैं।

(vii) वर्ष के लिए निवल स्थापना व्यय प्रगतिशील पूँजीगत कार्य को हस्तांतरित किया गया था जिसमें परियोजनाओं पर व्यय शेष को आवंटित ₹ 106.07 करोड़ की राशि को एएस10 के उल्लंघन में स्थापना व्यय में शामिल किया गया था।

(viii) प्रगतिशील पूँजी कार्य के तहत अप्रयुक्त पूँजी पर व्याज में वर्ष के दौरान 11 सहायक कम्पनियों को दिये गए ऋण पर ₹ 124.44 करोड़ के उपचित व्याज (टीडीएस सहित) को शामिल किया गया है, जिसकी पी एंड एल खाते में आय के रूप में दर्शाने के बजाए प्रगतिशील पूँजी कार्य से कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 'प्रगतिशील पूँजी कार्य' ₹ 482.76 करोड़ तक कम बताए गए थे तथा वर्ष के लिए हानि ₹ 124.44 करोड़ तक अधिक फलस्वरूप 'बैलेंस शीट में ले जाए गए अधिशेष' ₹ 482.76 करोड़ तक कम बताए गए थे।

(ix) निवेश में दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड तथा अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड में ₹ 345.21 करोड़ का निवेश सम्मिलित है, जहाँ सङ्क परियोजना एवं टोल अधिकार अन्न्यन के लिए रिआयतियों को क्रमशः दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2013 में हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

तीन सहायक कम्पनियों अर्थात् विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड, कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड एवं पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड में किया गया ₹ 213.50 करोड़ का निवेश अपने निवल मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक का क्षरण करते हुए संचित घाटे के कारण अपनी कीमत में कम हो गया था।

(x) आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे को तथा कार्य के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए रिआयतियों को दिए गए ₹ 51.61 करोड़ के अग्रिम “जमा कार्य के प्रति अग्रिम” के तहत शामिल किया गया था जबकि कार्य पूरा हो चुका था।

(xi) वसूली योग्य दावे ठेकेदारों/रियायतियों से अनुबन्ध, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति में विलम्ब के लिए हर्जाना, स्वतंत्र सलाहकारों के परिश्रमिक के शेयर, विनेदक टोल प्रभारों तथा छीजन/दरों में विभिन्नता के कारण वसूली योग्य राशि के गैर-लेखांकन के कारण ₹ 6.72 करोड़ कम बताए गए थे।

(xii) सहायक कम्पनियों को ऋण में दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड तथा अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड को दिया गया ₹ 67.62 करोड़ का ऋण सम्मिलित है जहाँ सङ्क परियोजना तथा टोल संग्रह अधिकार रियायतियों को दिये जा चुके हैं एवं उक्त ऋण की वसूली की कोई संभावना नहीं थी।

(xiii) आकस्मिक देयताएं प्राधिकरण के प्रति मध्यस्थता तथा विधिक मामलों में दावे को सम्मिलित न करने के कारण ₹ 1074.56 करोड़ तक कम बताई गयी थी।

(xiv) लेखाओं पर टिप्पणी की टिप्पणी सं. 26 (एफ) इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी कि यह एनएचएआई बाण्ड संग्रहण आय की प्रयुक्त के साथ-साथ अप्रयुक्त निधियों के विवरण तुलन पत्र में नहीं दर्शाता जैसा कि ₹ 10000 करोड़ के बाण्ड को जारी करने के लिए विवरणिका में प्रतिबद्ध किया गया था।

(xv) एनएचएआई नियमावली 1990 के तहत भारत के सीएजी के परामर्श से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेखाओं के वार्षिक विवरण के फॉर्मट का पालन नहीं कर रहा था जिसे नीचे इंगित किया गया है:

- ‘सङ्क और पुल’ के उप शीर्ष अनुसूचि 5 (अचल सम्पत्ति) को 31 मार्च 2013 को ₹ 69280.44 करोड़ की सङ्क परियोजनाओं के पूरा होने के बावजूद प्रारंभ से ही खाली छोड़ा गया था जिसके लिए 5 प्रतिशत का मूल्यहास निर्धारित किया गया था। इसी को पूँजीगत प्रगतिशील कार्यों के तहत दर्शाया गया था।
- लाभ या हानि लेखा में अधिशेष/घाटे को तुलन पत्र में अग्रेनीत किया जाना था तथापि प्राधिकरण ने ‘अचल परिसम्पत्तियों-प्रगतिशील पूँजीगत कार्य’ के तहत बुक की गई चालू व पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए वर्ष के अन्त में लाभ एवं हानि लेखा में घाटे को दर्शाया था।

- राजमार्गों के रख रखाव के लिए सहायता अनुदान और उस पर व्यय को लाभ एवं हानि लेखा में लेखांकित किया जाना चाहिए था तथापि, प्राधिकरण ने पूँजी लेखा से इसे समायोजित किया (टोल रेमिटेंश के फ्लो बेक आदि)।

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम की धारा 2011 की उप-धारा (3सी) और धारा 210ए की उप-धारा (1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा यथा संस्तुत लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को नियत किया।

सांविधिक लेखापरीक्षक ने सूचित किया कि परिशिष्ट IX में ब्यौराबद्ध 36 कम्पनियाँ अनिवार्य लेखांकन मानकों से विचलित हुईं।

तथापि, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था तथा उनके संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानदण्ड	कम्पनी का नाम	विचलन
एएस-3	नकद प्रवाह विवरण	जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी को 'नकद प्रवाह विवरण' तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आता।
	आरईसी ट्रसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड	तथ्य यह है कि बैंकों से अल्पकालिक उधारों के प्रति प्रतिभूति के रूप में धारित ₹ 11.52 करोड़ की राशि आसानी से उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी जिसे उपयुक्त रूप से प्रकटित नहीं किया गया था।
एएस-5	पूर्व अवधि समायोजन	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड अशोध्य और सन्देहास्पद ऋणों के लिए वापस किए गए प्रावधानों को अपवाद मर्दों के रूप में प्रकटित नहीं किया गया था।
एएस-5	पूर्व अवधि समायोजन	प्राइज पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड विगत वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय की वास्तविक निश्चितता के पर्याप्त प्रमाण के अभाव के बावजूद बट्टे खाते में नहीं डाला गया था।
एएस-22	आस्थागित कर	
एएस-9	राजस्व मान्यता	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया ग्राहकों की ओर से/के लिए सेवा

		लिमिटेड (2011-12)	प्रदात्ता के रूप में परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जिसके लिए इसने परियोजना व्यय को अपने व्यय के रूप में एवं व्यय के साथ सेवा प्रभारों को अपने राजस्व के रूप में लेखांकित किया।
		हैन्डीकाफट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	₹ 4109.85 करोड़ राशि का स्वर्ण बिक्री को अपनी बिक्री के रूप में बुक किया गया था। आपूर्तिकर्ता तथा क्रेताओं के करार के अनुसार, प्रेषणआधार पर तथा केवल पूर्व निर्धारित अन्तर पर स्वर्ग आयात आय के रूप में बुक किया जाना चाहिए था।
एएस-13	निवेश के लिए लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान हेतु कोई लेखांकन नीति नहीं बनाई गई थी।
एएस-15	कर्मचारी लाभ	रेल विकास निगम लिमिटेड	व्यय की मान्यता प्रोद्भूत आधार पर होने के बजाए नकद आधार पर थी।
एएस-26	अमूर्त सम्पत्ति	नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड	कम्पनी ने पानीपत तथा भटिंडा इकाईयों के लिए भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क तथा अनुभव शुल्क को अमूर्त सम्पत्ति (संयंत्र एवं मशीनरी) शीर्ष के तहत पूँजीगत किया था।
		राजस्थान इंग्स एण्ड फार्मास्यूटिकलस लिमिटेड	कम्प्यूटर साफ्टवेयर, जो कि अमूर्त सम्पत्ति है, को गलत रूप से मूर्त सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
एएस-29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक सम्पत्तियाँ	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (2011-12)	मध्यस्थिता मामले जहाँ मध्यस्थितों ने कम्पनी के प्रति पंचाट दिया था, के कारण कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉरपोरेट इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्य वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी की टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा वित्तीय रिपोर्ट में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएँ अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबन्धन पत्र के माध्यम से प्रबन्धन को भी संसूचित की गई थी। ये त्रुटियाँ सामान्यतया निम्नलिखित से सम्बन्धित थीं-

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा के कारण किये गये समंजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके और
- कतिपय किसी सूचना की अपर्याप्तता अथवा अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष के दौरान सीएजी ने 53 कंपनियों को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए।

2.8 सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियाँ

❖ सांविधिक निगम

वर्ष 2012-13 के लिए सांविधिक निगमों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	निगम का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन	<ul style="list-style-type: none"> • निगम ने संविदा में सभी दरों के शामिल होने के बावजूद, कुछ सम्हलाई और परिवहन संविदाकारों से सेवा कर के लेखा पर ₹ 12.39 करोड़ का भुगतान किया था। • ₹ 35.85 करोड़ की राशि वाले 64 पूर्ण स्वामित्व/पट्टा धारीभूमि साइटों के संबंध में अधिकार पत्र और ₹ 2.86 करोड़ राशि वाले 88 आवासीय फ्लैटों के संबंध में हस्तांतरण विलेख निगम के पक्ष में निष्पादन हेतु लंबित थे। • भूमि की लागत के ऋण परिशोधन/मूल्य ह्रास के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण, जिसे 90 वर्ष या अधिक समय से पट्टे पर लिया गया था और ऐसी भूमि पर

		<p>कंटेनर यार्ड/खुला क्षेत्र विकसित किया गया, से प्राप्त वर्ष का लाभ ₹ 10.65 करोड़ तक कम था।</p> <ul style="list-style-type: none"> ₹ 20.32 करोड़ की पश्च सेवानिवाति चिकित्सा लाभ की अपरिशोधित विगत अवधि की लागत पहली अवधि के व्यय के रूप में प्रभारित किया गया था।
--	--	--

❖ सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

वर्ष 2012-13 के लिए सांविधिक निगमों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	निगम का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	चेन्नै पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1323.16 करोड़ की नकद हानि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई। अल्पावधि आधार पर प्राप्त ₹ 129.38 करोड़ की निधियाँ इस वर्ष के दौरान दीर्घ अवधि निवेश के लिए उपयोग किया गया है।
2.	कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹ 102.94 करोड़ मूल्य वाली भूमि और भवन के संबंध में विक्रय/पट्टा विलेख कंपनी के पक्ष में अभी भी किया जाना बाकी था।
3.	इंडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में ₹ 30.00 करोड़ के निवेश में हानि को कंपनी द्वारा पहचाना नहीं गया और उपलब्ध नहीं कराया गया।
4.	ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> i) कंपनी के कुछ विवाद थे और उसे इसे पर्याप्त सटीकता से निर्धारित किया जाना संभव नहीं था, जब भी निस्तारण का प्रभाव पड़ा और निम्नलिखित के संबंध में संभावित हानि हेतु किया जाना है:- a) ब्लॉक और विकास के अंतर्गत शामिल स्थायी परिपत्तियों के स्वामित्व के विवाद के संबंध में b) रेलवे साइडिंग और नियंत्रण का भौतिक अस्तित्व। ii) ऑडल संपत्ति और सेंड्रा संपत्ति के भवन के संबंध में ब्लॉक और विकास पर मूल्यहास खातों में न तो सुनिश्चित किया गया, न ही उपलब्ध कराया गया। iii) लारेस प्रोपर्टी, बौरिया, हावड़ा में 76.77 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र में से लगभग 27.58 एकड़ क्षेत्र भूमि को पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिग्रहित किया और भूमि के शेष भाग के अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना भी प्राप्त की गई थी। ऐसे अधिग्रहण के प्रति मुआवजे की प्राप्ति के लिए कंपनी की अपील को जिला न्यायाधीश द्वारा कायम रखा गया था और भूमि के शेष भाग के अधिग्रहण के लिए शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त एक सूचना के निबंधन

		<p>में कंपनी द्वारा भी अमान्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। भूमि वर्तमान में स्थानीय निवासियों के अनाधिकृत कब्जे में और कोई लेखांकन प्रभाव नहीं दिये गये थे।</p> <p>iv) लारेंस प्रोपर्टी पर किराये और उपकर के प्रावधान उपलब्ध नहीं कराये गये थे और सटीक राशि का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था।</p>
5.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	<p>(i) कंपनी ने संदिग्ध व्यापार प्राप्त्यों, संदिग्ध दीर्घ अवधि ऋणों और अग्रिमों आदि के संबंध में ₹ 67.87 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था।</p> <p>(ii) कंपनी सांविधिक देयों को जमा कराने में नियमित नहीं थी।</p>
6.	हिंदुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था: <ul style="list-style-type: none"> ➢ भारत सरकार से अतिदेय ऋण पर ₹ 8.30 करोड़ का शास्ति ब्याज ➢ ₹ 0.65 करोड़ राशि का कंपनी निधियों से गबन के कारण हानि, सीबीआई से लंबित अंतिम रिपोर्ट और दीवानी मुकदमे का परिणाम। ➢ रासायनी युनिट की वेतन की वेतन संशोधन पर देयताएं 01 जनवरी 1997 से 31 दिसम्बर 2000 अवधि के लिए ₹ 19.29 करोड़ और 01 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008 अवधि के लिए ₹ 3.14 करोड़ थी। ➢ पट्टा किराया और पट्टा भूमि पर वृद्धि, जल प्रभार और वे लीव प्रभार के संबंध में ₹ 11.38 करोड़ राशि का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का दावा। • जवाहरलाल रेहरू पोर्ट ट्रस्ट टैक टर्मिनल परियोजना पर खर्च किए गए ₹ 29.79 करोड़ राशि शामिल पूँजीगत कार्य प्रगति पर जो स्थिर और अधूरा है। वसूली योग्य राशि के इस लंबित परिसंपत्ति के मूल्य में हानि को सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान नहीं किया था। • वर्ष के दौरान पूर्वावधि अदायगी/उपलब्ध कराए गए ₹ 493.79 करोड़ राशि के वेतन बकाया को पूर्व अवधि के खर्च के रूप में दर्शाए जाने चाहिए।
7.	एचएमटी लिमिटेड	कंपनी ने ऋण और अग्रिम(लगभग ₹ 79.37 करोड़ देय) दिए और सहायक कंपनी एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड दीर्घ अवधि निवेश (लगभग ₹ 1.66 करोड़) सहायक की निवल संपत्ति समाप्त हो गई और इसको लगातार हानियां होती रहीं। इस प्रकार ऋणों और अग्रिमों की वसूली संदिग्ध थी और उक्त के लिए निवेश के मूल्य में पूरी तरह से गिरावट का गई थी और उसके लिए प्रावधान की आवश्यकता थी।

8.	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाइजेशन	<p>निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाये गये</p> <ul style="list-style-type: none"> i) क्रमांक: निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए आय-कर ₹ 86.06 करोड़ और ₹ 36.76 करोड़ की देयता। ii) 2006-07 से 2009-10 के लिए निर्धारित ब्याज और जूर्माने सहित लगाये गये ₹ 10.88 करोड़ की सेवा कर मांग।
9.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • आईयूसी से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से लाइसेंस शुल्क जिसे वित्तीय वर्ष 2011-12 तक प्रौद्योगिक आधार पर तैयार किया गया था, वह लाइसेंस करार की शर्तों के विरुद्ध था जिसके अनुसार सकल राजस्व से व्यय/कटौतियां वास्तविक अदायगी आधार पर स्वीकृत की गई थीं, वर्ष 2012-13 से, डीओटी को देययोग्य लाइसेंस शुल्क लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार सख्ती से तैयार किया गया था। कंपनी वास्तविक देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता के तरीके से उपरोक्त 2011-12 तक की अवधि के लिए प्रौद्योगिक आधार पर उक्त को तैयार करने से लाइसेंस शुल्क में अंतर को दर्शाती रही जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक चाल देयताओं और हानियों के कम बताया गया। • डीओटी/बीएसएनएल से वसूली योग्य राशियां एक दूसरे के दावों से संबंधित विभिन्न लंबित विवादों का ध्यान रखते हुए सामंजस्य और प्राप्तिकरण के अधीन थी। • पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब के कारण, ऐसे कुछ मामले थे जहां अचल संपत्तियों का पूँजीकरण टाल दिया गया। • कंपनी ने प्राक्कलित आधार पर पूँजीगत कार्यों के प्रति उपरिशीर्ष आवंटित की थी। • वर्ष के दौरान क्षति हानि के कारण कोई समायोजन नहीं माना गया था। वर्षों में हुई सतत हानि के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा की निवल संपत्ति का पूर्ण क्षरण और कंपनी द्वारा लगाई गई संभावनाओं की प्राप्ति में अनिश्चितता के मद्देनजर, वित्तीय विवरणों पर विशेष प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
10.	एमएमटीसी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> i) क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में एक देनदार से राशि की गैर-वसूली के कारण विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर ₹ 2288.20 मीलियन का एक प्रावधान बनाया गया था। ii) क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै के एक देनदार से वसूली योग्य कुछ चूक और गलती के कारण विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर ₹ 155.44 मीलियन का एक प्रावधान बनाया गया था।
11.	एनएचपीसी लिमिटेड	<p>सुबंसरी लॉअर एच.ई. परियोजना पर व्यय ₹ 386.88 करोड़ की उधार लागत और ₹ 139.69 करोड़ की प्रशासनिक और अन्य लागत, जहां परियोजना का सक्रिय विकास बाधित किया गया था, को पूँजीगत चालू कार्य में शामिल किया गया था।</p>

12.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था: (i) प्रवेशकर - ₹ 970.10 करोड़ (ii) आयकर मांग - ₹ 87.62 करोड़ (iii) बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी का दावा - ₹ 217.40 करोड़
13.	द ओडिसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	व्यापार देय का शेष, व्यापार प्राप्त्यों, ऋण और अग्रिमों की पुष्टि नहीं की गई थी।
14.	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• एस 11 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन पर अभिज्ञात ग्राहक/व्यापार देय से प्राप्त ग्राहक समाधान/अग्रिम के संबंध में मुद्रा लाभ/ हानि की स्टीकता गैर-प्रमाणयोग्य और गैर-सुनिश्चित करने योग्य थी। • कंपनी समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में प्राप्त खातों, एजेंटों के खातों के लिए पुष्टि प्रदान करने में असमर्थ थी, उक्त का प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य/गैर प्रमाणयोग्य था।

❖ असूचीबद्ध कंपनियां

वर्ष 2012-13 के लिए असूचीबद्ध सरकारी कंपनियों और मानी गई सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं को नया रूप देने की प्रस्तावना के रूप में भारत की समेकित निधि से ₹ 200 करोड़ राशि अदा की थी और कंपनी बैलेंस शीट में इसे 'अग्रिम और अन्य संपत्तियों' के रूप में दर्शा रही थी। यह राशि उपरोक्त योजना की प्रतिधारित लाभ/आरक्षित निधि, लंबित पुनःनिर्माण के प्रति समायोजित नहीं की गई थी।
2.	अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	मै. देवस मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत तिथि के अंतर्गत एक पूर्णतःपरिचालन सेटलाईट से पट्टे पर क्षमता प्रदान करने की इनकी विफलता के लिए यूएस \$ 5 मिलियन (₹ 21.89 करोड़) की विलंबित सुपुर्दग्गी जुर्माने के रूप में निर्णीत हर्जानेकी देयता के प्रति कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
3.	आर्टिफिशल लिंबस मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत सरकार से कार्पोरेशन द्वारा प्राप्त ऋणों का पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया। हालांकि ऋण की बकाया अवधि के लिए ₹ 39.53 करोड़ की साधारण व्याज राशि पिछले वर्षों में उपलब्ध हुई थी लेकिन अभी तक भी अदा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार कथित ऋण पर प्रोद्भूत और देय ₹ 11.45 करोड़ राशि के शास्ति व्याज के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कार्पोरेशन ने अपने प्रोत्साहक अर्थात् भारत सरकार से व्याज सहित ऋण को स्वीकार करके संघ के अपने अनुच्छेद के

		अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
4.	भारत संचार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> दूर संचार विभाग (डीओटी) से परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अधीन करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी और उनका मूल्यांकन और सत्यापन समाधान के अधीन थे। डीओटी से वस्त्री योग्य राशि पुष्टिकरण, समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन थे। हालांकि कुछ परिसम्पत्तियां पूरी हो चुकी थीं और उनका उपयोग आरंभ हो चुका था, को 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' के अंतर्गत दर्शाया गया था। कंपनी के पास पल्स के वास्तविक उपयोग के आधार पर एनएलडी/आईएलडी राजस्व की अलग-अलग पहचान करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप कंपनी ने अनुमान आधार पर लाइसेंस शुल्क की गणना की।
5.	बहूमपुत्र वैली फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> किये गये दावे के आधार पर ₹ 50.98 करोड़ राशि की संवर्धित कीमत(सब्सिडी) हेतु कंपनी जिम्मेदार थी। ऐसे दावों के अंतिम निपटान लंबित थे इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शीर्ष संयंत्र और मशीनरी के अंतर्गत ₹ 9.86 करोड़ पूँजीकृत किये थे, जिनमें से अधिकतर मुख्य मरम्मत, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन प्रकृति के थे। स्थायी परिसम्पत्तियों के विगत आकलित मानक निष्पादन में वृद्धि के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ से किसी रिपोर्ट के अभाव में, उक्त को एएस-10 का अनुपालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अधिकतर मामलों में पट्टा/लाइसेंस करार कालातीत थे।
6.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> पूर्ववर्षों में, उपर्जित शोधन तिथि 14 जून 2003 तक ₹ 3.47 करोड़ के संचयी लाभांश की देनदारी अनुपालब्ध थी। कंपनी ने प्रत्येक ₹ 100 के 14 प्रतिशत संचयी शोध्य अधिमान शेयरों के लिए संचित लाभांश के प्रतिदान और उपलब्ध कराने में लगातार चूक की थी। इसी प्रबंधन के अंतर्गत सहायक कंपनियों और कंपनियों से ₹ 51.51 करोड़ के बकाया देय सहित दीर्घावधि ऋण और अग्रिम के लिए प्रदान की गई बकाया ₹ 0.29 करोड़ की एक राशि, ₹ 51.22 करोड़ का अंतर कम न करने की स्थिति और/या परिसमापन के मद्देनजर उपलब्ध करवाना अपेक्षित था। सहायक कंपनी, एल्जिन मिल्ज कंपनी लिमिटेड जिसे कंपनी 07.09.2007 से उपयोग कर रही थी, के परिसर के उपयोग हेतु किराये और अन्य व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

7.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • काफी समय से कुछ यूनिटों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेख के कार्यान्वयन लंबित थे। • विभिन्न यूनिटों के संबंध में खनन पट्टे का नवीनीकरण लंबित था। • कार्पोरेशन द्वारा लिये गये ₹ 37.00 करोड़ के आंतरिक कार्पोरेट ऋण पर ब्याज को बीआईएफआर पैकेज की शर्तों में दिनांक 31 मार्च 2005 की कट ऑफ तिथि के बाद प्रदान नहीं किया गया था। • कुल ₹ 19.00 करोड़ की बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग के संबंध में कार्पोरेशन द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि मांगे न्यायाधीन थीं। • 'कर्लीकर' जिसे सीमेंट उत्पादन के सामान्य प्रक्रिया में तैयार किया गया था, पर उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 4.70 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और राजबन यूनिट पर इसे सही रूप से उपयोग किया जा रहा था।
8.	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रीयकरण के समय पर इसके स्वामित्व और अन्य कंपनियों से भूमि और खनन को अपने अधीन करने का अधिकार, स्वामित्व और रुचि स्वामित्व विलेखों द्वारा समर्थित नहीं थीं। • ₹ 303.15 करोड़ राशि वाले माईन क्लोजर के प्रावधान के प्रति एस्क्रो खाता खोलना बाकी था। • ₹ 15.11 करोड़ राशि 01.01.2005 से 31.12.2007 की अवधि के लिए सेवा कर की भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
9.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने तीन वर्ष से अधिक सामान के आपूर्तिकर्ताओं के दावा न किये गये/अपुष्टिकृत क्रेडिट बैलेंस सहित व्यापार देय (अन्य) के संबंध में अपनी लेखांकन नीति का पालन नहीं किया था। • ₹ 0.18 करोड़ (भूमि) और ₹ 9.25 करोड़ (भवन) मूल्य वाला जवाहर व्यापार भवन नई दिल्ली के परिसर के संबंध में अधिकार पत्र निष्पादन हेतु लंबित थे।
10.	सेंट्रल इंलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	मौजूदा परिसंपत्ति और देन दारियों का वर्गीकरण संशोधित अनुसूची VI की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं था।
11.	डेकोकेटिड फ्राईट कोरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • किये गये खर्च के संबंध में रेल मंत्रालय से ₹ 38.54 करोड़ का दावा मंत्रालय के पुष्टिकरण और अनुमोदन के अधीन था। • सुरक्षा जमा पर ₹ 0.32 करोड़ के अभिज्ञात ब्याज दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन को ब्याज रहित प्रदान किया गया। • किसी एक ठेकेदार की ओर से गुजरात मूल्य संवर्धित कर के संबंध में ₹ 5.73 करोड़ का दावा प्रदान नहीं किया गया था।

12.	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	कंपनी की वर्तमान नकारात्मक निवल संपत्ति के बावजूद, वित्तीय विवरण चालू अवधारणा के आधार पर तैयार किये गये थे जो दर्शाते हैं कि कंपनी निकट भविष्य में परिचालन अस्तित्व में चलती रहेगी। इस धारणा की वैधता उत्पादन लक्ष्यों अलाभकारी यूनिटों को बंद करने, श्रमबल का युक्तिकरण, परियोजना का समय पर कार्यान्वयन, विभिन्न राहत और छूट प्राप्त करने के पालन सहित रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत तैयार की गई बीआईएफआर स्वीकृत पूनर्वास योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, और एएस-28, जिसे उपरोक्त पुनर्वास योजना में परिकल्पित नहीं किया गया था; के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के प्रावधान के अतिरिक्त प्रभाव को भी पुरा करना है।
13.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	तीन वर्षों से अधिक एनसीएल बीना से देय ₹ 14.58 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
14.	हिंदूस्तान एंटोबायोटिक्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त उद्यम के संचालन के विच्छेदन पर हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। कंपनी ने स्रोत और व्याज पर आयकर कटौती के गैर-भुगतान और सेवा कर की गैर-अदायगी पर जुर्माने पर व्याज और जुर्माने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया था।
15.	हिंदूस्तान फर्टीलाईज़र कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के लिए भारी संचित पूर्व हानियों और हानि जिसने कंपनी की निवल संपत्ति को पूर्णतः खत्म कर दिया गया था; के बावजूद चालू अवधारणा पर संगत सिद्धांत पर खाते तैयार किये गये थे। कंपनी के भारी नुकसान काफी संदेह पैदा करते हैं कि क्या कंपनी 'गोइंग कर्सेन के रूप में स्वयं को' जारी रखने में सक्षम रहेगी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड को संदर्भ दिये गये थे और मामले का अंतिम निपटान लंबित था। कंपनी का परिचालन अस्तित्व भारत सरकार के निर्णय पर आधारित था। करार 1121.885 एकड़ भूमि के संबंध में निष्पादित करना बाकी था। ₹ 103.44 करोड़ की ऋण राशि के रूप में समाप्त पट्टे के संबंध में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नुकसान के दावे को कंपनी ने स्वीकार नहीं किया था। बहुमपुत्र वैली फर्टीलाईज़र कार्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टीलाईज़र लिमिटेड और द फर्टीलाईज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में लेन-देनों संबंधी बकाया का समाधान नहीं किया गया था और उनसे कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ था।
16.	हिंदूस्तान इंसैक्टीसाईड्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के अनुसार न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के अनुसार कंपनी ने कोई प्रावधान नहीं बनाया था। मौजूदा और गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार

		नहीं किया गया था।
17.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी को वर्ष के दौरान ₹ 16.27 करोड़ नकद और ₹ 19.81 करोड़ की निवल हानि हुई। कंपनी को विगत कुछ वर्षों से लगातार हानि उठानी पड़ी थी और (-) ₹ 1391.78 करोड़ के शेयर धारकों के प्रति बकाया ₹ 1508.90 करोड़ 31.03.2013 तक खातों में निवल हानि अग्रेनीत की गई। यह कंपनी की निवल संपत्ति के पूर्ण अपरदन को दर्शाता है। वर्ष के वित्तीय कथन की तैयारी में कंपनी द्वारा अपनाया गया “गोइंग कंसर्न कंसैट” केवल भारत सरकार द्वारा परिकल्पित “वित्तीय पुनर्सरचना” पर आधारित था, जो, यदि नहीं किया गया, तो कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन अवधारणा को खतरे में डाल देगी। सेल लंबे समय से बकाया दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था - ₹ 17.01 करोड़ और सेल द्वारा ₹ 9.79 करोड़ के बकाया दावे स्वीकार नहीं किये गये थे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जिसे सरकार द्वारा अदा नहीं किया गया था; के अंतर्गत सावधि ऋण पर भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सब्सिडी के रूप में ₹ 23.03 करोड़ के खातों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था और एक लंबी अवधि से बही खातों में बकाया पड़े हुए थे। एचएससीएल-एसआईपीएल की संयुक्त उद्यम परियोजना के अंतर्गत किए गए अनुबंध को रद्द करने की दिशा में उनके द्वारा बैंक गारंटी मांगने के कारण एनएचएआई से ₹ 8.00 करोड़ अग्रिम देय शामिल थे।
18.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> गोइंग कंसर्न अवधारणा के आधार पर तैयार किये गये खातें, जो उचित नहीं थे, क्योंकि कंपनी की विनिर्माण इकाईयों के सभी परिचालन बंद थे और परिसमापन के अंतर्गत रखे गये थे। इसके अतिरिक्त कंपनी के निवल मूल्य में महत्वपूर्ण कमी हुई थी। कार्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2000-01 से कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ अपने वित्तीय विवरण फाईल नहीं किये थे।
19.	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	कंपनी ने ₹ 1.63 करोड़ राशि आंध प्रदेश गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दीर्घावधि निवेशों में कमी को नहीं पहचाना था।
20.	एचएमटी वॉचिज़ लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था <ul style="list-style-type: none"> (क) ब्याज, शारित ब्याज और नुकसानों के वैधानिक बकाया राशि के माफ करने में चूक ₹ 43.62 करोड़ (ख) लॉकआऊट्स, बैंक वेतन, प्रोत्साहन राशि, वार्षिक बोनस आदि से संबंधित दावों से जुड़े कर्मचारी से संबंधित लंबित अधिनिर्णय ₹ 3.65 करोड़

		<ul style="list-style-type: none"> खरीदार को दिये गये भवन के कब्जे सहित भूमि विक्रय के प्रति अग्रिमों से संबंधित ₹ 8.90 करोड़ राशि सहित अन्य मौजूदा देनदारियां प्राप्त की गई। लेन-देन बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए संबंधित प्राधिकारियों से लंबित बिक्री अनुमोदन के रूप में नहीं पहचाने गये हैं। वॉच मार्केटिंग डीवीजन में अचल परिसंपत्तियों के ग्रॉस ब्लॉक के बीच ₹ 1.89 करोड़ का और 01.04.2012 तक अचल परिसंपत्ति का रजिस्टर के अनुसार समाधान नहीं किया गया था।
21.	एचओसी चेमातुर लिमिटेड	नकद प्रवाह की उपलब्धता की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास भविष्य में किसी व्यवसाय को करने की कोई योजनाएं नहीं थी। इन स्थितियों ने अन्य मामलों के साथ-साथ सामान अनिश्चितता जो आगे गोड़े रुप से बढ़ने के लिए कंपनी की योग्यता के बारे में गहत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है। इसलिए कंपनी अपनी परिसंपत्तियों को वसूल करने में और व्यापार के सामान्य प्रवाह में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो सकती। इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों ने इस तथ्य को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया।
22.	आईडीबीआई इंफ्राफिन लिमिटेड	कंपनी की निवल संपत्ति का क्षरण होने के बावजूद, खातों को मौजूदा हालात के आधार पर तैयार किया गया था, कंपनी के परिचालनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये थे। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक कंपनी ₹ 7.09 करोड़ राशि के शेयरों से सदस्यता द्वारा कंपनी में पूँजी लगाने की प्रक्रिया में थी।
23.	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड (2010-11)	<ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश संयंत्र में, सीआईएसएफ बीआरएस के अंतर्गत कर्मचारियों को अदायगी विलंबित प्राप्तियों पर कर्मचारियों से प्राप्त व्याज, पोर्ट निकासी, विलंब शुल्क समाशोधन और अग्रेषण प्रभार सहित आपूर्ति कर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को विलंबित अदायगी पर व्याज की नकद आधार पर गणना की जा रही थी। कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2010-11 से आयकर रिटर्न फाईल नहीं की थी जिसके कारण आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 271बी और 271एफ के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है।
24.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	<ul style="list-style-type: none"> संपत्ति कर पर ₹ 0.97 करोड़ का व्याज उपलब्ध नहीं कराया गया था। ₹ 10 करोड़ राशि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियां डवल्पमेन्ट बोर्ड से प्राप्त की गई। 50 एकड़ की विकसित भूमि को पूँजीगत नहीं किया गया था। बाह्य संरचना के विकास के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियां डवल्पमेन्ट बोर्ड को कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई ₹ 5.85 करोड़ राशि को दर्ज नहीं किया गया था। 2008-09 से 2012-13 हेतु आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

25.	कॉकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के दौरान कार्यों में जहां वास्तविक प्रगति नहीं थी, को पूँजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत रखा गया था। कॉकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध किये गये दावों और मध्यस्थता के अंतर्गत ₹ 1093.32 करोड़ राशि को आकस्मिक देयता के रूप में रखा गया था। अनुमानित आधार पर आकस्मिकता हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। जैसाकि मध्यस्थता ने ₹ 8.13 करोड़ की मंजूरी प्रदान की थी।
26.	नेशनल बाईसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सरकार और कंपनी द्वारा व्याज गणना के लिए विभिन्न तरीके अपनाने के कारण, सरकारी ऋणों के संबंध में ₹ 138.66 करोड़ राशि के व्याज हेतु कंपनी ने कोई प्रावधान नहीं बनाया था।
27.	नेशनल माइनोरिटज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	यूपी अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के मामले में सरकारी गारंटी कवर ₹ 20.73 करोड़ तक कम था।
28.	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	<ul style="list-style-type: none"> स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसिज (एससीएज) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी विलम्ब देखा गया। ₹ 428.35 करोड़ (31 मार्च 2013 तक ₹ 829.88 करोड़ के कुल आहरण के प्रति) 31 मार्च 2013 तक कुल बकाया ऋणों में से, कार्पोरेशन के पास कुल ₹ 148.63 करोड़ की उपयोग न की गई राशि थी। ₹ 428.35 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से, ₹ 111.91 करोड़ राज्य सरकार गारंटी द्वारा कवर किये गये थे, ₹ 307.83 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आश्वासन पत्र द्वारा कवर किये गये थे और ₹ 8.61 करोड़ की शेष राशि न तो सरकारी गारंटी ही आश्वासन पत्र द्वारा प्राप्त की गई थी। राज्य सरकार गारंटी द्वारा कवर किए गए ऋण को सुरक्षित के रूप में माना गया था। कार्पोरेशन गारंटी में आश्वासन पत्र के रूपांतरण के लिए ठोस कदम लेते हुए प्रतीत नहीं होती है। कई एससीएज ने उधार देने की नीति और निगम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मूल चुकाने में छूक की थी। उक्त एससीएज द्वारा की गई कुल छूक ₹ 192.33 करोड़ बताई गई थी। मानीटरिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम और परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन आदि को सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि एससीएज के वितरण की अधिकतम उपयोगिता को और तीव्र वसूली सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं था।
29.	नेशनल शेड्यूल ट्राईब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	वर्षों से कुल संचित वितरण में से विभिन्न स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसिज के साथ पड़ी अनप्रयुक्त ₹ 65.79 करोड़ की राशि का समाधान किया जाना था।
30.	नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लिये गये ₹ 17.00 करोड़ की मैट क्रेडिट पात्रता और दावायोग्य ₹ 92.53 करोड़ की मैट क्रेडिट पात्रता

		आईसीएआई द्वारा जारी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत नयूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध ऋण के लिए लेखांकन पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार नहीं थे, क्योंकि कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं थे कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर अदा करेगी और मैट क्रेडिट पात्रता के योग्य होगी।
31.	न्यू मैंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	₹ 245.89 करोड़ की परिसंपत्ति राशि को पूँजीगत नहीं किया गया था यद्यपि कुल 37.00 कि.मी. रोड में से 34.98 कि.मी. ठेकेदार से 30 मई 2012 तक अपने अधिकार में ले लिया था। तब से ठेकेदार की ब्रुटि दायित्व अवधि आरंभ हो चुकी थी और सड़क से राजस्व अर्जित करना संभव था हालांकि उपरोक्त को अन्य कारणों से परिचालित नहीं किया जा सका था। 34.98 कि.मी. रोड पर खर्च ₹ 12.17 करोड़ की उधार लागत और ₹ 0.23 करोड़ की प्रशासनिक लागत को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, पूँजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 258.29 करोड़ तक कम हो गया और अचल परिसंपत्तियां ₹ 245.89 करोड़ तक बढ़ गया तथा पणधारकों की निधि (करों का निवल) ₹ 12.39 करोड़ तक कम हो गया।
32.	नॉर्दन कोलफिल्ड्स लिमिटेड	सरकारी निदेशों के अनुसार, 01 अप्रैल 1986 तक केंद्रीय कोलफिल्ड्स लिमिटेड की सिंगरौली डिवीजन की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कंपनी द्वारा निवल मूल्य पर अधिकार कर लिया था। कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों के स्थानांतरण हेतु विधिक औपचारिकताएँ अभी भी पुरी की जानी थी।
33.	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एक पार्टी से संबंधित ₹ 399.24 करोड़ के दावे सर्वे रिपोर्ट/कानूनी राय के आधार पर पूर्व वर्षों में अस्वीकृत किये गये थे। प्रभावित वैंकों ने अस्वीकरण के प्रति कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी थी। कंपनी ने कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाया था।
34.	पीईसी लिमिटेड	कंपनी ने अपनी लेखाकरण नीति के विरुद्ध दो लौह अयस्क सहयोगियों से ₹ 43.34 करोड़ का राजस्व खातों में लिया।
35.	रेलटैल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹ 106.13 करोड़ की राशि को प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था और ₹ 82.69 करोड़ रेल मंत्रालय को विभिन्न खातों में देय दिखाया गया था। उक्त शेष की पुष्टि/समाधान विश्वसनीयता/समायोज्यता के अभाव में टिप्पणी नहीं की जा सकी।
36.	रिचर्ड्सन और कुडास (1972) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी के वित्तीय विवरण इस तथ्य के मद्देनजर तैयार किए गए थे, कि इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से क्षरित हो गई थी। मौजूदा हालात की उपयुक्तता अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों के अपने दायित्वों, पुनः नियतन/पुनर्सरचना को पुरा करने के लिए पर्याप्त निधियों के समावेश पर निर्भर थी। कंपनी अपने परिचालन अस्तित्व को बनाये रखने में सक्षम नहीं हो सकी थी और अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य संभालने के लिए समायोजन

		<p>करना पड़ा था।</p> <ul style="list-style-type: none"> घाटकोपर में आवासीय फ्लैट्स के संबंध में, कोई स्वामित्व और स्वामित्व की स्वरूप पर कोई अधिकार पत्र पर उपलब्ध नहीं थे।
37.	सेल रिफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	स्टील अथेंरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर कार्यकारी कार्य के संबंध में ₹ 1.29 करोड़ के कर्मचारी लाभ व्यय की देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
38.	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तक सिक्कों की विक्री पर दी गई दर विभिन्नता के रूप में ₹ 21.44 करोड़ का प्रावधान किया था। उक्त को अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। हालांकि, 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में ₹ 130.92 करोड़ के सिक्के की विक्री पर और 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में ₹ 18.07 करोड़ पर दर विभिन्नता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बनाये गये बैंक नोटों की विक्री पर ₹ 121.45 करोड़ से अधिक दर अंतर के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बिल में दर्शाये गये पोस्टल स्टेशनरी के विक्री मूल्य 2006-07 में लागत लेखाकरण शाखा द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नहीं थे। इस प्रकार, विक्री के साथ-साथ व्यापार प्राप्त्यों के शेष व्यापार ग्राहकों द्वारा स्वीकृति के अधीन थे।
39.	स्टेट फार्मर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> 2009 से लंबित ₹ 5.80 करोड़ हेतु सब्सिडी की अवितरित राशि सरकार (3 वर्षों से अधिक से लंबित) को वापस की जानी चाहिए थी क्योंकि कार्पोरेशन में पंजीकृत विभिन्न किसान कार्पोरेशन के नियमों को पालन नहीं कर रहे थे और इसके कारण उनके वास्तविक अस्तित्व पर भी संदेह पैदा कर दिया। कार्पोरेशन ने सुक्ष्म और लघु उद्यमों जिसे सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत किया गया था; के बकाया के संबंध में संशोधित अनुसूची VI द्वारा अपेक्षित उचित प्रकटीकरण नहीं किया था। कार्पोरेशन ने क्रमशः राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार से फार्मस स्तर पर खेती के उद्देश्य हेतु भूमि ली; हालांकि कार्पोरेशन के पास ऐसे उपयोग के अधिकार हेतु कोई दस्तावेज़/पट्टा विलेख/करार नहीं था।
40.	एसटीसीएल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक था। ₹ 1220.14 करोड़ तक के व्यापार प्राप्त्य ऋण और अग्रिम संदेहास्पद थे। “एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड” में संयुक्त उद्यम निवेश के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किये गये थे।
41.	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स	<ul style="list-style-type: none"> बुलियन व्यापार के संबंध में, ₹ 43.46 करोड़ के व्यापार प्राप्त्य नकद की नीति के विरुद्ध तुलन पत्र में दर्शाये गये थे और बुलियन करार

	कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	के अनुसार लिया गया था, जिसका समाधान किया जाना था। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित-मध्यवर्ती लाभ के संबंध में प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर के ब्याज सहित ₹ 120 प्रति वर्ग फुट प्रति माह 3 महीनों में अदा किये जाने थे और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्पोरेशन के खिलाफ निर्णय को बरकरार रखा गया, केवल ₹ 63.50 प्रति वर्ग फीट का प्रावधान किया था और मध्यवर्ती लाभ के लिए ₹ 1.44 करोड़ के लिए शेष राशि और ब्याज के ₹ 0.62 करोड़ ब्याज को आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाया गया था।
42.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	हालांकि कंपनी के खाते गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया था, बीआईएफआर आदेश और प्रतिकूल वित्तीय परिचालन संकेतक को ध्यान में रखते हुए उन्हें संदेह था कि कंपनी भविष्य में गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहेगी।
43.	तुगंभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	कंपनी के खातों को इस अवधारणा पर संकलित किया गया था कि कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य करती रहेगी। ₹ 379.40 करोड़ की संचित हानि ₹ 8.44 करोड़ के निवल मूलय से बढ़ गई थी और वर्ष के दौरान और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि उड़ानी पड़ी थी। कंपनी रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान अधिनियम) 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ के अनुसार एक “रूग्ण औद्योगिक कंपनी” थी। कंपनी ने 2004-05 के दौरान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) का संदर्भ दिया था। इस प्रकार, गोइंग कंसर्न के रूप में चालू रहने की कंपनी की योग्यता पर संदेह था और बीआईएफआर/सरकार द्वारा किसी पुनरुद्धार कार्यक्रम पर निर्भर करेगी।
44.	उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशनलिमिटेड	कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य इंश्योरेंस में नियमित रूप से जमा नहीं कर रही थी।
45.	वेस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड	कंपनी की नीति के अनुसार केवल कुछ विशेष पूर्व-अवधि मद जो ₹ 10 लाख प्रति से अधिक थे, को पूर्व-अवधि मदों के रूप में शामिल किये गये थे और शेष मद चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में लिये गये थे। यह नीति एएस-5 के विपरीत थी।

2.9 सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित आपत्तियां।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास उस ढंग के निर्देश देने की शक्ति होगी कि धारा 619 की उप-धारा (2) के अनुसरण

में नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के खातों की किस प्रकार लेखापरीक्षा की जाएगी और उसके कार्यों के निष्पादन से संबंधित किसी भी मामले में ऐसे लेखापरीक्षक को निर्देश दें।

सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी पूरक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्शाई थी। कई कंपनियां जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कमियां पाई गई थीं और सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था जिसे अनुलग्नक X से XIX में दर्शाया गया है। कंपनियों की संख्या के साथ आपत्तियों के क्षेत्र नीचे दर्शाए गए हैं।

क्र. सं.	आपत्ति क्षेत्र	कंपनियों की संख्या
1.	लेखांकन नीतियां और पद्धतियां (ऋटिपूर्ण लेखांकन नीतियां और पद्धतियां)	10
2.	व्यावसायिक जोखिम (व्यावसायिक जोखिम के पहचान की प्रक्रिया या तो अपर्याप्त थी या अस्तित्व में नहीं थी)	22
3.	लेखा और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली (लेखा और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है)	70
4.	परिसंपत्तियां (सूची सहित) (आर्थिक मात्रा आदेश, एबीसी विश्लेषण, भौतिक सत्यापन प्रणाली या सूची का अनुरक्षण पर्याप्त नहीं/ऋटिपूर्ण था)	71
5.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली (आंतरिक लेखापरीक्षाप्रणाली को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है)	35
6.	ईडीपी लेखापरीक्षा (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, आईटी नीतिगत/योजना के लिए उपयुक्त सुरक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है)	67
7.	लागत प्रणाली (औपचारिक लागत नीति का अभाव या मौजूदा लागत नीति प्रभावी नहीं है)	20
8.	अनुबंध प्रदान करना और निष्पादन (मानीटरिंग और समायोजन को ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिमों को मजबूत करने की आवश्यकता है)	12
9.	देनदार और लेनदारों के शेष की पुष्टि (देनदार/लेनदारों के शेष की पुष्टि प्राप्ति की	27

10.	ऋटिपूर्ण प्रणाली) धोखाधड़ी और जोखिम (अकुशल धोखाधड़ी जोखिम नीति/चेतावनी नीति)	104
-----	--	-----

2.10 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, प्रचालनों की प्रभावकारिता एवं दक्षता, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन और धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन की जाँच के सम्बन्ध में इकाई के उद्देश्य की उपलब्धि के बारे में यथोचित आशासन के साथ शासन और प्रबन्धन द्वारा बनायी गयी एवं कार्यान्वयन की गई प्रक्रिया है।

- ❖ तैयार किए गए वित्तीय विवरण सही एवं यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और
- ❖ विश्वसनीयता की मात्रा जिसे सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों पर भरोसा कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों से पर्याप्तता अथवा कम्पनी द्वारा अपनाये गए आंतरिक नियंत्रण उपाय और देनदारों, रोकड़ एवं बैंक शेषों सहित स्थायी एवं चालू परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन, रक्षा करने और सत्यापन के क्षेत्रों में सुधार, यदि कोई है, का सुझाव देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निम्नलिखित के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित त्रुटियाँ

- अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुचित रख-रखाव,
- निवेश नीति का न होना,
- पृथक सतर्कता विभाग का सृजन न होना और
- मानी गई सरकारी कम्पनियों आदि सहित सरकारी कम्पनियों में इन्वेंटरी स्टॉक होल्डिंग के लिए प्रतिमान का नियतन न करना

विभिन्न कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण के अभाव के सम्बन्ध में व्यौरै परिशिष्ट-xx में दिए गए हैं। अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों की संख्या के साथ त्रुटि का क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	त्रुटि का क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या
1	अचल परिसम्पत्तियाँ	2
2	आंतरिक कार्यविधियाँ एवं प्रचालनात्मक दक्षता	11
3	निवेश	3
4	सूची	3

5	आंतरिक लेखापरीक्षा	9
6	आईटी नीति	2
7	सतर्कता	10

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन पण्धारी (शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, सरकार एवं समुदाय) को सन्तुष्ट करने एवं विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर एक संगठन में संरचना, प्रचालन और नियंत्रण की एक प्रणाली है। निगमित अभिशासन कम्पनियों को निर्देश देने और नियंत्रण करने के रूप में है। यह कम्पनी और प्रबन्धन के नैतिक, नीतिपरक, मूल्य, पैरामीटरों, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कम्पनियों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर एवं समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए शेयरधारी और अन्य पण्धारियों के सर्वोत्तम हित में प्रबन्धन द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। अच्छे अभिशासन संरचनाओं के अभाव और अभिशासन सिद्धान्तों के पालन के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा सौंपी गई शक्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।

3.1.1 भारत में निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन के निदेश की भारत में पहल की गई जिसमें मुख्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आदेश दिए जाते हैं। जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न संशोधनों ने सम्पूर्ण देश में कम्पनियों को अभिशासन निदेश दिए, डीपीई ने सार्वजनिक क्षेत्र में अभिशासन पहलों का मार्ग उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए।

3.1.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर-कार्यालयीन निदेशकों के शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किये। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान

प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, मई, 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों ने निदेशक मंडल के गठन के क्षेत्रों, निदेशक समितियों के गठन एवं कार्य, जैसे लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति सहायक कम्पनियों के ब्यौरे, प्रकटन, रिपोर्ट एवं कार्यान्वयन के लिए अनुसूचियों को कवर किया। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के लिए सभी सन्दर्भ, मई 2010 में जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों से संबंधित है, जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य हैं।

3.1.3 निगमित अभिशासन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 में निगमित अभिशासन के संबंध में कोई सीधा प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों में कतिपय पद्धतियों को निर्धारित किया गया कि सख्त, निगमित अभिशासन संरचना को बनाएं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के कुछ ऐसे प्रावधानों को नीचे दिया गया है:

- धारा 217 (2एए) को दिसम्बर, 2000 से लागू किया गया जिसमें यह दर्शाते हुए बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशक के जिम्मेवारी विवरण के लिए प्रावधान किया गया कि लागू लेखाकरण मानकों का लेखाओं के तैयार करने और उससे महत्वपूर्ण विचलनों की रिपोर्टिंग का अनुसरण किया गया कि कम्पनियों ने अपनी लेखाकरण पॉलिसियों का सुसंगत रूप से अनुसरण किया और सभी लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।
- धारा 292ए को दिसम्बर 2000 से लागू किया गया जिसमें प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूँजी 5 करोड़ से कम ना हो, में बोर्ड की समिति के रूप में लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा समिति के सन्दर्भ की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निरीक्षण तथा अन्य कर्तव्यों के निष्पादन एवं बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट जिम्मेवारियों से संबंधित सभी मामलों को शामिल किया जाता है।
- अधिनियम की धारा 299 में कम्पनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा उसकी या कम्पनी की ओर से किए गए ठेका अथवा करार (वर्तमान अथवा प्रस्तावित) में उसकी चिन्ता अथवा हित के स्वरूप की बोर्ड की बैठक में प्रकटीकरण करना आवश्यक है। कम्पनी को ऐसे संव्यवहारों का अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत ठेका रजिस्टर में दर्ज करना भी अपेक्षित है।

3.1.4 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशा-निर्देश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र दिनांक 21 फरवरी 2000 के माध्यम से सूचीगत करार में एक नया खण्ड 49 शामिल किया। सूचीगत करार के खण्ड 49 में संशोधन अक्टूबर 2004 में किया गया और संशोधित खण्ड को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। सूचीगत करार के खण्ड 49 में निदेशक मंडल के गठन, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति के गठन और कार्य, सहायक कम्पनी की तुलना में नियत्रक-कम्पनी के निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, प्रकटीकरण और अन्य मामलों के मध्य अनुपालन रिपोर्ट आदि का प्रावधान है।

3.1.5 निगमित अभिशासन प्रावधानों के चयनित सीपीएसई द्वारा अनुपालन पर लेखापरीक्षा समीक्षा

31 मार्च 2013 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 525 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इसमें 358 सरकारी कम्पनियों 161, मानी गई सरकारी कम्पनियों और छः सांविधिक निगमों को शामिल किया गया। अधिकांश सीपीएसईज, जिसमें महाराष्ट्र, नवरत्न और मिनीरत्न शामिल है, लाभ अर्जन कर रही हैं और वर्षों से उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। सीपीएसईज को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार की पॉलिसी के सन्दर्भ में निगमित अभिशासन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढ़ाने और विश्वव्यापी वृहत होने की प्रत्याशा की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अन्यावश्यक है।

समीक्षाके उद्देश्य से सेबी और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों-कंपनी अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की गई थी। मूल्यांकन रूपरेखा में निहित प्रावधानों के आधार पर निदेशक मण्डल के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तों आदि से संबंधित विशेष प्रश्न निहित हैं।

इस वर्ष रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय के अधीन सीपीएसईज को उनके मूल्यांकन रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने हेतु चयनित किया गया है। बताए गए चार मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन 45 कम्पनियों को इस समीक्षा में कवर किया गया। इस समीक्षा में मार्च, 2013 को समाप्त एक वर्ष की अवधि निहित थी। इन कम्पनियों की एक सूची परिशिष्ट- XXI में दी गई है। समीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.2 निदेशक मण्डल

3.2.1 सरकारी नामिती निदेशक

डीपीई दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि सरकारी निदेशकों को निदेशक मण्डल की वास्तविक क्षमता के छठवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए और बोर्ड में मात्र एक प्रतिनिधि रखना अधिमान्य है। तथापि, किसी भी मामले में, यह दो से अधिक नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में सरकारी निदेशक दो से अधिक थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी नामित निदेशकों की संख्या
1	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4
2	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	5
3	राजस्थान इंग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	7
4	दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड	3

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बोर्ड में स्वतन्त्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को, जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हों, शेयरधारकों और अन्य पण्धारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 49(I)(ए)(ii) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहाँ बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है वहाँ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई को स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है, तो कम से कम बोर्ड के आधे को स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। नामिती निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक नहीं माना गया है।

3.2.2.1 समीक्षित कम्पनियों के निदेशक मण्डल के गठन से पता चला कि निम्नलिखित कम्पनियों के पास उनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पर्याप्त नहीं थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वांछित	वास्तविक
1	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	5	3
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8	7
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलिमर लिमिटेड	5	2
4	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	4	1
5	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	3
6	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	4	3
7	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	2	1
8	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	4	3

9	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	4	3
10	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	7	4
11	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	2	1
12	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	3	1
13	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	4	1
14	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	5	2
15	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	2	1
16	केआईओसीएल लिमिटेड	4	2
17	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4	3
18	मझगांव डॉक लिमिटेड	5	4
19	मेकॉन (इंडिया) लिमिटेड	5	3
20	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	4	3
21	एमएसटीसी लिमिटेड	4	3
22	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	1
23	भारत इस्पात प्राथिकरण लिमिटेड	8	7

3.2.2.2 निम्नलिखित सीपीएसईज में, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल ऑप्टॉनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
3	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
4	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
7	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड
8	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
9	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
10	राजस्थान इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
11	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
12	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
13	दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (।) (ए) (i) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.2 में प्रावधान है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल में कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी/कार्यात्मक एवं गैर कार्यात्मक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए तथा गैर कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड की क्षमता के पचास प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वांछित	वास्तविक
1	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	7	6
2	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	3	2
3	हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड	4	3
4	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	5	4
5	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	2

3.2.4 कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों पर सूचना

डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीगत करार के खण्ड 49 में कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों के बारे में न्यूनतम सूचना निर्धारित की गई है, जिसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना में वार्षिक परिचालन योजनाओं, बजट, ट्रैमासिक परिणामों, लेखापरीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त, बोर्ड स्तर से थोड़ा कम वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक पर सूचना, संयुक्त उद्यम के व्यौरे, विदेशी विनिमय आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में, वार्षिक परिचालन योजनाओं, पूँजी और राजस्व बजटों की सूचना बोर्ड को नहीं दी गई थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
5	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

3.2.5 जोखिम प्रबंधन

उद्यम जोखिम प्रबंधन, जोखिम का प्रबन्ध करने तथा ईकाई की प्रतिष्ठा की क्षति और संबंधित परिणामों को रोकने में प्रबंधन की सहायता करता है। निगमित प्रबंधन नीतियों की योजना में जोखिम प्रबंधन के महत्व पर विचार करते हुए इसका निरीक्षण बोर्ड/प्रबंधन के मुख्य उत्तरदायित्वों में से एक होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देशों में जोर दिया जाता है कि बोर्ड को निगमित एवं प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंध प्रणाली का एकीकरण और सुधार सुनिश्चित

करना चाहिए और यह भी कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य कारोबार प्रथा के भाग के रूप में लिया गया है न कि निर्धारित समय में अलग कार्य के रूप में। निम्नलिखित कंपनियों में जोखिम पालिसी अभी विकसित की जानी है:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
3	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड
4	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
7	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
8	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
9	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
10	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.2.6 कार्यात्मक गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र निदेशकों, के पदों का भरा जाना

निदेशकों, के पदों में रिक्तियों को समय से भरा जाना कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों के भरने में कोई भी विलम्ब निर्णय लेने वाली प्रक्रिया की प्रभावकारिता में बाधा डाल सकता है। निम्नलिखित कम्पनियों में 31 मार्च 2013 को निदेशकों - कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र आदि के पदों को भरने में 6 माह या उससे अधिक विलम्ब हुआ था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	माह की सं.
1	बीईएल आप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	7
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	निदेशक (तकनीकी)	7
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	10
		2 स्वतंत्र निदेशक	6
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलिमर्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	13
5	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	16

		निदेशक (वित्त)	9
6	इंजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2 स्वतंत्र निदेशक	24
		एक सरकारी निदेशक	12
7	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	प्रबंध निदेशक	7
		स्वतंत्र निदेशक	8
8	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	10
9	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग एंड मार्केटिंग)	18
10	हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	मई 1989 से रिक्त
11	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	6
12	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	एक स्वतंत्र निदेशक	9
13	केआईओसीएल लिमिटेड	4 स्वतंत्र निदेशक	7
14	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	निदेशक (तकनीकी)	6
		निदेशक (मार्केटिंग)	21
		स्वतंत्र निदेशक	7 से 34
15	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	13

3.3 लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीगत करार के खंड 49 (II) (ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में प्रावधान है कि सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, इंडिया इंग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 5 करोड़ से अधिक प्रदत्त पूँजी होने के बावजूद लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था।

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य यथा अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल आप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
3	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
4	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
5	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
10	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
11	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
12	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
14	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
15	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (III) और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। निम्नांकित मामले में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल आप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
8	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
10	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
11	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

3.3.4 सूचीगत करार खण्ड 49 (II) (ए) (VI) के अनुसार अपेक्षित निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में कंपनी के सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य नहीं किया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेंटल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.5 लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में शर्ते लिखित रूप में होनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा समिति की भूमिका और विशिष्ट जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के लिए इस संदर्भ में शर्तों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था।

3.3.6 लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों को नियुक्ति पत्र जारी करना एक अच्छी पद्धति है जिसमें उनकी नियुक्ति और उद्देश्य, अपेक्षित प्रतिबद्धता, पारिश्रमिक, मूल्यांकन, समर्थन और प्रशिक्षण जिसे वे लेंगे, अपेक्षित आचरण, नियुक्ति की अवधि और कितनी बार इसे नवीकृत किया जाता है और समाप्ति की शर्तों, को स्पष्ट करना अपेक्षित है। निम्नांकित कम्पनियों में इस अच्छी पद्धति का पालन किया जा रहा था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3	एमएसटीसी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
5	सेन्ट्रसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.7 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (बी) और डीपीई दिशा-निदेशों के अध्याय 4 (पैरा 4.4) में अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा समिति को वर्षे में कम से कम चार बार मुलाकात करनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संदर्भ में वर्ष 2012-13 के दौरान चार से कम बैठकें हुई थीं:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड
5	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड

6	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
7	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
8	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
9	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.8 निम्नलिखित कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच चार महीनों से अधिक अन्तर था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
3	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिन्दस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड
5	हिन्दस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
6	हिन्दस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हिन्दस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी
8	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
9	एमओआईएल लिमिटेड
10	एमएसटीसी लिमिटेड

3.3.9 आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की उपयुक्तता

खण्ड 49 (II)(डी)(7) तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए जिसमें विभाग की सरचना, कर्मचारियों की स्टाफिंग तथा विभाग के प्रधान की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति व कवरेज को सम्मिलित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में, लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की है:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	इंजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
7	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

3.3.10 किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करने का उत्तरदायित्व भी लेखापरीक्षा समिति का है। यह देखा गया था कि, निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
5	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड

3.3.11 चेतावनी तंत्र

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (डी) (12) तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.12 में अपेक्षा की गई है कि लेखापरीक्षा समिति कम्पनी में विधमान होने पर चेतावनी तंत्र के क्रियाकलापों की समीक्षा करे। सूचीगत करार में अपेक्षा की गई है कि कम्पनी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धन को अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशांकित धोखाधड़ी या कम्पनी की आचरण संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के बारे में सूचना देने के लिए एक तंत्र की स्थापना करे। यह तंत्र उन कर्मचारियों को, जो इस तंत्र का उपयोग करेंगे, के शोषण के प्रति पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगा तथा कुछ अपवादात्मक मामलों में लेखापरीक्षा के अध्यक्ष तक भी सीधा सम्पर्क स्थापित कराएगा। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के विधमान होने की सूचना संगठन में समुचित रूप से प्रसारित की जाए। निम्नलिखित कम्पनियों में चेतावनी तंत्र नहीं था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएल आप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
5	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
7	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
8	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
9	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
10	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
11	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

12	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
13	मझगांव डॉक लिमिटेड
14	मेकॉन (इंडिया) लिमिटेड
15	एमओआईएल लिमिटेड
16	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
17	राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
18	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
19	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
20	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
21	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.3.12 कुछ कंपनियों में, हालांकि चेतावनी तंत्र विधमान है, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की:

क्र. सं.	सीपीएसड का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड
4	डेंजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	फेरो स्कैप निगम लिमिटेड
6	हिंदस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
7	हिंदस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
8	टिफर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड

3.3.13 लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की समीक्षा

डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा सं.4.2.2 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को निदेशक मंडल से संविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की सिफारिश करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश नहीं की गई:

क्र. सं.	सीपीएसड का नाम
1	बंगल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेंटल इनलैण्ड वाटर टांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
3	फर्टिलाइजर कारपोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिंदस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

3.3.14 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

खण्ड 49(11)(डी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.10 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरम्भ करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा प्रवृत्ति तथा कार्यक्षेत्र के संबंध में चर्चा करनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद भी ये जानने के लिए चर्चा करनी चाहिए कि क्या कोई चिन्ता का विषय है। निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति ने चर्चा नहीं की:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	जिसकी चर्चा नहीं की गई
1	बीईएल ऑप्ट्रानिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
4	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
5	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
6	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
7	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
8	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
9	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
10	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
11	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा दोनों चर्चाएँ
12	केआईओसीएल लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
13	मझगांव डॉक लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
14	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा

3.3.15 विस्तार परियोजनाओं की प्रगति

लेखापरीक्षा का मूल उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करने, कि वित्तीय विवरण सही, उपयुक्त और विश्वसनीय है, के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय सूचना

के प्रकटन पर नजर रखना है। लेखापरीक्षा समिति को अपनी क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से करने के लिए कंपनी में चालू परियोजनाओं की प्राथमिक जानकारी रखनी चाहिए। इसको देखते हुए, लेखापरीक्षा समिति विस्तार परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों, विशेष उद्देश्य के वाहनों की आवधिक समीक्षा करे और कमियों को, यदि कोई हो तो प्रबंधन के संज्ञान में लाए और तदनुसार की गई कार्रवाई की भी निगरानी करे। निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
4	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
5	हिंदस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
7	एमओआईएल लिमिटेड
8	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.4 बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता

सूचीगत करार के खण्ड 49 (II)(डी) और डीपीई के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 में प्रावधान है कि बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार-संहिता कंपनियों की वेबसाइट पर दर्शाया जाए और बोर्ड के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें। निम्नलिखित कंपनियों द्वारा वेबसाइट पर आचार संहिता प्रदर्शित नहीं की गई थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
3	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड*
5	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
8	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
9	मझगांव डॉक लिमिटेड

10	राजस्थान इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
11	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड*
12	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
13	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.4.1 निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में कंपनी द्वारा आचार संहिता पर वार्षिक पुष्टि नहीं की गई:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
3	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड

3.5 निष्पादन संबंधी भुगतान हेतु परिश्रमिक समिति

डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 5 मे यह उल्लेख है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगी जो सभी अंशकालिक (अर्थात् नामिती निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होंगे। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए। सीपीसीई निष्पादन संबंधी भुगतान के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि इस बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक न हों। पारिश्रमिक समिति निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यकारियों और गैर/संघीय पर्यवेक्षकों में इसके हेतु वार्षिक बोनस-वैरिएबल पे पूल और नीति सुनिश्चित करेगी। निम्नलिखित कंपनियों में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4	हिन्दस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
5	हिंदस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	हगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
7	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
8	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	सेल रीफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
10	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
11	टि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स टावणकार लिमिटेड
12	विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

* कंपनी ने कहा कि उनकी वेबसाइट ही नहीं है।

3.6 निष्कर्षः

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि दिशा निर्देशों को अनिवार्य बनाए जाने के बावजूद कुछ सीपीसीईज निगमित अभिशासन पर डीपीई निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। यह देखा जा सकता है कि कई कंपनियों के पास उनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। निदेशक मंडल की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

लेखापरीक्षा समितियों के क्रियाकलाप सामान्यतः दिशा-निर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुरूप नहीं थे। कई कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों ने आंतरिक लेखापरीक्षा की उपयुक्तता की समीक्षा नहीं की थी, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की थी और विस्तार परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा नहीं की थी, जो सभी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजन हेतु अनिवार्य थे। कई कंपनियों ने चेतावनी तंत्र भी नहीं स्थापित किया था।

कई कंपनियों ने पारितोषिक समितियों और जोखिम प्रबंधन समितियों भी गठित नहीं की थी जो कि कंपनी के बेहतर क्रियाकलाप हेतु अनिवार्य हैं।-

3.7 सिफारिशेंः

सीपीएसई में निगमित अभिशासन के स्तर में सुधार करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- चूँकि निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति सरकार के पास निहित है, सीपीएसईज में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की वांछित संख्या प्रवर्तन सुनिश्चित की जानी चाहिए;
- सीपीएसईज के प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी की जाए।

अध्याय 4

भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 भारत में सम्मिलन हेतु मान्यता

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 13 मई 2008 को सूचना दी कि भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) से मिलाने के लिए 2001 में पहल शुरू की गई थी और 2006 में लेखांकन मानकों की अधिसूचना से लागू आईएफआरएस के साथ 2011 तक सम्मिलन के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई वह पहल जारी रहेगी। एक संशोधित रोड़ मैप एमसीए के विचाराधीन था।

4.2 भारत में सम्मिलन प्रक्रिया

4.2.1 प्रशासनिक मंत्रालय

भारत में, आईएफआरएस के साथ सम्मिलन की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से सभी संबंधित पण्धारियों के साथ विस्तृत परामर्श तथा प्रतिभागिता अभ्यासों के माध्यम से एमसीए द्वारा की गई है।

4.2.2 रोड़ मैप

जुलाई 2009 में एमसीए के सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत सम्मिलन के लिए रोड़ मैप तैयार करने के नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण, पैन्शन फन्ड नियामक तथा विकास प्राधिकरण), वित्त मंत्रालय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), चैम्बर्स एवं उद्योग निकायों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था। कोर ग्रुप के सहायतार्थ दो उप वर्ग थे। कोर ग्रुप ने चरणों में सम्मिलन लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के लागू करने के लिए विभिन्न नियामकों और रोड़ मैप द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित परिवर्तनों को सूचित किया था। मार्च 2010 में एमसीए द्वारा घोषित रोड़ मैप के अनुसार, 1 अप्रैल 2011 के वित्तीय वर्ष से प्रारंभिक चरणों में कम्पनियों की विशिष्ट श्रेणी के लिए इन्ड-एएस लागू किये जाने थे। इन्ड-एएस अकेले तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणियों के लिए लागू किये जाने थे।

4.2.3 इन्ड-एएस की अधिसूचना

विधि तथा न्याय मंत्रालय के विद्यायी विभाग द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात् कम के कम 35 परिवर्तित सम्मिलन लेखांकन मानक ('इन्ड-एएस' के रूप में जाने जाते हैं) एमसीए द्वारा फरवरी 2011 में अपनी बेबसाइट पर दर्शाये जा चुके हैं। फिर भी, इन्ड-एएस को लागू करने की तिथि अधिसूचित की जानी थी। इन्ड-एएस,आईसीएआई द्वारा मसौदा तैयार करने, लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) द्वारा अनुमोदन, विद्यायी एमसीए में तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण, मंत्री द्वारा अनुमोदन, एमसीए तथा विधि तथा न्याय मंत्रालय के व्यवस्थापिका विभाग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं।

4.2.4 कारपोरेट विधि में परिवर्तन

फरवरी 2011 में, एमसीए ने कंपनी अधिनियम 1956, की संशोधित अनुसूची VI अधिसूचित की जिसमें संशोधन शामिल थे कि जिसकी आवश्यकता इंड-एएस को लागू करने हेतु हो सकती थी उदाहरणतः परिसम्पत्तियों और देयताओं के समूह "चालू" और "गैर-चालू" के रूप में बनाये गये हैं।

अगस्त 2013 में एक नया कम्पनी अधिनियम 2013 बनाया गया है। अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि वितीय विवरण केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसार होंगे और कम्पनियों के वर्ग अथवा वर्गों के लिए मुहैया कराए गए फार्म अथवा फार्मों में होंगे। यह चरणों में इन्ड-एएस के कार्यान्वयन को सरल बनाएगा।

परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्यांकन आईएफआरएस के महत्वपूर्ण पहलू हैं, नए कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा मूल्यांकन के लिए संबद्ध धारा, मूल्यांकन कर्ता के उत्तरदायित्व के रूप में भी सम्मिलित है।

4.2.5 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

एमसीए ने 26 जुलाई 2010 को जापान के साथ आईएफआरएस से सम्मिलन के संबंधित जानकारी प्रभावी रूप से बॉटने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार दोनों देश 2010 से तीन वर्षों हेतु वार्षिक इंडिया जापान आईएफआरएस संवाद को रखने में मुख्यतः आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए। एमओयू के अधीन पांच संयुक्त कार्यकारी ग्रुप भी स्थापित किये गये थे: आईएफआरएस से संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए अपनी जानकारी एवं अनुभव को दोनों देशों के नियामक, लेखांकन मानक सैटर्स, सनदी/प्रमाणित लेखा कर संस्थान, उद्योग प्रतिनिधियों और स्टॉक एक्सचेंज को साझा करने के लिए।

4.3 इन्ड-एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

4.3.1 रोड मैप के अनुसार इन्ड-एएस कार्यान्वयित नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमसीए इसके कार्यान्वयन पर आम सहमति के अभाव के आधार पर मुख्य रूप से इसके अधिसूचित रोड मैप के अनुसार इन्ड-एएस के कार्यान्वयन की तिथि अधिसूचित नहीं कर सका। अन्य कई विनियामक मुद्दों का भी समाधान किया जाना चाहिए था जैसे बैंकों और बीमा जैसी नियामक इकाईयों द्वारा अपनाए जाने वाला वृष्टिकोण।

4.3.2 आईएफआरएस में संशोधन

कई आईएफआरएस में संशोधन चल रहा था तथा कुछ नये आईएफआरएस प्रक्रिया अधीन थे। इसमें नये इन्ड-एएस की अधिसूचना की तरह अधिसूचित इन्ड-एएस में संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता है।

4.3.3 आईएफआरएस से विचलन

अभी तक अधिसूचित इन्ड-एएस में आईएफआरएस से कतिपय विचलन थे। ये विचलन उन अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों/अन्य पण्धारियों के बीच चिंता का विषय हो सकती थी जो विचलनों से संतुष्ट नहीं थे। विचलनों के प्रभाव का सम्मिलन के लाभों को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।

4.3.4 उचित बाजार मूल्यांकन

आईएफआरएस वित्तीय विवरणों की अधिकतर पदों को मूल्यांकन करने के लिए माप आधार के रूप में उचित मूल्य का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूर्ण सटीकता के साथ देयताओं और विभिन्न परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के सत्यापन और अवधारण करने के लिए विश्वसनीय तंत्र और बुनियादी ढांचा वियमान है। सम्मिलन, अन्यथा, वित्तीय विवरणों में वस्तुनिष्ठता और आस्थिरता ला सकता है।

4.3.5 अनिश्चिता के दौरान प्रारंभिक प्रयास

पर्याप्त बुनियादी ढांचा, व्यवसायिक विशेषज्ञ और आईटी अनुप्रयोगों की शर्तों में सम्मिलन के प्रति सुगम परिवर्तन के लिए आवश्यक है। वर्तमान रूप में, पण्धारियों के लिए कार्यान्वयन की तारिख स्पष्ट नहीं है। पण्धारी तब तक अपने प्रारंभिक प्रयासों में विलम्ब कर सकता है जब तक कि रोड मैप को संशोधित नहीं कर दिया जाता है और विधिवत निश्चितता के साथ अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन

5.1 प्रस्तावना

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की 1965 में स्थापना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) को नीतिगत तथा समग्र दिशानिर्देश देने तथा सीपीएसईज के निष्पादन के निरन्तर मूल्यांकन को सुगम बनाने वाली केन्द्रीकृत समन्वय इकाई के रूप में काम करने के लिए की गई थी। मई, 1990 में बीपीई को अलग से एक पूरे विभाग का दर्जा प्रदान किया गया तथा अब इसे भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है।

सीपीएसईज को दिशानिर्देश/निदेश जारी करने में डीपीई की भूमिका

- निर्देशों/अनुदेशों को प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ अध्यक्षीय निदेशों के माध्यम से सीपीएसईज को जारी किया जाता है।
- अध्यक्षीय निदेश प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा सम्बद्ध सीपीएसईज को परिस्थितिवश आवश्यक होने पर जारी किए जाते हैं तथा अनिवार्य प्रवृत्ति के होते हैं। एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से ये निदेश किसी एक सीपीएसई से सम्बन्धित होने पर डीपीई के परामर्श तथा यदि ये एक से अधिक सीपीएसई पर लागू हों तो डीपीई की सहमति से जारी करने होते हैं।
- दिशानिर्देश प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी किए जा सकते हैं जैसा भी मामला हो, तथा ये परामर्श प्रवृत्ति के होते हैं। सीपीएसईज के निदेशक मंडल के पास इन दिशानिर्देशों को लिखित में कारण देकर न अपनाने का स्वयं निर्णय करने का अधिकार होता है। इस विषय पर कारण बताते हुए बोर्ड के संकल्प डीपीई के साथ-साथ सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालय दोनों को अग्रेषित करने होते हैं।

5.2 डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

डीपीई, निष्पादन सुधार तथा मूल्यांकन, वित्तीय प्रबन्धन, कार्मिक प्रबन्धन, बोर्ड संरचना, मजदूरी निपटान, प्रशिक्षण, औद्योगिक सम्बन्ध, सतर्कता, निष्पादन मूल्यांकन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीपीएसईज से सम्बन्धित नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है।

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहाँ सीपीएसईज ने डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। वर्ष 2012-13 की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 में डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले 2 सीपीएसईज वाले 2 लेखापरीक्षा पैराग्राफ छापे गए थे। उनका संक्षेप में वर्णन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रमांक	विषय क्षेत्र	संख्या			(₹ करोड़ में)		उन मामलों की संख्या जिनमें उल्लंघन जारी है	(₹ करोड़ में) बाद में किया गया अनियमित भुगतान
		लेखापरीक्षा पैराग्राफ	सीपीएसईज	मामले	मौद्रिक मूल्य	अनियमित भुगतान की वसूली		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	निष्पादन संबंधी वेतन का अधिक भुगतान	1	1	1	43.18	Nil	1	95.60
2	कर्मचारियों को दी गई अनियमित आर्थिक सहायता की वसूली न करना	1	1	1	3.05	2.43	Nil	Nil
जोड़		2	2	2	46.23	2.43	1	95.60

5.3 अनुपालन पर "की गई कार्यवाही" की स्थिति

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली के लिए सीपीएसईज द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई और भविष्य में अनुपालन हेतु जारी किए गए निदेशों और अधिक महत्वपूर्ण अनियमित भुगतान की वसूली को सुनिश्चित करने और लेखापरीक्षा मामलों पर सीपीएसईज द्वारा की गई औपाचारिक कार्यवाई में डीपीई द्वारा की गई भूमिका की समीक्षा की गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

5.3.1 निष्पादन संबंधी वेतन, पर अतिरिक्त भुगतान

निष्पादन संबंधी वेतन की संगणना के लिए प्रोफिट बिफोर टैक्स (पीबीटी) के घटकों पर स्पष्टीकरण देते समय डीपीई ने सिफारिश की (नवम्बर 2010) कि 'सीपीएसई के लाभ विशेष उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियों से प्राप्त होने की आशा है और यह कि स्टॉक के मूल्यांकन, सरकार द्वारा माफ किए गए अनुदान और भूमि की बिक्री आदि (मर्दों की सूची व्यापक नहीं है) जैसी अतिरिक्त असाधारण मर्दों को जहां तक कि निष्पादन संबंधी वेतन का संबंध है, पीबीटी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा'। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक सीपीएसई ने इस सिफारिश का उल्लंघन किया था और निष्पादन संबंधी वेतन के लिए ₹ 43.18 करोड़ राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की और ₹ 95.60 करोड़ का अनुवर्ती अनियमित भुगतान किया।

5.3.2 कर्मचारियों को दी गई अनियमित आर्थिक सहायता की वसूली न करना

नवम्बर 2008* में जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि 'कैफेटेरिया एप्रोच' के कार्यान्वयन के साथ विद्युत, कैन्टीन/भोजन कूपन आदि के प्रति दी गई सभी आर्थिक सहायता कार्यकारियों के मामले में वापिस ले ली जाए'। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक सीपीएसई द्वारा इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था और ₹ 3.05 करोड़ की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था। तथापि सीपीएसई ने जुलाई 2013 तक ₹ 2.43 करोड़ की राशि की वसूली की और अनियमित भुगतान को भी रोक दिया।

5.4 डीपीई की निरीक्षण भूमिका

सीपीएसईज के मामलों की नोडल एजेन्सी होने के कारण डीपीई से सीपीएसईज के बोर्ड द्वारा अपने दिशानिर्देशों को अंगीकार करने की निगरानी तथा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी की भी आशा की जाती है।

हांलाकि डीपीई के दिशानिर्देश परामर्श प्रवृत्ति के होते हैं फिर भी अच्छे निगम सुशासन के लिए डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रशासकीय मंत्रालयों तथा सीपीएसईज द्वारा जबावदेही निर्धारित करने के लिए एक समुचित तंत्र होना चाहिए।

डीपीई के इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संस्थागत प्रबंधन की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि:

- यह जानने के लिए कि कौन सी सीपीएसईज के बोर्ड ने उसके दिशानिर्देशों को अपनाया है डीपीई ने कोई डाटा बेस नहीं बनाया था।
- डीपीई के पास उसके दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।
- डीपीई ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए सीपीएसईज को नहीं लिखा था।

संक्षेप में, सीपीएसईज द्वारा अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीपीई की भूमिका प्रभावी नहीं थी।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2012) कि जिस मंत्रालय के अधीन सम्बद्ध सीपीएसईज थे उस प्रशासकीय मंत्रालय के वार्षिक परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) में "डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन" को एक अनिवार्य उद्देश्य के रूप में शामिल करवाने के लिए वे केबिनेट सचिवालय (सचिव, निष्पादन प्रबन्धन) को प्रस्ताव भेज रहे थे।

5.5 उद्योग पर स्थाई संसदीय समिति के निदेश

उद्योग पर विभाग सम्बन्धित स्थाई संसदीय समिति ने 19-4-2010 को संसद के समक्ष प्रस्तुत अपनी 216वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि "सीपीएसईज द्वारा कार्यान्वयन नीतियों और दिशानिर्देशों को प्राप्त करने में सार्थक और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए डीपीई को समय-समय पर इसके द्वारा निरूपित नीतियों

* डीपीई ओएम स. 2(70)/80-डीपीई (डब्ल्यूसी)

और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में सीपीएसईज से अनुपालन रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहिए तथा इन पर डीपीई के वार्षिक प्रतिवेदन में अलग से पैराग्राफ शामिल किया जाना चाहिए"।

तदनुसार, जुलाई 2010 तथा जून 2011 में डीपीई ने प्रशासकीय मंत्रालयों को हर वर्ष जून तक सीपीएसईज द्वारा उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। डीपीई ने 5 के अनिवार्य भार के साथ 2012-13 के एमओयूज के एक मानदण्ड के रूप में अपने कुछ दिशानिर्देशों का अनुपालन शुरू किया। तथापि 2013-14 के एमओयू के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुपालन आवश्यक मापदण्ड नहीं होगा, परन्तु अननुपालन की डिग्री/गंभीरता को देखते हुए टास्क फोर्स को 5 तक नकारात्मक अंक की शास्ति लगाने की छूट होगी।

5.6 सिफारिशें

- डीपीई को बेहतर निगमित सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रबन्ध करने चाहिए।
- लेखापरीक्षा में बताए गए अननुपालन के विषयों पर, डीपीई/ प्रशासनिक मंत्रालयों को समय पर उपचारी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

6.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कम्पनी की अपने पण्धारियों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्धता है।

1992 में सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित मुद्दे की जांच की और पाया कि "राज्य" का हिस्सा होने के नाते, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कल्याण राज्य को दिये गये सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए सक्रिय भूमिका निभाये, जो कि उद्यम के वित्तीय स्थिति का विषय होगा। कोपू की सिफारिशों के आधार पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवम्बर 1994 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों में आवश्यक रूप से अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सामान्य मार्गदर्शन के तहत् संगठन के अंतर्नियमों के अनुसार सामाजिक दायित्व कारोबार प्रथाओं का पता लगाने का कार्य निदेशक मंडल पर छोड़ दिया गया।

6.2 सीएसआर पर डीपीई के वर्तमान दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

डीपीई ने 9 अप्रैल 2010 को सीएसआर पर नये दिशानिर्देश जारी किये, जो विशिष्ट और व्यापक थे और जिसमें संबंधित सीपीएसई को सामाजिक और पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ एकीकृत करके सीएसआर के तहत् कारोबार योजना बनाना अपेक्षित था। इन दिशानिर्देशों में सीएसआर के साथ सतत् विकास के लिंक पर ज़ोर दिया और सीएसआर को एक तत्व ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जहां संगठन अपने कार्यकलापों के ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयर धारकों, समुदायों तथा अपने परिचालनों के सभी पहलुओं में पर्यावरण पर प्रभाव की जिम्मेदारी लेकर समाज के हित की सहायता करते हैं।

दिशानिर्देश सीपीएसई द्वारा सीएसआर के लिए कार्यकलापों का जनादेश और कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं तथा कार्यकलापों, परियोजनाओं, व्यय और सीपीएसईज के सीएसआर पहलुओं के प्रलेखन और मानीटरिंग के लिए एक चार्टर के स्वरूप में हैं।

दिशानिर्देशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं विस्तृत रूप से नीचे दी गई हैं:

- ❖ सीपीएसईज को सीएसआर योजनाओं/परियोजनाओं की पहचान के लिए डीपीई द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों पर विचार करना चाहिए।

- ❖ सीएसआर के तहत पहचानी गई परियोजनाएं विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयित की जानी चाहिए और न कि उसके अपने स्टाफ द्वारा।
- ❖ सीपीएसई को सीएसआर कार्यकलापों को डील करने के लिए स्वतंत्र मण्डल, विभाग, अनुभाग, सैल आदि स्थापित करने चाहिए परन्तु स्टाफ का वेतन सीएसआर बजट/व्यय का हिस्सा नहीं होगा।
- ❖ सीएसआर कार्य-कलापों का प्रभाव किसी सीएसआर परियोजना को आरम्भ करने से पहले सीपीएसई द्वारा सृजित किये जाने वाले बेसलाइन डाटा के संदर्भ में बेहतर संभावित सीमा तक परिमाणित किया जाना चाहिए।
- ❖ सीएसआर दृष्टिकोण, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यय, खरीद आदि से संबंधित अति संविधान दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए (विशेष रूप से इंटरनेट द्वारा)।
- ❖ प्रत्येक सीपीएसई को प्रव्यक्ष और वित्तीय प्रगति से संबंधित तथ्यों सहित सीएसआर कार्यकलापों परियोजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रतिवेदन में अलग से पैराग्राफ/अध्याय शामिल करना चाहिए।

6.3 सीएसआर कार्य-कलापों का मॉनीटरिंग तंत्र

प्रत्येक सीपीएसई और भारत सरकार के संबंद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर प्रत्येक वर्ष हस्ताक्षर किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित एमओयू दिशा-निर्देशों में 5 प्रतिशत अनिवार्य भारिता के साथ "गैर-वित्तीय पैरामीटरों" के अधीन "सीएसआर" को आवश्यक तत्व के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन एमओयू पैरामीटरों में विभाजित किया गया है, अतः प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीपीएसईज़, सीएसआर के अधीन अपना निष्पादन निर्धारित करने के लिए अपने लक्ष्य नियत करते हैं और इन कम्पनियों का निष्पादन नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

6.4 2012-13 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर बजट/व्यय में कमी

डीपीई के सीएसआर पर दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि सीपीएसई बजट निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में एक बोर्ड संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष सृजित किया जाना चाहिए।

सीपीएसईज के प्रकार कर के उपरान्त निवल लाभ (पूर्ण वर्ष)	एक वित्तीय वर्ष में सीएसआर के लिए व्यय रेंज (कर के उपरान्त निवल लाभ का प्रतिशत)
(i) ₹ 100 करोड़ से कम	3% - 5%
(ii) ₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़	2% - 3% (₹ 3 करोड़ के न्यूनतम के अधीन)
(iii) ₹ 500 करोड़ और अधिक	0.5% - 2%

दिशानिर्देशों में पुनः स्पष्ट किया गया था कि बजट की बिना व्यय की गई राशि सीएसआर निधि को हस्तांतरित की जायेगी, जो संचित हो जायेगी और व्यपगत नहीं होगी। हानि उठाने वाले सीपीएसईज़, सीएसआर कार्य-कलापों के लिए अधिदेशित नहीं हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर बजट/व्यय की लेखापरीक्षा समीक्षा 103 सीपीएसईज़ के लिए की गई, जिसने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक निवल लाभ अर्जित किया। निवल लाभ की मात्रा के विभिन्न वर्गों के तहत् कई सीपीएसईज़ के संबंध में सीएसआर पर डीपीई दिशोनिर्देशों के अनुपालन की स्थिति नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

कर के उपरान्त निवल लाभ (2011-12 के दौरान ₹)	डीपीई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम राशि के प्रति सीएसआर पर खर्च की गई/व्यवनबद्ध की गई राशि पर 2012-13 के दौरान डीपीई दिशोनिर्देशों पर सीपीएसईज़ का अनुपालन			
	कुल	न्यूनतम अपेक्षित	कमी	अधिक
	(आंकड़े ‘‘सीपीएसईज़ की संख्या’’ में)			
₹ 500 करोड़ से अधिक	38	3	12	23
₹ 100 करोड़ – ₹ 500 करोड़	23	5	10	8
₹ 10 करोड़ – ₹ 100 करोड़	42	9	19	14
कुल	103	17	41	45

मुख्य 10 सीपीएसईज़ का ब्यौरा, जिन्होने वर्ष 2012-13 के दौरान सीएसआर बजट/व्यय के लिए न्यूनतम अपेक्षा पूरी नहीं की, को नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ	दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय	सीएसआर पर व्यय की गई राशि	सीएसआर के लिए उपलब्ध आरक्षित की गई राशि	न्यूनतम निर्धारित से सीएसआर तुलना में कमी
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(इ)	(च)	(g)=(e+f)-(d)
1	मझगांव डॉक लिमिटेड	494.31	9.89	2.63	0	-7.26
2	ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	962.13	4.81	0	0	-4.81
3	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	822.00	4.11	0	0	-4.11
4	अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	170.98	3.42	0	0	-3.42
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	111.99	3.00	0.02	0	-2.98
6	रेल टेल कार्पोरेशन ऑफ	85.85	2.57	0	0.27	-2.30

	इंडिया					
7	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	71.04	2.13	0	0	-2.13
8	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	111.93	3.00	0.12	0	-2.88
9	भारत डायनोमिक्स लिमिटेड	288.40	5.77	1.32	3.38	-1.07
10	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	126.73	2.53	1.47	0	-1.06

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- ❖ ₹ 10 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले कुल 103 सीपीएसईज़ में से 41 सीपीएसईज़ ने न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। इस प्रकार, कई सीपीएसईज़ के संबंध में अनुपालन लगभग 60 प्रतिशत था।
- ❖ ₹ 10 करोड़ और ₹ 500 करोड़ के बीच लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में अनुपालन आशाप्रद नहीं था क्योंकि 65 सीपीएसईज़ में से 29 ने सीएसआर बजट/व्यय की न्यूनतम अपेक्षाओं का पालन नहीं किया और सीपीएसईज़ की संख्या के संबंध में अनुपालन केवल 55 प्रतिशत था।
- ❖ बड़े सीपीएसईज़ जिन्होंने ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, के बीच अनुपालन तुलनात्मक रूप से आशाप्रद था, इस पर विचार करते हुए कि 38 सीपीएसई में से केवल 12 में कमी थी और 23 सीपीएसईज़ ने सीएसआर के लिए न्यूनतम अपेक्षा से अधिक राशि व्यय/उपलब्ध कराई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार सीएसआर के प्रति खर्च न की गई राशि के लिए लाभ के विनियोजन के रूप में आरक्षित सृजित किया जाए। तथापि, कुछ सीपीएसईज़ आरक्षित के रूप में राशि विनियोजन के बजाय सीएसआर के प्रति खर्च न की गई राशि के लिए देयता के प्रावधान सृजित कर रहे थे। डीपीई सीएसआर के प्रति खर्च न की गई राशि के लिए एकरूप लेखांकन पर बल देने वाली सीसीएसईज़ को निदेश जारी करने पर विचार करें।

6.5 अप्रैल 2013 से सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों में परिवर्तन

डीपीई ने अपने सीएसआर दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जोकि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में बड़ी मात्रा में नीति सामग्री में निषेचन हुआ है। सरकार सहित मुख्य पण्धारकों की अपेक्षाए सीएसआर तथा निरंतरता पर नीतिगत निर्णय को बनाती हैं।

संशोधित दिशानिर्देशों में हुए मुख्य परिवर्तन नीचे दर्शाए गए हैं:

- सीपीएसईज़ से आशा की जाती है कि वे अपने आन्तरिक परिचालनों, कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं के साथ ही साथ बाह्यों के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरता के सभी पहलुओं पर एक समान संतुलित भार बनाते हुए अपनी नीतियों को तैयार करें। पुराने दिशानिर्देश मुख्यतः बाहरी पण्धारकों के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर केन्द्रित थे।

- सीपीएसईज को पिछड़े जिले के विकास के लिए आवश्यक रूप से एक बड़ी परियोजना शुरू करनी है।
- सीपीएसईज से पूरे समय सामाजिक उत्तरदायित्वों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अपने सामान्य कारोबार कार्यकलापों में भी सीपीएसईज को इस प्रकार कारोबार करने का प्रयास करना चाहिए जोकि व्यापार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।
- मंडल स्तरीय समिति तथा एक वरिष्ठ अधिकारी जो मंडल स्तर से नीचे एक रैंक से कम न हो, के नेतृत्व वाले द्विस्तरीय ढांचे जिसका गठन सीपीएसईज हेतु अनिवार्य है, से आशा की जाती है कि उसके पास इतना अधिकार एवं प्रभाव हो जो सीएसआर को चलाने तथा सीपीएसई के स्थिरता एजेंडा को सम्भाल सके।
- सीपीएसईज को वर्ष के लिए सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण कार्यकलापों के लिए आवंटित बजट के पूरी तरह उपयोग न कर पाने के लिए कारण बताने होंगे।
- उनकी संख्या की बजाए उनके आकार तथा प्रभाव के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण परियोजना पर उसकी मापक्रमणीयता पर जोर दिया जाता है।
- संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा कम्पनी द्वारा अपनी सीएसआर तथा निरंतरता बजट से बनाई गई मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति कर्मचारियों को प्रदान की गई है बशर्ते सुविधाएं मूल रूप से बाहरी पणधारकों के लिए अनिवार्य रूप से बनाई गई हों, तथा सीपीएसईज के कर्मचारियों (आन्तरिक पणधारकों) द्वारा सुविधा का उपयोग मात्र प्रासंगिक है तथा लाभधारकों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से कम तक सीमित रहे।
- विगत वर्ष में कर के बाद ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसईज के लिए सीएसआर तथा स्थिरता कार्यकलापों के लिए बजटीय आबंटन पहले 0.5% - ,2% के बीच से 1% - 2% तक बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष ₹ 100 से ₹ 500 करोड़ तक कर के बाद लाभ कमाने वाले सीपीएसईज के लिए, सीएसआर हेतु ₹ 3 करोड़ की बजट की न्यूनतम अपेक्षा हटा दी गई है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी और संयुक्त उद्यम

7.1 सार्वजनिक धन और परिसम्पत्तियों पर विधायी निरीक्षण तंत्र

संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही संसदीय लोकतंत्र का आधार है। संसदीय समितियों के माध्यम से संसद के संवीक्षा और निरीक्षण के कार्य किए जाते हैं। बजटीय निरीक्षण के लिए दो वित्तीय समितियां हैं। यह लोक लेखा समिति (पीएसी) और सार्वजनिक उद्यम समिति (कोपू) हैं।

पीएसी ने विनियोग लेखा और वित्त लेखा, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय और स्वायत्त निकायों के लेखाओं की जांच की। समिति के कार्य “इसके ज्ञान, निष्ठा और अर्थनीति पर व्यय की औपचारिकता से परे” हैं। कोपू ने सार्वजनिक उद्यम के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच की और यह कि क्या सार्वजनिक उद्यमों के मामलों का योग्य व्यवसायिक सिद्धान्तों और विवेकी वाणिज्यिक कार्यप्रणालियों के अनुसार प्रबंधन किया जा रहा है। इन दो वित्तीय समितियों ने सीएजी के प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सरकारी एजेसियों और निगमों के साथ-साथ मंत्रालयों के कार्यों की भी संवीक्षा की।

नई व्यवस्था विशेष रूप से आधारिक संरचना क्षेत्र में विकसित की गई है जिससे पर्याप्त सार्वजनिक निधि और/या परिसम्पत्तियों का उपयोग मध्यवधि या दीर्घावधि से सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम या आर्थिक गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। ये नई व्यवस्थाएं मुख्यतः केन्द्र और राज्य दोनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और/या संयुक्त उद्यम के रूप में हैं। तथापि, यह व्यवस्थाएं संसद के पारस्परिक विधायी निरीक्षण से बाहर हैं।

7.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) एक विशेष समायावधि के लिए निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे निवेश और/या किए जा रहे प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए सरकारी/सांविधिक सत्तव/सरकारी स्वाम्य वाले सत्तव और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के बीच एक व्यवस्था है।

सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी) की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखि हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण और निजी पार्टी के बीच दीर्घावधि अनुबंध
- निजी पार्टी सार्वजनिक सेवा या संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है।
- निजी पार्टी पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और परिचालन जोखिम उठाती है।
- निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक सत्तव के बीच जोखिम का सपरिभाषित आबन्टन है तथा निजी सत्तव निष्पादन संबंधित भुगतान प्राप्त करता है जो विशिष्ट एवं पूर्व निर्धारित निष्पादन मानकों के समनुरूप (अथवा बैंचमार्क हैं) है, जो सार्वजनिक सत्तव अथवा इसके प्रतिनिधियों द्वारा माप योग्य है।

मोटे तौर पर, पीपीपीज को संस्थागत पीपीपीज तथा संविदात्मक पीपीपीज में वर्गीकृत किया जा सकता है।

संस्थागत पीपीपीज सामान्यतयः: दीर्घावधि आधार पर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा जोखिम को साझा करके पीपीपी परियोजनाएं चलाने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र पणधारकों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवीज) हैं। संविदात्मक पीपीपीज सरकारी विभागों अथवा उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा निजी क्षेत्र सत्तवों के मध्य व्यवस्थापन हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र अथवा एक संयुक्त उद्यम (संघ) को एक सुविधा दी जाती हैं जो एक निश्चित समयावधि के लिए पीपीपी का संचालन करता है जिसे 'छूट अवधि' के रूप में जाना जाता है तथा सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से उपभोग्ता प्रभार वसूल करता है एवं/अथवा वार्षिक भुगतान एवं/अथवा व्यवहार्यता अन्तर निधि (वीजीएफ) प्राप्त करता है, अथवा प्रीमियम का भुगतान करता है अथवा लाभ/राजस्व में हिस्सा प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं संविदात्मक पीपीपीज का उदाहरण हैं जो सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों के माध्यम से किये गए हैं।

सीपीएसईज के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए कुछ महत्वपूर्ण पीपीपीज अनुबन्धों का विवरण **परिशिष्ट xxII** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि भूमि इत्यादि के रूप में सरकार/सीपीएसईज के स्वामित्व वाली सार्वजनिक सम्पत्तियाँ पीपीपीज को दी गई थीं, जिनका छूट अवधि के लिए उचित मूल्य निजी संचालक द्वारा निवेश की गई इक्विटी पूँजी की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, व्यापक रूप से जनता संचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए भुगतान करती है, जो सेवा अन्यथा सरकार अथवा सीपीएसई द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी, एवं इस प्रकार जनहित की परियोजनाओं में शामिल होते हैं।

7.3 पीपीज परियोजनाओं पर वैधानिक निरीक्षण तंत्र का अभाव

पीपीपीज में, निजी भागीदार सरकार एवं/अथवा सरकार एजेन्सियों/निगमों द्वारा नियंत्रित महत्वपूर्ण सरकारी निधि/ सम्पत्तियों का उपयोग करते हैं। अतः पीपीपी परियोजनाओं की व्यापक लेखापरीक्षा आवश्यक है, जिसमें संविदा की शर्तों एवं निबन्धनों के पालन तथा सेवाओं की सुपुदर्गी में परियोजना के निष्पादन की उचित जाँच के लिए निजी भागीदारों/जेवी के अभिलेखों तक पहुँच आवश्यक है। सरकार ने अभी तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीपीपी परियोजनाओं के लेखे नियमित रूप से संसदीय निरीक्षण के अधीन हैं, कोई कानून नहीं बनाया है। अभी तक हस्ताक्षरित अधिकतर पीपीपी अनुबंध सीएजी द्वारा व्यापक लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं करते। यदि इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/परियोजनाएँ प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा अथवा इसकी एजेन्सियों/निगमों के माध्यम से अथवा संस्थाओं/संगठनों को अनुदान द्वारा कार्यान्वित की गई है, तो ये सीएजी लेखापरीक्षा के माध्यम से संसद द्वारा संसदीय निरीक्षण के अधीन हैं।

पीपीपी व्यवस्थापन के तहत परियोजनाओं के राजस्व प्रवाह के अनुमान में जोखिम हैं जो सेवाओं के उपभोक्ताओं अथवा एक्सचेकर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो सामान्य तौर पर जनता हैं।

सरकार एवं इसके निगमों के अभिलेखों से सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित कुछ पीपीपी परियोजनाओं ने निजी भागीदारों द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति/संसाधनों के प्रयोग से संबंधित मुद्दे उठाए हैं (सार्वजनिक निजी भागीदारिता इंदिया गांधी अन्तराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली के कार्यान्वयन पर 2012-13 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5 तथा हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहमापन संविदाओं पर 2011-12 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 19 का संदर्भ लें)। यह पीपीपीज के लेखाओं पर संसदीय निरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। पीपीपी में निजी भागीदार को संसदीय निरीक्षण से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है जिनके लिए सार्वजनिक निधि अथवा उपभोक्ताओं (नागरिक) द्वारा उपयोग शुल्क/टैरिफ के भुगतान के माध्यम से भुगतान प्राप्त करता है। सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत ‘जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून द्वारा या इनके अन्तर्गत सीएजी को नहीं सौंपे हैं तो वह राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेश के प्रशासक के अनुरोध पर जैसा भी मामला हो ऐसी निकाय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा।’’ तथापि, अधिनियम की धारा 20(1) शायद ही सरकार द्वारा लागू की गई है, जिससे सार्वजनिक हित के इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर संसदीय निरीक्षण की कमी का पता चलता है। सरकार द्वारा पीपीपी समझौते के उपयुक्त खंड पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार जाना चाहिए कि निजी निकायों के साथ किए गए सभी पीपीपी समझौते में पीपीपी के लेखों को सीएजी व्यापक लेखापरीक्षा के अधीन कर संसदीय निरीक्षण हेतु प्रावधान किया गया है।

पीपीपी द्वारा कार्यान्वित सार्वजनिक परियोजनाओं में सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे को सीमीत करने से, ऐसी परियोजनाओं पर संसद के निरीक्षण का दायरा सीमीत होगा, जोकि सरकार द्वारा न तो वाछनीय है और न ही अभिप्रेत है।

7.4 सीपीएसईज द्वारा संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम (जेवी) एक संविदा संबंधी व्यवस्था है जहाँ दो या अधिक पार्टियाँ संयुक्त नियंत्रण के तहत आर्थिक गतिविधियां करती हैं। जेवी तीन रूपों अर्थात् संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्तव, परिसम्पत्तियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन में हो सकती हैं। संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्तव निगमित सत्तव हो सकते हैं। चूंकि जेवीज के दूसरे प्रकार अर्थात् संयुक्त रूप से परिसम्पत्ति और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन अनिगमित हैं यह भागीदारों के बीच हस्ताक्षर किए गए करार द्वारा शासित होते हैं।

अनिगमित जेवीज के मामले में जेवी भागीदारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जो प्रचालक के रूप में कार्य करने वाले एक उद्यमी के साथ सभी सह उद्यमोंके कार्तव्यों और दायित्वों को अनुबंधित करता है। प्रचालक एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित जेवी के लेखों को प्राप्त करने सहित करार के प्रावधानों के अनुसार जेवीज की सभी गतिविधियों का निष्पपादन करता है और दूसरे उद्यमी प्रचालक जब भी ऐसी मांग की जाए नकद का भुगतान करता है।

कई सरकारी एजेंसियों ने सार्वजनिक निधि/परिसम्पत्तियों के पर्याप्त निवेश वाले अपने उद्देश्यों के अनुसरण में निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम किया है।

7.4.1 जेवीज की लेखापरीक्षा व्यवस्था

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित जेवीज के संबंध में, जो दूसरी कम्पनियों/निगमों के संयोजन में सरकारी कम्पनियों/सरकारी कम्पनी, भारत से बाहर निगमित संबंधित जेवी कम्पनी या सीपीएसईज की सहायकों की दत्त पूँजी का 51 प्रतिशत से कम धारित न हो, सीएजी के पास लेखापरीक्षाकों को नियुक्त करने या ऐसे निगमित जेवीज के लेखों की पूरक/नमूना लेखापरीक्षा करने के लिए कोई शक्ति नहीं हैं। इसी प्रकार, अनिगमित जेवीज के संबंध में सीएजी के पास लेखापरीक्षाकों को नियुक्त करने या अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की भी शक्ति नहीं है क्योंकि विभिन्न सीपीएसईज द्वारा अभी तक हस्ताक्षर किए गए जेवी ठेके, सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

चूंकि सीपीएसई की पर्याप्त निधि विभिन्न जेवीज/विदेशी सहायक कम्पनियों में लगाई गई है, सीएजी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित जेवीज की सीमित समीक्षा की गई थी और लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2009-10 की सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2 में निहित थे। यह बताया गया कि 29 सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम ने ₹ 13,331 करोड़ के कुल निवेश के साथ 296 जेवीज (129 निगमित और 167 अनिगमित जेवीज) का गठन किया था और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने मार्च 2009 के अन्त तक जेवीज/विदेशी सहायक कम्पनियों में ₹ 48,382 करोड़ को निवेश किया था। तथापि, इन जेवीज/विदेशी सहायक कम्पनियों के लेखों में संसदीय निरीक्षण की कमी थी। लेखापरीक्षा ने सीपीएसईज के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा उचित नियामक और सरकारी निरीक्षण तंत्र की स्थापना करने की सिफारिश की और पर्याप्त जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया, तथापि सरकार द्वारा इस मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जेवी/विदेशी सहायक कम्पनियों में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा मार्च 2013 तक किया गया निवेश ₹ 70,761 करोड़ था। इसके अलावा, 84 जेवीज़ में (भारत में निर्गमित 76 जेवीज़ और 8 अनिर्गमित जेवीज) 23 सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 10,300 करोड़ का निवेश देखा गया था जैसा कि परिशिष्ट-XXIII में दिया गया है।

नई दिल्ली

दिनांक :

(उषा शंकर)

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक :

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(जैसा पैरा सं. 1.1.3 में संदर्भित है)

नई/बंद की गई सरकारी कंपनियों/मानी गई सरकारी कंपनियों की सूची

क्रम सं.	कम्पनी का नाम
नई सरकारी कंपनियाँ	
1	बेयरा सियूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
4	कोनकोर एयर लिमिटेड
5	क्रोस बोर्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
6	दरभंगा-मोती पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
7	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
8	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड
9	हाई स्पीड रेल कोरिडोर कारपोरेशन लिमिटेड
10	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
11	झारखण्ड नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
12	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
13	कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड
14	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड
15	नेल्लौर ट्रांसमिशन मिलिटेड
16	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
17	ओएनजीसी पैट्रो एडिशन्स लिमिटेड
18	पनरन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
19	पुरुलिया एवं खडगपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
20	आरएएपी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
21	सेल सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
22	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
23	ऊचाहार मिशन लिमिटेड
नई मानी गई सरकारी कम्पनियाँ	
1	बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि.
2	बीओआई एक्सए ट्रस्टी सर्विसस प्रा. लि.
3	केनारा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कार्मस लाइफ इन्शोरेंस कम्पनी लि.

परिशिष्ट-। (जारी)

4	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कम्पनी लिमिटेड
5	डीएमआईसीडीसी इन्द्रापुर पावर कम्पनी लिमिटेड
6	डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कम्पनी लिमिटेड
7	डीएमआईसीडीसी विले भगद पावर कम्पनी लिमिटेड
8	हार्डिंगोन लिमिटेड
9	हिमाचल कन्सल्टेंसी ओरगेनाइजेशन लिमिटेड
10	आईएफसीआई फेक्ट्रस लिमिटेड
11	आईएफसीआई फाइनैशियल सर्विसेस लिमिटेड
12	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट लिमिटेड
13	आईएफसीआई लिमिटेड
14	आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फण्डस लिमिटेड
15	आईएफआईएन कोमोडिटिस लिमिटेड
16	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
17	आईएफआईएन सिक्यूरिटिज फाइनेंस लिमिटेड
18	आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	मिटकोन कन्सल्टेंसी एड इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रा. लिमिटेड
20	एमपीसीओएन लिमिटेड
21	नोर्थ डिविड्यु टेक्नीकल कन्सल्टेंट्स ओरगेनाइजेशन लिमिटेड
22	राजस्थान कन्सल्टेंसी ओरगेनाइजेशन लिमिटेड
23	ट्रिजम फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
बंद की गई सरकारी कम्पनियाँ	
1	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलोजी एंटरप्रिन्यूशिप एंड मैनेजमेंट
बंद की गई मानित सरकारी कम्पनियाँ	
1	इंडफंड मैनेजमेंट – इंडियन बैंक के साथ विलयन

परिशिष्ट II
(पैरा सं. 1.1.3 एवं 2.3.2 देखें)
बकाया लेखे या परिसमानाधीन कम्पनी
क. सरकारी कम्पनीयां और निगम

क्रम सं./ मंत्रालय/ विभाग का नाम	साक्षेत का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ		
रसायन एवं उर्वरक		
#1.	फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स ट्रावेनकोर लिमिटेड	2012-13
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम		
2.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	2012-13
#3.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	2012-13
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ		
कृषि		
4.	लक्ष्यद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
रसायन एवं उर्वरक		
**5.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2010-11 से 2012-13
**6.	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**7.	बिहार इंग्स एण्ड आग्नेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2009-10 से 2012-13
#8.	एचओसी चेमाट्रूर लिमिटेड	2012-13
**9.	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्रा.) लिमिटेड	2006-07 से 2012-13
10.	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2011-12 और 2012-13
**11.	महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**12.	मणिपुर स्टेट इंग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	अप्रचलित
**13.	उड़ीसा इंग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**14.	स्मथ स्टेनीस्ट्रीट फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**15.	दि साउर्दन पेस्टीसाईड कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
नागर विमानन		
16.	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2012-13
17.	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	2012-13
18.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड	2012-13
19.	एयरलाइन्स एलायड सर्विसेज लिमिटेड	2012-13
20.	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2012-13
21.	एयर इंडिया लिमिटेड	2012-13
22.	पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड	2012-13
23.	वायुदूत लिमिटेड	2012-13

[#] वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखे जो कि सितम्बर 2013 के बाद परन्तु 30 नवम्बर 2013 से पहले प्राप्त हुए।

परिशिष्ट II (जारी)

क्रम सं./ मंत्रालय/ विभाग का नाम	साक्षेत का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए
वाणिज्य एवं उद्योग		
**24.	टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
**25.	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		
#26.	हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
पूर्वांतर क्षेत्र का विकास		
#27.	नोर्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रिकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
वित्त		
28.	इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	2012-13
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम		
#29.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	2012-13
**30.	भारत ब्रेक्स एवं वाल्व्यस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**31.	भारत लेटर कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**32.	भारत ओपथालमिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**33.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#34.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	2012-13
**35.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**36.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#37.	एचएमटी वाचस लिमिटेड	2012-13
**38.	माइनिंग एण्ड एलाइट मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#39.	नेशनल साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	2012-13
**40.	रिहबिलीटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	अप्रचलित
**41.	रेराल बर्न लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#42.	रिचर्ड्सन एंड क्रूडस लिमिटेड	2012-13
**43.	टेन्नरी एंड फूटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**44.	दि मन्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**45.	नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#46.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लिमिटेड	2012-13
47.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	2012-13
**48.	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
विद्युत		
**49.	दरभंगा-मोतिहारी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	लेखे देय नहीं
**50.	पतरन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	लेखे देय नहीं
**51.	पुरुलिया एवं खडगपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	लेखे देय नहीं

परिशिष्ट II (जारी)

क्रम सं./ मंत्रालय/ विभाग का नाम	साक्षेत का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए
**52.	आरएएपी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	लेखे देय नहीं
**53.	डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड	लेखे देय नहीं
रेलवे		
**54.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	लेखे देय नहीं
**55.	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	लेखे देय नहीं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग		
**56.	इडियन रोड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
जहाजरानी		
#57.	सेन्ट्रसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता		
#58.	नेशनल हैंडिकेप्पड़ फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन	2012-13
इस्पात		
**59.	आईआईएससीओ ऊज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कम्पनी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
टेक्स्टाइल		
**60.	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**61.	कानपुर टेक्स्टाइल लिमिटेड	अप्रचलित
62.	दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
#63.	दि काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	2012-13
**64.	दि एलजिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन		
**65.	चंडीगढ़ चाइल्ड एंड यूमेन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08 से 2012-13
#66.	चंडीगढ़ इन्डस्ट्रीयल एण्ड ट्रिज़म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
67.	चंडीगढ़ शेडयूलड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
#68.	दादरा एण्ड नागर हवेली, दमन एंड दीयू एससी/एसटी फाइनेंशियल एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13
#69.	ओमनिबस इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कारपोरेशन आफ दमन, दीयू एण्ड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड	2012-13
शहरी विकास		
#70.	बैंगलोर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13

परिशिष्ट ॥

बकाया पडे लेखे या परिसमापनाधीन/अप्रचलित कम्पनी

(पैरा सं. 1.1.3 एवं 2.3.2 देखें)

ख. मानित सरकारी कम्पनियां

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए
**1.	एक्यूमेजर्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**2.	एलाईड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	अप्रचलित
**3.	बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
**4.	बिहार इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्नीकल कंस्लेटेन्सी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
5.	कलकत्ता-हलदिया पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड	2012-13
6.	चेन्नई-इंनोर पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड	2012-13
**7.	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कम्पनी लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
**8.	डीएमआईसीडीसी इन्द्रपुर पावर कम्पनी लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
**9.	डीएमआईसीडीसी वघेल पावर कम्पनी लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
**10.	डीएमआईसीडीसी विले भगद पावर कम्पनी लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
**11.	एक्सेलसियर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**12.	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#13.	गैस एण्ड पावर इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	2012-13
**14.	हार्डिकोन लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
**15.	हिमाचल कन्सल्टेंसी आग्रेनाइजेशन लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
**16.	इंडिया क्लीयरिंग एण्ड डिपोजिटरी सर्विसेस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**17.	जे एण्ड के इन्डस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल कलजटेंसी आरगेनाइजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
18.	मिनाचिल ट्रिटड रबडवुड (प्रा.) लिमिटेड	2012-13
**19.	मिनेनियम इन्फारमेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#20.	एमपीसीओएन लिमिटेड	2012-13
**21.	नालंदा सिरामिक्स एण्ड इन्डस्ट्रिस लिमिटेड	अप्रचलित
**22.	नार्थ बंगाल डोलोमाईट लिमिटेड	2009-10 से 2012-13
**23.	नार्थ इस्टर्न इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्निकल कंस्लेटेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2010-11 से 2012-13
**24.	नार्थ इंडिया टेक्निकल कन्सल्टेंसी आग्रेनाइजेशन लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
**25.	उडीसा इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्नीकल कंस्लेटेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
26.	पम्बा रबर्स लिमिटेड	2012-13
**27.	पजासी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
28.	पोनुमटी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड	2011-12 और 2012-13
**29.	राजस्थान कन्सल्टेंसी आग्रेनाइजेशन लिमिटेड	लेखे प्राप्त नहीं हुए
#30.	रबर पार्क इन्डिया (प्रा.) लिमिटेड	2012-13

परिशिष्ट II (जारी)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर तक 2013 प्राप्त नहीं हुए
31.	रबरवुड इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड	2012-13
**32.	टेकटाइल्स प्रोसेसिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
33.	यूपी इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्निकल कन्सलटेंस लिमिटेड	2012-13
**34.	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन

परिशिष्ट-III

(पैरा सं. 1.2 देखें)

क. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में इक्विटी नियेश/
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों को दिए गए कर्जे

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेत्र की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
नागर विमानन									
2010-11	1	इक्विटी	655.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.61
		कर्जे	32.28	0.00	0.00	0.00	4.00	638.96	675.24
2011-12	1	इक्विटी	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.56
		कर्जे	0.95	0.00	0.00	0.00	4.00	1457.29	1462.23
2012-13	1	इक्विटी	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.56
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1653.19	1657.19
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
2010-11	2	इक्विटी	2625.16	0.00	0.00	0.00	25.66	4.93	2655.75
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4044.20	4044.20
2011-12	2	इक्विटी	2687.09	0.00	0.00	0.00	25.66	4.94	2717.69
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3959.34	3959.34
2012-13	2	इक्विटी	2710.38	0.00	0.00	0.00	30.44	0.16	2740.97
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत									
2010-11	1	इक्विटी	1728.77	0.00	3291.6	0.00	0.00	0.00	5020.44
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	14135.2	801.78	14937.00
2011-12	1	इक्विटी	1820.67	0.00	3466.2	0.00	0.00	0.00	5286.90
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26	16554.87	16578.12
2012-13	1	इक्विटी	1820.67	0.00	3494.1	0.00	0.00	0.00	5314.82
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	9331.26	12065.81	21397.07
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग									
2010-11	1	इक्विटी	55195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55195.06
		कर्जे	1035.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5539.88	6575.47
2011-12	1	इक्विटी	64785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64785.35
		कर्जे	893.39	0.00	0.00	0.00	659.13	15825.25	17377.77
2012-13	1	इक्विटी	80641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80641.12
		कर्जे	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18247.41	18603.23
जहाजरानी									
2010-11	1	इक्विटी	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट III (जारी)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेत्र की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
सभी मंत्रालयों का जोड़									
2010-11	6	इक्विटी	60205.55	0.00	3291.67	0.00	25.66	4.93	63527.81
		कर्ज	1067.86	0.00	0.00	0.00	14139.22	11024.83	26231.91
2011-12	6	इक्विटी	69950.60	0.00	3466.23	0.00	25.66	4.94	73447.43
		कर्ज	894.33	0.00	0.00	0.00	686.38	37796.75	39377.46
2012-13	6	इक्विटी	85829.67	0.00	3494.15	0.00	30.44	0.16	89354.41
		कर्ज	355.82	0.00	0.00	0.00	9335.26	31966.41	41657.49

परिशिष्ट-III

(पैरा सं. 1.2 देखें)

ख. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश/
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों को दिए गए कर्जे

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
जैव प्रोयोगिकी									
2010-11	1	इक्विटी	25.59	0.00	0.00	0.00	13.07	4.52	43.18
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	25.59	0.00	0.00	0.00	13.07	4.52	43.18
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	25.59	0.00	0.00	0.00	13.07	4.52	43.18
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रसायन एवं उर्वरक									
2010-11	6	इक्विटी	2032.42	11.06	2.59	0.87	14.58	146.85	2208.37
		कर्जे	966.16	38.74	0.00	0.00	47.89	505.22	1558.02
2011-12	6	इक्विटी	2032.41	11.06	2.59	0.87	17.09	144.35	2208.36
		कर्जे	1000.85	18.71	0.00	0.00	347.73	1530.63	2897.92
2012-13	6	इक्विटी	1963.46	11.06	2.59	0.87	74.42	155.97	2208.36
		कर्जे	498.92	13.27	0.00	0.00	2738.89	570.90	3821.99
कोयला									
2010-11	2	इक्विटी	7254.37	0.00	0.00	0.00	79.50	660.21	7994.07
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	2547.50	2826.97	5374.47
2011-12	2	इक्विटी	7254.37	0.00	0.00	0.00	80.18	659.52	7994.07
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.50	2512.02	4794.52
2012-13	2	इक्विटी	7254.37	0.00	0.00	0.00	81.24	658.46	7994.07
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	4730.21	6730.21
वाणिज्य एवं उद्योग									
2010-11	2	इक्विटी	153.94	1.01	0.00	0.00	0.64	4.41	160.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	2	इक्विटी	153.94	0.00	0.00	0.00	1.21	4.85	160.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	2	इक्विटी	153.94	0.00	0.00	0.00	0.31	5.75	160.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट III (जारी)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेत्र की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
2010-11	2	इक्विटी	621.84	300.00	0.31	0.00	132.26	163.59	1218.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2553.97	2553.97
2011-12	2	इक्विटी	621.85	300.00	0.31	0.00	118.52	177.33	1218.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00
2012-13	2	इक्विटी	621.84	300.00	0.31	0.00	132.79	163.05	1218.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	5932.35	1005.00	6937.35
रक्खा									
2010-11	2	इक्विटी	83.19	0.00	0.00	0.00	9.72	28.87	121.77
		कर्ज	0.00	140.90	0.00	0.00	0.00	0.41	141.31
2011-12	2	इक्विटी	83.19	0.00	0.00	0.00	11.03	27.55	121.77
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	138.10	109.61	247.70
2012-13	2	इक्विटी	83.19	0.00	0.00	0.00	10.40	28.19	121.77
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	404.17	93.94	498.11
वित्त									
2010-11	1	इक्विटी	13.25	0.00	0.00	0.00	0.74	8.21	22.20
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	13.25	0.00	0.00	0.00	0.37	8.58	22.20
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	13.25	0.00	0.00	0.00	0.37	8.58	22.20
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
2010-11	6	इक्विटी	2230.09	0.00	0.00	0.00	3.15	206.07	2439.31
		कर्ज	2520.31	4.30	6.15	0.00	289.19	673.00	3492.95
2011-12	6	इक्विटी	1789.59	0.00	0.00	0.00	64.28	585.43	2439.31
		कर्ज	2124.96	0.00	0.00	0.90	1740.65	819.04	4685.55
2012-13	6	इक्विटी	1808.58	0.00	0.00	0.00	23.50	607.22	2439.31
		कर्ज	2480.50	0.00	0.00	0.00	2669.28	213.75	5363.52
खान									
2010-11	2	इक्विटी	1583.71	0.00	0.00	0.00	66.49	101.03	1751.23
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	2	इक्विटी	1583.71	0.00	0.00	0.00	67.79	99.73	1751.23
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	2	इक्विटी	1479.44	0.00	0.00	0.00	137.54	134.26	1751.23
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट III (जारी)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेत्र की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस									
2010-11	10	इक्विटी	6510.78	2397.80	5.82	0.00	593.71	1502.69	11010.80
		कर्ज	21.25	1723.75	274.26	2278.8	10688.4	19024.81	34011.39
2011-12	10	इक्विटी	6300.57	2503.28	5.82	91.89	836.58	1268.06	11006.21
		कर्ज	496.50	1745.13	0.00	0.00	13454.1	24732.45	40428.18
2012-13	10	इक्विटी	6721.96	2429.90	8.93	0.00	1014.82	1548.23	11723.84
		कर्ज	269.35	4943.14	0.00	0.00	1935.00	46997.33	54144.82
ऊर्जा									
2010-11	6	इक्विटी	25161.42	0.00	1055.0	0.00	1082.07	4149.29	31447.79
		कर्ज	1036.13	5259.25	0.00	0.00	44797.7	197049.45	248142.59
2011-12	6	इक्विटी	25104.03	0.00	1055.0	0.00	1011.99	4448.92	31619.95
		कर्ज	1413.58	2877.16	0.00	0.00	50072.6	230858.91	285222.26
2012-13	6	इक्विटी	24320.77	0.00	1055.0	0.00	1464.37	4779.88	31620.04
		कर्ज	1676.74	107.85	0.00	0.00	50399.7	295550.61	347734.96
रेलवे									
2010-11	2	इक्विटी	91.87	0.00	0.00	0.00	8.48	39.53	139.88
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	2	इक्विटी	91.87	0.00	0.00	0.00	8.31	39.70	139.88
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.20	687.20
2012-13	2	इक्विटी	101.74	0.00	0.00	0.00	6.18	41.85	149.78
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.42	817.42
जहाजरानी									
2010-11	2	इक्विटी	318.94	0.00	0.00	0.00	17.93	156.93	493.80
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	4501.65	4715.15
2011-12	2	इक्विटी	318.94	0.00	0.00	0.00	91.23	83.63	493.80
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	617.73	5178.02	5795.75
2012-13	2	इक्विटी	318.94	0.00	0.00	0.00	91.21	83.66	493.80
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	2596.05	4946.69	7542.74
इस्पात									
2010-11	5	इक्विटी	4664.30	0.76	0.00	0.00	252.97	412.80	5330.83
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	8912.25	10162.25
2011-12	5	इक्विटी	4650.14	0.76	14.17	0.00	141.24	524.65	5330.96
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	4003.15	7584.25	11587.40
2012-13	5	इक्विटी	4370.09	0.76	14.17	0.00	202.18	743.76	5330.96
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	13175.55	13485.55

परिशिष्ट III (जारी)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेत्र की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
पर्यटन									
2010-11	1	इक्विटी	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	85.77
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	85.77
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	85.77
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शहरी विकास									
2010-11	1	इक्विटी	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	120.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़									
2010-11	51	इक्विटी	50914.70	2710.63	1063.74	0.87	2275.30	7591.75	64557.00
		कर्ज	4543.85	7166.95	280.41	2278.88	59834.29	236047.73	310152.10
2011-12	51	इक्विटी	50222.45	2815.10	1077.90	92.76	2462.88	8083.60	64754.68
		कर्ज	5035.88	4640.99	0.00	0.90	72656.57	281012.13	363346.48
2012-13	51	इक्विटी	49424.16	2741.72	1081.01	0.87	3252.40	8982.14	65482.31
		कर्ज	4925.51	5064.26	0.00	0.00	68985.50	368101.39	447076.67

परिशिष्ट-III

(पैरा सं. 1.2 देखें)

ग. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश/
असूचीगत सरकारी कम्पनियों को दिए गए कर्जे

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
कृषि									
2010-11	3	इक्विटी	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.61
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	4	इक्विटी	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.61
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	33.25
2012-13	4	इक्विटी	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.61
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40
परमाणु ऊर्जा									
2010-11	5	इक्विटी	14843.43	30.00	0.00	0.00	0.00	9.11	14882.54
		कर्जे	5880.84	0.00	0.00	0.00	9186.00	2853.62	17920.46
2011-12	5	इक्विटी	15756.54	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15816.54
		कर्जे	5047.49	0.00	0.00	0.00	5786.00	3798.85	14632.34
2012-13	5	इक्विटी	15931.20	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16051.20
		कर्जे	4824.73	0.00	0.00	0.00	5786.00	4750.24	15360.97
जैव प्रौद्योगिकी									
2010-11	1	इक्विटी	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	18.79
		कर्जे	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.01
2011-12	1	इक्विटी	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	18.79
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	18.79
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रसायन एवं उर्द्धरक									
2010-11	15	इक्विटी	2114.83	324.41	32.47	5.52	0.00	245.77	2723.00
		कर्जे	12675.76	39.19	43.00	0.00	134.31	7647.97	20540.24
2011-12	15	इक्विटी	2114.82	811.37	86.16	5.53	0.00	288.43	3306.31
		कर्जे	12322.28	171.89	43.00	0.45	653.04	402.82	13593.48
2012-13	15	इक्विटी	2118.37	988.13	105.80	7.98	0.00	129.89	3350.16
		कर्जे	9859.46	423.88	43.00	0.45	89.77	1623.22	12039.77

परिशिष्ट III (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
नागर विमानन									
2010-11	8	इक्विटी	2270.27	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.99
		कर्ज	15.97	117.09	0.00	0.00	12863.84	3086.96	16083.86
2011-12	8	इक्विटी	3470.27	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3699.99
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	26806.25	6355.32	33161.66
2012-13	8	इक्विटी	3470.27	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3699.99
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	26806.25	6355.32	33161.66
कोयला									
2010-11	10	इक्विटी	0.00	6377.80	0.00	0.00	0.00	3.77	6381.56
		कर्ज	0.00	2113.55	0.00	0.00	8.98	1000.71	3123.24
2011-12	11	इक्विटी	0.00	6458.80	0.00	0.00	0.00	12.82	6471.61
		कर्ज	0.00	244.91	0.00	0.00	729.00	14563.51	15537.42
2012-13	11	इक्विटी	0.00	8984.76	0.00	0.00	0.00	50.86	9035.61
		कर्ज	0.00	194.64	0.00	0.00	806.65	595.48	1596.77
वाणिज्य एवं उद्योग									
2010-11	8	इक्विटी	972.25	3.76	10.00	0.25	20.00	10.52	1016.78
		कर्ज	0.00	24.34	0.00	6.23	0.00	0.00	30.58
2011-12	8	इक्विटी	972.25	3.76	10.00	0.25	20.00	10.52	1016.78
		कर्ज	0.00	24.12	0.00	6.23	0.00	0.00	30.35
2012-13	8	इक्विटी	1112.25	3.76	10.00	0.25	20.00	10.52	1156.78
		कर्ज	0.00	24.12	0.00	6.23	0.00	0.00	30.35
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
2010-11	4	इक्विटी	12545.20	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12548.08
		कर्ज	1845.74	0.08	0.00	0.00	39.50	0.00	1885.32
2011-12	4	इक्विटी	12545.20	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12548.08
		कर्ज	983.18	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	1020.68
2012-13	5	इक्विटी	12605.20	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12608.08
		कर्ज	1703.18	0.00	0.00	0.00	42.10	0.00	1745.28
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
2010-11	1	इक्विटी	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
		कर्ज	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214.68	310.30
2011-12	1	इक्विटी	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट III (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
रक्खा									
2010-11	8	इक्विटी	756.75	33.44	0.00	0.00	1.32	0.59	792.09
		कर्ज	35.17	0.94	0.00	0.00	5.00	81.75	122.86
2011-12	8	इक्विटी	760.75	33.44	0.00	0.00	1.32	0.59	796.09
		कर्ज	19.80	0.00	0.00	0.00	1.91	93.00	114.71
2012-13	8	इक्विटी	760.75	33.44	0.00	0.00	1.32	0.59	796.09
		कर्ज	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102.55	112.35
पूर्वान्तर क्षेत्र का विकास									
2010-11	2	इक्विटी	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
		कर्ज	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15
2011-12	2	इक्विटी	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
		कर्ज	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09
2012-13	2	इक्विटी	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
		कर्ज	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
पर्यावरण एवं वन									
2010-11	1	इक्विटी	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
		कर्ज	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.83
2011-12	1	इक्विटी	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
		कर्ज	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.21
2012-13	1	इक्विटी	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
		कर्ज	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.79
वित्त									
2010-11	10	इक्विटी	3205.05	0.19	0.00	0.00	0.00	0.06	3205.30
		कर्ज	323.87	0.00	0.00	0.00	2500.00	20342.88	23166.75
2011-12	12	इक्विटी	3730.05	0.19	0.00	0.00	2.75	0.56	3733.55
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	22771.66	23721.66
2012-13	16	इक्विटी	4181.05	13.19	0.00	0.00	2.80	7.66	4204.70
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20718.19	20718.19
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण									
2010-11	3	इक्विटी	24.96	0.00	0.98	0.00	0.00	9.00	34.94
		कर्ज	0.65	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.82
2011-12	3	इक्विटी	85.96	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	86.94
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55	18.55
2012-13	4	इक्विटी	235.96	178.00	0.98	0.00	0.00	0.01	414.95
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65	52.65

परिशिष्ट III (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
2010-11	30	इक्विटी	2696.68	919.15	4.47	2.57	0.24	119.04	3742.15
		कर्ज़	3373.23	565.16	2.14	0.00	6.03	258.20	4204.76
2011-12	30	इक्विटी	2345.73	919.15	4.47	6.00	0.00	558.82	3834.17
		कर्ज़	2226.12	50.42	67.67	1.00	0.00	353.55	2698.76
2012-13	30	इक्विटी	2387.40	919.15	4.47	6.00	0.00	577.07	3894.09
		कर्ज़	2284.08	283.73	107.30	0.43	0.78	673.72	3350.03
ग्रह मामले									
2010-11	1	इक्विटी	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन									
2010-11	2	इक्विटी	2136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.67
		कर्ज़	52.96	0.00	0.00	0.00	6311.01	9314.69	15678.66
2011-12	2	इक्विटी	2136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.67
		कर्ज़	52.96	0.00	0.00	0.00	3451.07	10218.96	13722.99
2012-13	2	इक्विटी	2136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.67
		कर्ज़	23.62	0.00	0.00	0.00	1627.35	11853.43	13504.40
मानव संसाधन विकास									
2010-11	1	इक्विटी	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50
सूचना एवं प्रसारण									
2010-11	2	इक्विटी	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
		कर्ज़	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2011-12	2	इक्विटी	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	3	इक्विटी	46.76	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46.81
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45

परिशिष्ट III (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
खान									
2010-11	2	इक्विटी	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.61
		कर्ज	1177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1177.85
2011-12	2	इक्विटी	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.61
		कर्ज	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.81
2012-13	3	इक्विटी	170.61	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	170.62
		कर्ज	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.23
अल्प संख्यक मामले									
2010-11	1	इक्विटी	760.36	0.00	172.81	0.00	0.00	0.00	933.17
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	875.36	0.00	196.83	0.00	0.00	0.01	1072.19
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	975.00	0.00	222.21	0.00	0.00	0.01	1197.22
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नई एवं नवीकरण ऊर्जा									
2010-11	1	इक्विटी	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.60
		कर्ज	239.08	0.00	0.00	0.00	415.44	1820.67	2475.19
2011-12	1	इक्विटी	639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.60
		कर्ज	233.03	0.00	0.00	0.00	570.33	3340.47	4143.83
2012-13	1	इक्विटी	699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.60
		कर्ज	248.15	0.00	0.00	0.00	497.90	4170.58	4916.63
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस									
2010-11	11	इक्विटी	24.10	3117.79	93.57	3.12	0.00	981.10	4219.68
		कर्ज	0.00	18014.61	0.00	0.00	379.33	2622.06	21016.00
2011-12	12	इक्विटी	24.10	3274.29	93.57	4.16	0.00	1715.07	5111.19
		कर्ज	0.00	17766.85	0.00	0.00	0.00	2945.42	20712.26
2012-13	14	इक्विटी	24.10	9912.41	95.90	34.85	0.00	2694.97	12762.24
		कर्ज	0.00	12331.46	0.00	0.00	378.40	4157.88	16867.74
विद्युत									
2010-11	23	इक्विटी	5730.43	1850.83	2052.64	104.79	0.00	654.40	10393.09
		कर्ज	15.31	894.04	0.00	0.00	2266.00	4867.07	8042.41
2011-12	33	इक्विटी	5846.93	2371.33	2062.69	297.66	0.00	361.21	10939.83
		कर्ज	222.03	6159.22	2.10	89.35	717.64	1419.02	8609.37
2012-13	40	इक्विटी	6022.79	2776.67	2083.85	571.15	0.00	893.61	12348.06
		कर्ज	242.30	5561.08	2.10	209.35	4031.02	242.41	10288.27

परिशिष्ट III (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
रेलवे									
2010-11	15	इक्विटी	9311.30	185.84	445.42	7.00	0.00	52.02	10001.58
		कर्ज़	2535.96	34.32	187.40	0.00	7209.55	34729.66	44696.89
2011-12	16	इक्विटी	10315.22	195.84	445.42	7.00	0.00	329.77	11293.25
		कर्ज़	4233.46	50.92	187.18	0.00	10003.46	41067.11	55542.14
2012-13	19	इक्विटी	12167.91	362.91	445.42	7.00	0.00	631.80	13615.04
		कर्ज़	6215.02	9.72	4.84	0.00	2944.40	52395.18	61569.14
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी									
2010-11	2	इक्विटी	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.69
		कर्ज़	20.82	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
2011-12	2	इक्विटी	59.19	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.19
		कर्ज़	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05	58.37
2012-13	5	इक्विटी	61.19	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29
		कर्ज़	15.73	0.00	0.00	0.00	38.53	0.67	54.93
जहाजरानी									
2010-11	6	इक्विटी	1348.36	110.00	0.15	0.00	0.00	240.00	1698.51
		कर्ज़	1003.51	0.00	0.00	0.00	336.49	346.73	1686.73
2011-12	6	इक्विटी	1308.36	110.00	0.15	0.00	0.00	240.00	1658.51
		कर्ज़	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	371.58	751.16
2012-13	6	इक्विटी	1269.22	110.00	0.15	0.00	0.00	240.00	1619.36
		कर्ज़	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	395.35	781.99
लघु उच्चोग									
2010-11	1	इक्विटी	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.99
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	57.20
2011-12	1	इक्विटी	387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.99
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	59.69	0.00	59.69
2012-13	1	इक्विटी	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.99
		कर्ज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.69	67.69
सामाजिक नवाया एवं अधिकारिता									
2010-11	5	इक्विटी	1667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.91
		कर्ज़	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53
2011-12	5	इक्विटी	1887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.91
		कर्ज़	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	42.83
2012-13	5	इक्विटी	2090.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2090.56
		कर्ज़	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	44.62

परिशिष्ट III (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षे उ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
अंतरिक्ष									
2010-11	1	इक्विटी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.30	1180.30
2012-13	1	इक्विटी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.35	1110.35
इस्पात									
2010-11	7	इक्विटी	8049.53	6.75	0.00	1.52	0.00	0.20	8057.99
		कर्ज	1052.64	0.00	0.00	0.00	559.13	75.00	1686.77
2011-12	9	इक्विटी	7936.93	7.18	0.00	2.72	0.00	0.20	7947.04
		कर्ज	1166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82	1192.94
2012-13	11	इक्विटी	6549.77	7.34	0.00	2.72	0.00	0.81	6560.65
		कर्ज	42.99	0.00	0.00	0.00	1242.75	0.00	1285.74
कपड़ा									
2010-11	14	इक्विटी	3215.09	18.18	7.28	0.00	0.98	17.67	3259.20
		कर्ज	934.85	28.49	7.37	0.00	0.00	0.00	970.72
2011-12	14	इक्विटी	3215.09	18.23	7.28	0.00	0.98	17.61	3259.19
		कर्ज	1023.86	35.35	14.49	0.00	0.00	0.00	1073.70
2012-13	14	इक्विटी	3215.09	18.23	7.28	0.00	0.98	17.61	3259.19
		कर्ज	624.53	39.18	12.91	0.00	0.00	0.00	676.63
पर्यटन									
2010-11	8	इक्विटी	0.88	8.59	0.49	3.14	0.00	0.10	13.19
		कर्ज	0.00	2.80	0.00	0.00	2.86	0.00	5.66
2011-12	8	इक्विटी	0.88	8.59	0.49	3.14	0.00	0.10	13.19
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90
2012-13	8	इक्विटी	0.88	8.47	0.49	3.25	0.00	0.10	13.19
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	3.13	1.96	0.35	5.44
जनजाति मामले									
2010-11	1	इक्विटी	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.33
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.33
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	1	इक्विटी	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
		कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट III (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेत्र की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन									
2010-11	6	इक्विटी	60.24	1.00	9.12	0.00	0.00	0.00	70.35
		कर्जे	0.00	0.00	1.90	0.00	1.13	0.00	3.03
2011-12	6	इक्विटी	60.14	1.00	9.61	0.00	0.00	4.60	75.35
		कर्जे	0.98	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	2.30
2012-13	6	इक्विटी	64.75	1.00	9.61	0.00	0.00	0.00	75.36
		कर्जे	0.98	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
शहरी विकास									
2010-11	4	इक्विटी	5947.64	0.00	6568.85	0.00	0.00	1893.39	14409.87
		कर्जे	16238.47	0.00	2940.72	25.10	0.00	848.07	20052.35
2011-12	4	इक्विटी	7858.26	0.00	8399.47	0.00	0.00	1170.90	17428.62
		कर्जे	18878.34	0.00	4387.72	0.00	362.45	2063.37	25691.87
2012-13	5	इक्विटी	10293.77	0.00	10293.7	0.00	0.00	962.89	21550.43
		कर्जे	18180.84	0.00	5093.44	209.25	3663.70	2763.85	29911.08
जल संसाधन									
2010-11	3	इक्विटी	197.80	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	198.85
		कर्जे	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2011-12	3	इक्विटी	198.80	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	199.85
		कर्जे	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73
2012-13	3	इक्विटी	203.80	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	204.85
		कर्जे	0.00	0.00	78.59	0.00	0.00	50.10	128.69
सभी मंत्रालयों का जोड़									
2010-11	226	इक्विटी	79354.26	13220.31	9399.27	127.91	22.54	4242.99	106367.29
		कर्जे	47703.31	21835.09	3182.53	31.33	42234.76	90168.42	205155.45
2011-12	245	इक्विटी	85212.25	14506.76	11318.15	326.46	25.05	4717.47	116106.14
		कर्जे	47346.41	24503.67	4702.16	98.35	50128.34	111069.33	237848.35
2012-13	270	इक्विटी	89782.96	24671.21	13280.97	633.20	25.10	6224.63	134618.09
		कर्जे	45156.07	18869.13	5342.18	428.84	47957.56	112088.65	229842.52
सकल जोड़									
2010-11	283	इक्विटी	190474.51	15930.94	13754.68	128.78	2323.50	11839.67	234452.10
		कर्जे	53315.02	29002.04	3462.94	2310.21	116208.27	337240.98	541539.46
2011-12	302	इक्विटी	205385.30	17321.86	15862.28	419.22	2513.59	12806.01	254308.25
		कर्जे	53276.62	29144.66	4702.16	99.25	123471.29	429878.21	640572.29
2012-13	327	इक्विटी	225036.79	27412.93	17856.13	634.07	3307.94	15206.93	289454.81
		कर्जे	50437.40	23933.39	5342.18	428.84	126278.32	512156.45	718576.68

परिशिष्ट-IV
(पैरा सं. 1.2.3 और 1.3.3 देखें)
मानित सरकारी कम्पनियां

(₹ करोड़ में)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं राज्य पीएसईज़	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
कृषि आधारित उद्योग										
1 मीनाचील ट्रीटेड रबरवूड (प्रा.) लिमिटेड										
2010-11	1.82	0.00	0.39	0.00	1.43	3.72	-1.90	2.95	-0.12	0.00
2011-12	1.82	0.00	0.39	0.00	1.43	3.96	-2.14	2.80	-0.17	0.00
*2012-13	1.82	0.00	0.39	0.00	1.43	3.96	-2.14	2.80	-0.17	0.00
2 पम्बा रबर्स लिमिटेड										
2010-11	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	1.87	-0.68	45.86	0.12	0.00
2011-12	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	2.12	-0.93	43.56	-0.24	0.00
*2012-13	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	2.12	-0.93	43.56	-0.24	0.00
3 पोनमुदी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड										
2010-11	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	5.16	-3.88	2.15	-0.08	0.00
*2011-12	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	5.16	-3.88	2.15	-0.08	0.00
*2012-13	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	5.16	-3.88	2.15	-0.08	0.00
4 रबर पार्क इंडिया (प्रा.) लिमिटेड										
2010-11	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	29.68	7.30	-0.47	0.00
2011-12	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	27.88	9.18	-1.73	0.00
2012-13	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	27.06	12.43	-0.82	0.00
5 रबरवूड इंडिया (प्रा.) लिमिटेड										
2010-11	3.53	0.00	0.34	0.00	3.19	15.08	-11.55	9.87	-3.03	0.00
2011-12	3.53	0.00	0.34	0.00	3.19	16.57	-13.04	8.83	-2.89	0.00
*2012-13	3.53	0.00	0.34	0.00	3.19	16.57	-13.04	8.83	-2.89	0.00
कोल एवं लिग्नाइट										
6 इन्टरनेशनल कोल वैर्चर्स प्रा. लिमिटेड										
2010-11	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2011-12	13.80	9.80	0.00	0.00	4.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2012-13	21.40	9.80	0.00	0.00	11.60	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
7 एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड										
2010-11	500.00	445.00	55.00	0.00	0.00	0.04	499.96	0.00	0.00	0.00
2011-12	841.50	445.00	55.00	0.00	341.50	0.04	841.46	0.00	0.00	0.00
2012-13	1242.00	1068.00	132.00	0.00	42.00	0.04	1241.96	0.00	0.00	0.00
संवीदा एवं निर्माण सेवाएं										
8 कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	200.00	100.00	8.00	0.00	92.00	0.00	298.67	300.54	41.42	20.00
2011-12	250.00	125.00	10.00	0.00	115.00	0.00	354.10	380.06	84.49	25.00
2012-13	250.00	125.00	10.00	0.00	115.00	0.00	489.33	501.42	175.90	35.00
9 पीपावव रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड										
2010-11	196.00	98.00	0.00	10.00	88.00	95.03	100.97	89.56	3.45	0.00
2011-12	196.00	98.00	0.00	10.00	88.00	35.33	160.67	151.28	55.30	0.00
2012-13	196.00	98.00	0.00	10.00	88.00	0.00	206.99	178.98	46.41	0.00

* अपनाये गये अनंतिम आंकड़े

परिशेष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं पीएसईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
वित्तीय सेवाएं										
10 कृषि विकास वित् (तमिलनाडु) लिमिटेड										
2010-11	9.98	0.00	1.80	7.78	0.40	0.00	11.12	0.57	0.92	0.00
2011-12	9.98	0.00	1.80	7.78	0.40	0.00	12.35	2.66	0.93	0.00
2012-13	9.98	0.00	1.80	7.78	0.40	0.00	13.12	1.11	0.77	0.00
11 कृषि वित् निगम लिमिटेड										
2010-11	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.71	49.78	1.33	0.00
2011-12	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	22.59	56.43	2.75	0.75
2012-13	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	24.27	20.82	1.68	0.00
12 आलबैंक फाईनैंस लिमिटेड										
2010-11	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	47.36	5.59	2.80	0.00
2011-12	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	50.26	1.11	2.90	0.00
2012-13	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	53.89	1.41	3.63	0.00
13 आंध्र बैंक फाइनैशियल सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	17.60	-12.60	0.96	0.71	0.00
2011-12	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12.69	-7.69	1.47	4.92	0.00
2012-13	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.76	-6.76	1.61	0.92	0.00
14 एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड										
2010-11	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	119.06	14.47	8.32	4.90
2011-12	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	121.72	19.91	10.65	4.90
2012-13	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	124.90	20.74	8.88	4.90
15 बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा. लिमिटेड										
2010-11	200.00	100.00	0.00	0.00	100.00	2.79	197.21	0.00	-2.79	0.00
2011-12	400.00	200.00	0.00	0.00	200.00	2.81	397.19	0.00	-0.02	0.00
2012-13	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3.24	596.76	0.00	-0.43	0.00
16 भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड										
2010-11	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1841.97	1443.75	161.77	0.00
2011-12	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1960.99	1402.83	123.60	0.00
2012-13	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2070.20	1519.88	113.73	0.00
17 बीओबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड										
2010-11	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	122.57	10.65	4.06	0.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	129.94	17.70	7.37	0.00
2012-13	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	135.91	15.38	5.97	0.00
18 बीओबी कार्डस लिमिटेड										
2010-11	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	61.56	113.44	59.37	10.27	0.00
2011-12	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	48.76	126.24	58.63	12.80	0.00
2012-13	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	29.54	145.46	54.86	19.23	0.00
19 बीओआई एएक्सर इन्वेस्टमेंट मेनेजरस प्राइवेट लिमिटेड										
2012-13	96.03	48.98	0.00	0.00	47.06	78.23	17.80	1.70	-24.16	0.00
20 बीओआई एएक्सर ट्रस्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड										
2012-13	0.20	0.10	0.00	0.00	0.10	0.19	0.01	0.05	-0.01	0.00

परिशिष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं राज्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
21 बीओआई शेयरहोल्डिंग कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	2.00	0.00	0.00	1.02	0.98	0.00	24.50	12.68	4.98	2.00
2011-12	2.00	0.00	0.00	1.02	0.98	0.00	24.86	8.25	2.68	2.00
2012-13	2.00	0.00	0.00	1.02	0.98	0.00	21.76	9.60	0.68	0.00
22 कैनरा बैंक सिक्योरिटिज लिमिटेड										
2010-11	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	110.93	13.28	6.39	4.00
2011-12	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	115.26	32.80	9.02	4.00
2012-13	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	116.38	23.35	8.09	6.00
23 केनरा रेवको एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	20.10	0.00	0.00	9.85	10.25	0.00	40.91	39.34	6.11	0.00
2011-12	20.10	0.00	0.00	9.85	10.25	0.00	45.10	39.93	4.20	0.00
2012-13	49.85	0.00	0.00	24.43	25.43	0.00	88.40	51.51	13.55	0.00
24 कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड										
2010-11	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	159.98	93.62	18.25	0.00
2011-12	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	173.13	118.12	16.86	3.20
2012-13	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	185.90	95.64	18.61	5.00
25 कैनबैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	119.86	-89.86	0.97	7.37	0.00
2011-12	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	109.32	-79.32	0.00	10.54	0.00
2012-13	30.00	0.00	0.00	29.40	0.60	107.77	-77.77	0.00	1.56	0.00
26 कैनबैंक वैंचर्स कैपिटल फन्ड लिमिटेड										
2010-11	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	8.33	6.37	4.08	0.25
2011-12	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	15.10	10.13	7.06	0.25
2012-13	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	21.12	10.05	7.19	1.00
27 सेंट बैंक होम फाईनेंस लिमिटेड										
2010-11	20.00	1.70	0.00	18.30	0.00	0.00	55.21	28.35	9.39	3.00
2011-12	20.00	1.70	0.00	18.30	0.00	0.00	57.44	34.41	5.71	3.00
2012-13	20.00	1.70	0.00	18.30	0.00	0.00	64.01	42.76	10.06	3.00
28 सेंटबैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.32	36.86	7.23	0.00
2011-12	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	28.17	16.81	10.02	1.00
2012-13	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	34.88	13.29	7.88	1.00
29 कोर्डक्स इण्डिया लिमिटेड										
2011-12	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.19	0.00	0.49	0.00
2012-13	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.78	0.00	0.59	0.00
30 कोर्पबैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड										
2010-11	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	132.58	9.45	6.79	0.00
2011-12	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	138.12	13.81	12.07	5.62
2012-13	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	111.82	11.91	8.57	30.00
31 क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड										
2010-11	9.52	0.00	0.00	6.34	3.18	0.00	302.75	170.87	90.96	6.19
2011-12	28.55	0.00	0.00	13.00	15.55	0.00	377.11	206.29	107.54	28.55
2012-13	28.55	0.00	0.00	13.00	15.55	0.00	423.90	198.77	113.33	57.11

परिशेष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं पीएसईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
32 आईडीबीआई एसैट मैनेजमेंट लिमिटेड										
2010-11	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	26.52	23.48	3.05	-26.52	0.00
2011-12	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	44.16	27.19	8.94	-20.49	0.00
2012-13	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	65.06	21.66	13.72	-20.90	0.00
33 आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	128.10	0.00	0.00	128.10	0.00	0.00	299.17	62.35	4.43	2.56
2011-12	128.10	0.00	0.00	128.10	0.00	0.00	309.84	93.57	25.57	12.81
2012-13	128.10	0.00	0.00	128.10	0.00	0.00	311.74	148.94	24.23	19.21
34 आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड										
2010-11	13.13	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	22.52	143.73	4.69	1.31
2011-12	13.13	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	25.79	184.39	4.04	0.66
2012-13	13.13	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	28.77	184.35	2.98	0.00
35 आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.23	0.17	0.03	0.00
2011-12	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.44	0.46	0.21	0.00
2012-13	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.53	0.51	0.09	0.00
36 आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	6.03	0.00	0.00	6.00	0.03	0.00	51.69	28.97	15.94	3.32
2011-12	6.03	0.00	0.00	6.00	0.03	0.00	65.88	34.58	21.20	6.03
2012-13	6.03	0.00	0.00	6.00	0.03	0.00	80.34	42.53	28.51	12.07
37 आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड										
2012-13	79.36	0.00	0.00	79.36	0.00	0.00	160.19	176.48	19.23	0.00
38 आईएफसीआई फाइनेशियल सर्विसेस लिमिटेड										
2012-13	41.53	0.00	0.00	41.53	0.00	0.00	78.21	19.34	0.96	0.00
39 आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट लिमिटेड										
2012-13	477.10	0.00	0.00	477.10	0.00	0.00	504.77	184.69	11.06	0.00
40 आईएफसीआई लिमिटेड										
2012-13	1925.88	1120.92	0.00	90.21	714.75	0.00	6683.19	2705.85	450.87	166.46
41 आईएफसीआई वेन्चर कैपीटल फण्ड्स लिमिटेड										
2012-13	60.37	0.00	0.00	59.52	0.85	0.00	161.24	78.86	20.71	6.04
42 आईएफआईएन कोमोडिरिज लिमिटेड										
2012-13	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.22	6.29	0.70	0.00
43 आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड										
2012-13	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.49	2.01	0.31	-0.02	0.00
44 आईएफआईएन सिक्योरिटिज फाइनेंस लिमिटेड										
2012-13	30.01	0.00	0.00	30.01	0.00	0.00	33.14	9.49	3.85	0.00
45 आईआईटीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड										
2012-13	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	2.72	0.00
46 इण्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड										
2010-11	10.00	0.00	0.00	7.60	2.40	73.30	-63.30	3.92	-2.92	0.00
2011-12	10.00	0.00	0.00	7.60	2.40	85.79	-75.79	0.38	-12.48	0.00
2012-13	10.00	0.00	0.00	7.60	2.40	94.33	-84.33	0.24	-8.55	0.00

परिशिष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं राज्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
47 इण्डबैंक मर्चनेट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड										
2010-11	44.38	0.00	0.00	28.77	15.60	3.83	40.55	6.58	-9.93	0.00
2011-12	44.38	0.00	0.00	28.77	15.60	3.71	40.66	7.78	0.11	0.00
2012-13	44.38	0.00	0.00	28.77	15.60	2.99	41.39	6.53	0.73	0.00
48 इण्डिया एसएमई एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	100.00	0.00	0.00	99.70	0.30	0.00	103.74	0.95	2.34	0.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	99.70	0.30	0.00	105.28	1.95	1.54	0.00
2012-13	100.00	0.00	0.00	99.70	0.30	0.00	105.78	3.75	0.50	0.00
49 एलआईसी कार्डस सर्विसेस लिमिटेड										
2011-12	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.86	-1.86	0.31	-0.89	0.00
2012-13	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.72	-1.72	1.02	0.14	0.00
50 एलआईसी पैशन फण्ड लिमिटेड										
2010-11	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.27	14.73	0.03	-0.22	0.00
2011-12	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.27	14.73	1.39	-0.15	0.00
2012-13	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.32	29.68	0.59	-0.05	0.00
51 एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड										
2010-11	53.79	0.00	0.00	47.87	5.92	0.00	375.62	1.57	-57.80	0.00
2011-12	53.91	0.00	0.00	12.10	41.81	0.00	372.86	59.86	-2.92	0.00
2012-13	53.93	0.00	0.00	12.10	41.82	0.00	394.29	155.23	21.42	0.00
52 एमपीसीओएन लिमिटेड										
2012-13	1.00	0.80	0.05	0.15	0.00	0.00	4.18	11.70	0.49	0.00
53 नागार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	5.00	0.00	0.00	4.99	0.01	0.00	26.85	14.81	5.79	0.50
2011-12	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	32.66	17.37	6.50	0.60
2012-13	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	39.97	22.53	8.01	0.60
54 नागार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	16.01	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	19.78	2.20	0.09	0.00
2011-12	42.08	0.00	10.36	31.72	0.00	0.00	47.95	17.18	2.10	0.00
2012-13	104.52	0.00	20.36	84.16	0.00	0.00	118.81	43.16	8.43	0.00
55 नेशनल पेमेंट कारपोरेशन लिमिटेड										
2010-11	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	97.75	70.67	27.15	0.00
2011-12	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	124.14	99.11	25.48	0.00
2012-13	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	195.09	136.27	32.20	0.00
56 नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड										
2010-11	100.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	382.08	63.15	45.65	4.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	461.11	99.82	55.20	6.00
2012-13	100.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	518.13	115.30	62.05	7.00
57 पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड										
2010-11	135.01	0.00	0.00	105.35	29.66	0.00	572.28	100.79	30.58	16.20
2011-12	135.01	0.00	0.00	105.32	29.69	0.00	577.65	164.69	21.05	13.50
2012-13	135.01	0.00	0.00	105.10	29.90	0.00	623.10	288.07	61.25	13.50
58 पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड										
2010-11	30.00	0.00	0.00	22.20	7.80	0.00	336.43	358.97	69.37	6.60
2011-12	30.00	0.00	0.00	22.20	7.80	0.00	403.97	454.37	75.20	6.60
2012-13	50.00	0.00	0.00	25.50	24.50	0.00	620.80	642.43	91.51	10.26

परिशिष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं पीएसईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
59 पीएनबी इनवेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.68	10.63	6.72	2.00
2011-12	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	28.34	9.69	5.98	2.00
2012-13	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.78	7.58	4.77	2.00
60 एसबीआई कॉपिटल मार्केट्स लिमिटेड										
2010-11	58.03	0.00	0.00	58.03	0.00	0.00	655.12	633.46	374.73	232.13
2011-12	58.03	0.00	0.00	58.03	0.00	0.00	771.20	462.65	250.98	116.07
2012-13	58.03	0.00	0.00	58.03	0.00	0.00	891.82	528.06	296.00	150.89
61 एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	785.00	0.00	0.00	471.00	314.00	504.00	281.00	713.73	37.94	0.00
2011-12	785.00	0.00	0.00	471.00	314.00	468.47	315.70	713.73	37.94	0.00
2012-13	785.00	0.00	0.00	471.00	314.00	332.00	420.21	1006.70	136.32	0.00
62 एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड										
2010-11	218.18	0.00	0.00	218.18	0.00	0.00	856.58	88712.49	56.94	27.27
2011-12	218.18	0.00	0.00	218.18	0.00	0.00	875.91	98554.22	43.50	20.73
2012-13	218.18	0.00	0.00	218.18	0.00	0.00	910.59	137690.38	80.29	39.27
63 एसबीआई फन्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	50.00	0.00	0.00	31.50	18.50	0.00	277.58	239.76	78.85	29.00
2011-12	50.00	0.00	0.00	31.50	18.50	0.00	304.39	223.65	60.52	29.00
2012-13	50.00	0.00	0.00	31.50	18.50	0.00	344.00	276.34	85.68	38.00
64 एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स लिमिटेड										
2010-11	159.89	0.00	0.00	159.89	0.00	0.00	487.26	237.14	-125.62	2.22
2011-12	159.89	0.00	0.00	159.89	0.00	0.00	421.52	284.50	-115.15	0.00
2012-13	159.89	0.00	0.00	159.89	0.00	0.00	425.16	199.85	3.63	0.00
65 एसबीआई म्युचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	10.44	3.91	2.72	0.00
2011-12	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	13.66	4.41	3.21	0.00
2012-13	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	17.86	5.08	4.20	0.00
66 एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2011-12	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-0.76	0.00
2012-13	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.80	1.20	0.26	-0.04	0.00
67 एसबीआई पैशन फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.07	0.03	0.00	0.00
2011-12	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.26	19.74	0.04	-0.33	0.00
2012-13	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1.00	29.00	0.88	-1.44	0.00
68 एसबीआई एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	80.00	0.00	0.00	52.00	28.00	7.43	72.57	5.93	-1.35	0.00
2011-12	80.00	0.00	0.00	52.00	28.00	7.18	72.82	10.01	0.25	0.00
2012-13	80.00	0.00	0.00	52.00	28.00	6.80	73.20	9.35	0.42	0.00
69 एसआईडीबीआई ट्रस्टीज कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	2.82	0.55	0.52	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.39	0.58	0.57	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.99	0.57	0.60	0.00

परिशिष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं राज्य पीएसईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
70 एसआईडीबीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड										
2010-11	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.70	10.53	5.09	3.75
2011-12	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	21.83	11.97	5.49	3.75
2012-13	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	23.81	14.44	6.37	3.75
71 एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड										
2010-11	14.87	0.00	0.00	9.42	5.45	4.45	10.42	17.24	3.27	0.00
2011-12	14.88	0.00	0.00	9.54	5.33	1.73	13.15	19.23	2.72	0.00
2012-13	14.88	0.00	0.00	9.55	5.33	0.47	14.41	23.31	1.26	0.00
72 एसटीसीआई फाईनेंस लिमिटेड										
2010-11	380.00	0.00	0.00	349.90	30.10	0.00	789.69	8162.31	40.27	30.40
2011-12	380.00	0.00	0.00	349.90	30.10	0.00	800.94	147.88	46.52	30.40
2012-13	380.00	0.00	0.00	349.90	30.10	0.00	842.40	257.54	78.81	30.40
73 सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	3.11	2.37	0.83	0.00
2011-12	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.08	2.24	0.97	0.00
2012-13	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	5.37	2.94	1.29	0.00
74 भारतीय पर्यटन वित्त कारपोरेशन लिमिटेड										
2012-13	80.72	0.00	0.00	53.96	26.75	0.00	420.01	179.87	55.53	9.69
75 यूनियन केबीसी एस्सैट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	95.00	0.00	0.00	48.45	46.55	0.00	107.45	0.00	-5.75	0.00
2011-12	95.00	0.00	0.00	48.45	46.55	12.29	82.71	2.18	-24.74	0.00
2012-13	95.00	0.00	0.00	48.45	46.55	34.26	60.74	5.58	-22.38	0.00
76 यूनियन केबीसी ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.03	0.02	0.04	0.01	0.00	-0.02	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.07	0.01	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.05	0.10	0.02	0.00
77 यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाईजरी सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	10.05	0.91	0.45	0.00
2011-12	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	10.12	0.85	0.21	0.00
2012-13	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	10.46	0.71	0.34	0.00
78 यूटीआई एस्सैट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड										
2010-11	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	848.97	420.40	137.50	34.38
2011-12	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	943.92	388.38	135.15	34.38
2012-13	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	1046.14	427.81	150.80	40.63
79 यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	31.25	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	138.80	125.99	24.10	3.12
2011-12	31.25	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	161.73	134.53	27.18	0.00
2012-13	31.25	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	176.74	139.65	20.46	4.69
80 यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.02	0.34	0.11	0.00
2011-12	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.10	0.25	0.08	0.00
2012-13	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.20	0.27	0.10	0.00

परिशेष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं पीएसईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
भारी उद्योग										
81 एमएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड										
2011-12	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
औद्योगिक विकास										
82 दिल्ली मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड										
2012-13	54.10	4.90	0.00	5.10	44.10	0.00	287.37	0.46	-0.36	0.00
83 इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड										
2010-11	1.00	0.36	0.40	0.00	0.24	0.00	4.19	41.17	2.08	0.05
2011-12	1.00	0.36	0.40	0.00	0.24	0.00	7.14	44.24	3.12	3.12
2012-13	1.00	0.36	0.40	0.00	0.24	0.00	8.33	51.63	1.42	0.20
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श										
84 एपीआईटीसीओ लिमिटेड										
2010-11	0.97	0.00	0.21	0.72	0.04	0.00	17.57	11.94	2.07	0.15
2011-12	0.97	0.00	0.21	0.72	0.04	0.00	19.98	15.12	2.57	0.15
2012-13	1.94	0.00	0.42	1.43	0.09	0.00	21.69	13.15	1.93	0.19
85 कैन्डेंक कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	3.24	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	10.64	12.24	1.26	0.00
2011-12	3.24	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	13.74	20.50	3.10	0.00
2012-13	3.24	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	17.02	24.40	4.30	0.81
86 इंडिया एसएमई टेकनोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	5.10	0.21	0.14	0.00
2011-12	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	5.35	0.46	0.25	0.00
2012-13	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	5.32	0.00	-0.03	0.00
87 आईटीसीओटी कंसल्टेंसी एण्ड सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	0.20	0.00	0.05	0.13	0.02	0.00	6.74	9.28	1.83	0.09
2011-12	0.20	0.00	0.05	0.13	0.02	0.00	7.89	12.25	1.25	0.09
2012-13	0.20	0.00	0.05	0.13	0.02	0.00	8.35	12.27	0.57	0.09
88 केआईटीसीओ लिमिटेड										
2010-11	0.20	0.00	0.02	0.15	0.03	0.00	15.29	20.65	4.87	0.05
2011-12	0.20	0.00	0.02	0.15	0.03	0.00	22.43	28.56	7.20	0.05
2012-13	9.85	0.00	0.84	7.46	1.54	0.00	28.64	34.05	7.92	1.48
89 एमआईटीसीओएन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड										
2012-13	0.50	0.22	0.09	0.00	0.19	0.00	56.01	46.67	9.92	0.25
90 यूपी इंडस्ट्रियल एवं टेक्नीकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड										
2010-11	0.30	0.00	0.00	0.28	0.02	0.00	4.96	8.69	0.60	0.06
2011-12	0.30	0.15	0.02	0.13	0.00	0.00	5.15	9.20	-0.26	0.00
*2012-13	0.30	0.15	0.02	0.13	0.00	0.00	5.15	9.20	-0.26	0.00
91 वेस्ट बंगाल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड										
2010-11	0.15	0.04	0.04	0.06	0.01	0.00	2.72	4.56	0.38	0.03
2011-12	0.15	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	3.17	6.65	0.48	0.03
2012-13	0.18	0.00	0.08	0.10	0.00	0.00	3.68	6.89	0.49	0.04

परिशिष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं राज्य पीएसईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
बीमा										
92 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड										
2010-11	200.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2924.74	1275.92	380.29	20.00
2011-12	200.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1592.11	1320.21	1075.3	25.00
2012-13	200.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1936.77	1476.24	348.21	0.00
93 केनरा एचएसबीसी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड										
2012-13	950.00	0.00	0.00	703.00	247.00	608.99	341.01	1899.09	23.50	0.00
94 इंडिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड										
2010-11	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	338.27	798.13	-64.75	0.00
2011-12	475.00	0.00	0.00	325.00	150.00	59.20	415.80	1294.38	-72.57	0.00
2012-13	475.00	0.00	0.00	325.00	150.00	99.12	375.88	1683.25	-39.58	0.00
95 पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड										
2011-12	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	21.95	0.14	1.21	0.00
2012-13	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	23.22	0.01	1.27	0.00
96 पीएनबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड										
2011-12	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.63	0.37	0.00	0.00	0.00
2012-13	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-0.01	0.00
97 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड										
2010-11	150.00	0.00	0.00	111.00	39.00	0.00	615.28	-6.60	-26.81	0.00
2011-12	150.00	0.00	0.00	111.00	39.00	0.00	519.99	-8.31	-95.35	0.00
2012-13	150.00	0.00	0.00	111.00	39.00	0.00	374.60	50.58	-145.16	0.00
98 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड										
2010-11	1000.00	0.00	0.00	740.00	260.00	0.00	39525.81	12204.47	366.34	0.00
2011-12	1000.00	0.00	0.00	740.00	260.00	0.00	46916.46	12562.48	555.82	50.00
2012-13	1000.00	0.00	0.00	740.00	260.00	0.00	52318.95	9870.70	622.17	50.00
99 स्टार यूनियन दाय-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड										
2010-11	250.00	0.00	0.00	185.00	65.00	0.00	347.88	932.56	-19.97	0.00
2011-12	250.00	0.00	0.00	185.00	65.00	0.00	295.37	1270.53	-51.70	0.00
2012-13	250.00	0.00	0.00	185.00	65.00	0.00	276.93	1066.50	-18.60	0.00
खनिज एवं धातु										
100 दि विसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड										
2010-11	87.29	87.22	0.00	0.03	0.03	87.07	0.22	48.70	-5.45	0.00
2011-12	87.29	87.22	0.00	0.03	0.03	93.93	-6.64	27.23	-6.86	0.00
2012-13	87.29	87.22	0.00	0.03	0.03	112.07	-24.78	24.93	-18.14	0.00
101 दि उडीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड										
2010-11	0.60	0.30	0.00	0.10	0.20	0.00	799.52	39.68	7.72	1.16
2011-12	0.60	0.30	0.01	0.09	0.19	0.00	802.36	1.53	3.44	0.52
2012-13	0.60	0.30	0.00	0.09	0.20	0.00	812.97	0.00	13.95	1.93
पेट्रोलियम										
102 पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड										
2010-11	100.00	49.00	0.00	19.97	31.03	33.93	66.07	49.75	8.91	0.00
2011-12	100.00	49.00	0.00	19.97	31.03	13.58	86.42	63.01	20.34	0.00
2012-13	100.00	49.00	0.00	19.97	31.03	32.41	67.59	90.42	-18.83	0.00

परिशेष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं पीएसईज़ द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
103 पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड										
2010-11	100.00	60.00	0.00	20.00	20.00	40.44	59.56	0.00	-1.47	0.00
2011-12	100.00	60.00	0.00	20.00	20.00	40.69	59.31	0.00	-0.25	0.00
2012-13	100.00	60.00	0.00	20.00	20.00	40.78	59.22	0.00	-0.09	0.00
104 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड										
2010-11	548.70	315.68	0.00	189.64	43.38	167.10	381.60	69.35	-19.44	0.00
2011-12	548.71	359.02	0.00	189.69	0.00	130.60	418.11	71.47	52.78	0.00
2012-13	548.71	359.02	0.00	189.69	0.00	103.29	445.13	83.45	27.30	0.00
विद्युत										
105 अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	1967.99	658.53	658.52	0.00	650.94	38.20	1929.79	47.18	-37.64	0.00
2011-12	2214.03	1089.51	1089.51	0.00	35.01	4.04	2209.99	1406.76	34.15	0.00
2012-13	2417.03	1159.51	1159.51	0.00	98.01	0.00	2590.71	2772.62	177.72	0.00
106 बोकारो पावर सप्लाय कंपनी (प्रा.) लिमिटेड										
2010-11	218.05	168.05	0.00	0.00	50.00	0.00	472.67	622.40	35.35	2.71
2011-12	248.05	168.05	0.00	0.00	80.00	0.00	530.79	671.13	31.27	2.71
2012-13	248.05	168.05	0.00	0.00	80.00	0.00	559.33	737.90	31.70	2.71
107 सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा (प्रा.) लिमिटेड										
2010-11	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.10	0.05	0.00	0.00	0.05	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.10	0.05	0.00	0.00	0.05	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00
108 एनर्जी एफिसियैंसी सर्विसेज लिमिटेड										
2010-11	100.00	2.50	0.00	0.00	97.50	0.00	102.17	1.54	2.17	0.00
2011-12	100.00	2.50	0.00	0.00	97.50	0.00	107.19	2.26	5.02	0.00
2012-13	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53	3.01	6.34	0.00
109 गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड										
2010-11	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	0.55	2.20	175.48	-0.08	0.00
2011-12	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	1.38	1.37	140.85	-0.46	0.00
2012-13	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	2.17	0.58	140.47	-0.79	0.00
110 नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	2.30	8.20	0.00	-0.06	0.00
2011-12	56.38	10.50	0.00	0.00	45.88	2.30	54.08	0.00	0.00	0.00
2012-13	66.74	44.24	11.06	0.00	11.44	2.30	64.45	0.00	0.00	0.00
111 नार्थ इस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड										
2010-11	148.52	30.15	55.92	0.00	62.44	0.00	148.52	0.00	-36.91	0.00
2011-12	281.22	92.04	98.15	0.00	91.03	0.00	281.22	0.00	-105.14	0.00
2012-13	411.40	230.38	181.02	0.00	0.00	0.00	471.68	160.30	60.28	0.00
112 एनटीपीसी ऐल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23	105.11	9.26	2.50
2011-12	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30	143.83	13.06	0.00
2012-13	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.97	113.08	5.66	0.00
113 एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड										
2010-11	1282.00	581.00	581.00	0.00	120.00	1.20	1280.80	0.00	-0.07	0.00
2011-12	1798.00	844.00	844.00	0.00	110.00	2.52	1795.48	0.00	-1.32	0.00
2012-13	2307.21	1143.61	1143.61	0.00	20.00	52.50	2254.71	302.17	-49.98	0.00

परिशिष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं राज्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
----------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------------------	--------

114 एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्रा. लिमिटेड

2010-11	950.50	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.48	1411.85	191.34	104.56
2011-12	950.50	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1266.15	1748.46	194.23	114.06
2012-13	980.50	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1389.34	1866.81	248.06	132.37

115 एनटीपीसी-एससीसीएल ग्लोबल वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड

2010-11	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00

116 रत्ना गिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

2010-11	2297.00	1385.80	411.20	500.00	0.00	145.83	2151.17	4498.94	504.91	0.00
2011-12	2583.36	1553.80	411.20	500.00	118.36	0.00	3383.53	5177.15	1089.2	123.25
2012-13	2916.46	1948.62	467.84	467.00	33.00	0.00	3341.30	2205.72	-375.33	0.00

इस्पात

117 नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

2010-11	681.55	339.74	152.84	0.00	188.98	0.00	1000.09	1531.80	-173.14	0.00
2011-12	602.65	411.14	160.47	21.36	9.69	0.00	997.67	1931.22	29.44	0.00
2012-13	602.65	411.14	160.47	21.36	9.69	0.00	918.53	1481.54	-79.15	0.00

118 आरआईएनएमओआईएल फेरो एलवाईज प्राइवेट लिमिटेड

2010-11	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00

119 सेल एमओआईएल फेरो एलवाईन (प्रा.) लिमिटेड

2010-11	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00
2011-12	4.20	0.20	0.00	0.00	4.00	0.01	4.19	0.00	0.00	0.00
2012-13	4.20	0.20	0.00	0.00	4.00	1.98	2.22	0.00	-1.97	0.00

दूरसंचार सेवाएं

120 तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड

2010-11	45.68	22.38	6.68	7.69	8.92	42.48	3.19	13.64	-6.48	0.00
2011-12	45.68	22.38	6.68	7.69	8.92	55.81	-10.14	10.99	-13.33	0.00
2012-13	45.68	22.38	6.68	7.69	8.92	64.30	-18.62	16.15	-8.48	0.00

व्यापार एवं विपणन

121 सेंट्रल रेलसाईड वेयरहाऊस कंपनी लिमिटेड

2010-11	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	50.91	7.33	1.22
2011-12	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	73.88	13.31	2.03
2012-13	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	83.50	16.47	4.06

परिवहन सेवाएं

122 अहमदाबाद बडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड

2010-11	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	14.09	298.76	115.77	36.31	0.00
2011-12	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	348.56	137.28	49.80	0.00
2012-13	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	301.72	11.13	127.94	-337.43	0.00

123 भरुच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड

2011-12	131.35	32.50	27.06	0.00	71.79	0.84	130.51	2.75	-0.84	0.00
2012-13	143.01	42.90	35.72	0.00	64.39	9.25	133.76	54.19	-8.41	0.00

परिशेष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज़	राज्य सरकार एवं राज्य पीएसईज़	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
124 कलकता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	156.60	69.21	0.00	0.00	87.39	1.79	154.36	0.00	0.00	0.00
2011-12	156.60	69.21	0.00	0.00	87.39	1.79	154.36	0.00	0.00	0.00
*2012-13	156.60	69.21	0.00	0.00	87.39	1.79	154.36	0.00	0.00	0.00
125 चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड										
2011-12	10.00	5.10	4.90	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	10.00	5.10	4.90	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
126 चैनई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	180.80	70.05	30.00	0.00	80.75	0.00	180.09	0.00	0.00	0.00
2011-12	228.95	70.05	30.00	0.00	128.90	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00
*2012-13	228.95	70.05	30.00	0.00	128.90	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00
127 कोचीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	45.00	44.80	0.00	0.00	0.20	2.68	42.09	0.00	-2.68	0.00
2011-12	45.00	44.80	0.00	0.00	0.20	22.53	22.47	6.34	-19.86	0.00
2012-13	45.00	44.80	0.00	0.00	0.20	37.58	7.33	10.06	-15.05	0.00
128 दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्रा. लिमिटेड										
2010-11	164.00	121.36	0.00	0.00	42.64	0.00	198.67	96.05	34.67	0.00
2011-12	164.00	121.36	0.00	0.00	42.64	0.00	186.94	122.75	35.91	41.00
2012-13	164.00	121.36	0.00	0.00	42.64	0.00	193.54	95.36	29.63	19.68
129 कृष्णापट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड										
2011-12	270.00	121.00	35.00	0.00	114.00	0.21	269.79	47.68	-0.21	0.00
2012-13	270.00	121.00	35.00	0.00	114.00	13.36	256.64	31.95	-13.15	0.00
130 मुरादाबाद टोल रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	63.80	-33.80	7.17	-3.45	0.00
2011-12	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	73.44	-43.44	0.00	-9.64	0.00
2012-13	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	124.59	-94.59	0.00	-51.15	0.00
131 मूरमूगांव पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	62.30	43.50	0.00	0.00	18.80	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2011-12	58.40	43.50	0.00	0.00	14.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2012-13	58.40	43.50	0.00	0.00	14.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
132 मुम्बई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	148.66	99.66	9.00	0.00	40.00	0.00	241.98	47.81	7.47	0.00
2011-12	148.66	97.05	9.00	0.00	42.61	0.00	274.70	66.78	32.72	0.00
2012-13	148.66	97.05	9.00	0.00	42.61	0.00	297.11	80.57	22.41	0.00
133 न्यू मंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	78.60	58.95	0.00	0.00	19.65	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
2011-12	96.91	58.95	0.00	0.00	37.96	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00
2012-13	78.60	58.95	0.00	0.00	19.65	0.74	77.86	0.00	-0.74	0.00
134 पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	190.00	150.00	0.00	0.00	40.00	48.94	140.31	17.64	-27.35	0.00
2011-12	190.00	150.00	0.00	0.00	40.00	103.48	86.03	20.42	-54.53	0.00
2012-13	190.00	150.00	0.00	0.00	40.00	146.74	43.26	20.47	-43.27	0.00

परिशिष्ट IV (जारी)

श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूँजी	केन्द्र सरकार और सीपीएईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	राज्य सरकार एवं राज्य पीएसईज द्वारा धारित शेयर पूँजी	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूँजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूँजी	संचित हानि	निवल सम्पत्ति	ब्रिकी/ कुल ब्रिकी	कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	लाभांश
135 सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड										
2010-11	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.16	0.00	-0.04	0.00
2011-12	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03	0.17	0.00	0.01	0.00
2012-13	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.07	0.13	0.00	-0.04	0.00
136 तृतीकोरीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	76.63	69.36	0.00	0.00	7.27	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00
2011-12	84.36	69.36	0.00	0.00	15.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00
2012-13	77.00	76.63	0.00	0.00	0.37	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
137 विशाखापतनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड										
2010-11	37.30	18.70	0.00	0.00	18.60	21.61	15.32	5.40	-3.72	0.00
2011-12	37.30	18.70	0.00	0.00	18.60	23.46	13.84	5.94	-1.85	0.00
2012-13	37.30	18.70	0.00	0.00	18.60	21.65	15.65	9.54	1.81	0.00
सभी सेक्टरों के जोड़										
2010-11 (113)	17446.30	6735.70	1981.46	5873.55	2855.59	1654.59	66071.67	126884.18	2311.99	571.68
2011-12 (121)	19947.81	8055.51	2804.67	5928.53	3159.10	1495.07	76393.20	133312.48	3989.27	722.81
2012-13 (137)	25754.99	11326.19	3421.70	7585.50	3421.60	2577.33	93346.64	175377.30	2701.61	911.28

परिशिष्ट-V
(पैरा सं. 1.2.4 देखे)
क. सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों का बाजार पूँजीकरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2012 को बाजार मूल्य*	31.3.2013 को बाजार मूल्य*	2012-13 के दौरान बाजार मूल्य में बृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31.3.2013 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	2012-13 के दौरान सरकारी शेयर के बाजार मूल्य में की बृद्धि/कमी
जैव प्रौद्योगिकी								
1. भारत इम्युनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड								
	43.18	35.32	52.42	17.10	25.59	20.93	31.06	10.13
रसायन एवं उर्वरक								
2. हिन्दुस्तान आर्गेनीक केमिकल्स लिमिटेड								
	337.27	121.92	73.15	-48.77	309.48	71.66	43.00	-28.66
3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड								
	162.14	143.70	191.71	48.01	95.85	85.50	114.06	28.56
4. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड								
	490.58	3522.35	2185.53	-1336.82	479.00	3439.22	2133.95	-1305.27
5. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड								
	551.69	3125.31	2019.18	-1106.13	441.36	2890.93	1615.36	-1275.57
6. दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवैनकोर लिमिटेड								
	647.07	1950.92	1400.91	-550.01	637.77	1922.86	1380.76	-542.10
कोयला								
7. कोल इंडिया लिमिटेड								
	6316.36	216714.44	195270.41	-21444.03	5684.73	195043.02	175743.36	-19299.66
8. नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड								
	1677.71	14386.36	11056.11	-3330.25	1569.64	13457.60	10342.34	-3115.26
वाणिज्य								
9. एमएमटीसी लिमिटेड								
	100.00	78345.00	19925.00	-58420.00	99.33	77821.03	19791.74	-58029.29
10. दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	60.00	1530.90	815.70	-715.20	54.61	1393.47	742.47	-651.00
संचार								
11. आईटीआई लिमिटेड								
	288.00 ¹	681.12	465.12	-216.00	267.47	632.56	431.96	-200.60
12. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड								
	630.00	1723.05	1159.20	-563.85	354.38	969.21	652.05	-317.16
रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति								
13. भारत इलेट्रोनिक्स लिमिटेड								
	80.00	12185.60	9193.20	-2992.40	60.69	9244.24	6974.15	-2270.09
14. बीईएमएल लिमिटेड								
	41.77	2721.46	606.97	-2114.49	22.50	1465.88	327.94	-1137.94

* बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

¹ ₹ 300 करोड़ के अधिमान्य शेयर पूँजी को छोड़कर

परिशिष्ट V (जारी)

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पैँजी	31.3.2012 को बाजार मूल्य*	31.3.2013 को बाजार मूल्य*	2012-13 के दौरान बाजार मूल्य में बढ़ि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31.3.2013 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	2012-13 के दौरान सरकारी शेयर के बाजार मूल्य में की बढ़ि/कमी
वित्त								
15. बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट लिमिटेड								
	22.20	335.07	425.41	90.34	13.25	199.95	253.86	53.91
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम								
16. एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड								
	489.52	62891.08	43310.28	-19580.80	331.51	42590.75	29330.38	-13260.37
17. भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड								
	1203.35	3113.63	1923.69	-1189.94	760.35	3078.83	1902.18	-1176.65
18. एचएमटी लिमिटेड								
	53.48	139.94	101.36	-38.58	51.50	133.47	97.58	-35.89
खान								
20. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड								
	462.61	24749.58	8576.77	-16172.81	434.91	24647.97	8063.19	-16584.78
21. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड								
	1288.62	14097.49	8543.55	-5553.94	1044.53	12285.61	6925.23	-5360.38
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस								
22. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड								
	168.47	8558.19	5207.36	-3350.83	135.45	1289.45	4186.77	2897.32
23. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड								
	723.08	25282.64	27343.43	2060.79	397.20	13888.10	15020.12	1132.02
24. गेल (इंडिया) लिमिटेड								
	1268.48	47561.56	40483.46	-7078.10	727.41	27274.08	23215.15	-4058.93
25. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड								
	339.01	10278.78	9654.26	-624.52	173.08	5247.69	4934.42	-313.27
26. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड								
	2427.95	63758.03	68334.72	4576.69	1916.16	50318.25	53930.20	3611.95
27. ऑयल एंड नेच्युरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड								
	4277.76	228688.21	266546.29	37858.08	2961.27	158309.67	184516.94	26207.27
28. ऑयल इंडिया लिमिटेड								
	601.14	29687.70	30733.08	1045.38	411.39	23285.44	21032.10	-2253.34
विद्युत								
29. एनएचपीसी लिमिटेड								
	12300.74	24170.96	24478.48	307.52	10623.37	20874.92	21140.50	265.58
30. एनटीपीसी लिमिटेड								
	8245.46	134153.71	117085.59	-17068.12	6184.10	113358.97	87814.20	-25544.77
31. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड								
	1320.02	24286.74	23958.27	-328.47	973.06	17904.33	17661.07	-243.26
32. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	4629.73	49954.74	49051.94	-902.80	3214.02	34679.32	34052.59	-626.73

* बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

परिशिष्ट V (जारी)

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पैँजी	31.3.2012 को बाजार मूल्य*	31.3.2013 को बाजार मूल्य*	2012-13 के दौरान बाजार मूल्य में बढ़ि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31.3.2013 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	2012-13 के दौरान सरकारी शेयर के बाजार मूल्य में की बढ़ि/कमी
33. रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड								
	987.46	20297.22	20553.96	256.74	659.61	13558.22	13729.72	171.50
34. एसजेवीएन लिमिटेड								
	4136.63	8149.15	7859.59	-289.56	2666.61	5253.22	5066.56	-186.66
रेलवे								
35. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	129.98	12263.88	13394.08	1130.20	82.00	7736.68	8449.67	712.99
इस्पात								
36. नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड								
	396.47	63871.57	54534.67	-9336.90	317.19	57487.22	43630.13	-13857.09
37. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	4130.53	38846.42	25753.83	-13092.59	3304.29	33337.81	20602.27	-12735.54
38. एमओआईएल लिमिटेड								
	168.00	4210.92	3728.76	-482.16	120.24	3368.74	2983.01	-385.73
अंतरिक्ष परिवहन								
39. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	28.00	765.10	547.54	-217.56	22.00	601.09	430.17	-170.92
40. दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	465.80	2887.95	1891.14	-996.81	296.94	2103.59	1205.58	-898.01
जोड़		1240922.17	1098881.30	-142040.87		981916.40	830913.16	-151003.24

शेयरों में व्यापार नहीं किया गया: 1. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, 2. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स (मेनुफेक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड, 3. इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, 4. इंडिया ट्रॉजम डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 5. केआईओसीएल लिमिटेड

* बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

ख. सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों का बाजार पूँजीकरण (सहायक)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2012 को बाजार मूल्य	31.3.2013 को बाजार मूल्य	बाजार मूल्य में बढ़ि/कमी	सरकारी कंपनी के शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2012 को नियंत्रक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य	31.3.2012 को नियंत्रक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य	पारित करने वाली नियंत्रक कंपनी द्वारा धारित शेयर का बाजार मूल्य
केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स								
1. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड								
	19.61	24.09	12.33	-11.76	11.06	13.59	6.96	-6.63
पेट्रोलियम								
2. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड								
	149.00	2294.67	1809.27	-485.40	77.27	1189.88	938.77	-251.11
3. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड								
	1752.66	11902.21	8692.89	-3209.32	1552.51	10515.41	7700.44	-2814.97
4. बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड								
	16.29	868.7	986.61	117.91	10.06	536.85	609.72	72.87
जोड़		15089.67	11501.10	-3588.57	1650.90	12255.72	9255.89	-2999.83

शेयरों में व्यापार नहीं किया गया: 1. इस्टर्न इनवेस्टमेंट लिमिटेड

परिशिष्ट-VI

**31 मार्च को निवेश एवं रिटर्न
(जैसा पैरा 1.3 में संदर्भित है)**

क. सांविधिक निगम

मांचलय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा टर्मओवर धारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा टर्मओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए ब्याज के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे परिसरमा के कर्जे तिथा	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसरमा	संचित हानि												
परिवहन सेवाएँ																								
1. एयरपोर्ट आथारिटी ऑफ इंडिया																								
2010-11	655.61	655.61	4870.60	1357.43	846.39	169.30	0.26	8057.38	0.11	8732.62	0.16	675.24	32.28	16025.05	0.00									
2011-12	656.56	656.56	5446.54	1409.64	859.01	171.90	0.26	8814.10	0.10	10276.34	0.14	1462.23	0.94	16795.46	0.00									
2012-13	656.56	656.56	6358.70	1359.16	735.00	147.00	0.22	8868.19	0.08	10525.38	0.13	1657.19	0.00	17339.65	0.00									
उपक्रोक्ता सामग्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण																								
दयापार एवं विपणन																								
2. सेन्ट्रल वेपरहाटसिंग कारपोरेशन																								
2010-11	68.02	37.42	967.20	207.11	136.14	27.19	0.40	1331.03	0.10	1331.03	0.16	0.00	0.00	2172.18	0.00									
2011-12	68.02	37.42	1152.04	165.46	100.46	27.19	0.40	1422.07	0.07	1422.07	0.12	0.00	0.00	2328.00	0.00									
2012-13	68.02	37.42	1316.58	209.66	139.55	27.87	0.41	1598.04	0.09	1598.04	0.13	0.00	0.00	2715.52	0.00									
3. फट कारपोरेशन ऑफ इंडिया																								
2010-11	2587.73	2587.73	25566.56	3198.54	-5.80	0.00	0.00	2157.10	0.00	6201.30	0.52	4044.20	0.00	65036.33	430.00									
2011-12	2649.67	2649.67	26686.92	5162.52	-64.63	0.00	0.00	2155.04	-0.03	6114.38	0.84	3959.34	0.00	79310.57	495.00									
2012-13	2672.95	2672.95	39849.73	6387.72	-4.35	0.00	0.00	2173.96	0.00	2173.96	2.94	0.00	0.00	92956.13	499.00									

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)															
मंत्रालय/ श्रेणी/ कार्यपाली/ वर्ष	इकाइयाँ	भारत सरकार द्वारा धारित इकाइयाँ	बिक्री/ टर्नओवर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	द्वयाज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाउओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश के लिए धन का अनुपात	इकाइयाँ निवल के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	बकाचा कर्जे पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे लिया अनुपात	कुल परिसम्प तिया	संचित हानि			
कर्जा															
4. दामोदर घाटी (निवास)															
2010-11	5020.44	1728.77	5640.62	477.41	-120.23	0.00	0.00	16546.48	-0.01	31483.47	0.02	14937.00	0.00	39749.97	0.00
2011-12	5286.90	1820.67	7440.80	13.17	-58.07	0.00	0.00	15414.15	-0.06	31992.27	0.00	16578.12	0.00	43317.60	0.00
2012-13	5314.82	1820.67	10865.35	1991.54	392.33	0.00	0.00	15445.63	0.03	36842.70	0.05	21397.07	0.00	47662.84	0.00
सुडक परिवहन एवं राजमार्ग															
परिवहन सेवाएं															
5. नेशनल हाईवे अथवा ऑफ इंडिया															
2010-11	55195.06	55195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	69283.25	0.00	75858.72	0.00	6575.47	1035.59	86250.03	0.00	
2011-12	64785.35	64785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	78872.23	0.00	96250.00	0.00	17377.77	8939	108969.03	0.00	
2012-13	80641.12	80641.12	15.41	0.00	0.00	0.00	94728.01	0.00	113331.24	0.00	18603.23	355.82	124224.03	0.00	
जहाजरानी															
परिवहन सेवाएं															
6. इंसेंड वाटरवेज अथवारेटी ऑफ इंडिया															
2010-11	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	507.79	0.00	507.79	0.00	0.00	0.00	567.99	0.00	
2011-12	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	0.00	571.42	0.00	0.00	0.00	616.53	0.00	
2012-13	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	629.25	0.00	629.25	0.00	0.00	0.00	671.97	0.00	

परिशिष्ट-VI (जारी)

परिशिष्ट-VI

31 मार्च को निवेश एवं प्रतिफल
 (जैसा पैग 1.3 में संदर्भित है)
य. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ

(₹ करोड़ में)									
मंगालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	व्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी निवल के लिए धन लाभांश का	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	बकाया पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे परिसम्प्र तियाँ हानि
1 भारत इम्युनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2010-11	43.18	25.59	2.86	-4.15	-4.18	0.00	0.00	15.95	-0.26
2011-12	43.18	25.59	46.34	6.37	12.56	0.00	0.00	28.35	0.44
2012-13	43.18	25.59	172.97	8.86	5.02	0.00	0.00	33.36	0.15
रासायन एवं उत्कर्षक									
2 कोमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स									
2 हिन्दुस्तान फ्लोरिकर्बन्स लिमिटेड									
2010-11	19.61	0.00	33.52	5.06	2.23	0.00	-28.76	-0.08	13.77
2011-12	19.61	0.00	51.60	3.81	2.52	0.00	-24.63	-0.10	-5.93
2012-13	19.61	0.00	44.48	2.01	0.95	0.00	-23.68	-0.04	-10.41
कोमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स									
3 हिन्दुस्तान आर्गेन्टिक केमिकल्स लिमिटेड									
2010-11	337.27	309.48	784.32	46.60	25.72	0.00	90.27	0.28	150.60
2011-12	337.27	309.48	606.70	-54.33	-78.07	0.00	14.00	-5.58	25.57
2012-13	337.27	309.48	624.87	-109.75	-137.99	0.00	0.00	-114.91	1.20

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)										
क्रमांक/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इकाइयाँ	भारत सरकार द्वारा धारित इकाइयाँ	ब्याज और अनुसार के लाभांश कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ हानि	तेखाओं के अनुसार लाभांश का प्रावधान से पहले लाभ/ हानि	इकाइयाँ के लिए धन लाभांश का अनुपात	नियत धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियाजित पूँजी के लिए धन के बाद लाभ का अनुपात	नियाजित लियोजित धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे के लिए धन के बाद लाभ का अनुपात	कुल परिसम्पत्ति तियां हानि संचित
4 मंद्रास फार्टिलाइजर्स लिमिटेड										
2010-11	162.14	95.85	270.07	223.99	169.86	0.00	0.00	-442.67	-0.38	201.08 1.11 643.75 640.23 638.23 605.00
2011-12	162.14	95.85	319.82	171.99	111.99	0.00	0.00	-330.68	-0.34	442.86 0.39 773.54 773.54 809.58 493.00
2012-13	162.14	95.85	424.12	98.05	24.44	0.00	0.00	-306.24	-0.08	-44.19 -2.22 262.04 262.04 913.81 468.00
5 नेशनल फार्टिलाइजर्स लिमिटेड										
2010-11	490.58	479.00	1886.25	213.07	138.50	41.70	0.09	1672.17	0.08	1863.39 0.11 191.22 0.00 3368.38 0.00
2011-12	490.58	479.00	1989.09	250.44	126.73	38.27	0.08	1754.43	0.07	963.01 0.26 1600.81 0.00 6408.38 0.00
2012-13	490.58	479.00	1727.13	-100.89	-170.73	0.00	0.00	4028.87	-0.04	8013.46 -0.01 3091.62 0.00 11075.23 0.00
6 राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फार्टिलाइजर्स लिमिटेड										
2010-11	551.69	510.32	2938.80	420.79	245.12	60.69	0.11	2011.73	0.12	2363.44 0.18 351.71 0.00 3568.69 0.00
2011-12	551.69	510.31	3571.18	423.79	249.24	77.24	0.14	2171.20	0.11	2446.46 0.17 275.26 0.00 5615.61 0.00
2012-13	551.69	441.36	3978.33	468.37	280.90	82.75	0.15	2355.29	0.12	2571.66 0.18 216.37 0.00 5822.68 0.00
7 फार्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेयेनकोर लिमिटेड										
2010-11	647.07	637.77	1403.74	91.76	-49.33	0.00	0.00	142.49	-0.35	410.98 0.22 268.49 1837.13 505.00
2011-12	647.07	637.77	175.09	149.99	19.80	0.00	0.00	162.25	0.12	380.28 0.39 218.03 218.03 1906.08 485.00
2012-13	647.07	637.77	1535.18	-208.01	-353.96	0.00	0.00	-191.75	1.85	26.28 -7.91 218.03 218.03 1699.50 839.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)									
मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा टर्नओवर कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी निवल के लिए धन लाभशास्त्र का अनुपात	नियल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्ति तिया संचित हानि
कोरला									
8	कोरल इंडिया लिमिटेड								
2010-11	6316.36	5684.73	468.36	5123.43	4696.10	2463.38	0.39	17816.02	0.26
2011-12	6316.36	5684.73	486.56	8978.68	8065.10	6316.36	1.00	19564.75	0.41
2012-13	6316.36	5684.73	443.38	10713.68	9794.32	8842.91	1.40	20516.16	0.48
9	नेशनल लिंग्लाइट कारपोरेशन लिमिटेड								
2010-11	1677.71	1569.64	3949.56	1843.63	1298.33	385.87	0.23	11174.53	0.12
2011-12	1677.71	1569.64	4871.47	2133.43	1411.33	469.76	0.28	12099.89	0.12
2012-13	1677.71	1569.64	5600.43	2241.04	1459.75	469.76	0.28	12951.33	0.11
वाणिज्य एवं उद्योग									
10	एमएमटीसी लिमिटेड								
2010-11	100.00	99.33	68854.49	563.64	121.64	25.00	0.25	1379.73	0.09
2011-12	100.00	99.33	66325.19	652.44	70.72	25.00	0.25	1421.40	0.05
2012-13	100.00	99.33	28569.92	91.63	-70.62	10.00	0.10	1340.78	-0.05

परिशिष्ट-VI (जारी)

क्रमांक/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इकाइयाँ	भारत सरकार द्वारा धारित इकाइयाँ	ब्याज और तेज़बोर कर के लिए ¹	अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इकाइयाँ के लिए धन लाभांश का अनुपात	नियत धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियत पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित नियोजित बकाया कर्जे सरकार के कर्जे तियां	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
11 दि. स्टेट ट्रैटिङ कारपरेशन अंफ इंडिया लिमिटेड												
2010-11	60.00	54.61	19984.84	257.16	56.44	18.00	0.30	679.46	0.08	679.46	0.38	0.00
2011-12	60.00	54.61	30773.10	221.27	16.47	12.00	0.20	681.98	0.02	681.98	0.32	0.00
2012-13	60.00	54.61	19041.40	180.67	17.95	12.00	0.20	589.93	0.03	589.93	0.31	0.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी												
औरोनिक विकास												
12 आई एंटी अई लिमिटेड												
2010-11	588.00	267.47	2138.93	-282.80	-357.75	0.00	0.00	1806.61	-0.20	1806.61	-0.16	0.00
2011-12	588.00	267.47	922.10	-299.67	-369.80	0.00	0.00	1413.21	-0.26	1413.21	-0.21	0.00
2012-13	588.00	267.47	921.04	-205.18	-277.56	0.00	0.00	1172.41	-0.24	1172.41	-0.18	0.00
दूरसंचार सेवाएं												
13 महानगर टेलीफोन लिमिटेड												
2010-11	630.00	354.37	3673.95	-2349.78	-2801.92	0.00	0.00	6646.48	-0.42	9200.45	-0.26	2553.97
2011-12	630.00	354.38	3373.25	-3160.62	-4109.78	0.00	0.00	2556.70	-1.62	9536.70	-0.33	7000.00
2012-13	630.00	354.38	3428.66	-4140.86	-5321.12	0.00	0.00	-2784.42	1.91	4152.92	-1.00	6937.35
रक्षा												
आईनिक विकास												
14 भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड												
2010-11	80.00	60.69	5529.69	1161.58	861.47	172.80	2.16	5002.57	0.17	5002.98	0.23	0.41
2011-12	80.00	60.69	5703.63	1075.45	829.90	166.40	2.08	5656.96	0.15	5636.97	0.19	0.01
2012-13	80.00	60.69	6012.19	1115.37	889.83	178.40	2.23	6303.69	0.14	6303.69	0.18	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

क्रमांक/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इकाइयाँ	भारत सरकार द्वारा दधारित इकाइयाँ	ब्याज और तेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इकाइयाँ के लिए धन लाभांश का अनुपात	निवाल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भकाया कर्जे सरकार के कर्जे परिसम्प तियां	भारत सरकार के कर्जे परिसम्प तियां	कुल परिसम्प तियां	(₹ करोड़ में)
परिवहन उपस्कर											
15 ग्रीष्मकाल लिमिटेड											
2010-11	41.77	22.50	2802.61	245.39	149.76	41.64	1.00	2139.04	0.07	2279.95	0.11
2011-12	41.77	22.50	3648.37	154.88	57.24	20.82	0.50	2172.09	0.03	2419.78	0.06
2012-13	41.77	22.50	3289.77	18.66	-79.87	10.41	0.25	2080.03	-0.04	2578.14	0.01
वित्त											
वित्तीय सेवाएं											
16 बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड											
2010-11	22.20	13.25	25.30	24.85	18.87	0.85	0.45	54.35	0.46	0.00	0.00
2011-12	22.20	13.25	0.00	29.98	28.43	22.20	1.00	60.59	0.47	60.59	0.49
2012-13	22.20	13.25	28.18	32.61	31.12	24.42	1.10	67.29	0.46	67.29	0.48
आगी उत्तेजना एवं लोक उद्यम											
उपमोक्षता उत्पाद											
17 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म (मैनपौक्चरण) कंपनी लिमिटेड											
2010-11	206.86	185.67	3.18	-41.40	-1156.65	0.00	0.00	-7984.06	0.14	-6390.33	0.01
2011-12	206.86	186.67	12.56	-49.96	-1352.39	0.00	0.00	-9336.45	0.14	-9098.93	0.01
*2012-13	206.86	186.67	12.56	-49.96	-1352.39	0.00	0.00	-9336.45	0.14	-9098.93	0.01

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)										
क्रमांक/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इकाइयाँ	भारत सरकार द्वारा धारित इकाइयाँ	ब्याज और अनुसार कर के प्रावधान से पहले लाभ/ हानि	तेजाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इकाइयाँ के लिए धन लाभ का अनुपात	नियत धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियत धन के पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे की नियोजित बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे की संचित हानि
भारी उद्घोष										
18	भारत हेली इंस्ट्रीकल्स लिमिटेड									
2010-11	489.52	331.51	43337.00	9060.40	6011.20	1524.85	3.11	20153.84	0.30	20317.19
2011-12	489.52	331.51	49509.78	10349.60	7039.96	1566.47	3.20	25373.21	0.28	25496.64
2012-13	489.52	331.51	50156.48	9474.83	6614.73	1323.00	2.70	30444.10	0.22	30573.30
औरोगिक विकास										
19	एंड्रयूल एंड कंपनी लिमिटेड									
2010-11	66.73	59.36	239.46	58.13	41.32	0.00	0.00	124.13	0.33	205.41
2011-12	66.73	60.86	304.08	28.49	11.85	0.00	0.00	136.18	0.09	204.69
2012-13	66.73	60.86	324.70	25.35	11.35	0.00	0.00	147.71	0.08	208.60
20	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड									
2010-11	419.36	417.69	0.19	-186.16	-607.39	0.00	0.00	-3779.28	0.16	-2749.25
2011-12	419.36	417.69	0.00	-157.61	-648.27	0.00	0.00	-4427.55	0.15	-615.93
2012-13	419.36	417.69	0.07	-314.56	-885.05	0.00	0.00	-5312.60	0.17	-852.83
21	एमएमटी लिमिटेड									
2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11
2011-12	2011-12	2011-12	2011-12	2011-12	2011-12	2011-12	2011-12	2011-12	2011-12	2011-12
2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ रूप	इकाइया	भारत सरकार द्वारा धारित इकाइया	बिक्री/ टर्नओवर प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	द्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	लाभांश का अनुपात	इकाइया निवाल के लिए धन		नियल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे परिसम्प तिया	भारत सरकार के कर्जे परिसम्प तिया	कुल हानि	संचित हानि		
							नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी के लिए								
परिवहन उपकरण																
22	सफररस्ट ईंडिया लिमिटेड	53.48	41.01	174.76	-6.57	-17.11	0.00	0.00	-48.05	0.36	38.50	-0.17	86.55	86.64	102.00	
2010-11		53.48	41.01	226.74	-4.53	-19.94	0.00	0.00	-67.99	0.29	-25.87	0.18	42.12	42.12	121.00	
2011-12		53.48	41.01	209.82	-4.13	-6.00	0.00	0.00	37.60	-0.16	39.11	-0.11	1.51	1.51	95.36	
2012-13		53.48	51.50												16.00	
खान एवं धारु																
23	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	462.61	460.71	1257.58	337.63	224.10	92.52	0.20	1238.97	0.18	1238.97	0.27	0.00	0.00	1818.50	0.00
2010-11		462.61	460.71	1638.18	474.45	323.44	0.00	0.00	1397.64	0.23	1397.64	0.34	0.00	0.00	1842.40	0.00
2011-12		462.61	460.71	1476.64	407.90	355.64	92.52	0.20	1645.03	0.22	1645.03	0.25	0.00	0.00	2043.53	0.00
2012-13		462.61	434.91													
तेशनत एन्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड																
24	तेशनत एन्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1288.62	1123.00	6375.45	1524.75	1069.30	257.72	0.20	11164.61	0.10	11164.61	0.14	0.00	0.00	14613.90	0.00
2010-11		1288.62	1123.00	7038.23	1198.62	849.50	257.72	0.20	11715.08	0.07	11715.08	0.10	0.00	0.00	15407.39	0.00
2011-12		1288.62	1044.53	7354.20	912.49	592.83	322.15	0.25	11932.45	0.05	11932.45	0.08	0.00	0.00	16326.95	0.00
2012-13		1288.62														
अंदोलियम एंड नेचुल गैस																
25	बॉक्सर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	16.29	0.00	2084.33	184.03	121.09	42.34	2.60	533.84	0.23	533.84	0.34	0.00	0.00	1060.26	0.00
2010-11		16.29	0.00	2396.65	194.96	138.07	45.60	2.80	618.91	0.22	618.91	0.32	0.00	0.00	1159.85	0.00
2011-12		16.29	0.00	2702.93	227.74	162.77	50.16	3.08	722.99	0.23	722.99	0.31	0.00	0.00	1268.67	0.00
2012-13		16.29														

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी धारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा दर्नाओंवर कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ हानि	ब्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन लाभांश का अनुपात	धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवाल धन के पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित धन के पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे के कर्जे तिथि	भारत सरकार के कर्जे तिथि	कुल परिसम्पत्ति	संचित हानि
इक्विटील डिवायड एंट टैकनीकल कंसलटेन्ट्स												
26 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड												
2010-11	168.47	135.45	2823.28	786.00	522.52	168.47	1.00	1442.12	0.36	1442.12	0.55	0.00
2011-12	168.47	135.45	3698.82	914.77	636.32	202.16	1.20	1844.05	0.35	1844.05	0.50	0.00
2012-13	168.47	135.45	2505.97	890.94	628.58	202.16	1.20	2237.55	0.28	2237.55	0.40	0.00
पेट्रोलियम												
27 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड												
2010-11	361.54	198.60	153169.84	3513.43	1546.68	506.16	1.40	14057.62	0.11	17980.25	0.20	3922.63
2011-12	361.54	198.60	202057.83	4138.62	1766.13	397.70	1.10	14913.86	0.12	17072.95	0.24	2159.09
2012-13	723.08	397.20	228004.08	5860.93	2642.90	795.39	1.10	16634.02	0.16	22142.39	0.26	5508.37
28 चैनल्स पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड												
2010-11	149.00	0.00	38201.16	1017.97	511.52	178.69	1.20	3765.93	0.14	4564.25	0.22	798.32
2011-12	149.00	0.00	45396.52	91.16	61.82	0.00	0.00	3827.75	0.02	4662.30	0.02	834.55
2012-13	149.00	0.00	46929.52	-1228.93	-1766.84	0.00	0.00	2026.30	-0.87	3169.08	-0.39	1142.78
29 गोल (इंडिया) लिमिटेड												
2010-11	1268.48	727.41	32907.09	5322.85	3561.13	951.36	0.75	19253.34	0.18	21563.34	0.25	2310.00
2011-12	1268.48	727.41	40939.00	5456.47	3653.84	1103.57	0.87	21624.48	0.17	26971.33	0.20	5346.85
2012-13	1268.48	727.41	48005.27	6252.79	4022.20	1217.74	0.96	24227.80	0.17	33067.56	0.19	8839.76
30 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड												
2010-11	339.01	173.08	132669.97	3230.14	1539.01	474.08	1.40	12545.80	0.12	19355.93	0.17	6810.13
2011-12	339.01	173.08	170384.50	3358.48	911.43	287.83	0.85	13122.52	0.07	19413.89	0.17	6291.37
2012-13	339.01	173.08	191591.36	3493.89	904.71	287.83	0.85	13726.40	0.07	22673.58	0.15	8947.18

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा टर्नओवर कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभाश लाभांश का अनुपात	इक्विटी निवल के लिए धन लाभांश का अनुपात	धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल पूँजी के लिए द्यावन एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित नियोजित पूँजी के द्यावन एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे तियां	कुल परिसम्प ति	संचित हानि				
31 ईडियन अंगत कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	2427.95	1916.16	332897.93	11765.69	7445.48	2306.55	0.95	55317.17	0.13	73969.16	0.16	18651.99	0.00	172702.65	0.00
2011-12	2427.95	1916.16	415979.15	9344.85	3954.62	1213.98	0.50	57876.70	0.07	79781.11	0.12	21904.41	0.00	208945.24	0.00
2012-13	2427.95	1916.16	420812.94	12056.95	5005.17	1505.33	0.62	61124.31	0.08	85050.25	0.14	23925.94	0.00	223995.27	0.00
32 मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड															
2010-11	1761.85	0.00	43800.20	1841.86	1176.63	210.31	0.12	6528.90	0.18	8025.97	0.23	1497.07	0.00	18472.14	0.00
2011-12	1757.26	0.00	57206.76	1453.43	908.58	175.26	0.10	7229.19	0.13	11121.11	0.13	3891.91	0.00	26148.75	0.00
2012-13	1752.66	0.00	68838.26	-148.29	-756.91	0.00	0.00	6467.69	-0.12	12248.48	-0.01	5780.79	269.35	26697.44	0.00
33 ऑयल एंड नेप्यूल गैस कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	4277.76	3171.48	66154.88	27644.08	18924.00	7486.05	1.75	96708.41	0.20	96708.41	0.29	0.00	0.00	147970.43	0.00
2011-12	4277.76	2961.27	76887.06	46347.63	34793.16	8341.61	1.95	112696.06	0.31	112696.06	0.41	0.00	0.00	17154.60	0.00
2012-13	4277.76	2961.27	83308.96	30571.97	20925.70	8127.72	1.90	122967.37	0.17	122967.37	0.25	0.00	0.00	176561.01	0.00
34 ऑयल इंडिया लिमिटेड															
2010-11	240.45	188.60	11596.47	4327.12	2887.73	901.70	3.75	15766.35	0.18	15787.60	0.27	21.25	21.25	21263.81	0.00
2011-12	240.45	188.60	16893.83	5133.49	3469.18	1142.15	4.75	17739.54	0.20	17739.54	0.29	0.00	0.00	22690.97	0.00
2012-13	601.14	411.39	17448.19	5285.83	3589.34	1803.41	3.00	19211.48	0.19	19211.48	0.28	0.00	0.00	25173.45	0.00
उत्तर															
35 पावर फाइबरेस कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	1147.77	1030.45	10128.49	9862.72	2619.58	599.71	0.52	15634.16	0.17	94941.69	0.10	79307.53	0.00	104631.39	0.00
2011-12	1319.93	973.06	13014.85	12334.53	3031.74	791.97	0.60	20707.52	0.15	116574.50	0.11	95866.98	0.00	135570.80	0.00
2012-13	1320.02	973.06	17260.27	16518.84	4419.60	924.01	0.70	24054.12	0.18	145204.98	0.11	121150.86	0.00	169812.78	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)											
क्रमांक/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इकाइयाँ	भारत सरकार द्वारा धारित इकाइयाँ	ब्याज और अनुसार कर के प्रावधान से पहले लाभ/ हानि	तेखाओं के लाभश का अनुपात	इकाइयाँ के लिए धन लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियत धन के पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित धन के पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे तियां	कुल परिसम्पत्ति	संचय हानि
36	रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड										
2010-11	987.46	659.61	8256.91	8249.68	2569.93	740.59	0.75	12788.62	0.20	82792.44	0.10
2011-12	987.46	659.61	10337.59	10050.19	2817.03	740.59	0.75	14563.04	0.19	91116.72	0.11
2012-13	987.46	659.61	13523.11	13013.88	3817.62	814.65	0.82	17454.38	0.22	108414.76	0.12
उत्तर											
37	एनएचपीसी कारपोरेशन लिमिटेड										
2010-11	12300.74	10623.37	4046.59	3291.99	2166.67	738.04	0.06	24583.89	0.09	39153.15	0.08
2011-12	12300.74	10623.37	5654.69	3859.28	2771.77	861.06	0.07	26353.53	0.11	42626.33	0.09
2012-13	12300.74	10623.37	5306.64	3587.51	2348.22	738.05	0.06	27840.50	0.08	45258.02	0.08
उत्तर											
38	एनटीपीसी लिमिटेड										
2010-11	8245.46	6967.36	54938.68	14198.68	9102.59	3133.26	0.38	67433.10	0.13	110608.08	0.13
2011-12	8245.46	6967.36	62480.88	14007.91	9223.73	3298.19	0.40	73291.17	0.13	119199.44	0.12
2012-13	8245.46	6184.10	66200.24	18502.99	12619.39	4741.16	0.58	80387.51	0.16	133641.17	0.14
उत्तर											
39	पात्र चिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड										
2010-11	4629.73	3214.02	8388.70	5558.66	2696.89	810.23	0.18	21535.90	0.13	60968.67	0.09
2011-12	4629.73	3214.02	10035.33	6336.79	3254.95	976.89	0.21	23487.78	0.14	72606.97	0.09
2012-13	4629.73	3214.02	12757.85	8106.37	4234.50	527.79	0.11	26239.47	0.16	89315.74	0.09
उत्तर											
40	एसजेरीएन लिमिटेड										
2010-11	4136.63	2666.61	1812.67	1314.57	912.13	330.93	0.08	7205.52	0.13	8859.75	0.15
2011-12	4136.63	2666.61	1927.50	1429.54	1068.68	388.84	0.09	7822.28	0.14	9323.62	0.15
2012-13	4136.63	2666.61	1682.10	1238.64	1052.34	397.12	0.10	8410.01	0.13	10286.28	0.12

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा टर्नओवर कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी निवल के लिए धन लाभांश का अनुपात	धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियल पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित नियोजित प्रति सम्पूर्ण संचित हानि								
रेक्यू																
संवीकार एवं निर्माण सेवाएं																
41	इकाई इंटरेसेन्टल लिमिटेड															
2010-11	9.90	9.87	3152.88	399.76	182.18	36.62	3.70	1382.31	0.13	1382.31	0.29	0.00	0.00	4846.00	0.00	
2011-12	9.90	9.87	3601.41	602.14	469.92	94.03	9.50	1742.94	0.27	2430.14	0.25	687.20	0.00	5338.99	0.00	
2012-13	19.80	19.74	4231.78	1014.73	729.99	148.47	7.50	2300.37	0.32	3117.79	0.33	817.42	0.00	6070.88	0.00	
परिवहन सेवाएं																
42	कंडेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड															
2010-11	129.98	82.00	3828.12	1055.72	875.95	201.48	1.55	4977.81	0.18	4977.81	0.21	0.00	0.00	5757.08	0.00	
2011-12	129.98	82.00	4060.95	1181.78	877.88	214.47	1.65	5606.43	0.16	5606.43	0.21	0.00	0.00	6455.57	0.00	
2012-13	129.98	82.00	4406.16	1213.07	940.03	227.47	1.75	6281.13	0.15	6281.13	0.19	0.00	0.00	7203.38	0.00	
जहाजगारी																
परिवहन सेवाएं																
43	ईजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड															
2010-11	28.00	22.00	457.86	44.87	39.51	0.00	0.00	1368.55	0.03	1368.55	0.03	0.00	0.00	1546.09	0.00	
2011-12	28.00	22.00	491.66	17.56	13.18	0.00	0.00	1381.73	0.01	1641.68	0.01	259.95	0.00	1883.81	0.00	
2012-13	28.00	22.00	634.94	23.07	20.51	5.60	0.20	1395.69	0.01	2115.79	0.01	720.10	0.00	2465.43	0.00	
ई शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड																
2010-11	465.80	296.94	3543.42	721.00	567.35	256.19	0.55	7168.13	0.08	11883.28	0.06	4715.15	0.00	12992.18	0.00	
2011-12	465.80	296.94	3820.80	47.28	-428.21	0.00	0.00	6734.32	-0.06	12270.12	0.00	5535.80	0.00	13990.35	0.00	
2012-13	465.80	296.94	4152.51	93.37	-114.31	0.00	0.00	6616.15	-0.02	13438.79	0.01	6822.64	0.00	16062.93	0.00	

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा टर्नओवर कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी निवल के लिए धन लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित बकाया कर्जे सरकार के कर्जे परिसम्प तियां	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
संग्रह											
खनिज एवं धारु											
45 केआईओसीएल लिमिटेड											
2010-11	634.51	628.14	1803.46	99.95	76.27	15.86	0.02	1998.52	0.04	1998.52	0.05
2011-12	634.51	628.14	1521.08	115.39	94.30	19.04	0.03	2070.62	0.05	2071.36	0.06
2012-13	634.51	628.14	1159.12	32.34	31.05	6.35	0.01	2094.25	0.01	2094.25	0.02
46 एमओआईएल लिमिटेड											
2010-11	168.00	134.40	1145.31	880.15	588.06	117.60	0.70	2128.29	0.28	2128.29	0.41
2011-12	168.00	120.24	905.68	606.63	410.77	84.00	0.50	2441.31	0.17	2441.31	0.25
2012-13	168.00	120.24	975.03	636.78	431.72	92.40	0.55	2765.64	0.16	2765.64	0.23
47 एनएमईसी लिमिटेड											
2010-11	396.47	356.84	11375.40	9727.18	6499.22	1308.36	3.30	19200.08	0.34	19200.08	0.51
2011-12	396.47	356.84	11268.73	10760.95	7265.39	1784.12	4.50	24396.27	0.30	24396.27	0.44
2012-13	396.47	317.19	10713.43	9478.33	6342.37	2775.30	7.00	27504.72	0.23	27504.72	0.34
इस्पात											
48 इस्पृत्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड											
2010-11	1.44	0.23	5.88	6.74	6.32	0.95	0.66	278.05	0.02	278.05	0.02
2011-12	1.44	0.23	0.88	2.22	1.70	0.26	0.18	279.45	0.01	279.45	0.01
2012-13	1.44	0.23	0.55	1.96	1.96	0.22	0.15	280.66	0.01	280.66	0.01

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा दारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा टर्नओवर कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन लाभांश का अनुपात	धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे के कर्जे नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
49 स्टैल अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड												
2010-11	4130.40	3544.69	47785.09	7669.26	4904.74	991.30	0.24	37069.47	0.13	47231.72	0.16	10162.25
2011-12	4130.53	3544.69	51036.16	5967.74	3681.89	826.10	0.20	39811.32	0.09	51397.98	0.12	11586.66
2012-13	4130.53	3304.29	49986.90	4217.64	2399.67	826.10	0.20	40973.94	0.06	54459.49	0.08	13485.55
पट्टन												
पर्यटन सेवाएँ												
50 इण्डिया ट्रिज़्य डेवेलपमेन्ट का परिशन लिमिटेड												
2010-11	85.77	79.00	367.18	-5.44	-8.59	0.00	0.00	305.31	-0.03	305.31	-0.02	0.00
2011-12	85.77	79.00	397.63	22.04	8.54	4.29	0.05	308.86	0.03	308.86	0.07	0.00
2012-13	85.77	79.00	408.42	5.48	3.00	0.00	0.01	311.81	0.01	311.81	0.02	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत सरकार द्वारा टर्नओवर इक्विटी	बिक्री/ कर के प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन लाभांश का अनुपात	धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवाल पूँजी के लिए द्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित नियोजित पूँजी के द्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे तियां	कुल परिसम्प ति	संचित हानि
शहरी विकास												

संविदा एवं निर्माण सेवाएँ	
51	नेशनल चिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन का परिशिल लिमिटेड
2010-11	90.00
2011-12	120.00
2012-13	120.00

2010-11(51)	64557.00	50914.70	114683.33	141213.09	82236.68	27637.94	0.00	523279.46	0.16	833431.56	0.17	310152.10	4543.85	1300564.35	14506.85
2011 - 12(51)	64754.68	50222.45	139915.944	166657.36	97612.91	32007.95	0.00	577915.54	0.17	941262.02	0.18	363346.48	5035.88	1516570.57	16539.23
2012 - 13(51)	65482.31	49424.16	1442210.82	161871.96	86120.94	37627.75	0.00	623173.36	0.14	1070250.01	0.15	447076.67	4925.51	1672171.11	21331.01

सभी मंत्रालय का जोड़

2010 - 11(51)	64557.00	50914.70	114683.33	141213.09	82236.68	27637.94	0.00	523279.46	0.16	833431.56	0.17	310152.10	4543.85	1300564.35	14506.85
2011 - 12(51)	64754.68	50222.45	139915.944	166657.36	97612.91	32007.95	0.00	577915.54	0.17	941262.02	0.18	363346.48	5035.88	1516570.57	16539.23
2012 - 13(51)	65482.31	49424.16	1442210.82	161871.96	86120.94	37627.75	0.00	623173.36	0.14	1070250.01	0.15	447076.67	4925.51	1672171.11	21331.01

परिशिष्ट-VI

31 मार्च को निवेश एवं प्रतिफल
 (जैसा पैग 1.3 मे संदर्भित है)
ग. गैर सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित	बिक्री/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	नियोजित बकाया कर्ज	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियाँ	(₹ करोड़ में)		
													कृषि	संचित हानि	
कृषि आधारित उद्योग															
1 एथीलोवेटिव इंडिया लिमिटेड															
2011-12	50.00	50.00	0.00	-0.68	0.00	50.00	-0.01	50.00	-0.01	0.00	0.00	50.00	0.00		
2012-13	50.00	50.00	0.00	2.94	0.00	52.26	0.06	52.26	0.08	0.00	0.00	53.44	0.00		
2 लक्ष्योप डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	6.50	6.50	5.91	18.41	8.56	0.00	38.71	0.22	38.71	0.48	0.00	0.00	453.49	0.00	
2011-12	6.50	6.50	0.98	45.97	36.98	0.00	75.68	0.49	75.68	0.61	0.00	0.00	567.97	0.00	
*2012-13	6.50	6.50	0.98	45.97	36.98	0.00	75.68	0.49	75.68	0.61	0.00	0.00	567.97	0.00	
3 नेशनल सीइस कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	20.62	20.62	660.42	62.88	37.38	2.27	0.11	179.40	0.21	179.40	0.35	0.00	0.00	419.10	0.00
2011-12	20.62	20.62	669.49	48.89	30.17	4.12	0.20	178.42	0.17	211.67	0.23	33.25	0.00	447.68	0.00
2012-13	20.62	20.62	582.45	67.21	44.30	4.12	0.20	217.93	0.20	217.93	0.31	0.00	0.00	511.39	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी दर्ता	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज टनओवर	बिक्री/ टनओवर	लेखाओं के अनुसार प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
4 भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड														
2010-11	31.49	31.49	232.91	50.34	29.87	1.57	0.05	139.80	0.21	139.80	0.36	0.00	0.00	314.33
2011-12	31.49	31.49	279.59	57.86	38.63	1.57	0.05	203.79	0.19	203.79	0.28	0.00	0.00	412.82
2012-13	31.49	31.49	381.99	57.77	42.58	2.36	0.07	247.37	0.17	248.77	0.23	1.40	0.00	524.96
प्रभाणु ऊर्जा														
औद्योगिक विकास														
5 इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड														
2010-11	163.37	163.37	1381.70	50.85	22.86	8.00	0.05	606.36	0.04	606.36	0.08	0.00	0.00	2175.69
2011-12	163.37	163.37	1474.14	96.74	36.61	9.15	0.06	632.07	0.06	752.66	0.13	120.60	0.00	2167.12
2012-13	163.37	163.37	1729.40	72.07	25.88	6.47	0.04	649.75	0.04	850.37	0.08	200.62	0.00	2295.76
खनिज और थारु														
6 इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड														
2010-11	86.36	86.36	388.66	53.94	31.89	17.27	0.20	485.98	0.07	497.05	0.11	11.07	11.07	675.24
2011-12	86.36	86.36	632.26	251.25	170.45	34.50	0.40	617.76	0.28	617.76	0.41	0.00	0.00	878.32
2012-13	86.36	86.36	555.49	245.45	156.59	32.00	0.37	736.91	0.21	736.91	0.33	0.00	0.00	1039.80
7 यूरोनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड														
2010-11	1439.62	1430.51	727.00	160.57	101.53	25.50	0.02	1681.08	0.06	1681.08	0.10	0.00	0.00	2328.48
2011-12	1439.62	1439.62	682.19	104.44	64.84	16.25	0.01	1727.04	0.04	1784.89	0.06	57.85	0.00	2488.79
2012-13	1439.62	1439.62	826.56	172.21	90.79	18.15	0.01	1796.59	0.05	1796.59	0.10	0.00	0.00	2771.85

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / कंपनी दर्ता	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्वि� टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कार बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
विषुत														
8 भारतीय नाभिकीय विधुत निगम लिमिटेड														
2010-11	3047.85	3017.85	0.00	21.70	14.62	0.00	0.00	3077.39	0.01	0.00	0.00	3266.76	0.00	
2011-12	3952.85	3892.85	0.00	13.86	9.47	0.00	0.00	3991.86	0.00	0.00	0.00	4237.73	0.00	
2012-13	4187.52	4067.52	0.00	28.81	19.56	0.00	0.00	4246.09	0.01	0.00	0.00	4415.57	0.00	
9 न्यूकेलियर पोवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड														
2010-11	10145.33	10145.33	6015.83	2349.14	1376.33	412.90	0.04	23984.60	0.06	41893.99	0.06	17909.39	5869.77	45313.66
2011-12	10174.33	10174.33	7913.81	3054.06	1906.15	571.85	0.06	25428.07	0.07	39831.95	0.08	14453.89	5047.49	43622.08
2012-13	10174.33	10174.33	7961.51	3170.24	2100.99	630.30	0.06	26930.52	0.08	42090.87	0.08	15160.35	4824.73	46416.87
10 एनपीसीआईएल इंडिया औचल न्यूकेलियर एनर्जी कम्पनी लिमिटेड														
2011-12	1.00	0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.88	-0.14	0.88	-0.14	0.00	0.00	0.92
2012-13	1.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.00	0.00	0.93	0.05	0.93	0.08	0.00	0.00	1.01
11 एनपीसीआईएल-तालको पौवर कम्पनी लिमिटेड														
2012-13	0.10	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.06	-0.73	0.06	-0.73	0.00	0.00	0.10

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ शेषी/ कंपनी दर्ता	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत टनओवर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	धन के कार्ड के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के कार्ड के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजि त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
जैव प्रौद्योगिकी													
रसायन एवं पेट्रोरसायन													
12	इण्डियन वैम्पीन कम्पनी लिमिटेड												
2010-11	18.79	12.53	0.00	0.12	0.43	0.00	0.00	15.24	0.03	16.25	0.01	1.01	0.51
2011-12	18.79	12.53	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	14.86	0.03	14.86	0.03	0.00	0.00
2012-13	18.79	12.53	0.00	0.77	0.65	0.00	0.00	16.32	0.04	16.32	0.05	0.00	0.00
रसायन एवं उर्वरक													
रसायन एवं पेट्रोरसायन													
13	ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पोलीमर लिमिटेड												
2010-11	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1823.98	0.00	2156.98	0.00	333.00	0.00
2011-12	1128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3270.20	0.00	4247.20	0.00	977.00	0.00
2012-13	1162.61	0.00	0.00	-20.91	-20.91	0.00	0.00	4851.53	0.00	6293.15	0.00	1441.62	0.00
14	हिन्दुस्तान एटिबायोटेक्स लिमिटेड												
2010-11	71.72	71.72	118.14	-23.95	9.85	0.00	0.00	-93.88	0.10	30.97	-0.77	124.85	124.85
2011-12	71.72	71.72	89.34	-32.49	-50.19	0.00	0.00	-137.07	0.37	-35.29	-0.92	136.15	127.35
2012-13	71.72	71.72	52.09	-39.77	-69.37	0.00	0.00	-278.71	0.25	-129.31	0.31	149.40	127.35

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंचालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए ¹ प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
15 हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रियल्स लिमिटेड													
2010-11	91.33	91.33	271.04	4.42	1.58	0.00	0.00	85.13	0.02	106.88	0.04	21.74	21.74
2011-12	91.33	91.33	279.82	4.91	1.60	0.00	0.00	86.87	0.02	108.61	0.05	21.74	21.74
2012-13	91.33	91.33	301.11	8.50	2.92	0.00	0.00	89.92	0.03	109.96	0.08	20.04	20.04
16 इण्डियन इंडस्ट्रीस्ट्रिकल्स लिमिटेड													
2010-11	116.88	116.88	66.70	13.68	-200.96	0.00	0.00	-6220.69	0.03	-4980.92	0.00	1239.76	1196.76
*2011-12	116.88	116.88	66.70	13.68	-200.96	0.00	0.00	-6220.69	0.03	-4980.92	0.00	1239.76	1196.76
*2012-13	116.88	116.88	66.70	13.68	-200.96	0.00	0.00	-6220.69	0.03	-4980.92	0.00	1239.76	1196.76
उपक्रमांक ३ अंतिम													
17 कर्नाटक एटियोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड													
2010-11	13.49	4.43	210.04	19.00	10.56	0.90	0.07	71.96	0.15	75.91	0.25	3.95	0.00
2011-12	13.49	4.43	233.55	24.93	16.02	1.13	0.08	86.68	0.18	90.37	0.28	3.69	0.00
2012-13	13.49	7.98	227.20	15.61	11.29	1.08	0.08	96.70	0.12	99.81	0.16	3.11	0.00
18 राजस्थान इंडस्ट्रीस एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड													
2010-11	4.99	2.54	78.70	3.11	1.22	0.00	0.00	18.25	0.07	26.07	0.12	7.82	0.00
2011-12	4.99	2.54	82.72	4.30	1.56	0.00	0.00	19.69	0.08	22.73	0.19	3.04	0.00
2012-13	4.99	2.54	85.67	3.37	0.80	0.00	0.00	20.49	0.04	22.03	0.15	1.54	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
19 एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड												
2010-11	31.60	0.00	0.00	-0.81	-0.81	0.00	29.42	-0.03	101.95	-0.01	72.53	0.00
2011-12	40.00	0.00	0.00	-0.82	-0.82	0.00	37.00	-0.02	100.33	-0.01	63.33	0.00
2012-13	49.40	0.00	0.47	-7.78	-16.17	0.00	30.24	-0.53	120.24	-0.06	90.00	0.00
उत्कर्ष												
20 ब्रह्मपुत्र घैली फार्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड												
2010-11	365.83	365.83	176.10	-10.63	-85.09	0.00	-285.00	0.30	615.35	-0.02	900.35	900.35
2011-12	365.83	365.82	232.61	-47.69	-128.81	0.00	-415.19	0.31	-126.19	0.38	289.00	289.00
2012-13	365.83	365.82	291.96	58.15	-32.64	0.00	-445.28	0.07	149.43	0.39	594.71	190.05
21 फार्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड												
2010-11	750.92	750.92	0.00	0.37	508.51	0.00	-10219.95	0.05	-116.68	0.00	10103.26	2739.28
2011-12	750.92	750.92	0.00	-17.10	-552.76	0.00	-10772.98	0.05	-8028.70	0.00	2744.28	2739.28
2012-13	750.92	750.92	0.00	10778.76	10778.76	0.00	5.10	2114.27	6.60	1633.62	1.50	0.00
22 हिन्दुस्तान फार्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड												
2010-11	686.54	686.54	0.00	0.32	-382.28	0.00	-7788.92	0.05	-56.94	-0.01	7731.98	7692.78
2011-12	686.54	686.54	0.00	1.71	-380.89	0.00	-8169.80	0.05	-55.23	-0.03	8114.58	7948.15
2012-13	686.54	686.54	0.00	2.06	-380.53	0.00	-8550.33	0.04	-53.16	-0.04	8497.17	8325.26

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
23 राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फार्टिलाइजर्स लिमिटेड													
2010-11	0.05	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.71	0.04	0.20	-0.15	0.91	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.72	0.01	0.19	-0.05	0.91	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-0.77	0.06	0.14	-0.35	0.91	0.00
24 उर्वरक विटेश लिमिटेड													
2010-11	0.54	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.10	-0.07	0.10	-0.07	0.00	0.10
2011-12	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
2012-13	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी प्रामाणीकरण													
25 प्रोजेक्टस एण्ड डियलपमेंट इण्डिया लिमिटेड													
2010-11	17.30	17.30	103.85	31.78	21.02	3.81	0.22	109.20	0.19	109.20	0.29	0.00	0.00
2011-12	17.30	17.30	72.30	36.21	24.02	3.81	0.22	103.38	0.23	103.38	0.35	0.00	0.00
2012-13	17.30	17.30	68.41	15.34	10.71	3.81	0.22	137.11	0.08	137.11	0.11	0.00	0.00
बनिज एवं धातु													
26 दी एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड													
2010-11	7.33	7.33	61.48	19.89	12.23	2.46	0.34	88.50	0.14	88.50	0.22	0.00	0.00
2011-12	7.33	7.33	66.53	29.06	27.06	5.42	0.74	109.27	0.25	109.27	0.27	0.00	0.00
2012-13	7.33	7.33	73.84	42.27	28.49	5.72	0.78	131.07	0.22	131.07	0.32	0.00	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / कंपनी दर्ता	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्वि टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कारे गाद	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित तूँजी के लिए ब्याज एवं कर के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
पेट्रोलियम														
27 एचटीसी चेमाइक्र लि.														
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	11.11	0.00	0.07	0.00
2011-12	11.22	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	11.31
*2012-13	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	11.32
नगर विमानन														
पर्यटन सेवाएं														
28 होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड														
2010-11	40.60	0.00	51.16	-28.11	-28.54	0.00	0.00	-3.66	7.80	-3.66	7.68	0.00	0.00	106.87
2011-12	40.60	0.00	54.91	-20.85	-21.29	0.00	0.00	-24.95	0.85	-24.95	0.84	0.00	0.00	95.48
*2012-13	40.60	0.00	54.91	-20.85	-21.29	0.00	0.00	-24.95	0.85	-24.95	0.84	0.00	0.00	95.48
परिवहन सेवाएं														
29 एअर इण्डिया एंड ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड														
2010-11	0.05	0.00	48.60	-0.59	-1.00	0.00	0.00	-2.85	0.35	-2.85	0.21	0.00	0.00	10.00
2011-12	0.05	0.00	60.36	0.10	-0.26	0.00	0.00	-2.91	0.09	-2.01	-0.05	0.90	0.00	13.59
*2012-13	0.05	0.00	60.36	0.10	-0.26	0.00	0.00	-2.91	0.09	-2.01	-0.05	0.90	0.00	13.59

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी दर्ता	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज टनओवर	बिक्री/ टनकार	लेखाओं और कर के लिए अनुसार प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश टी के लिए ताकथा का अनुपा त	लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
									नियोजित पूँजी				
30 एआर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड													
2010-11	30.00	0.00	1311.28	-162.38	-392.16	0.00	0.00	-1035.29	0.38	1351.67	-0.12	2386.96	0.00
2011-12	30.00	0.00	1377.81	-334.76	-602.50	0.00	0.00	-1639.88	0.37	665.91	-0.50	2305.79	0.00
*2012-13	30.00	0.00	1377.81	-334.76	-602.50	0.00	0.00	-1639.88	0.37	665.91	-0.50	2305.79	0.00
31 एआर इण्डिया इन्जीनियरिंग सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड													
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.04	0.05	-0.04	0.09	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.05	0.05	-0.06	0.09	0.00
*2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.05	0.05	-0.06	0.09	0.00
32 एआर इण्डिया लिमिटेड													
2010-11	2145.00	2145.00	13974.39	-3567.77	-6865.17	0.00	0.00	-10128.79	0.68	3435.05	-1.04	13563.84	0.00
2011-12	3345.00	3345.00	14675.30	-3912.20	-7559.74	0.00	0.00	-16443.17	0.46	14178.88	-0.28	30622.05	0.00
*2012-13	3345.00	3345.00	14675.30	-3912.20	-7559.74	0.00	0.00	-16443.17	0.46	14178.88	-0.28	30622.05	0.00
33 एआरलाइन्स एलाइंड सर्विसेज लिमिटेड													
2010-11	2.25	0.00	290.35	-29.12	0.00	0.00	0.00	-580.65	0.05	-580.65	0.05	0.00	106.68
2011-12	2.25	0.00	228.17	-113.57	-114.74	0.00	0.00	-695.38	0.16	-695.38	0.16	0.00	98.13
*2012-13	2.25	0.00	228.17	-113.57	-114.74	0.00	0.00	-695.38	0.16	-695.38	0.16	0.00	98.13
34 पवन हेलीकाप्टर्स लिमिटेड													
2010-11	245.62	125.27	415.04	55.63	18.51	0.00	0.00	485.38	0.04	564.60	0.10	79.22	0.00
2011-12	245.62	125.27	413.54	36.90	-10.35	0.00	0.00	475.57	-0.02	708.40	0.05	232.83	0.00
*2012-13	245.62	125.27	413.54	36.90	-10.35	0.00	0.00	475.57	-0.02	708.40	0.05	232.83	0.00
													1475.14
													1475.14

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंचालय/ श्रेणी / कंपनी रई	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	बकाया कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
35 वायुदूत लिमिटेड												
2010-11	36.42	0.00	0.00	-0.04	0.00	-218.02	0.00	-164.28	0.00	53.74	15.97	2.02
2011-12	36.42	0.00	0.00	-0.10	0.00	-218.12	0.00	-218.12	0.00	0.00	0.00	254.00
*2012-13	36.42	0.00	0.00	-0.10	0.00	-218.12	0.00	-218.12	0.00	0.00	0.00	255.00
कोयला												
36 भारत कोयिंग कोल लिमिटेड												
2010-11	2118.00	0.00	6951.77	1135.70	1093.69	0.00	0.00	-4309.19	-0.25	-3225.89	-0.35	1033.30
2011-12	2118.00	0.00	8583.87	845.20	822.36	0.00	0.00	-3486.83	-0.24	-2403.53	-0.35	1033.30
2012-13	4657.00	0.00	10176.62	1728.03	1498.80	0.00	0.00	550.97	2.72	550.97	3.14	0.00
37 सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड												
2010-11	940.00	0.00	7083.13	1886.33	1266.99	748.10	0.80	3038.01	0.42	3142.93	0.60	104.92
2011-12	940.00	0.00	9005.34	1972.09	1319.55	791.74	0.84	3437.38	0.38	3524.92	0.56	87.54
2012-13	940.00	0.00	10580.10	2691.11	1885.61	1131.37	1.20	4008.08	0.47	4078.00	0.66	69.92
38 ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड												
2010-11	2218.45	0.00	6029.92	107.58	106.57	0.00	0.00	-5908.97	-0.02	-5248.44	-0.02	660.53
2011-12	2218.45	0.00	8672.67	962.29	962.13	0.00	0.00	-4946.85	-0.19	-4276.67	-0.23	670.18
2012-13	2218.45	0.00	12162.59	1905.66	1655.54	0.00	0.00	-2458.60	-0.67	-1784.43	-1.07	674.17

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत टनओवर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	ब्याज और कर के लिए अनुसार लाभ / हानि	लेखाओं के अनुसार प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
39	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड											
2010-11	186.40	0.00	7474.10	4044.82	2609.32	1570.02	8.42	6543.40	0.40	6685.06	0.61	141.67
2011-12	186.40	0.00	9961.49	5160.86	3401.30	2226.55	11.95	7670.86	0.44	15332.71	0.34	7661.85
2012-13	186.40	0.00	13190.42	6207.45	4212.44	2529.45	13.57	8921.53	0.47	9018.13	0.69	96.60
40	एमजेरसजे कोल लिमिटेड											
2010-11	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	66.01
2011-12	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	83.59
2012-13	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	95.60
41	नोर्डर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड											
2010-11	177.67	0.00	8972.50	3980.13	2445.45	1467.27	8.26	8095.89	0.30	8835.38	0.45	739.50
2011-12	177.67	0.00	10176.94	4287.80	2770.09	1662.05	9.35	8934.29	0.31	9552.40	0.45	618.11
2012-13	177.67	0.00	11616.11	4442.30	2683.59	1669.28	9.06	9746.07	0.28	10239.20	0.43	493.13
42	सात्रथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड											
2010-11	359.70	0.00	10657.56	3803.68	2300.82	1380.53	3.84	6092.83	0.38	6383.58	0.60	290.75
2011-12	359.70	0.00	19036.48	6025.65	4098.68	2459.21	6.84	7333.34	0.56	12663.87	0.48	5330.53
2012-13	359.70	0.00	21314.78	6299.72	4300.23	259.41	7.17	8625.69	0.50	8820.33	0.71	194.64
43	वेर्स्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड											
2010-11	297.10	0.00	7073.44	1074.53	538.30	323.24	1.09	4797.99	0.11	4900.55	0.22	102.56
2011-12	297.10	0.00	8357.48	443.70	306.72	184.04	0.62	3363.39	0.09	3449.30	0.13	85.91
2012-13	297.10	0.00	8703.97	454.87	347.44	194.60	0.65	3460.02	0.10	3528.33	0.13	68.31

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत टनओवर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित तूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श													
44	सेन्ट्रल माइन प्लाइंग एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड												
2010-11	19.04	0.00	429.09	23.72	15.32	0.00	87.55	0.17	87.55	0.27	0.00	0.00	
2011-12	19.04	0.00	524.03	30.79	30.79	0.00	110.92	0.28	110.92	0.28	0.00	0.00	
2012-13	19.04	0.00	601.05	29.86	29.77	0.00	134.89	0.22	134.89	0.22	0.00	0.00	
विषुत													
45	महानदी बेसिन पांच लिमिटेड												
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	एमएनएच शक्ति लिमिटेड												
2010-11	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	51.63	
2011-12	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	87.34	
2012-13	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	87.12	
वाणिज्य एवं उद्योग													
वित्तीय सेवाएं													
47	एक्सपोर्ट कोर्टिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड												
2010-11	900.00	900.00	693.87	121.56	85.66	0.00	0.00	4309.44	0.02	4309.44	0.03	0.00	
2011-12	900.00	900.00	1004.83	327.09	225.21	54.00	0.06	4609.38	0.05	4609.38	0.07	0.00	
2012-13	1000.00	1000.00	1157.25	350.00	242.79	60.00	0.06	5423.08	0.04	5423.08	0.06	0.00	

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ रई	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्वि� टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कर्जे	संचित हानि
48 जे एप्ड के डिवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	80.00	50.00	0.27	6.66	4.40	0.00	0.00	103.90	0.04	103.90	0.06	0.00	0.00
2011-12	80.00	50.00	0.13	10.19	6.80	0.00	0.00	110.62	0.06	110.62	0.09	0.00	0.00
2012-13	80.00	50.00	0.11	11.30	7.55	0.00	0.00	118.20	0.06	118.20	0.10	0.00	0.00
ट्यापर और विपणन													
49 इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेन्शन													
2010-11	0.25	0.25	187.97	70.87	70.87	0.00	0.00	777.59	0.09	777.59	0.09	0.00	0.00
2011-12	0.25	0.25	273.19	183.49	183.03	0.00	0.00	960.62	0.19	960.62	0.19	0.00	0.00
2012-13	0.25	0.25	222.55	152.29	152.29	0.00	0.00	1112.92	0.14	1112.92	0.14	0.00	0.00
50 कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेन्शन													
2010-11	10.44	0.00	3.04	1.49	1.49	0.00	0.00	16.45	0.09	24.42	0.06	7.97	0.00
2011-12	10.44	0.00	5.58	2.84	2.84	0.00	0.00	19.29	0.15	27.03	0.11	7.74	0.00
2012-13	10.44	0.00	6.69	5.74	5.74	0.00	0.00	25.02	0.23	32.76	0.18	7.74	0.00
51 नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इनफोर्मेशन													
2010-11	4.58	2.00	0.37	-0.16	-0.16	0.00	0.00	4.90	-0.03	4.90	-0.03	0.00	0.00
2011-12	4.58	2.00	0.71	0.30	0.30	0.00	0.00	5.20	0.06	5.20	0.06	0.00	0.00
2012-13	4.58	2.00	0.06	-0.38	-0.38	0.00	0.00	4.82	-0.08	4.82	-0.08	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
52 पीईसी लिमिटेड													
2010-11	20.00	20.00	9969.94	106.56	70.92	15.00	0.75	285.51	0.25	285.51	0.37	0.00	0.00
2011-12	20.00	20.00	11498.31	266.71	79.55	15.00	0.75	347.63	0.23	347.63	0.77	0.00	0.00
2012-13	60.00	12182.83	265.68	96.96	15.00	0.25	362.04	0.27	362.04	0.73	0.00	0.00	5349.43
53 एसटीसीएल लिमिटेड													
2010-11	1.50	0.00	57.99	5.71	-178.02	0.00	0.00	-1513.87	0.12	-1513.87	0.00	0.00	70.99
2011-12	1.50	0.00	127.77	-46.78	-284.66	0.00	0.00	-1799.05	0.16	-1799.05	0.03	0.00	66.99
2012-13	1.50	0.00	102.43	2.04	-296.12	0.00	0.00	-2096.75	0.14	-2096.75	0.00	0.00	26.84
54 तमिलनाडु ट्रेक प्रोग्रामशन आर्गेनाइजेशन													
2010-11	0.01	0.00	21.62	14.32	0.00	0.00	61.34	0.23	83.95	0.17	22.61	0.00	98.52
2011-12	0.01	0.00	24.12	18.86	0.00	0.00	79.73	0.24	102.34	0.18	22.61	0.00	117.83
2012-13	0.01	0.00	25.94	21.67	0.00	0.00	100.97	0.21	123.58	0.18	22.61	0.00	141.30
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी													
करम्प्लॉटर सेवाएं													
55 नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्क													
2010-11	2.00	2.00	282.44	58.94	39.71	0.00	0.00	294.42	0.13	294.42	0.20	0.00	0.00
2011-12	2.00	2.00	350.59	77.78	51.50	0.00	0.00	345.92	0.15	345.92	0.22	0.00	0.00
2012-13	2.00	2.00	389.24	54.04	27.04	0.00	0.00	372.95	0.07	372.95	0.14	0.00	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी दर्ता	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तधारा से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा- त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा- त	निवल धन के कार के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	बकाया कर्जे	भारत परिसम्प- तियां	कुल परिसम्प- तियां	संचित हानि		
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी														
56	टेलीकन-पूँजीके शब्द कन्सलटेन्ट्स औफ इण्डिया लिमिटेड													
2010-11	43.20	43.20	823.40	23.01	13.58	4.32	0.10	420.42	0.03	459.92	0.05	39.50	0.00	1198.50
2011-12	43.20	43.20	653.54	27.63	8.03	1.61	0.04	426.58	0.02	464.08	0.06	37.50	0.00	1263.06
2012-13	43.20	43.20	682.05	28.97	15.76	1.02	0.02	441.15	0.04	483.25	0.06	42.10	0.00	1380.17
दूसरंचार सेवाएं														
57	भारत ब्रोडबैंड टेलिकॉम लिमिटेड													
2012-13	60.00	60.00	0.00	2.51	1.69	0.00	0.00	61.69	0.03	61.69	0.04	0.00	0.00	468.79
58	भारत संचार लिमिटेड													
2010-11	12500.00	12500.00	27044.71	-6188.95	-6384.26	0.00	0.00	80068.75	-0.08	81914.49	-0.08	1845.74	1845.74	93082.83
2011-12	12500.00	12500.00	25998.50	-8636.81	-8850.70	0.00	0.00	71171.02	-0.12	72154.20	-0.12	983.18	983.18	85706.85
2012-13	12500.00	12500.00	24515.74	-7603.89	-7884.44	0.00	0.00	63638.73	-0.12	65341.91	-0.12	1703.18	1703.18	80267.16
59	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड													
2010-11	2.88	0.00	0.00	0.16	-0.49	0.00	0.00	5.20	-0.09	5.29	0.03	0.08	0.00	6.49
2011-12	2.88	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	0.00	5.01	-0.03	5.01	-0.03	0.00	0.00	6.30
2012-13	2.88	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	6.25
उपभोक्ता सामग्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण														
उपभोक्ता उत्पाद														

(₹ करोड़ में)

परिशेष्ट-VI (जारी)

संचालय/ श्रेणी / कंपनी वर्ग	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	व्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	व्याजां के अनुसार लाभ का अनुपा- त	लाभांश का अनुपा- त	इक्विटी लाभांश का अनुपा- त	निवाल धन के लिए कर के बाद	नियोजित पैसों के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का	नियोजित तंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प- तियाँ	संचित हानि
60 हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	7.71	7.71	0.72	-22.69	-22.69	0.00	0.00	-307.58	0.07	2.72	-8.34	310.30	95.62	27.90	315.00
2011-12	7.71	7.71	0.14	-23.78	-23.78	0.00	0.00	-331.35	0.07	-331.35	0.07	0.00	0.00	31.21	339.00
2012-13	7.71	7.71	0.01	-11.46	-11.46	0.00	0.00	-342.81	0.03	-342.81	0.03	0.00	0.00	26.24	351.00
रक्कम															
औद्योगिक विकास															
61 बीईएल ऑपट्रोनिक्स इयाइसिज लिमिटेड															
2010-11	18.32	0.00	52.36	19.55	17.31	0.00	0.00	35.63	0.49	36.57	0.53	0.94	0.00	46.10	0.00
2011-12	18.32	0.00	62.74	12.52	8.16	0.00	0.00	146.01	0.06	146.02	0.09	0.00	0.00	213.62	0.00
2012-13	18.32	0.00	147.04	8.57	5.76	0.00	0.00	190.44	0.03	190.44	0.04	0.00	0.00	215.07	0.00
62 भारत डायोलिमिक्स लिमिटेड															
2010-11	115.00	115.00	938.27	79.23	51.70	23.00	0.20	552.05	0.09	602.90	0.13	50.85	0.00	5032.27	0.00
2011-12	115.00	115.00	959.12	348.39	234.96	47.00	0.41	732.38	0.32	732.38	0.48	0.00	0.00	6346.00	0.00
2012-13	115.00	115.00	1076.12	419.42	288.40	57.68	0.50	953.30	0.30	953.30	0.44	0.00	0.00	7219.19	0.00
63 विगन्यान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड															
2010-11	2.79	0.00	33.82	-0.90	-1.60	0.00	0.00	7.31	-0.22	12.36	-0.07	5.05	0.00	23.57	0.00
2011-12	2.79	0.00	39.21	1.31	0.65	0.00	0.00	8.13	0.08	10.03	0.13	1.90	0.00	28.04	0.00
2012-13	2.79	0.00	27.47	-1.82	-2.28	0.00	0.00	5.42	-0.42	5.42	-0.34	0.00	0.00	27.14	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत टनओवर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कार के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के कर्जे	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
इस्पात														
64	शिक्षात् निगम लिमिटेड													
2010-11	183.34	183.34	417.87	81.98	50.42	20.00	0.11	337.95	0.15	372.95	0.22	35.00	35.00	890.36
2011-12	187.34	187.34	509.01	107.65	68.45	36.67	0.20	367.79	0.19	387.59	0.28	19.80	19.80	999.97
2012-13	187.34	187.34	558.59	124.62	82.52	37.47	0.20	406.77	0.20	420.35	0.30	13.58	9.80	1379.74
परियोजना उपस्थक														
65	गाईन रीच शिपबिलर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड													
2010-11	123.84	123.84	550.73	164.26	115.71	24.77	0.20	683.31	0.17	683.31	0.24	0.00	0.00	3791.07
2011-12	123.84	123.84	1293.80	169.36	108.04	24.77	0.20	762.56	0.14	762.56	0.22	0.00	0.00	5020.05
2012-13	123.84	123.84	1531.36	193.67	131.54	26.31	0.21	863.32	0.15	863.32	0.22	0.00	0.00	6128.27
66	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड													
2010-11	120.50	120.50	1311.50	3484.36	2114.26	423.12	3.51	7851.79	0.27	7851.96	0.44	0.17	0.17	50459.49
2011-12	120.50	120.50	14182.16	3328.52	2539.43	814.00	6.76	9729.45	0.26	9729.45	0.34	0.00	0.00	53313.53
2012-13	120.50	120.50	15056.49	3496.97	2996.91	823.70	6.84	11781.20	0.25	11781.20	0.30	0.00	0.00	55464.95
67	मर्जगांव टाँक लिमिटेड													
2010-11	199.20	199.20	636.56	366.22	243.52	50.64	0.25	1140.02	0.21	1159.12	0.32	19.10	0.00	22214.85
2011-12	199.20	199.20	2523.69	717.81	494.31	99.60	0.50	1518.57	0.33	1600.28	0.45	81.71	0.00	24298.10
2012-13	199.20	199.20	2290.64	638.79	412.72	100.00	0.50	1814.29	0.23	1895.78	0.34	81.49	0.00	25454.27

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत टनओवर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित तंपूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कर्जे	परिसम्प्र तियां		कुल परिसम्प्र तियां	संचित हानि
												बकाया	क्रेडिट		
परिवहन सेवाएं															
68 गोवा शिपयार्ट लिमिटेड															
2010-11	29.10	14.87	514.46	270.10	176.13	35.50	1.22	569.11	0.31	580.86	0.47	11.75	0.00	1535.88	0.00
2011-12	29.10	14.87	269.78	143.09	82.76	17.17	0.59	631.83	0.13	643.12	0.22	11.29	0.00	1574.01	0.00
2012-13	29.10	14.87	845.12	50.36	15.50	5.82	0.20	640.53	0.02	657.81	0.08	17.28	0.00	1579.22	0.00
प्रौद्योगिकी विकास															
कृषि आधारित उद्योग															
69 लार्थ ईस्टर्न रिजनल एण्जीकल्यारल मार्किटिंग कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	7.62	7.62	99.91	2.07	1.47	0.00	0.00	4.52	0.33	17.65	0.12	13.13	13.13	43.04	3.00
2011-12	7.62	7.62	96.04	1.49	1.00	0.00	0.00	3.46	0.29	18.59	0.08	15.13	15.13	48.22	4.00
2012-13	7.62	7.62	43.71	-1.82	-2.82	0.00	0.00	1.42	-1.98	12.71	-0.14	11.29	11.29	41.90	6.00
ट्यापार और विपणन															
70 लार्थ ईस्टर्न हेन्डीक्राफ्ट एण्ड हेप्टिलस्म डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	2.00	2.00	17.27	-1.74	0.00	0.00	-28.85	0.06	5.17	-0.34	34.02	34.02	7.29	7.29	31.00
2011-12	2.00	2.00	16.82	-1.51	0.00	0.00	-30.36	0.05	6.60	-0.23	36.96	36.96	8.85	8.85	32.00
2012-13	2.00	2.00	12.99	-1.46	-1.50	0.00	-31.86	0.05	7.34	-0.20	39.19	39.19	9.48	9.48	34.00
पर्यावरण एवं बन्ध															
उपभोक्ता उत्पाद															

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कारे गाद	निवल धन के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
71 अपेक्षान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास नियम लिमिटेड												
2010-11	3.59	3.59	3.10	-13.48	-27.02	0.00	0.00	-120.48	0.22	-39.65	0.34	80.83
2011-12	3.59	3.59	7.10	-16.31	-31.97	0.00	0.00	-152.45	0.21	3.76	-4.34	156.21
2012-13	3.59	3.59	4.75	-18.12	-35.71	0.00	0.00	-188.16	0.19	-3.36	5.39	184.79
वित्त												
72 सेन्ट्रल रजिस्ट्री आफ सिक्यूरिटी इक्विशन एमेंट्स रिकॉर्ड्स इन्स्ट्रुक्शन एंड सिक्यूरिटी इन्स्ट्रुक्शन आफ इंडिया												
2011-12	27.75	25.00	50.55	45.07	29.72	0.00	0.00	57.47	0.52	57.47	0.78	0.00
2012-13	27.75	25.00	69.99	67.02	44.62	0.00	0.00	102.09	0.44	102.09	0.66	0.00
73 आईईबीआई इनप्राफिल लि.												119.25
2012-13	7.14	0.00	0.00	-4.49	0.00	0.00	2.66	-1.69	2.66	-1.69	0.00	2.78
74 आईआईएफसीएल एसमेंट मेंत्रेजमेंट कर्मपती लि.												
2012-13	12.50	0.00	0.87	0.08	0.05	0.00	12.55	0.00	12.55	0.01	0.00	13.29
75 आईआईएफसीएल पोजेक्टस लिमिटेड												
2012-13	0.50	0.00	0.72	0.03	0.02	0.00	0.00	0.52	0.03	0.52	0.05	0.00
76 इण्डिया इफारस्ट्रक्चर फाइनेन्स कर्मपती लिमिटेड												
2010-11	2000.00	2000.00	1931.68	1857.47	295.80	0.00	0.00	2582.25	0.11	22454.29	0.08	19872.04
2011-12	2500.00	2500.00	2540.43	2389.52	585.83	0.00	0.00	3668.08	0.16	24510.04	0.10	20841.96
2012-13	2900.00	2900.00	3279.02	3283.13	1046.99	221.13	0.08	4858.17	0.22	22696.77	0.14	17838.60
												35206.71

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
77 इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड												
2010-11	225.00	225.00	63.70	188.75	131.88	0.00	0.00	95.00	1.39	334.90	0.56	239.89
2011-12	225.00	225.00	43.54	123.96	113.42	0.00	0.00	208.80	0.54	208.80	0.59	0.00
*2012-13	225.00	225.00	43.54	123.96	113.42	0.00	0.00	208.80	0.54	208.80	0.59	0.00
78 नेशनल फाईनेंसियल होलिंग कंपनी लिमिटेड												
2012-13	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
79 सिक्युरिटी प्रिनिंग एण्ड लिनिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड												
2010-11	0.05	0.05	3164.49	816.94	577.19	115.44	2308.77	1923.32	0.30	4978.09	0.16	3054.78
2011-12	0.05	0.05	3499.92	874.87	582.47	116.49	2329.86	2370.39	0.25	5250.06	0.17	2879.67
2012-13	0.05	0.05	3628.04	489.30	334.07	84.70	1633.95	2695.44	0.12	5574.93	0.09	2879.49
80 सुती टेक ऑर्शन्स लिमिटेड												
2011-12	0.50	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.01	3.44	0.03	0.00
2012-13	0.50	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.09	0.51	0.01	-5.09	0.10	0.00
81 टी इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कर्सपनी लिमिटेड												
2010-11	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	2.03	0.04	-0.33	0.05	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.40	-0.01	0.40	0.00	0.04
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.19	-0.01	0.19	0.00	0.04

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत टनओवर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कारण बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कर्जे	संचित हानि
82 औनिथ सिक्युरिटीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड												
2010-11	0.20	0.00	0.63	0.52	0.10	0.50	5.33	0.10	5.33	0.10	0.00	0.00
2011-12	0.20	0.00	0.58	0.34	0.12	0.60	5.53	0.06	5.53	0.06	0.00	0.00
2012-13	0.20	0.00	0.73	0.55	0.12	0.60	5.94	0.09	5.94	0.09	0.00	0.00
बीमा												
83 जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड												
2010-11	430.00	430.00	11681.27	1189.35	0.00	0.00	34444.94	0.03	34444.94	0.03	0.00	0.00
2011-12	430.00	430.00	13617.95	-2490.61	-2468.69	0.00	31954.29	-0.08	31954.29	-0.08	0.00	0.00
2012-13	430.00	430.00	15085.87	2382.17	2344.62	468.70	1.09	34729.58	0.07	34729.58	0.07	0.00
84 लेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड												
2010-11	100.00	100.00	-270.90	75.40	74.89	0.00	0.00	1596.09	0.05	1596.09	0.05	0.00
2011-12	100.00	100.00	400.04	331.06	325.21	0.00	0.00	1958.72	0.17	1958.72	0.17	0.00
2012-13	100.00	100.00	868.52	858.49	697.84	139.14	1.39	2518.06	0.28	2518.06	0.34	0.00
85 ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड												
2010-11	100.00	100.00	4314.89	179.38	54.60	0.00	0.00	10192.97	0.01	10192.97	0.02	0.00
2011-12	100.00	100.00	4893.06	373.73	486.31	0.00	0.00	9871.33	0.05	9871.33	0.04	0.00
2012-13	150.00	150.00	5545.24	795.19	533.88	106.50	0.71	10373.82	0.05	10373.82	0.08	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित तंत्री के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित तंत्री के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि		
86 दि न्यू इण्डिया एँथरेन्स कम्पनी लिमिटेड													
2010-11	200.00	200.00	7192.23	-411.37	-421.56	0.00	0.00	23706.30	-0.02	23706.30	-0.02	0.00	0.00
2011-12	200.00	200.00	8771.21	156.16	179.31	40.00	0.20	23073.56	0.01	23073.56	0.01	0.00	0.00
2012-13	200.00	200.00	9450.64	1011.22	843.66	170.00	0.85	24215.88	0.03	24215.88	0.04	0.00	0.00
87 यूनाइटेड इण्डिया इन्फ्रारेन्स कम्पनी लिमिटेड													
2010-11	150.00	150.00	5116.94	130.83	130.54	30.00	0.20	8964.18	0.01	8964.18	0.01	0.00	0.00
2011-12	150.00	150.00	6087.24	469.28	386.79	78.00	0.52	8434.29	0.05	8434.29	0.06	0.00	0.00
2012-13	150.00	150.00	7250.94	617.86	527.33	106.00	0.71	8699.61	0.06	8699.61	0.07	0.00	0.00
स्थानीय एवं परिवार कल्याण													
रसायन एवं पेट्रोरसायन													
88 इण्डियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	17.00	17.00	7.02	24.41	0.40	0.12	0.00	0.00	21.93	0.01	22.58	0.02	0.65
2011-12	41.00	41.00	40.02	24.90	1.88	1.52	0.00	0.00	46.27	0.03	46.35	0.04	0.08
2012-13	41.00	41.00	40.02	29.67	4.65	4.46	0.00	0.00	50.51	0.09	50.51	0.09	0.00
उपक्रोक्त उत्पाद													
89 एचएलएल बायोटेक लिमिटेड													
2012-13	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.01	0.00	178.01	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	इक्विटी टी के लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	बकाया कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
90 एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड												
2010-11	15.54	15.54	514.72	32.74	18.43	2.33	0.15	155.96	0.12	166.14	0.20	10.18
2011-12	43.54	43.54	603.38	38.32	20.54	2.82	0.06	202.66	0.10	221.14	0.17	18.48
2012-13	193.54	193.54	828.77	51.84	30.08	3.86	0.02	372.91	0.08	425.56	0.12	52.65
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श												
91 एचएमसी इण्डिया लिमिटेड												
2010-11	2.40	2.40	23.11	13.21	8.34	1.73	0.72	78.72	0.11	78.72	0.17	0.00
2011-12	2.40	2.40	29.29	23.52	14.72	3.00	1.25	89.95	0.16	89.95	0.26	0.00
2012-13	2.40	2.40	33.80	36.01	22.57	4.68	1.95	106.91	0.21	106.91	0.34	0.00
आरी उद्योग एवं लोक उद्यम												
उपभोक्ता उत्पाद												
92 सीमोंट कारपोरेशन औफ इण्डिया लिमिटेड												
2010-11	811.41	769.66	332.88	63.96	27.13	0.00	0.00	-185.37	-0.15	186.35	0.34	371.72
2011-12	811.40	414.22	370.93	28.54	19.43	0.00	0.00	-150.27	-0.13	37.63	0.76	187.90
2012-13	811.41	455.98	316.56	21.52	8.11	0.00	0.00	-142.15	-0.06	519.51	0.04	661.66
93 हिंदूस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड												
2010-11	100.00	0.00	301.74	6.03	5.04	4.00	0.04	192.14	0.03	192.14	0.03	0.00
2011-12	100.00	0.00	315.09	7.73	6.89	0.00	0.00	199.03	0.03	199.03	0.04	0.00
2012-13	100.00	0.00	323.64	-11.12	-18.09	0.00	0.00	180.94	-0.10	180.94	-0.06	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी रई	इक्विटी टनओवर	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपा त	भारत सरकार के कर्जे के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपा त	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
94 हिंदूस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड												
2010-11	717.30	662.70	661.95	-62.37	-63.34	0.00	0.00	777.41	-0.08	833.86	-0.07	56.45
2011-12	717.30	662.70	726.34	-132.80	-95.20	0.00	0.00	682.21	-0.14	851.00	-0.16	168.79
2012-13	717.30	662.70	595.45	-199.57	-151.87	0.00	0.00	530.35	-0.29	705.21	-0.28	174.87
95 हिंदूस्तान साल्ट्स लिमिटेड												
2010-11	25.56	22.56	13.25	1.21	-0.49	0.00	0.00	21.95	-0.02	41.96	0.03	20.01
2011-12	25.56	25.56	9.62	2.16	0.22	0.00	0.00	23.68	0.01	45.89	0.05	22.21
2012-13	25.56	25.56	8.73	2.82	0.74	0.00	0.00	25.02	0.03	25.62	0.11	0.60
96 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड												
2010-11	1.03	0.00	11.26	0.70	0.28	0.00	0.00	3.25	0.09	4.74	0.15	1.49
2011-12	1.03	0.00	15.79	0.87	0.47	0.00	0.00	3.65	0.13	4.67	0.19	1.02
2012-13	1.03	0.00	9.50	0.34	0.08	0.00	0.00	3.73	0.02	4.51	0.08	0.78
97 जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड												
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	0.00	-1.34	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	-1.54	-1.54	0.00	0.00	0.00	-1.49	1.03	-1.49	1.03	0.00
2012-13	0.05	0.00	-0.18	-0.18	0.00	0.00	0.00	-1.66	0.11	-1.66	0.11	0.00

**परिशेष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)**

**परिशेष्ट-VI (जारी)
(₹ करोड़ में)**

मंत्रालय/ शेणी / कंपनी वर्ष	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत सरकार टर्नओवर लाभ / हानि)	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	नेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के बाद लाभ का अनुपात	नियत धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपा त	भारत सरकार के कर्जे के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपा त	कुल परिसम्प तियां के लिए ब्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपा त	मंचित हानि
102 ईथरेट बन्ट एंड जेसोप कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड												
2010-11	20.26	20.26	152.60	5.39	3.60	0.05	0.00	25.46	0.14	39.97	0.13	14.51
2011-12	20.26	20.26	200.33	6.90	4.77	0.10	0.00	30.11	0.16	40.46	0.17	10.35
2012-13	20.26	20.26	302.21	58.83	42.08	4.05	0.20	67.45	0.62	76.60	0.77	9.15
भारी उद्योग												
103 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड												
2010-11	120.86	103.73	11.51	0.46	0.02	0.00	0.00	121.61	0.00	201.93	0.00	80.32
2011-12	120.86	103.73	15.66	0.60	0.11	0.00	0.00	121.72	0.00	129.82	0.00	8.10
2012-13	120.86	103.73	15.23	0.93	0.36	0.00	0.00	122.08	0.00	128.76	0.01	6.69
भारत हेल्प एंड वेस्टर्स लिमिटेड												
2010-11	33.80	0.00	136.98	2.43	8.78	0.00	0.00	-229.76	-0.04	-229.76	-0.01	0.00
2011-12	67.80	0.00	155.80	11.84	10.44	0.00	0.00	-185.32	-0.06	33.55	0.35	218.87
2012-13	67.80	0.00	240.27	36.01	35.04	0.00	0.00	-150.28	-0.23	84.70	0.43	234.98

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत टनओवर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित नियोजित पूँजी पूँजी के नियां व्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपा त	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि			
105 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड															
2010-11	54.99	54.99	1221.39	93.74	57.68	1.65	0.03	214.60	0.27	214.60	0.44	0.00	0.00	1164.90	0.00
2011-12	54.99	54.63	1264.35	84.33	45.80	2.75	0.05	257.20	0.18	257.20	0.33	0.00	0.00	1215.94	0.00
2012-13	54.99	54.63	1320.45	74.24	38.40	2.75	0.05	292.39	0.13	292.39	0.25	0.00	0.00	1329.92	0.00
106 हेवी इंजीनियरिंग कारपरिशन लिमिटेड															
2010-11	606.08	606.08	681.21	39.06	38.14	0.00	0.00	-177.22	-0.22	-177.22	-0.22	0.00	0.00	873.22	780.00
2011-12	606.08	606.08	735.99	13.74	8.58	0.00	0.00	-170.26	-0.05	-170.26	-0.08	0.00	0.00	945.33	776.00
2012-13	606.08	606.08	749.71	31.39	20.38	0.00	0.00	-154.55	-0.13	-154.55	-0.20	0.00	0.00	963.45	761.00
107 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड															
2010-11	21.27	21.27	0.64	-6.75	-53.18	0.00	0.00	-613.03	0.09	-81.68	0.08	531.34	531.34	22.95	634.00
2011-12	21.27	21.27	1.87	-4.28	-52.34	0.00	0.00	-665.37	0.08	-582.34	0.01	83.03	39.82	20.91	687.00
2012-13	21.17	21.17	1.69	-26.02	-75.87	0.00	0.00	-741.34	0.10	-675.85	0.04	65.50	12.28	12.26	763.00
108 त्रिभुवा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड															
2010-11	8.44	6.69	3.12	-1.06	-26.12	0.00	0.00	-311.06	0.08	-34.33	0.03	276.74	276.74	14.27	319.00
2011-12	8.44	6.69	2.90	-2.24	-28.75	0.00	0.00	-339.82	0.08	-335.15	0.01	4.66	4.66	10.93	348.00
2012-13	8.44	6.69	1.30	-4.23	-31.15	0.00	0.00	-370.97	0.08	-366.16	0.01	4.80	4.80	10.76	379.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी/ रई	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बैंकी/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित नियोजित पूँजी पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपा त	बकाया कर्जे	नियोजित नियोजित पूँजी पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपा त	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
109 यूल इलेक्ट्रीकल लिमिटेड																	
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.09	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	0.00	-0.05	1.96	0.00	38.57	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110 यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड																	
2010-11	0.05	0.00	0.29	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.54	0.05	0.71	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.09	0.04	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.06	0.16	-0.02	0.13	0.00	0.00	0.17	0.00
ऑर्योगिक विकास																	
111 भारत पंप्स एंड कंपनीजरस लिमिटेड																	
2010-11	53.53	53.53	210.21	19.51	9.53	0.54	0.01	141.24	0.07	185.63	0.11	44.40	0.00	303.30	0.00		
2011-12	53.53	53.53	152.15	3.58	-1.51	0.00	0.00	140.32	-0.01	192.32	0.02	52.00	0.00	258.99	0.00		
2012-13	53.53	53.53	129.02	-23.78	-27.91	0.00	0.00	112.41	-0.25	124.41	-0.19	12.00	0.00	253.40	0.00		
112 एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड																	
2010-11	37.71	0.00	11.48	-13.15	-21.32	0.00	0.00	-64.74	0.33	-64.74	0.20	0.00	0.00	18.74	102.00		
2011-12	37.71	0.00	16.12	1.54	-10.12	0.00	0.00	-74.85	0.14	-39.18	-0.04	35.67	33.67	22.22	113.00		
2012-13	37.71	0.00	12.54	8.70	-2.07	0.00	0.00	-76.92	0.03	-14.23	-0.61	62.69	60.69	29.42	115.00		

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी सरकार द्वारा धारित इक्विटी	भारत सरकार टनओवर	बिक्री/ टनकार	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित नियोजित पूँजी नित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपा त	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि			
113 एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड																
2010-11	1.66	0.00	0.11	-8.82	0.00	0.00	-45.82	0.00	-387.10	0.12	-35.73	0.25	351.37	277.50	12.63	389.00
2011-12	1.66	0.00	0.08	-3.96	0.00	0.00	-44.03	0.00	-431.14	0.10	-279.18	0.01	151.96	151.96	12.56	433.00
2012-13	1.66	0.00	0.36	-51.16	0.00	0.00	-51.16	0.00	-482.30	0.11	-315.21	0.16	167.09	167.09	12.80	484.00
114 एचएमटी कशीन ट्रस्ट लिमिटेड																
2010-11	719.60	0.00	209.02	-85.29	-93.06	0.00	0.00	-111.91	0.83	-36.71	2.32	75.19	65.01	310.55	310.55	831.00
2011-12	719.60	0.00	240.46	-30.15	-46.14	0.00	0.00	-158.01	0.29	-158.01	0.19	0.00	0.00	314.58	314.58	878.00
2012-13	719.60	0.00	236.23	-23.55	-43.65	0.00	0.00	-201.66	0.22	-166.12	0.14	35.54	35.54	322.31	322.31	921.00
115 एचएमटी वॉचेज लिमिटेड																
2010-11	6.49	0.00	8.82	-125.76	-253.74	0.00	0.00	-1546.14	0.16	-190.33	0.66	1355.81	937.42	63.05	1553.00	
2011-12	6.49	0.00	10.24	-67.23	-224.04	0.00	0.00	-1770.18	0.13	-1162.78	0.06	607.40	607.40	63.40	1777.00	
2012-13	6.49	0.00	11.06	-64.30	-242.47	0.00	0.00	-2012.66	0.12	-1363.86	0.05	648.80	648.80	64.96	2019.00	
116 इंस्ट्रामेंट्स लिमिटेड																
2010-11	146.05	146.05	250.16	-24.05	-36.56	0.00	0.00	23.34	-1.57	105.62	-0.23	82.28	82.28	82.28	82.28	98.00
2011-12	146.05	146.05	192.65	-51.00	-67.69	0.00	0.00	-38.59	1.75	34.64	-1.47	73.22	5.56	345.17	345.17	166.00
2012-13	146.05	146.05	172.06	-32.14	-54.09	0.00	0.00	-88.40	0.61	-1.92	16.74	86.48	3.81	354.72	354.72	220.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी/ कंपनी वर्ग	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टनओवर	ब्याज और कर के लिए प्राप्तान से पहले लाभ/ (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि	लाभांश का अनुपा त	इक्विटी लिए लाभांश का अनुपा त	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	पूँजी के नियं ति	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि		
117 राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इस्टर्न्मेंट्स लिमिटेड															
2010-11	8.82	0.00	133.14	7.13	5.03	0.90	0.10	28.06	0.18	30.51	0.23	2.45	0.00	95.56	
2011-12	12.25	0.00	231.35	27.80	21.11	0.17	47.66	0.39	48.69	0.57	1.03	0.00	158.63	0.00	
2012-13	12.25	0.00	239.62	40.42	26.37	2.09	0.17	71.58	0.37	72.01	0.56	0.43	0.00	129.59	0.00
118 रिचर्सन एंड क्रिडास (1972) लिमिटेड															
2010-11	54.83	54.83	84.60	11.40	-21.55	0.00	0.00	-342.52	0.06	26.05	0.44	368.57	368.57	79.13	
2011-12	54.84	54.84	74.34	15.05	-16.26	0.00	0.00	-358.78	0.05	-257.00	-0.06	101.78	101.78	89.35	
2012-13	54.84	54.84	73.26	12.76	-29.48	0.00	0.00	-388.26	0.08	-286.48	-0.04	101.78	101.78	94.18	
ऑर्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श															
119 इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर्स (ईंडिया) लिमिटेड															
2010-11	35.42	35.42	1106.70	24.44	15.05	7.08	0.20	160.50	0.09	160.50	0.15	0.00	0.00	5563.91	
2011-12	35.42	35.42	901.27	42.84	24.47	7.08	0.20	176.73	0.14	176.73	0.24	0.00	0.00	5986.41	
2012-13	35.42	35.42	840.61	37.97	21.46	7.08	0.20	189.94	0.11	189.94	0.20	0.00	0.00	6349.01	

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्ज	भारत सरकार के कर्ज	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि

ट्रैडिंग एंड जारीकरण

120 एचएमटी (इंटरतेशनल) लिमिटेड

2010-11	0.72	0.00	27.89	0.32	0.21	0.14	0.20	25.52	0.01	25.52	0.01	0.00	0.00
2011-12	0.72	0.00	32.40	1.76	1.35	0.14	0.20	26.70	0.05	26.70	0.07	0.00	0.00
2012-13	0.72	0.00	34.09	6.85	4.48	0.14	0.20	31.02	0.14	31.02	0.22	0.00	0.00

परिवहन उपकरण

121 राष्ट्रीय बाइसिकल नापारेशन औफ इंडिया लिमिटेड

2010-11	5.65	5.65	0.00	2.66	-19.67	0.00	0.00	-351.44	0.06	-280.77	-0.01	70.67	70.67
2011-12	5.65	5.65	0.00	2.29	-13.23	0.00	0.00	-364.67	0.04	4.30	0.53	368.96	368.96
2012-13	5.65	5.65	0.00	-1.59	-17.38	0.00	0.00	-382.05	0.05	1.56	-1.02	383.61	383.61

गृह मामले

संचिदा और निर्माण सेवाएं

122 दिल्ली पुलिस हाफिसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड													
2010-11	5.00	5.00	69.00	0.60	0.42	0.00	0.00	7.08	0.06	7.08	0.09	0.00	0.00
2011-12	5.00	5.00	35.61	0.57	0.39	0.00	0.00	6.88	0.06	6.88	0.08	0.00	0.00
2012-13	5.00	5.00	8.44	1.34	0.90	0.00	0.00	7.78	0.12	7.78	0.17	0.00	0.00

हाफिसिंग और शहरी गरिबी उन्नयन
संचिदा और निर्माण सेवाएं

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इकाविटी	भारत सरकार द्वारा धारित इकाविटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन	इकाविटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि			
2010-11	134.77	134.77	134.77	203.07	6.03	4.61	0.00	0.00	10.14	0.45	10.14	0.59	0.00	0.00	206.40	125.00
2011-12	134.77	134.77	134.77	229.12	3.09	2.47	0.00	0.00	12.61	0.20	12.61	0.24	0.00	0.00	249.38	122.00
2012-13	134.77	134.77	134.77	164.94	-3.55	-3.70	0.00	0.00	8.91	-0.41	8.91	-0.40	0.00	0.00	239.51	126.00
वित्तीय सेवाएं																
124 हातसिंग एंड अर्बन डिवलेपमेंट कापरेशन लिमिटेड																
2010-11	2001.90	2001.90	2001.90	2276.20	2076.91	550.03	110.02	0.05	5520.97	0.10	21199.63	0.10	15678.66	52.96	22668.82	0.00
2011-12	2001.90	2001.90	2001.90	2738.36	2493.36	630.33	140.01	0.07	5988.89	0.11	19711.88	0.13	13722.99	52.96	27493.47	0.00
2012-13	2001.90	2001.90	2001.90	2866.35	2607.81	700.56	150.00	0.07	6513.96	0.11	20018.36	0.13	13504.40	23.62	26949.15	0.00
मालव समाधान विकास																
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श																
125 एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड																
2010-11	1.50	1.50	1.50	67.23	3.85	2.49	1.50	1.00	20.24	0.12	20.24	0.19	0.00	0.00	71.16	0.00
2011-12	1.50	1.50	1.50	86.49	3.89	2.45	1.50	1.00	20.85	0.12	20.85	0.19	0.00	0.00	75.32	0.00
2012-13	2.00	2.00	2.00	60.85	8.16	4.26	2.00	1.00	23.64	0.18	26.14	0.31	2.50	0.00	122.83	0.00
संविदा और निर्माण सेवाएं																

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इकाविटी	भारत सरकार द्वारा धारित इकाविटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन के बाद लाभ का अनुपात	इकाविटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
126 ब्रॉडफार्स्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड													
2010-11	1.36	1.36	1.36	90.79	8.03	5.29	1.02	0.75	29.44	0.18	29.44	0.27	0.00
2011-12	1.36	1.36	1.36	109.04	4.59	2.03	0.43	0.31	30.97	0.07	30.97	0.15	0.00
2012-13	1.36	1.36	41.18	-7.84	-7.88	0.00	0.00	22.88	-0.34	23.33	-0.34	0.45	0.00
वित्तीय सेवाएं													
127 नेशनल फिल्स इंडियनप्रेट कार्पोरेशन लिमिटेड													
2010-11	45.40	45.40	45.40	181.25	1.72	1.69	0.00	0.00	12.18	0.14	19.14	0.09	6.96
2011-12	45.40	45.40	45.40	248.44	4.14	4.08	0.00	0.00	16.43	0.25	16.43	0.25	0.00
2012-13	45.40	45.40	238.65	8.45	6.35	0.00	0.00	22.78	0.28	22.78	0.37	0.00	0.00
दूरसंचार सेवाएं													
128 टीमीआईएल बीना टॉल रोड लिमिटेड													
2012-13	0.05	0.00	0.00	-0.14	-0.14	0.00	0.00	-0.09	1.54	-0.09	1.54	0.00	0.00
स्थान													
खनिज और आरु													
129 भारत गोल्ड माईन्स लिमिटेड													
2010-11	51.06	51.06	0.00	-3.12	-67.26	0.00	-1303.55	0.05	-125.70	0.02	1177.85	1177.85	21.76
2011-12	51.06	51.06	0.00	-2.48	-69.79	0.00	-1373.40	0.05	-1148.60	0.00	224.81	224.81	21.00
2012-13	51.06	51.06	0.00	-4.12	-74.97	0.00	-1448.37	0.05	-1229.15	0.00	219.22	219.22	18.94
झारखंड नेशनल मिनरल इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड													
2012-13	0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-7.33	0.00	-7.33	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन के बाद लाभ का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
131 मिनरल एक्स्प्रेस्ट्रेशन लिमिटेड													
2010-11	119.55	119.55	119.55	128.90	17.25	11.96	0.00	0.00	138.07	0.09	138.07	0.12	0.00
2011-12	119.55	119.55	150.13	25.06	17.32	0.00	0.00	155.07	0.11	155.07	0.16	0.00	162.31
2012-13	119.55	119.55	165.38	31.33	20.66	0.00	0.00	170.36	0.12	170.36	0.18	0.00	173.77
अन्यसंख्यक मामले													
वित्तीय सेवाएं													
132 नेशनल माइनरिटीज डिवलपमेंट एंड फाइनेंस का पार्टनरशिप लिमिटेड													
2010-11	933.17	760.36	26.66	31.61	31.61	0.00	0.00	1101.07	0.03	1101.07	0.03	0.00	1108.97
2011-12	1072.19	875.36	28.36	39.90	39.90	0.00	0.00	1280.00	0.03	1280.00	0.03	0.00	1288.46
2012-13	1197.22	975.00	30.88	43.61	43.61	0.00	0.00	1448.63	0.03	1448.63	0.03	0.00	1459.09
नई और नवीकरणीय ऊर्जा													
वित्तीय सेवाएं													
133 इंडिया रिटॉर्नेबल इनर्जी डिवलपमेंट एंडसी लिमिटेड													
2010-11	589.60	589.60	361.05	335.49	120.46	20.00	0.03	1264.12	0.10	3739.31	0.09	2475.19	239.08
2011-12	639.60	639.60	522.00	414.19	173.13	25.00	0.04	1457.99	0.12	5601.82	0.07	4143.83	233.03
2012-13	699.60	699.60	721.15	585.69	202.65	27.50	0.04	1688.35	0.12	6604.98	0.09	4916.63	248.15
प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक गैस													
आंशिक विकास													

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन के बाद लाभ का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
134 बीको लावरी लिमिटेड													
2010-11	42.00	24.10	84.43	5.36	3.75	0.00	0.00	-2.55	-1.47	30.21	0.18	32.76	0.00
2011-12	74.76	24.10	46.25	-13.60	-20.13	0.00	0.00	10.08	-2.00	10.08	-1.35	0.00	80.08
2012-13	74.76	24.10	48.07	-10.75	-11.95	0.00	0.00	-1.88	6.37	-1.88	5.73	0.00	77.52
आंयोगिक विकास और तकनीकी परामर्श													
135 सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड													
2010-11	1.00	0.00	29.49	15.32	10.22	3.25	45.59	0.22	45.59	0.34	0.00	0.00	52.93
2011-12	1.00	0.00	29.88	14.86	10.06	3.50	51.58	0.20	51.58	0.29	0.00	0.00	58.59
2012-13	1.00	0.00	28.47	11.36	7.67	4.00	54.59	0.14	54.59	0.21	0.00	0.00	61.32
पेट्रोलियम													
136 भारत पेट्रो रिसोर्सिज जेपीई लिमिटेड													
2010-11	15.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00	9.37	-0.03	77.50	0.00	68.13	0.00	77.74
2011-12	15.00	0.00	0.00	-1.96	-1.96	0.00	7.40	-0.27	81.86	-0.02	74.45	0.00	83.12
2012-13	25.00	0.00	0.00	-1.81	-1.81	0.00	15.60	-0.12	83.90	-0.02	68.30	0.00	85.86
137 भारत पेट्रो रिसोर्सिज लिमिटेड													
2010-11	1100.00	0.00	0.00	-18.98	0.00	0.00	1023.99	-0.02	1659.09	-0.01	635.10	0.00	1667.85
2011-12	1220.00	0.00	0.00	-88.94	-88.94	0.00	1055.04	-0.08	1841.90	-0.05	786.85	0.00	1931.06
2012-13	2370.00	0.00	0.00	-382.64	-382.64	0.00	1822.40	-0.21	1822.40	-0.21	0.00	0.00	1903.08

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के पूरी तरफ़ी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्ज	भारत सरकार के कर्ज	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
138 सीआरईए - एचपीसीएल बायोप्यूल लिमिटेड													
2010-11	10.58	0.00	0.00	-6.00	-6.01	0.00	0.00	3.02	-1.99	3.02	0.00	0.00	6.63
2011-12	18.85	0.00	0.04	5.03	5.02	0.00	0.00	17.05	0.29	17.05	0.00	0.00	19.51
2012-13	18.85	0.00	0.00	-3.10	-3.10	0.00	0.00	13.95	-0.22	13.95	0.00	0.00	15.60
139 गेल गेस लिमिटेड													
2010-11	135.95	0.00	29.87	-1.98	1.11	0.00	0.00	133.15	0.01	222.56	-0.01	89.41	0.00
2011-12	222.30	0.00	290.77	14.72	8.34	0.00	0.00	227.84	0.04	376.49	0.04	148.65	0.00
2012-13	254.35	0.00	733.43	40.63	26.95	0.00	0.00	286.83	0.09	446.33	0.09	159.50	0.00
140 एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड													
2010-11	205.52	0.00	0.00	-7.14	-7.14	0.00	0.00	195.65	-0.04	593.03	-0.01	397.38	0.00
2011-12	205.52	0.00	4.93	-26.02	-43.60	0.00	0.00	152.05	-0.29	586.05	-0.04	434.00	0.00
2012-13	205.52	0.00	95.48	-71.18	-147.22	0.00	0.00	4.83	-30.47	619.09	-0.11	614.26	0.00
141 इडियन स्ट्रीटिक ऐटोलियम रिजर्व्स लिमिटेड													
2010-11	962.00	0.00	0.00	-9.20	-9.20	0.00	0.00	952.80	-0.01	952.80	-0.01	0.00	1051.91
2011-12	1532.12	0.00	0.00	-2.47	-2.47	0.00	0.00	1520.44	0.00	1520.44	0.00	0.00	1718.79
2012-13	2343.48	0.00	0.00	-8.85	-8.85	0.00	0.00	2322.96	0.00	2322.96	0.00	0.00	2519.46
142 आईओसी-सीआरईटीए बायो फ्यूल्स लिमिटेड													
2010-11	12.00	0.00	0.02	-0.07	0.00	0.00	0.00	10.56	-0.01	10.56	0.00	0.00	11.36
2011-12	16.00	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.00	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	17.15
2012-13	22.50	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	21.97

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
143	केरल गेल गेस लिमिटेड	4.85	0.00	0.00	0.18	0.00	0.12	0.00	0.00	4.97	0.02	4.97	0.04
2012-13													0.00
144	नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	735.63	0.00	8972.19	443.44	279.26	110.34	0.15	2601.04	0.11	2697.96	0.16	96.92
2010-11													0.00
2011-12													4994.41
2012-13													0.00
145	ओएनजीसी पेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड	735.63	0.00	8757.01	322.25	144.26	73.56	0.10	2757.44	0.05	2797.92	0.12	64.71
2012-13													5182.17
146	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	1633.79	0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	1633.58	0.00	3307.58	0.00	1674.00	0.00
2010-11													15263.17
2011-12													0.00
2012-13													0.00
147	पाईज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	70.00	0.00	1.05	-4.13	-4.19	0.00	0.00	36.10	-0.12	36.10	-0.11	0.00
2011-12													10.06
2012-13													34.00
विष्टुत													
148	अणुशक्ति विष्टुत निगम लिमिटेड	72.50	0.00	7.21	-1.13	-1.25	0.00	0.00	37.34	-0.03	37.34	-0.03	0.00
2011-12													35.00
2012-13													13.08

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	सरकार के कर्जे	भारत परिसम्प	कुल परिसम्प	संचित हानि	
149 विरला सियूल सरना ट्रांसफरेन लिमिटेड										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.05	0.05	0.00	0.41	
150 भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड															0.00
2010-11	771.46	124.80	0.00	-0.02	0.00	0.00	770.95	0.00	895.50	0.00	124.55	0.00	942.96	1.00	
2011-12	771.46	179.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	770.94	0.00	1331.59	0.00	560.65	0.00	1482.84	1.00	
2012-13	771.46	179.00	0.00	-0.16	0.16	0.00	770.77	0.00	2351.92	0.00	1581.15	0.00	2768.81	1.00	
151 भेल इलैक्ट्रीफिल मशीनन्स लिमिटेड															
2011-12	10.50	0.00	21.14	-0.38	0.00	0.00	10.12	-0.04	10.12	-0.04	0.00	0.00	19.37	0.00	
2012-13	10.50	0.00	26.53	-1.07	0.55	0.00	9.58	-0.06	9.58	-0.11	0.00	0.00	25.44	1.00	
152 छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड															
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	40.05	0.00	40.00	0.00	46.64	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	41.23	0.00	41.18	0.00	51.96	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	45.34	0.00	45.29	0.00	61.11	0.00
153 कोस्टल कन्ट्राक पावर लिमिटेड															
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1.45	0.00	1.40	0.00	2.14	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1.47	0.00	1.42	0.00	2.46	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1.52	0.00	1.47	0.00	2.86	0.00
154 कोस्टल महाराष्ट्र मैग्ना पावर लिमिटेड															
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	40.05	0.00	40.00	0.00	45.85	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	40.05	0.00	40.00	0.00	49.40	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	40.05	0.00	40.00	0.00	52.48	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
155 कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड														
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	39.99	0.00	40.00	0.00	
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.00	0.06	1.20	40.06	0.00	40.00	0.00	
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.07	0.08	40.07	0.00	40.00	0.00	
156 कॉस्स बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड														
2012-13	12.18	0.00	0.00	-0.15	-0.16	0.00	0.00	12.11	-0.01	12.11	-0.01	0.00	0.00	
157 देवगढ़ मेंगा पावर लिमिटेड														
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.08	2.35	0.00	2.31	0.00	
158 ईजीईएन ट्रांसमिशनस कंपनी लिमिटेड														
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.07	0.05	-0.07	0.00	0.00	
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
159 घोघरपल्ली इंटररेटिड पावर कंपनी लिमिटेड														
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	15.22	0.00	15.18	0.00	
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	15.22	0.00	15.18	0.00	
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	15.22	0.00	15.18	0.00	
160 क्रांति बिजली उत्पादन लिंगम लिमिटेड														
2010-11	344.66	0.00	48.58	-10.80	-14.62	0.00	0.00	628.05	-0.02	649.76	-0.02	21.71	0.00	
2011-12	566.88	0.00	127.53	16.11	5.35	0.00	0.00	920.49	0.01	1384.41	0.01	463.92	0.00	
2012-13	638.08	0.00	-13.13	-12.90	0.00	0.00	1002.97	-0.01	2112.94	-0.01	1109.97	0.00	2443.55	0.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंचात्मक/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	बिक्री/ टन्ड्रावार	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
161 कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड										0.05	-0.07	0.05	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
162 लोकटक डाकन स्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड													
2010-11	98.46	0.00	0.00	4.16	2.71	0.00	0.00	100.00	0.03	100.00	0.04	0.00	110.82
2011-12	103.46	0.00	0.00	6.00	4.05	0.00	0.00	109.06	0.04	109.06	0.06	0.00	121.56
2012-13	117.69	0.00	0.00	6.80	4.59	0.00	0.00	127.88	0.04	127.88	0.05	0.00	167.48
163 मेजा कर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड													
2010-11	168.86	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	221.19
2011-12	224.86	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	222.37	0.00	222.37	0.00	0.00	286.59
2012-13	824.86	0.00	0.00	-0.12	-0.12	0.00	0.00	822.25	0.00	822.25	0.00	0.00	1188.51
164 नवीनगर पावर नेटवर्किंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड													
2010-11	306.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	326.55
2011-12	483.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	481.72	0.00	481.72	0.00	0.00	689.72
2012-13	940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.97	0.00	938.97	0.00	0.00	1401.01
165 नेलोर ट्रांसमिशन लिमिटेड													
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.06	0.05	-0.06	0.00	0.48
166 नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड													
2012-13	0.10	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-1.90	1.05	-1.90	1.05	0.00	136.17
													2.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूरी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्ज	भारत सरकार के कर्ज	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
167 एनएचईसी लिमिटेड													
2010-11	1962.58	0.00	917.03	642.70	304.13	39.25	0.02	4625.23	0.07	6827.58	0.09	2202.35	0.00
2011-12	1962.58	0.00	1265.64	1079.02	646.90	58.88	0.03	5238.65	0.12	6878.47	0.16	1639.82	0.00
2012-13	1962.58	0.00	1095.45	951.74	575.64	58.88	0.03	5723.74	0.10	7112.12	0.13	1388.38	0.00
168 नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड													
2010-11	3277.76	3231.93	1198.27	331.48	263.57	79.07	0.02	4619.28	0.06	5489.01	0.06	869.73	15.30
2011-12	3292.24	3292.23	1197.67	273.13	219.12	65.73	0.02	4780.15	0.05	6003.84	0.05	1223.69	163.13
2012-13	3322.75	3314.64	1325.24	302.38	242.30	72.69	0.02	5006.02	0.05	6869.77	0.04	1863.75	242.30
169 एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड													
2010-11	0.08	0.00	57.25	15.53	6.02	4.00	50.00	50.73	0.12	50.73	0.31	0.00	0.00
2011-12	0.08	0.00	46.10	11.12	7.66	5.00	61.80	52.58	0.15	52.58	0.21	0.00	0.00
2012-13	0.08	0.00	16.35	-24.66	-24.59	0.00	0.00	28.00	-0.88	28.00	-0.88	0.00	0.00
170 एनटीपीसी हाईड्रो लिमिटेड													
2010-11	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33	0.00	106.33	0.00	0.00	108.94
2011-12	121.56	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	116.19
2012-13	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	160.14
171 एनटीपीसी विषुत व्यापार लिमिटेड													
2010-11	20.00	0.00	58.43	45.33	30.06	15.00	0.75	167.87	0.18	167.87	0.27	0.00	0.00
2011-12	20.00	0.00	48.60	168.00	111.93	20.00	1.00	324.57	0.34	324.57	0.52	0.00	697.91
2012-13	20.00	0.00	3042.96	-52.78	-34.84	0.00	0.00	377.99	-0.09	378.98	-0.14	0.99	0.00

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्ज	भारत सरकार के कर्ज	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
172 ड्रीमा इंटर्नेट पावर लिमिटेड													
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17	-0.04	51.17	0.00	51.34	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	58.73	0.00	58.90	78.54
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	67.08	0.00	67.25	0.00
173 पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड													
2011-12	0.10	0.00	0.16	0.08	0.05	0.00	0.00	0.15	0.33	0.15	0.52	0.00	0.20
2012-13	0.10	0.00	1.72	1.27	0.86	0.00	0.00	1.00	0.85	1.00	1.27	0.00	0.00
174 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड													
2010-11	0.05	0.00	46.07	40.84	26.96	0.00	0.00	58.38	0.46	58.38	0.70	0.00	88.78
2011-12	0.05	0.00	49.06	42.11	27.66	0.00	0.00	86.04	0.32	86.04	0.49	0.00	106.63
2012-13	0.05	0.00	27.21	23.39	16.38	0.00	0.00	102.42	0.16	102.42	0.23	0.00	107.55
175 पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड													
2011-12	4.99	0.00	0.00	-2.35	-1.62	0.00	0.00	3.37	-0.48	3.37	-0.70	0.00	2.73
2012-13	109.99	0.00	0.05	-0.25	-0.40	0.00	0.00	107.97	0.00	107.97	0.00	0.00	107.60
176 पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड													
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.05	0.00	0.05
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.05	0.03	0.00	0.05
177 पावर सिस्टम्स औपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड													
2010-11	30.64	0.00	97.31	26.45	9.93	3.06	0.10	78.92	0.13	119.23	0.22	40.31	0.00
2011-12	30.64	0.00	161.59	85.63	50.52	9.20	0.30	116.76	0.43	116.76	0.73	0.00	860.90
2012-13	30.64	0.00	220.04	125.31	85.65	12.26	0.40	188.12	0.46	188.12	0.67	0.00	1074.99

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूरी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
178 पावरशील एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड													
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.07	0.05	-0.07	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	20.60
179 पावरशील वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड													
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.06	0.05	-0.06	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	19.26
180 आरईसी पावर हिस्ट्रीट्यूशन कंपनी लिमिटेड													
2010-11	0.05	0.00	19.84	6.17	4.04	0.05	1.00	8.15	0.50	8.15	0.76	0.00	29.54
2011-12	0.05	0.00	22.77	12.88	8.67	0.05	1.00	16.13	0.54	16.13	0.80	0.00	36.38
2012-13	0.05	0.00	29.82	15.98	10.81	0.05	1.00	26.88	0.40	26.88	0.59	0.00	39.88
181 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड													
2010-11	0.05	0.00	15.00	16.36	10.92	0.00	0.00	30.77	0.35	30.77	0.53	0.00	30.79
2011-12	0.05	0.00	15.00	18.10	11.71	0.10	2.00	42.36	0.28	42.36	0.43	0.00	45.93
2012-13	0.05	0.00	4.46	2.92	0.10	2.00	45.17	0.06	45.17	0.10	0.00	0.00	52.84
182 सखीगोपाल इंटरेटिड पावर कंपनी लिमिटेड													
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	16.31	0.00	17.75
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	16.31	0.00	19.15
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	16.31	0.00	20.37
183 सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया													
2011-12	4.00	2.00	0.00	-2.33	-2.33	0.00	0.00	1.67	-1.40	0.00	0.00	0.00	1.46
2012-13	21.00	21.00	0.00	-4.77	-4.77	0.00	0.00	13.90	-0.34	13.90	-0.34	0.00	60.02

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के पूरी तरफ़ी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित त पूरी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि		
184 तीनिया अंधे मेंगा पावर																
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	18.15	0.00		
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	0.00	20.00	0.00		
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	0.00	20.00	0.00		
185 टीएचईसी इंडिया लिमिटेड																
2010-11	3297.58	2373.70	1670.04	1070.53	600.48	181.00	0.05	5772.66	0.10	10334.08	0.10	4561.42	0.00	11518.26	0.00	
2011-12	3342.58	2373.70	2045.58	1334.07	703.83	212.00	0.06	6207.14	0.11	10695.48	0.12	4488.34	0.00	12454.65	0.00	
2012-13	3443.09	2508.15	1956.14	1202.61	531.38	0.00	0.00	6771.49	0.08	10237.73	0.12	3466.24	0.00	12561.08	0.00	
186 उच्चाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड																
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	-0.05	0.05	0.00	0.00	0.47	0.00
187 विजाग ट्रांसमिशनस लिमिटेड																
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	-0.06	0.05	0.00	0.00	0.41	0.00
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00
रेलवे																
संविदा और निर्माण सेवाएं																
188 आईआरसीओएन इंफ्रास्ट्रक्चर नियमितेड																
2010-11	4.90	0.00	1.10	0.09	0.07	0.00	0.00	4.95	0.01	28.15	0.00	23.20	0.00	35.85	0.00	
2011-12	4.90	0.00	6.06	3.82	2.56	0.00	0.00	7.51	0.34	58.43	0.07	50.92	0.00	72.20	0.00	
2012-13	40.00	0.00	12.58	2.79	1.92	0.00	0.00	44.53	0.04	78.53	0.04	34.01	0.00	99.86	0.00	

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इकाई	भारत सरकार द्वारा धारित इकाई	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	इकाईं के लिए धन का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
189 रेल विकास निगम लिमिटेड													
2010-11	2085.02	2085.02	1444.65	161.21	61.09	12.50	0.01	2239.60	0.03	6411.30	0.03	4171.70	2324.53
2011-12	2085.02	2085.02	1597.92	119.33	98.38	20.00	0.01	2311.79	0.04	8020.22	0.01	5708.43	3979.12
2012-13	2085.02	2085.02	2116.85	167.46	135.55	27.00	0.01	2417.61	0.06	1010.95	0.02	7693.35	6015.95
वित्तीय सेवाएं													
190 इंडियन रेलवे फाइरेंस कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	1602.00	1602.00	3818.05	3727.36	485.20	100.00	0.06	4285.97	0.11	42387.19	0.09	38101.23	0.00
2011-12	2352.00	2102.00	4641.94	4633.57	480.78	100.00	0.04	5400.53	0.09	52350.77	0.09	46950.25	0.00
2012-13	2952.00	2352.00	5549.60	5532.48	521.57	110.00	0.04	6376.41	0.08	58668.04	0.09	52291.63	0.00
आग्री उद्योग													
191 आग्रत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड													
2010-11	9.07	9.07	37.54	-9.28	-9.99	0.00	0.00	-16.26	0.61	-11.26	0.82	5.00	5.00
2011-12	9.07	9.07	40.65	-7.89	-8.67	0.00	0.00	-24.93	0.35	-19.93	0.40	5.00	5.00
2012-13	9.07	9.07	20.71	-6.79	-7.59	0.00	0.00	-32.52	0.23	-27.52	0.25	5.00	5.00
बेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड													
2010-11	18.60	18.60	169.71	10.57	6.18	0.00	0.00	16.84	0.37	27.31	0.39	10.47	0.00
2011-12	24.60	24.60	257.98	11.30	6.89	0.00	0.00	29.73	0.23	36.83	0.31	7.10	6.77
2012-13	24.60	24.60	294.24	11.93	7.15	0.00	0.00	36.88	0.19	53.33	0.22	16.44	6.00

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
193 बन्ट स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड													
2010-11	162.63	0.00	152.95	1150.31	1162.14	0.00	0.00	488.06	2.38	522.13	2.20	34.07	0.00
2011-12	175.63	0.00	144.96	-177.69	-177.69	0.00	0.00	427.53	-0.42	456.83	-0.39	29.30	28.50
2012-13	175.63	0.00	209.87	-197.36	-197.36	0.00	0.00	410.45	-0.48	448.35	-0.44	37.91	33.00
आंयोगिक विकास और तकनीकी परामर्श													
194 राईट्स लिमिटेड													
2010-11	40.00	40.00	750.50	363.01	243.92	49.00	1.23	881.76	0.28	881.76	0.41	0.00	0.00
2011-12	40.00	40.00	884.43	255.98	164.49	33.00	0.82	1007.90	0.16	1007.90	0.25	0.00	0.00
2012-13	100.00	100.00	1017.85	345.07	245.44	50.00	0.50	1195.00	0.21	1195.00	0.29	0.00	0.00
दूरसंचार सेवाएं													
195 रेलटेल कापरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड													
2010-11	320.94	320.94	326.27	111.38	95.41	13.00	0.04	632.87	0.15	737.51	0.15	104.64	41.64
2011-12	325.26	320.94	347.42	110.85	85.85	14.00	0.04	706.77	0.12	1369.31	0.08	662.54	20.80
2012-13	320.94	320.94	362.07	142.25	111.59	15.00	0.05	796.61	0.14	796.61	0.18	0.00	0.00
पर्यटक सेवाएं													
196 इंडियन रेलवे केटरिंग एंड ट्रिजम कापरिशन लिमिटेड													
2010-11	20.00	20.00	737.96	130.09	60.79	12.16	0.61	211.41	0.29	211.41	0.62	0.00	0.00
2011-12	20.00	20.00	526.06	76.54	48.54	9.71	0.49	246.70	0.20	246.70	0.31	0.00	0.00
2012-13	20.00	20.00	684.51	92.41	58.84	11.77	0.59	291.77	0.20	291.77	0.32	0.00	0.00
परिवहन यंत्र													

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	नियोजित बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
197 सेल राईट्स बंगल वेगन इंस्ट्रिज लिमिटेड													
2011-12	20.44	0.00	0.00	-0.07	-0.09	0.00	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
2012-13	24.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36
परिवहन सेवाएं													
198 करकार एयर लिमिटेड													
2012-13	36.65	0.00	0.00	0.09	0.06	0.00	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
199 डेकोटिंड फ्राईट कॉरिडर कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	667.13	667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.13	0.00	705.13	0.00	38.00	827.47
2011-12	1165.05	1165.05	0.00	9.85	6.73	0.00	0.00	1165.05	0.01	1258.54	0.01	93.49	1363.32
2012-13	2707.74	2707.74	0.00	19.93	13.50	0.00	0.00	2707.74	0.00	2802.02	0.01	94.28	2928.28
200 फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजेस लिमिटेड													
2010-11	48.27	0.00	64.35	5.69	0.42	0.00	0.00	9.30	0.05	56.62	0.10	47.32	0.00
2011-12	48.27	0.00	39.89	-4.15	-12.22	0.00	0.00	-2.86	4.27	20.54	-0.20	23.40	0.00
2012-13	76.33	0.00	38.83	-2.56	-9.48	0.00	0.00	15.80	-0.60	15.80	-0.16	0.00	108.39
201 हसन मैगलोर रेल डिवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड													
2010-11	112.00	45.00	116.71	23.85	19.02	0.00	0.00	260.51	0.07	436.71	0.05	176.19	126.79
2011-12	112.00	45.00	71.12	-12.73	-12.78	0.00	0.00	246.85	-0.05	405.01	-0.03	158.16	99.79
2012-13	112.00	45.00	115.19	14.67	8.28	0.00	0.00	255.13	0.03	385.46	0.04	130.33	60.79
202 हाई स्पीड रेल कौरिरियर कारपोरेशन लिमिटेड													
2012-13	0.05	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	0.00	-0.02	3.04	-0.02	3.04	0.00	0.12

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूरी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि		
203 इंडियन रेलवे स्ट्रेशन हिंगलेपैट कारपरिशन लिमिटेड															
2012-13	20.00	0.00	0.00	-1.07	0.00	0.00	18.93	-0.06	18.93	-0.06	0.00	0.00	19.96	1.00	
204 कॉकण रेलवे कारपरिशन लिमिटेड															
2010-11	4885.97	4490.80	888.10	141.77	1.83	0.00	1556.87	0.00	3354.87	0.04	1798.00	0.00	4244.36	3329.00	
2011-12	4885.97	4490.80	946.17	152.37	18.74	0.00	1575.60	0.01	3242.30	0.05	1666.70	0.00	4146.63	3310.00	
2012-13	4885.97	4490.80	1085.69	-102.76	-235.41	0.00	1340.19	-0.18	2606.39	-0.04	1266.20	0.00	4046.78	3546.00	
205 मुंबई रेल विकास कारपरेशन															
2010-11	25.00	12.75	9.47	11.09	0.00	0.00	141.86	0.08	328.93	0.03	187.07	0.00	405.31	0.00	
2011-12	25.00	12.75	11.79	22.71	0.00	0.00	164.26	0.14	351.11	0.06	186.85	0.00	406.89	0.00	
2012-13	25.00	12.75	11.66	12.24	0.00	0.00	175.83	0.07	175.83	0.07	0.00	0.00	360.41	0.00	
206 राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड															
2010-11	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	
2011-12	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.98	-0.01	0.98	0.00	0.00	2.87	0.00	
2012-13	0.05	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00	-0.21	0.97	-0.21	0.97	0.00	0.00	4.52	0.00	
साइंस एंड टेक्नोलॉजी औद्योगिक विकास															
207 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड															
2010-11	53.27	53.27	152.99	-13.00	-17.25	0.00	0.00	22.43	-0.77	43.72	-0.30	21.29	20.82	183.38	31.00
2011-12	54.77	54.77	160.11	-11.13	-15.91	0.00	0.00	8.03	-1.98	66.40	-0.17	58.37	18.32	199.18	47.00
2012-13	55.77	55.77	192.16	2.46	-2.41	0.00	0.00	6.62	-0.36	60.88	0.04	54.26	15.73	208.33	49.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रलय/ क्षेत्रों/ वर्गों/ कंपनी	इक्किटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्किटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्राप्तधारा से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन	निवल धन के लिए कर के बाट लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए व्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित तंपूँजी के लिए व्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	हानि	संचित	
साइंस एंड टेक्नोलॉजी																
208 बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कॉर्पोरेशन	1.00	1.00	4.63	0.11	0.09	0.00	0.00	1.52	0.06	1.52	0.08	0.00	0.00	39.27	0.00	
2012-13																
ट्रेडिंग एंड सार्किटिंग																
209 तेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4.42	4.42	8.16	-1.58	-1.04	0.00	0.00	9.34	-0.11	9.34	-0.17	0.00	0.00	29.12	0.00	
2010-11	4.42	4.42	8.14	-0.85	-0.58	0.00	0.00	8.76	-0.07	8.76	-0.10	0.00	0.00	31.33	0.00	
2011-12	4.42	4.42	5.78	-2.46	-1.72	0.00	0.00	7.04	-0.24	7.71	-0.32	0.67	0.00	26.63	0.00	
2012-13	4.42	4.42	130.34	1.54	4.42	-23.93	0.00	0.00	-69.94	0.34	-69.94	-0.06	0.00	0.00	87.45	200.00
जरूरी/नी																
परिवहन उपकरण																
210 सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	130.48	130.34	1.51	-2.65	-4.93	0.00	0.00	-32.92	0.15	-32.92	0.08	0.00	0.00	170.28	163.00	
2010-11	130.48	130.34	1.31	5.82	-13.09	0.00	0.00	-46.01	0.28	-46.01	-0.13	0.00	0.00	173.14	176.00	
2011-12	130.48	130.34	1.54	4.42	-23.93	0.00	0.00	-69.94	0.34	-69.94	-0.06	0.00	0.00	87.45	200.00	
2012-13	130.48	130.34	113.28	1557.90	298.68	185.27	16.99	1175.70	0.16	1175.70	0.25	0.00	0.00	2381.97	0.00	
कोचीन शिपार्ट लिमिटेड																
2010-11	192.42	192.42	1461.72	372.57	227.53	16.87	0.09	967.80	0.24	967.80	0.38	0.00	0.00	2533.47	0.00	
2011-12	152.42	152.42	1416.63	266.09	172.33	19.73	0.13	1050.83	0.16	1050.83	0.25	0.00	0.00	2592.54	0.00	
2012-13	113.28	113.28	1557.90	298.68	185.27	16.99	0.15	1175.70	0.16	1175.70	0.25	0.00	0.00	2381.97	0.00	

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
212 हिन्दुस्तान शिप्यार्ट लिमिटेड													
2010-11	301.99	301.99	652.14	179.53	55.00	0.00	0.00	-628.02	-0.09	-0.34	-524.18	627.67	372.21
2011-12	301.99	301.99	522.20	-74.16	-85.98	0.00	0.00	-714.00	0.12	-341.79	0.22	372.21	1279.71
2012-13	301.99	301.99	462.29	-37.40	-55.17	0.00	0.00	-769.17	0.07	-396.96	0.09	372.21	1117.20
213 दुगली टॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड													
2010-11	28.61	28.61	28.61	0.00	-13.95	-62.25	0.00	0.00	-624.88	0.10	7.96	-1.75	632.84
2011-12	28.61	28.61	28.61	1.14	591.45	420.87	0.00	0.00	-203.05	-2.07	-194.14	-3.05	8.91
2012-13	28.61	28.61	5.13	-37.43	-39.84	0.00	0.00	-240.81	0.17	-224.84	0.17	15.97	14.43
परिवहन सेवाएं													
214 एन्सोर पोर्ट लिमिटेड													
2010-11	300.00	200.00	167.29	112.51	55.58	11.12	0.04	463.81	0.12	890.03	0.13	426.22	0.00
2011-12	300.00	200.00	248.64	186.94	96.72	19.34	0.06	538.05	0.18	908.09	0.21	370.04	0.00
2012-13	300.00	200.00	320.21	272.92	185.23	60.00	0.20	647.83	0.29	1041.64	0.26	393.81	0.00
215 सेटुमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	745.00	495.00	0.00	5.26	4.07	0.00	0.00	759.13	0.01	759.13	0.01	0.00	821.41
2011-12	745.00	495.00	5.73	3.54	1.91	0.00	0.00	798.93	0.00	798.93	0.00	0.00	856.66
2012-13	745.00	495.00	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	859.64
लघु उद्योग													
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल कंसल्टेन्ट्स													

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
216 नेशनल रसायन इंडस्ट्रीज कापोरेशन लिमिटेड													
2010-11	232.99	232.99	775.39	80.07	29.78	5.96	0.03	143.78	0.21	200.98	0.40	57.20	0.00
2011-12	387.99	387.99	1273.45	151.52	41.21	8.24	0.02	329.05	0.13	388.74	0.39	59.69	0.00
2012-13	462.99	462.99	1481.41	223.59	62.36	12.47	0.03	452.13	0.14	519.82	0.43	67.69	0.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता													
उपभोक्ता उत्पाद													
217 आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड													
2010-11	1.96	1.96	54.88	5.51	5.51	0.00	0.00	28.53	0.19	68.06	0.08	39.53	39.53
2011-12	1.96	1.96	81.71	11.70	11.70	0.00	0.00	36.86	0.32	76.39	0.15	39.53	39.53
2012-13	1.96	1.96	130.23	23.51	23.51	0.00	0.00	60.37	0.39	99.90	0.24	39.53	39.53
वित्तीय सेवाएं													
218 राष्ट्रीय पिछ़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम													
2010-11	602.35	602.35	22.28	19.20	0.00	0.00	0.00	875.69	0.02	875.69	0.02	0.00	880.51
2011-12	672.35	672.35	31.17	24.11	0.00	0.00	0.00	969.80	0.02	969.80	0.02	0.00	975.86
2012-13	700.00	700.00	34.30	25.89	0.00	0.00	0.00	1023.14	0.03	1023.14	0.03	0.00	1028.66
219 राष्ट्रीय हथकरघा वित्त एवं विकास निगम													
2010-11	166.80	166.80	3.16	1.55	1.55	0.00	0.00	194.38	0.01	194.38	0.01	0.00	200.84
2011-12	191.80	191.80	3.44	3.65	3.72	0.00	0.00	223.10	0.02	223.91	0.02	0.81	0.00
2012-13	211.80	211.80	3.81	4.64	4.64	0.00	0.00	247.75	0.02	247.75	0.02	0.00	251.74

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
220 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम													
2010-11	299.99	299.99	8.89	4.14	4.14	0.00	0.00	332.40	0.01	0.00	0.00	0.00	392.97
2011-12	344.99	344.99	8.65	6.83	6.83	0.00	0.00	382.30	0.02	0.00	0.00	0.00	398.43
2012-13	394.99	394.99	9.62	5.76	5.76	0.00	0.00	438.06	0.01	438.06	0.00	0.00	465.83
221 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम													
2010-11	596.80	596.80	22.29	14.64	13.95	0.00	0.00	811.50	0.02	811.50	0.02	0.00	854.87
2011-12	676.80	676.80	33.69	21.59	21.59	0.00	0.00	913.52	0.02	916.02	0.02	2.50	948.43
2012-13	781.80	781.80	42.79	24.86	24.86	0.00	0.00	1044.39	0.02	1049.48	0.02	5.09	1078.30
अंतरिक्ष													
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श													
222 एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	1.00	1.00	1035.16	210.65	138.87	27.78	670.15	0.21	670.15	0.31	0.00	0.00	2178.46
2011-12	1.00	1.00	1050.78	244.82	170.98	34.20	801.39	0.24	1981.69	0.12	1180.30	0.00	2468.56
2012-13	1.00	1.00	1168.74	255.06	177.07	35.42	937.02	0.19	2047.36	0.12	1110.35	0.00	2798.80
इस्यात													
ठेक तथा निर्माण सेवाएं													
223 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड													
2010-11	117.10	117.10	974.90	63.25	-38.09	0.00	0.00	-1343.89	0.03	257.80	0.25	1601.69	1052.64
2011-12	117.10	117.10	1171.42	121.86	-28.08	0.00	0.00	-1371.97	0.02	-204.03	-0.60	1167.94	1166.12
2012-13	117.10	117.10	1238.53	84.14	-19.81	0.00	0.00	-1391.78	0.01	-1347.60	-0.06	44.18	42.99

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग / कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए अनुसार प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन के बाट लाभ का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाट लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए धन के बाट लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे के लिए धन के बाट लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे के लिए धन के बाट लाभ का अनुपात	कुल परिसम्पत्ति तिथां	संचित हानि
224 सेल स्टिंडरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड													
2012-13	0.05	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.17	0.00	0.00	0.05
													0.00
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श													
225 मेकॉन्ट लिमिटेड													
2010-11	103.14	103.14	641.38	145.48	93.68	3.15	0.03	227.39	0.41	312.47	0.47	85.08	0.00
2011-12	90.54	90.54	643.83	208.50	136.36	10.98	0.12	338.15	0.40	363.15	0.57	25.00	0.00
2012-13	77.94	77.94	511.65	155.53	101.02	10.35	0.13	414.21	0.24	414.21	0.38	0.00	0.00
													1243.44
खटिज और थार्टर्स													
226 जम्मू-कश्मीर खटिज विकास लिमिटेड													
2010-11	4.74	0.00	0.00	-0.56	-0.48	0.00	0.00	-6.46	0.07	-6.46	0.09	0.00	0.00
2011-12	4.74	0.00	0.00	-0.64	-0.64	0.00	0.00	-7.10	0.09	-7.10	0.09	0.00	0.00
2012-13	4.74	0.00	0.00	-0.96	-0.96	0.00	0.00	-7.75	0.12	-7.75	0.12	0.00	0.00
													11.71
227 सेल राफेक्ट्रो कंपनी लिमिटेड													
2011-12	0.05	0.00	32.14	0.94	0.63	0.13	2.60	44.28	0.01	44.28	0.02	0.00	0.00
2012-13	0.05	0.00	107.23	14.79	14.78	4.60	92.01	54.46	0.27	54.46	0.27	0.00	0.00
													91.87
विषुत													
228 एनएमईसी पावर लिमिटेड													
2012-13	0.05	0.00	-2.63	0.00	-2.63	0.00	0.00	-2.58	1.02	-2.58	1.02	0.00	0.35
													3.00

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टन्डाओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के पूरी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
229 सेल जगदीश्वर पायर एवं लिमिटेड													
2011-12	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	0.04	0.00	0.00	0.05
2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04
इस्पात													
230 फेरो स्कैप लिमिटेड													
2010-11	2.00	0.00	160.78	1.92	1.20	0.40	0.20	137.41	0.01	137.41	0.01	0.00	211.01
2011-12	2.00	0.00	180.76	2.93	1.37	0.40	0.20	138.32	0.01	138.32	0.02	0.00	230.60
2012-13	2.00	0.00	186.79	4.00	1.96	0.40	0.20	139.81	0.01	139.81	0.03	0.00	218.85
231 एनएमईसी-सीएमईसी लिमिटेड													
2010-11	1.50	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	1.11	-0.02	1.11	-0.02	0.00	1.40
2011-12	3.05	0.00	0.00	0.02	0.13	0.00	0.00	2.79	0.05	2.79	0.01	0.00	2.99
2012-13	3.05	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	2.77	0.00	2.77	-0.01	0.00	3.00
232 राष्ट्रीय इस्पात लिंगम लिमिटेड													
2010-11	7827.32	7827.32	11516.99	1146.71	658.50	271.47	0.03	13229.22	0.05	13229.22	0.09	0.00	19053.45
2011-12	7727.32	7727.32	14570.19	1300.61	751.46	190.82	0.02	13659.29	0.06	13659.29	0.10	0.00	21501.65
2012-13	6346.82	6346.82	13565.28	885.72	352.83	133.17	0.02	12477.32	0.03	13718.88	0.06	1241.56	0.00
ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग													
233 एमएसटीसी लिमिटेड													
2010-11	2.20	1.98	1819.65	251.85	99.16	2.20	1.00	505.20	0.20	505.20	0.50	0.00	3416.15
2011-12	2.20	1.98	2625.31	277.70	118.39	23.69	10.77	596.06	0.20	596.06	0.47	0.00	4070.45
2012-13	8.80	7.91	6366.03	328.02	130.73	26.40	3.00	695.96	0.19	695.96	0.47	0.00	5908.92

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टन्डाओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाऊं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि		
वस्त्र															
उपक्रोक्तता उत्पाद															
234 बाइर्स नूट एंड एक्सप्रोट लिमिटेड															
2010-11	0.39	0.00	0.00	-0.45	-7.71	0.00	0.00	-84.70	0.09	-8.89	0.05	75.81	47.31	3.05	85.00
2011-12	0.39	0.00	0.00	-2.94	-11.09	0.00	0.00	-95.79	0.12	-8.82	0.33	86.97	51.63	3.54	96.00
2012-13	0.39	0.00	0.00	-0.87	-8.66	0.00	0.00	-104.44	0.08	-9.25	0.09	95.19	56.01	3.06	105.00
235 नेशनल नूट मेनेफेक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड															
2010-11	55.80	55.80	0.00	-119.23	-129.44	0.00	0.00	-183.43	0.71	108.67	-1.10	292.11	289.29	343.01	239.00
2011-12	55.80	55.80	15.76	-37.91	-38.21	0.00	0.00	-221.64	0.17	137.33	-0.28	358.97	346.35	225.02	277.00
2012-13	55.80	55.80	49.73	-15.71	-16.00	0.00	0.00	-237.65	0.07	156.36	-0.10	394.01	381.09	241.07	293.00
वस्त्र															
236 अपोलो डिजाइन अपरेल पार्क्स लिमिटेड															
2010-11	5.65	0.00	234.98	7.61	5.39	2.26	0.40	84.09	0.06	84.09	0.09	0.00	0.00	88.47	0.00
2011-12	5.65	0.00	176.64	8.07	4.96	2.26	0.40	86.42	0.06	86.42	0.09	0.00	0.00	92.18	0.00
2012-13	5.65	0.00	167.83	8.30	5.59	2.26	0.40	89.38	0.06	89.38	0.09	0.00	0.00	95.75	0.00
237 औरंगाबाद टेक्सटाइल्स एंड अपरेल पार्क्स लिमिटेड															
2010-11	2.08	0.00	54.84	0.95	0.64	0.42	0.20	14.05	0.05	14.05	0.07	0.00	0.00	15.47	0.00
2011-12	2.08	0.00	63.70	1.67	1.12	0.73	0.35	15.96	0.07	15.96	0.10	0.00	0.00	19.98	0.00
2012-13	2.08	0.00	47.40	0.41	0.25	0.21	0.10	15.97	0.02	15.97	0.03	0.00	0.00	26.50	0.00

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
238 गोल्डम्हर हिंजाइन एंड अपरेल पार्कर्स लिमिटेड													
2010-11	5.85	0.00	236.56	8.77	6.28	2.34	0.40	81.94	0.08	81.94	0.11	0.00	0.00
2011-12	5.85	0.00	168.38	8.06	4.94	2.34	0.40	84.16	0.06	84.16	0.10	0.00	0.00
2012-13	5.85	0.00	154.71	8.21	5.53	2.34	0.40	86.96	0.06	86.96	0.09	0.00	0.00
239 ईडिया ट्रान्सफर टेक्स्टाइल्स मिल्स लिमिटेड													
2010-11	12.71	0.00	119.62	12.02	8.45	5.08	0.40	131.26	0.06	131.26	0.09	0.00	0.00
2011-12	12.71	0.00	237.37	11.22	7.62	5.08	0.40	150.56	0.05	150.56	0.07	0.00	0.00
2012-13	12.71	0.00	141.43	9.88	6.78	5.08	0.40	151.39	0.04	151.39	0.07	0.00	0.00
240 नेशनल हैण्डल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	19.00	19.00	1226.75	6.93	4.30	0.87	0.05	33.46	0.13	33.46	0.21	0.00	0.00
2011-12	19.00	19.00	1101.07	3.76	2.46	0.57	0.03	35.47	0.07	35.47	0.11	0.00	0.00
2012-13	19.00	19.00	1375.47	10.32	6.97	1.41	0.07	40.64	0.17	40.64	0.25	0.00	0.00
241 नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	3062.16	3054.88	636.92	1133.11	1304.24	0.00	0.00	1730.21	0.75	2127.19	0.53	396.99	392.43
2011-12	3062.16	3054.88	692.34	187.88	130.14	0.00	0.00	1860.35	0.07	2300.68	0.08	440.33	438.45
2012-13	3062.16	3054.88	1025.97	136.01	85.12	0.00	0.00	1945.47	0.04	1945.47	0.07	0.00	0.00
242 न्यू सिटी ऑफ बांग्लौ मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड													
2010-11	9.17	0.00	128.00	7.95	6.37	3.67	0.40	59.94	0.11	59.94	0.13	0.00	0.00
2011-12	9.17	0.00	130.68	6.98	4.45	3.21	0.35	67.82	0.07	67.82	0.10	0.00	0.00
2012-13	9.17	0.00	91.51	5.78	3.99	2.75	0.30	68.59	0.06	68.59	0.08	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंचात्मक/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	सरकार के कर्जे	भारत परिसम्प्र तियां	कुल परिसम्प्र तियां	संचित हानि
243 द ब्रिटेश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड														
2010-11	31.71	30.74	1.91	-37.13	-52.34	0.00	0.00	-269.37	0.19	-63.55	0.58	205.82	205.82	56.40
2011-12	31.71	30.74	1.21	-35.75	-60.30	0.00	0.00	-329.67	0.18	-142.24	0.25	187.43	187.43	174.25
*2012-13	31.71	30.74	1.21	-35.75	-60.30	0.00	0.00	-329.67	0.18	-142.24	0.25	187.43	187.43	361.00
ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग														
244 सेंट्रल कॉर्टेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड														
2010-11	10.85	10.85	63.35	-0.99	-0.88	0.00	0.00	21.45	-0.04	21.45	-0.05	0.00	0.00	69.27
2011-12	10.85	10.85	72.49	0.67	0.49	0.10	0.01	18.42	0.03	18.42	0.04	0.00	0.00	71.87
2012-13	10.85	10.85	77.76	0.53	0.25	0.05	0.00	21.84	0.01	21.84	0.02	0.00	0.00	71.31
जूट कारपोरेशन औफ इंडिया लिमिटेड														
245 2010-11	5.00	5.00	12.05	-11.43	-11.47	0.00	0.00	52.91	-0.22	52.91	-0.22	0.00	0.00	138.09
2011-12	5.00	5.00	61.63	14.26	10.22	0.00	0.00	63.13	0.16	63.13	0.23	0.00	0.00	143.60
2012-13	5.00	5.00	112.79	19.15	13.37	0.00	0.00	76.50	0.17	76.50	0.25	0.00	0.00	159.54
246 द कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड														
2010-11	25.00	25.00	2694.53	84.18	-0.96	0.00	0.00	354.67	0.00	354.67	0.24	0.00	0.00	2397.05
2011-12	25.00	25.00	1761.08	-180.19	-233.83	0.00	0.00	174.78	-1.34	174.78	-1.03	0.00	0.00	398.25
2012-13	25.00	25.00	1769.78	150.04	32.44	0.00	0.00	207.22	0.16	207.22	0.72	0.00	0.00	4518.70
247 द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सप्रेस कारपोरेशन														
2010-11	13.82	13.82	5006.63	1.51	0.92	0.00	0.00	13.90	0.07	13.90	0.11	0.00	0.00	2660.45
2011-12	13.82	13.82	12128.21	-3.07	2.16	0.00	0.00	15.94	0.14	15.94	-0.19	0.00	0.00	3739.58
2012-13	13.82	13.82	4157.49	3.70	2.49	0.00	0.00	18.32	0.14	18.32	0.20	0.00	0.00	852.67

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ क्षेत्रों/ वर्गों/ कंपनी	इकाविटी	भारत सरकार द्वारा धारित इकाविटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन	निवल धन के लिए कर के बाट लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी कर्जे के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	नियोजित बकाया	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	हानि	संचित													
पर्यटन सेवाएं																												
248 असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड																												
2010-11	1.00	0.00	5.82	-0.38	-0.59	0.00	0.00	-4.93	0.12	-4.03	0.09	0.90	0.00	4.75	6.00													
2011-12	1.00	0.00	6.64	0.15	-0.07	0.00	0.00	-5.04	0.01	-2.10	-0.07	2.94	0.00	4.34	6.00													
2012-13	1.00	0.00	7.36	-0.13	-0.22	0.00	0.00	-5.26	0.04	-2.13	0.06	3.13	0.00	4.68	6.00													
249 डॉनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड																												
2010-11	1.00	0.00	1.96	0.26	0.19	0.00	0.00	1.96	0.10	1.96	0.13	0.00	0.00	2.85	0.00													
2011-12	1.00	0.00	2.01	0.14	0.12	0.00	0.00	2.07	0.06	2.07	0.07	0.00	0.00	2.83	0.00													
2012-13	1.00	0.00	2.26	0.07	0.04	0.00	0.00	2.11	0.02	2.11	0.03	0.00	0.00	3.02	0.00													
250 कुमारकुपा फंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड																												
2010-11	0.97	0.88	12.05	8.30	5.53	4.87	5.00	19.30	0.29	19.30	0.43	0.00	0.00	58.69	0.00													
2011-12	0.97	0.88	5.59	8.27	5.43	3.90	4.00	20.13	0.27	20.13	0.41	0.00	0.00	53.82	0.00													
2012-13	0.97	0.88	5.01	8.02	5.33	3.90	4.00	20.90	0.26	20.90	0.38	0.00	0.00	51.12	0.00													
251 मैट्यू-प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड																												
2010-11	1.60	0.00	1.93	1.05	0.32	0.00	0.00	-1.27	-0.26	1.53	0.69	2.80	0.00	5.40	3.00													
2011-12	1.60	0.00	6.23	0.95	0.58	0.00	0.00	-0.68	-0.85	-0.68	-1.39	0.00	0.00	7.13	2.00													
2012-13	1.60	0.00	6.43	1.05	0.64	0.00	0.00	-0.05	-13.93	-0.05	-22.91	0.00	0.00	7.45	2.00													

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	निवल धन के पूरी तरफ़ी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
252 पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	0.60	0.00	2.19	0.03	0.06	0.00	0.00	1.41	0.04	1.41	0.02	0.00	0.00
2011-12	0.60	0.00	1.78	-0.39	-0.38	0.00	0.00	1.03	-0.37	1.03	-0.38	0.00	0.00
2012-13	0.60	0.00	1.74	-0.21	-0.30	0.00	0.00	0.73	-0.41	1.08	-0.19	0.35	0.00
253 पंजाब 3शोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	2.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011-12	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2012-13	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
254 राँची 3शोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	0.72	0.00	2.32	-0.54	-0.55	0.00	0.00	-1.75	0.32	0.21	-2.55	1.96	0.00
2011-12	0.72	0.00	2.05	-0.56	-0.58	0.00	0.00	-2.33	0.25	-0.37	1.53	1.96	0.00
2012-13	0.72	0.00	2.29	-0.94	-0.95	0.00	0.00	-3.29	0.29	-1.33	0.71	1.96	0.00
255 उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	4.80	0.00	0.00	-0.45	-0.71	0.00	0.00	-14.01	0.05	-14.01	0.03	0.00	0.00
2011-12	4.80	0.00	0.00	-0.42	-0.60	0.00	0.00	-14.61	0.04	-14.61	0.03	0.00	0.00
2012-13	4.80	0.00	0.00	-0.42	-0.61	0.00	0.00	-15.22	0.04	-15.22	0.03	0.00	0.00
आदियासी लामते													
वित्तीय सेवाएँ													

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्ज	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
256 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम													
2010-11	277.33	277.33	10.65	5.96	5.96	0.00	0.00	412.70	0.01	0.00	0.00	0.00	414.95
2011-12	312.33	312.33	12.46	14.38	14.38	0.00	0.00	457.21	0.03	0.00	0.00	0.00	461.14
2012-13	375.00	375.00	14.02	17.39	6.74	0.00	0.00	526.62	0.01	526.62	0.03	0.00	531.24
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन													
उपभोक्ता उत्पाद													
257 अण्डमान फिशरीज लिमिटेड													
2010-11	1.00	0.00	0.00	-0.42	-1.65	0.00	0.00	-10.86	0.15	-9.54	0.04	1.32	0.00
2011-12	1.00	0.00	0.00	-0.31	-1.75	0.00	0.00	-12.62	0.14	-11.30	0.03	1.32	0.00
2012-13	1.00	0.00	0.00	0.12	-1.55	0.00	0.00	-14.17	0.11	-12.85	-0.01	1.32	0.00
वित्तीय सेवाएं													
258 चार्पीगड़ अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	16.86	7.74	0.70	0.63	0.63	0.00	0.00	24.55	0.03	25.68	0.02	1.13	0.00
2011-12	17.36	7.74	0.67	1.01	0.97	0.00	0.00	26.18	0.04	27.16	0.04	0.98	0.98
*2012-13	17.36	7.74	0.67	1.01	0.97	0.00	0.00	8	0.04	27.16	0.04	0.98	0.98
दादरा एवं तांगर हवेली, दमन दीव एससी/एसटी वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड													
2010-11	4.93	4.93	0.79	0.29	0.29	0.00	0.00	8.04	0.04	0.00	0.00	0.00	9.12
2011-12	4.93	4.93	0.27	0.21	0.21	0.00	0.00	8.24	0.03	8.24	0.03	0.00	9.40
2012-13	4.93	4.93	0.31	0.06	0.06	0.00	0.00	8.29	0.01	8.29	0.01	0.00	9.62
औद्योगिक विकास													

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ क्षेत्रों/ वर्गों/ कंपनी	इकाई	भारत सरकार द्वारा धारित इकाई	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्राप्तधारा से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभ / हानि	लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन	निवल धन के लिए कर के बाट लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी कर्जे के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि	
260 चंडीगढ़ औद्योगिक तथा पर्यटन विकास लिमिटेड														
2010-11	15.03	15.03	331.83	9.94	4.89	0.26	0.02	81.25	0.06	81.25	0.12	0.00	0.00	135.64
2011-12	15.03	15.03	348.19	6.44	3.54	0.26	0.02	84.28	0.04	84.28	0.08	0.00	0.00	134.97
2012-13	15.03	15.03	283.52	-9.95	-7.70	0.00	0.00	76.87	-0.10	76.87	-0.13	0.00	0.00	142.61
261 आँखबास इंडस्ट्रियल्य डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली लिमिटेड														
2010-11	21.46	21.46	48.17	4.44	3.01	0.00	0.00	39.39	0.08	39.39	0.11	0.00	0.00	82.44
2011-12	26.06	21.46	56.39	11.23	7.34	1.47	0.06	49.62	0.15	49.62	0.23	0.00	0.00	248.32
2012-13	26.07	26.07	67.76	30.98	20.53	4.11	0.16	65.35	0.31	65.35	0.47	0.00	0.00	382.23
जल संसाधन														
262 अण्डमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार इंडियन कारपोरेशन लिमिटेड														
2010-11	11.07	11.07	167.93	10.78	6.26	0.55	0.05	70.33	0.09	70.91	0.15	0.58	0.00	123.25
2011-12	10.97	10.97	189.04	14.47	9.31	0.77	0.07	78.80	0.12	78.81	0.18	0.00	0.00	154.88
2012-13	10.97	10.97	207.61	16.35	10.07	2.19	0.20	82.24	0.12	82.24	0.20	0.00	0.00	193.65
शहरी विकास														
परिवहन सेवाएँ														
263 बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड														
2010-11	2330.03	519.99	0.00	11.06	-26.83	0.00	0.00	2329.06	-0.01	4146.29	0.00	1817.24	44.02	4551.50
2011-12	2831.03	1120.99	5.93	-2.34	-2.38	0.00	0.00	2829.46	0.00	7142.77	0.00	4313.32	254.02	7479.44
2012-13	3344.95	1634.91	8.66	-53.69	-57.06	0.00	0.00	3286.32	-0.02	8867.59	-0.01	5581.27	457.22	9149.95

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-VI (जारी)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी इक्विटी द्वारा धारित प्रावधान	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	लाभांश के लिए धन का अनुपात	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित त पूँजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्प तियां	संचित हानि
264 चैनई मेट्रो रेल लिमिटेड													
2010-11	998.79	188.79	0.00	5.96	4.01	0.00	0.00	1001.80	0.00	2467.73	0.00	1465.94	625.94
2011-12	1918.79	688.79	0.00	104.96	71.04	0.00	0.00	1994.66	0.04	4992.23	0.02	2997.57	2096.25
2012-13	3658.79	1723.79	0.00	130.04	87.85	0.00	0.00	3822.50	0.02	7907.60	0.02	4085.10	238.00
265 दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन													
2010-11	10849.05	5152.86	1442.91	168.06	-413.86	0.00	0.00	12844.95	-0.03	29171.65	0.01	16326.70	15537.51
2011-12	12304.30	5911.98	1949.57	1322.48	-185.15	0.00	0.00	14566.73	-0.01	32329.98	0.00	17763.25	16464.07
2012-13	13935.89	6692.32	2421.47	208.61	-90.91	0.00	0.00	16822.62	-0.01	35998.32	0.01	19175.70	17391.62
266 कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड													
2012-13	130.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.30	0.00	339.55	0.00	209.25	0.00
267 कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन													
2010-11	232.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.62	0.00	674.09	0.00	442.48	31.00
2011-12	374.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	0.00	992.22	0.00	617.72	64.00
2012-13	480.50	240.25	0.00	-1.01	-22.01	0.00	0.00	480.50	-0.05	1340.25	0.00	859.75	94.00
जल संसाधन													
268 लेशनल ग्रोनेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड													
2010-11	94.53	93.48	1061.30	35.00	72.74	0.00	0.00	-46.01	-1.58	-35.98	-0.97	10.03	10.03
2011-12	94.53	93.48	1167.38	53.86	42.18	0.00	0.00	-3.82	-11.03	59.91	0.90	63.73	63.73
2012-13	94.53	93.48	1155.05	59.40	50.97	0.00	0.00	47.14	1.08	125.73	0.47	78.59	0.00
													1798.45
													47.00

परिशिष्ट-VI (जारी)

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ श्रेणी / वर्ग /कंपनी	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/टनओवर	ब्याज और कर के लिए अनुसार प्रावधान से पहले लाभ / (हानि)	लेखाओं के अनुसार लाभांश का अनुपात	इक्विटी के लिए धन के बाट लाभ का अनुपात	निवल धन के लिए धन के बाट लाभ का अनुपात	नियोजित पूँजी कर्जे के लिए व्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे व्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	भारत सरकार के कर्जे के लिए व्याज एवं कर के पहले लाभ का अनुपात	कुल परिसम्पत्ति तिथां	संचित हानि	
वित्तीय सेवाएँ													
269 सिंचाई और जल संसाधन वित्त नियम लिमिटेड													
2010-11	102.32	102.32	0.00	7.17	4.79	0.00	0.00	114.45	0.04	114.45	0.06	0.00	0.00
2011-12	102.32	102.32	0.00	10.59	7.15	0.00	0.00	121.60	0.06	121.60	0.09	0.00	0.00
2012-13	102.32	102.32	1.43	14.18	8.85	0.00	0.00	130.58	0.07	130.58	0.11	0.00	0.00
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श													
270 वैपकास लिमिटेड													
2010-11	2.00	2.00	351.18	55.08	36.18	7.50	3.75	125.69	0.29	125.69	0.44	0.00	0.00
2011-12	3.00	3.00	354.36	77.48	51.25	10.50	3.50	164.57	0.31	164.57	0.47	0.00	0.00
2012-13	8.00	8.00	567.25	87.46	57.32	12.00	1.50	207.74	0.28	257.84	0.34	50.10	0.00
सभी मंत्रालयों का योग													
2010-11(226)	106367.29	79354.26	240367.30	35485.49	10067.37	7845.14	0.00	277168.99	0.04	482324.44	0.07	205155.45	47703.31
2011-12(245)	116106.14	85212.25	295553.59	36758.07	7990.96	10464.21	0.00	280405.65	0.03	518254.02	0.07	237868.35	47346.41
2012-13(270)	134618.09	89782.96	313168.72	60955.95	29593.49	12146.97	0.00	328440.52	0.09	558283.01	0.11	229842.52	45156.07
कुल योग													
2010-11(283)	234452.10	190474.51	1424250.61	181939.07	93160.55	35679.57	0.00	898331.48	0.10	1439870.93	0.13	541539.46	53315.02
2011-12(302)	254308.25	205385.30	1735439.33	210166.23	105640.64	42671.25	0.00	965570.20	0.11	1606142.52	0.13	640572.29	53276.62
2012-13(327)	289454.81	225036.79	1813785.31	232785.99	116976.96	49949.59	0.00	1075056.96	0.11	1793633.59	0.13	718576.68	50437.40
													295184.63
													93407.35

परिशिष्ट-VII

(जैसा कि पैरा सं. 1.3.2 में वर्णित है)

सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित लाभ और प्रदत्त लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभा- र्जन करने वाले पीएसयू ज़	पीएसयूज जिन्होंने घोषणा की/लाभांश अदा किया				थुक्का लाभ के लाभांश की प्रतिशतता	पीएसयूज जिन्होंने लाभांश की घोषणा नहीं की		
		सं.	प्रदत्त पैसे	शुद्ध लाभ	लाभांश		सं.	प्रदत्त पैसे	शुद्ध लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सांविधिक निगम									
2010-11	2	2	723.63	982.53	196.49	20.00	0	0	0
2011-12	2	2	724.58	959.47	199.09	20.75	0	0	0
2012-13	3	2	724.58	874.55	174.87	20.00	1	5,314.82	392.33
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ									
2010-11	42	37	60,066.15	87,040.20	27,637.94	31.75	5	613.75	278.64
2011-12	43	35	59,272.21	1,04,144.41	32,007.95	30.73	8	1578.34	557.16
2012-13	37	32	58,019.66	97,514.91	37,607.34	38.57	5	377.43	44.76
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ									
2010-11	138	70	39,894.13	18,992.93	7,845.14	41.31	68	28,316.60	8,256.28
2011-12	146	74	41,809.14	24,562.65	10,464.21	42.60	72	30,892.60	6546.10
2012-13	142	73	41,701.15	31,121.98	12,146.97	39.03	69	37,451.38	18,193.56
कुल									
2010-11	182	109	1,00,683.91	1,07,015.66	35,679.57	33.34	73	28,930.35	8,534.92
2011-12	191	111	1,01,805.93	1,29,666.53	42,671.25	32.91	80	32,470.94	7,103.26
2012-13	182	107	1,00,445.39	1,29,511.44	49,929.18	38.55	75	43,143.63	18,630.65

परिशिष्ट-VIII

(जैसा कि पैरा सं. 1.3.2 में वर्णित है)
सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में गिरावट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	प्रदत्त पूँजी	कर के बाद लाभ	20% प्रदत्त पूँजी	कर के पश्चात् 20% लाभ	घोषित किया जाने वाला वॉचिट न्यूनतम लाभांश	घोषित लाभांश	गिरावट
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ								
रसायन और उर्वरक								
1	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	551.69	280.90	110.34	56.18	110.34	82.75	27.59
विद्युत								
2	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4629.73	4234.50	925.95	846.90	925.95	527.79	398.16
3	एसजेवीएन लिमिटेड	4136.63	1052.34	827.33	210.47	827.33	397.12	430.21
इस्पात								
4	ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	1.44	1.96	0.29	0.39	0.39	0.22	0.17
गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ								
कृषि								
1	नेशनल शीड्स कारपोरेशन लिमिटेड	20.62	44.30	4.12	8.86	8.86	4.12	4.74
2	स्टेट फर्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	31.49	42.58	6.30	8.52	8.52	2.36	6.16
परमाणु ऊर्जा								
3	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10174.33	2100.99	2034.87	420.20	2034.87	630.30	1404.57
रसायन और उर्वरक								
4	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स	13.49	11.29	2.70	2.26	2.70	1.08	1.62
वाणिज्य और उद्योग								
5	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया	1000.00	242.79	200.00	48.56	200.00	60.00	140.00
6	पीईसी लिमिटेड	60.00	96.96	12.00	19.39	19.39	15.00	4.39

परिशिष्ट-VIII (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	प्रदत्त पूँजी	कर के बाद लाभ	20% प्रदत्त पूँजी	कर के पश्चात् 20% लाभ	घोषित किया जाने वाला वॉचिट न्यूनतम लाभांश	घोषित लाभांश	गिरावट
कम्यूनिकेशन एंड इंफार्मेशन टेक्नॉलॉजी								
7	टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेन्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	43.20	15.76	8.64	3.15	8.64	1.02	7.62
वित्त								
8	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	430.00	2344.62	86.00	468.92	468.92	468.70	0.22
9	इंडिया इंफ्रास्टक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	2900.00	1046.99	580.00	209.40	580.00	221.13	358.87
10	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	100.00	697.84	20.00	139.57	139.57	139.14	0.43
11	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	150.00	533.88	30.00	106.78	106.78	106.50	0.28
भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम								
12	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन	20.26	42.08	4.05	8.42	8.42	4.05	4.37
13	ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	54.99	38.40	11.00	7.68	11.00	2.75	8.25
14	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	0.72	4.48	0.14	0.90	0.90	0.14	0.76
15	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रमेंट लिमिटेड	12.25	26.37	2.45	5.27	5.27	2.09	3.18
हाऊजिंग एंड अर्बन पार्टी एलीवेशन								
16	हाऊजिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन	2001.90	700.56	400.38	140.11	400.38	150.00	250.38
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा								
17	इंडिया रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	699.60	202.65	139.92	40.53	139.92	27.50	112.42
बिजली								
18	एनएचडीसी लिमिटेड	1962.58	575.64	392.52	115.13	392.52	58.88	333.64
19	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	30.64	85.65	6.13	17.13	17.13	12.26	4.87

परिशिष्ट-VIII (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	प्रदत्त पूँजी	कर के बाद लाभ	20% प्रदत्त पूँजी	कर के पश्चात् 20% लाभ	घोषित किया जाने वाला वॉचिट न्यूनतम लाभांश	घोषित लाभांश	गिरावट
20	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.05	10.81	0.01	2.16	2.16	0.05	2.11
21	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.05	2.92	0.01	0.58	0.58	0.10	0.48
रेलवे								
22	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	320.94	111.59	64.19	22.32	64.19	15.00	49.19
जहाजरानी								
23	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	113.28	185.27	22.66	37.05	37.05	16.99	20.06
इस्पात								
24	मेकॉन लिमिटेड	77.94	101.02	15.59	20.20	20.20	10.35	9.85
वस्त्र								
25	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन	19.00	6.97	3.80	1.39	3.80	1.41	2.39
संघीय राज्य प्रशासन								
26	ऑम्बस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन, दीव एंड दादरा नागर हवेली लिमिटेड	26.07	20.53	5.21	4.11	5.21	4.11	1.10
कुल गिरावट		3588.08						

परिशिष्ट - IX

(जैसा कि पैरा 2.6 में दिया गया है)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बताए गए लेखाकरण मानकों से अलग
कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी	सरकारी कंपनी (जीसी) और मानी गई सरकारी कंपनी (डीजीसी)	लेखाकरण मानकों की संख्या
1.	एग्री कल्चर इंश्यॉस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	डीजीसी	एएस-1 और 9
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 2, 11, 12, 17, 22 और 28
3.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 1, 2, 17, 22 और 28
4.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 16
5.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2
6.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 29
7.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस-1, 2, 5, 22 और 28
8.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 21, 22 और 28
9.	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
10.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 17
11.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2,15 और 29
12.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस-1, 10 और 28
13.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2, 12, 20, 22,26, 28 और 29
14.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 7
15.	हिंदुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 15
16.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 13
17.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2
18.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 2,6,10 और 15
19.	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
20.	इंस्ट्रॉमेंटेशन लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
21.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस-11
22.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 10, 15 और 28
23.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 7
24.	एमपीसीओएन लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	डीजीसी	एएस - 9
25.	एमएसटीसी लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस-5 और 11

26.	राष्ट्रीय पिछळा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 9
27.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 3, 4 और 19
28.	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस-28
29.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 9
30.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस-17
31.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस-15
32.	राइट्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस-11
33.	स्टेट फर्म्स कारपारेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस – 9, 19 और 28
34.	शिपिंग कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 28
35.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस – 11, 17, 18 और 28
36.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 28

परिशिष्ट - X

(पैरा सं. 2.9 में उल्लिखित)

सीपीएसईज़, जहाँ लेखाकरण नीतियों में कमियाँ थीं और जहाँ लेखांकन नीतियाँ में कमियाँ देखी गईं

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2	कैंट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
3	भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन
4	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
6	कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
7	एमएमटीसी लिमिटेड
8	एमएसटीसी लिमिटेड
9	न्यू मंगलौर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
10	पीईसी लिमिटेड

परिशिष्ट - XI

(पैरा सं. 2.9 में उल्लिखित)

सीपीएसईज़, जहाँ व्यापार जोखिम की पहचान के लिए प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं थी या अपर्याप्त थी।

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2.	भेल- ईएमएल
3.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
4.	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड
5.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
6.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
8.	एचओसी चेम्टुर लिमिटेड
9.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
11.	कॉकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड
12.	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड
13.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा
14.	राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम लिमिटेड
15.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मिल्स मन्युफैक्चरिंग लिमिटेड
16.	एनएचपीसी लिमिटेड
17.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

18.	पीईसी लिमिटेड
19.	पिपवा रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
21.	एसटीसीएल लिमिटेड
22.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट - XII

(पैरा सं. 2.9 में उल्लिखित)

सीपीएसईज़, जहाँ लेखाओं और वित्तीय नियंत्रण के तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	कृषि वित्त निगम लिमिटेड
2	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
3	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
5	भारत संचार निगम लिमिटेड
6	बॉब कार्डस लिमिटेड
7	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (.प्रा)
8	केंद्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड
9	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारोपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
11	केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
12	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्युरिटाइजेशन एसेट रीकंस्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया
13	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
14	कोल इंडिया लिमिटेड
15	डॉनी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड
16	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
17	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
18	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
19	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
20	गेल गैस लिमिटेड
21	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
22	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
23	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
24	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड
25	हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड
26	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड
27	एचएमटी लिमिटेड

28	एचएमटी मरीन लिमिटेड
29	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
30	एचएससीसी लिमिटेड
31	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
32	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
33	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
34	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
35	इंडियन इंग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
36	आईटीआई लिमिटेड
37	जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
38	कॉकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड
39	लोकटक डाउनस्ट्रीम जल विधुत निगम लिमिटेड
40	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
41	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
42	एमएमटीसी लिमिटेड
43	एमएसटीसी लिमिटेड
44	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा
45	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
46	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड
47	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
48	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
49	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
50.	नॉर्थ इंस्टर्न डेवलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
51.	नादर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
52.	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड
54.	एनटीपीसी विधुत व्यापार निगम लिमिटेड
55.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
56.	ओयल इण्डिया लिमिटेड
57.	ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड

58.	पीईसी लिमिटेड
59.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
60.	पॉण्डीचेरी अशोक हॉटेल्स लिमिटेड
61.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
62.	पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
63.	रतनागीरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड
64.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
65.	रिचर्ड्सन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड
66.	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड
67.	एसटीसीएल लिमिटेड
68.	टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड
69.	दी शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
70.	त्रिवेणी सूटकचरल लिमिटेड

परिशिष्ट - XIII

(पैरा सं. 2.9 देखें)

आर्थिक आदेश मात्रा, एबीसी विश्लेषण, प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली या मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन या अनुरक्षण की प्रणाली प्रयाप्त नहीं थी/दोषपूर्ण थी।

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम
1	ऑल बैंक फाइनैंस लिमिटेड
2	एन्ड्रू यूलो एण्ड कम्पनी लिमिटेड
3	अतन्नरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड
4	अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
5	असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
6	औरंगाबाद टैक्सटाइल्स एण्ड अपेरेल पार्क्स लिमिटेड
7	बाम्हर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
8	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
9	भारत इक्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
10	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
11	बोकारो पावार सप्लाई कम्पनी (पी) लिमिटेड
12	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
13	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड
14	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया
15	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
16	सेन्ट्रल कोटेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
17	सेंट्रल इन्वेंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
18	कोल इण्डिया लिमिटेड
19	कन्ट्रनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
20	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
21	दोन्ही पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
22	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
23	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
24	एजुकेशनल कन्सल्टेंट इण्डिया लिमिटेड
25	गेल गैस लिमिटेड
26	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
27	हैंडिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
28	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
29	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड
30	हिन्दुस्तान इन्सैकिटसाइंड्स लिमिटेड
31	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
32	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
33	हिन्दुस्तान वैजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड

34	एचएमटी लिमिटेड
35	इंडिया यूनाइटेड टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड
36	इंडियन इग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड
37	इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड ट्यूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
38	आईटीआई लिमिटेड
39	कृष्णापटनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड
40	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
41	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
42	मजगांव डॉक लिमिटेड
43	नबिनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
44	नेशलन बाइसिकल कारपोरेशनल ऑफ इण्डिया लिमिटेड
45	नेशनल जूट मैन्युफेक्चरस कारपोरेशन लिमिटेड
46	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशनल लिमिटेड
47	नेशनल सीड्स कारपोरेशनल लिमिटेड
48	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड
49	नीलांचल इस्पात कारपोरेशन लिमिटेड
50	नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड
51	एनएचपीसी लिमिटेड
52	नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड
53	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
54	एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड
55	एनटीपीसी लिमिटेड
56	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड
57	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रुशन कारपोरेशन लिमिटेड
58	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
59	पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड
60	पिपावव रेल कारपोरेशन लिमिटेड
61	पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
62	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
63	रत्नागिरि गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड
64	रिचर्ड्सन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड
65	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड
66	स्कूटरर्स इण्डिया लिमिटेड
67	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
68	साठथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
69	टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड
70	उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
71	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

परिशिष्ट - XIV

(पैरा सं. 2.9 देखें)

सीपीएसईज जहां आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

क्रम सं.	सीपीएसईज के नाम
1	बीइएल ऑपट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर लिमिटेड
3	भरुच दाहेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड
4	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड
5	सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
6	डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
7	दोन्ची पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
8	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड
9	गेल गैस लिमिटेड
10	हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
11	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
12	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
13	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
14	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
15	इंडिया यूनाइटेड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
16	इंडियन इग्स एण्ड फारमेस्यूरिकल्स लिमिटेड
17	इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड ट्रॉयरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
18	कान्ति बिजली उत्पाद निगम लिमिटेड
19	केरल गेल गैस लिमिटेड
20	कृष्णापटनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड
21	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड
22	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
23	एमएसटीसी लिमिटेड
24	नेशनल जूट मैनुफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड
25	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम लिमिटेड
26	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड

27	नेवेल्ली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड
28	नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
29	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
30	एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड
31	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड
32	पाण्डीचेरी अशोक होटल लिमिटेड
33	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
34	पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
35	दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

परिशिष्ट – XV
(पैरा सं. 2.9 देखें)

सीपीएसईज जहां सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, आईटी/योजना के लिए उचित सुरक्षा नीति में सुधार की आवश्कता है।

क्रम सं.	सीपीएसईज के नाम
1	ऑल बैंक फाइनेंश लिमिटेड
2	एन्ड्रयू यूनि एण्ड कम्पनी लिमिटेड
3	बीईएल ऑप्टोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
4	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
5	भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसरस लिमिटेड
6	भारत संचार निगम लिमिटेड
7	भरुच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
8	बीओबी कार्ड लिमिटेड
9	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
11	सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
12	सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट ऑफ इण्डिया
13	सेन्ट्रल माइन प्लामिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
14	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	डेडिकेटेड फ्रेटकोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16	एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स
17	गेल गैस लिमिटेड
18	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
19	गोल्डमोहर डिजाइन एण्ड अपेरिल पार्क्स लिमिटेड
20	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड
21	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड
22	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइइस लिमिटेड
23	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
24	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
25	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट लिमिटेड
26	आईएफसीआई लिमिटेड
27	इंडिया एसएमई टैक्नोलोजी सर्विसेज लिमिटेड
28	इंडिया स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड
29	इंडिया यूनाईटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
30	इडियन रेलवे स्टेशन डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
31	कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
32	कोलकता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
33	कृष्णपटनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड
34	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड

35	लोकटक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
36	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
37	एमएमटीसी लिमिटेड
38	एमपीसीओएन लिमिटेड
39	एमएसटीसी लिमिटेड
40	नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
41	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड
42	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम लिमिटेड
43	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
44	नेशनल शेड्युल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
45	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन
46	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
47	एनएचपीसी लिमिटेड
48	नॉर्थ इस्टर्न डेवलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
49	नॉर्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
50	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
51	पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड
52	पिपावव रेल कारपोरेशन लिमिटेड
53	पाण्डीचेरी अशोक होटल लिमिटेड
54	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
55	रेल विकास निगम लिमिटेड
56	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
57	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्टर्मेटलस लिमिटेड
58	रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड
59	सेल राइट्स बंगल वेगन इन्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
60	साम्भर सालट्स लिमिटेड
61	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
62	एसजेवीएन लिमिटेड
63	साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
64	एसटीसीएल लिमिटेड
65	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
66	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड
67	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

परिशिष्ट - XVI

(पैरा सं. 2.9 देखें)

सीपीएसईज जिनके पास कोई औपचारिक लागत नीति नहीं थी अथवा विद्यमान लागत नीति प्रभावी नहीं थी:

क्रम सं.	सीपीएसईज के नाम
1	बाल्मर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
3	दोन्ही पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
4	गेल गैस लिमिटेड
5	हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
8	एचएससीसी लिमिटेड
9	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
10	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड
11	इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड
12	एमपीसीओएन लिमिटेड
13	एमएसटीसी लिमिटेड
14	नेशनल जूट मैन्युफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड
15	न्यु सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफेक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
16	एनएचपीसी लिमिटेड
17	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड
19	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इनस्ट्रुमेंट लिमिटेड
20	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट - XVII

(पैरा सं. 2.9 देखें)

सीपीएसईज जहां ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ता के अग्रिमों की निगरानी और समायोजन को सुदृढ़ करने की आवश्कता है।

क्रम सं.	सीपीएसईज के नाम
1	सेन्ट्रल कोटेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
2	डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड
5	कृष्णापतनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
7	एमपीसीओएन लिमिटेड
8	एनएचपीसी लिमिटेड
9	पावर सिस्टम ओपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
10	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
11	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
12	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

परिशिष्ट - XVIII

(पैरा सं. 2.9 देखें)

देनदारों/लेनदारों के शेषों की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली निम्नलिखित सीपीएसईज में त्रुटिपूर्ण थी:

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम
1.	आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड
2.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड
3.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	सेंट्रल कॉर्टेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर इन्टरनेशनल लिमिटेड
6.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फेसिलिटी (पी) लिमिटेड
7.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
8.	इंजीरियर्स इंडिया लिमिटेड
9.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
10.	हिन्दुस्तान ऑरगेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
11.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
12.	एचओसी चेमतूर लिमिटेड
13.	आईएफसीआई फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
14.	आईएफआईएन कोमोडिटी लिमिटेड
15.	आईएफआईएन क्रेडिट्स लिमिटेड
16.	कॉकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड
17.	एमपीसीओएन लिमिटेड
18.	नारायण श्रीराम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
19.	नेशनल जूट मैन्युफेक्चररस कारपोरेशन लिमिटेड
20.	न्यु सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
21.	पीएनबी आऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
22.	पॉण्डीचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
23.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
24.	राजस्थान इग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
25.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट लिमिटेड
26.	रिचर्ड्सन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड
27.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड

परिशिष्ट - XIX

(पैरा सं. 2.9 देखें)

सीपीएसईज जहां धोखाधड़ी एवं जोखिम नीति/व्हिसल ब्लोइंग नीति अपर्याप्त थी।

क्रम सं.	सीपीएसईज के नाम
1.	एग्रीकल्चर इन्शोरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड
3.	एनड्यू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
4.	अन्तरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड
5.	अपोलो डिजाइन अपेरेल पार्क्स लिमिटेड
6.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
7.	बीईएल ऑपट्रोनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड
8.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
9.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसरस लिमिटेड
10.	भारतीय रेल बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
11.	भरुच दाहेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड
12.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
13.	भेल-ईएमएल
14.	बायोटेक टैक्नोलोजी इन्डस्ट्री रिसर्च एसिस्टेंस कोसिंल
15.	बीओबी कार्ड्स लिमिटेड
16.	बोकारो पावर सम्लाई कम्पनी (पी) लिमिटेड
17.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड
18.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया
19.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
20.	सेन्ट्रल कोटेज इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21.	चेन्नै पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
22.	डेकीकेटिड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
23.	दिल्ली ऐविएशन फ्यूल फेसिलिटी (पी) लिमिटेड
24.	दिल्ली पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड
25.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
26.	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड
27.	एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इंडिया लिमिटेड

28.	फ्रैश एण्ड हैल्दी एंटरप्राइजेस लिमिटेड
29.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
30.	हेंडीक्राफ्ट्स हैण्डलूम एक्सपोर्टस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31.	हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड
32.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
33.	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड
34.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड
35.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड
36.	हिन्दुस्तान सालट्स लिमिटेड
37.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड
38.	एचएससीसी लिमिटेड
39.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
40.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
41.	आईएफसीआई इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट लिमिटेड
42.	आईएफसीआई लिमिटेड
43.	आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
44.	आईएफसीआई कोमोडीटीज लिमिटेड
45.	आईएफसीआई क्रेडिट लिमिटेड
46.	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड
47.	आईआईडीएल रियल्टर प्राईवेट लिमिटेड
48.	आईआईएफसीएल ऐसेट्स मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
49.	आईआईएफएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
50.	इंडिया एसएमई टेक्नोलोजी सर्विसेज लिमिटेड
51.	इंडिया यूनाइटेड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
52.	इंडियन इंग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड
53.	इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड ट्यूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
54.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
55.	इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड
56.	ईरिगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सेज फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
57.	जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलेपमेंट फाइनेंश कारपोरेशन
58.	कानूनि बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड

59.	केरल गैल गैस लिमिटेड
60.	कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
61.	कृष्णापतनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड
62.	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड
63.	लोकटक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
64.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
65.	मंगलौर रिजाईनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
66.	मज़गांव डॉक लिमिटेड
67.	एमएमटीसी लिमिटेड
68.	एमपीसीओएन लिमिटेड
69.	नाबाड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
70.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
71.	नेशनल जूट मैन्युफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड
72.	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
73.	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
74.	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन
75.	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड
76.	न्यु सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफेक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
77.	एनएचपीपी लिमिटेड
78.	नॉर्थ इस्ट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
79.	नॉर्थ इस्टर्न डेवलेपमेंट फाइनेंशल कारपोरेशन लिमिटेड
80.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
81.	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
82.	एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड
83.	एनटीपीसी लिमिटेड
84.	पीईसी लिमिटेड
85.	पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड
86.	पेट्रोनिट एमएचबी लिमिटेड
87.	पिपावव रेल कारपोरेशन लिमिटेड
88.	पाण्डीचेरी अशोक होटल लिमिटेड
89.	प्रोजेक्ट एण्ड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड

90.	रेल विकास निगम लिमिटेड
91.	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
92.	राजस्थान इंग्स एण्ड फार्मासूटिकल्स लिमिटेड
93.	रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड
94.	राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड
95.	राइट्स लिमिटेड
96.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इन्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
97.	साम्भर सालूट्स लिमिटेड
98.	एसटीसीएल लिमिटेड
99.	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
100.	दि आडिशा मिनरल डेवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड
101.	दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
102.	उर्वरक विदेश लिमिटेड
103.	वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
104.	येस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

परिशिष्ट – XX
(पैराग्राफ 2.10 देखें)

आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित त्रुटियों के रूप दर्शाने वाली कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	त्रुटि का स्वरूप
1.	ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड	कम्पनी में कोई अलग सतर्कता विभाग/विंग नहीं था।
2.	अन्तरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड	यहां कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा मानक नियमावली/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं थे।
3.	बालमर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	कम्पनी में कोई अलग सतर्कता विभाग/विंग नहीं था।
4.	भारत संचार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> अचल परिसम्पति अभिलेखों को अधिकतर सर्किलों में उचित नहीं समझा गया था क्योंकि उनके द्वारा अनुरक्षित अभिलेख सम्पूर्ण विवरण को नहीं दर्शाते थे। कम्पनी ने मालसूची की अधिकतम, न्यूनतम और आर्थिक आदेश की गुणवत्ता निर्धारित नहीं की थी। कम्पनी ने विभिन्न सर्किलों में मालसूची पर नियंत्रण के लिए क ख ग विश्लेषण को नहीं अपनाया था।
5.	ब्रॉडकास्ट इंजीरियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली मालसूची, अचल परिसम्पत्तियों की खरीद और माल तथा सेवाओं की ब्रिकी के संबंध में अपर्याप्त थी।
6.	सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> मालसूची और भंडारों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य केवल कुछ क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित है।
7.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के कार्य क्षेत्र और कवरेज को कम्पनी के आकार और इसके कारोबार की जटिल प्रवृत्ति को मानते हुए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
8.	हिन्दुस्तान वैजिटेबिल ऑयलस कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
9.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	कोई अलग से सतर्कता विभाग/विंग नहीं है।
10.	आईएफआईएन सिक्योरिटिज फाइनेंश लिमिटेड	कोई अलग से सतर्कता विभाग/विंग नहीं है।
11.	इंडियन मैडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मालसूची अचल परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री के लिए सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।
12.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने लेखाकरण प्रणाली ने लगभग सभी क्षेत्रों को कम्पयूटरीकृत कर लिया था। तथापि, मानवीय हस्तक्षेप (क) कच्चे तेल, अर्धनिर्मित उत्पाद और तैयार उत्पाद की मालसूची का मूल्यांकन (ख) कच्चे तेल के लेखाकरण (दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात) के लिए आवश्यक था। कम्पनी ने ईआरपी उपाय कार्यान्वयित किए – मार्किटिंग डिवीजनों में कंतिपय स्थानों के अलावा सभी युनिटों/स्थानों में एसएपी।
13.	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को इसके कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे।
14.	इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के पास सतर्कता विभाग नहीं है। कम्पनी में वर्ष के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।

15.	जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	कोई अलग सतर्कता विभाग/विंग नहीं है।
16.	केरल गेल गैस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने नियेश नीति का उल्लेख नहीं किया है। कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। कम्पनी के पास अलग सतर्कता विभाग/विंग मोजूद नहीं है।
17.	कोलकता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के पास को अलग से सतर्कता विभाग/विंग नहीं था।
18.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> यहां बट्टे खाते में डाली गई और परिसमापन हर्जानों के संबंध में कोई परिभाषित नीति नहीं थी। भंडारों और स्पेयर आदि की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को स्टॉक खत्म होने के कारण लागत और हानि वाली माल सूची रखने के लिए निर्धारित नहीं किया गया था। भंडारों की खरीद के लिए आर्थिक आदेश गुणवत्ता को मुम्बई और और दिल्ली दोनों युनिटों में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं थी क्योंकि कार्यक्षेत्र और आपत्ति के अनुपालन के साथ-साथ नियुक्ति स्वयं लेखापरीक्षित विभागों पर निर्भर थी। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार और कारोबार के स्वरूप के अनुरूप नहीं थी।
19.	एमएसटीसी लिमिटेड	आन्तरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शी नहीं थी।
20.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के पास कोई अलग से सतर्कता विभाग/विंग नहीं था।
21.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम लिमिटेड	यहां आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई मानक/नियमावली/दिशानिर्देश नहीं थे।
22.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन	आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे।
23.	नेशनल शेड्यूल फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन	कम्पनी ने कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए थे।
24.	नॉर्थ इस्टर्न डेवलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	निवेशों से संबंधित प्रमाणपत्र कुछ मामलों में कम्पनी के पास नहीं थे।
25.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	आंतरिक नियंत्रक तंत्र में कभी के परिणामस्वरूप दार्शावधि के लिए ग्राहक लेखा, उपःठेकेदार लेखा, लेनदार ऋण या अग्रिम और जमाओं में काफी डिविट/क्रेडिट अधिशेष बकाया थे।
26.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> इंडिया जॉयट वैंचर कोड में अवस्थित परिसम्पत्तियों को मुख्य कार्यालय द्वारा अनुरक्षित निर्धारित परिसम्पत्ति रजिस्टर में ठीक से नहीं दर्शाया गया था। यहां यथोचित समय के अन्दर तिमाही आधार पर बाहरी एजेंसियों से आंतरिक लेखापरीक्षा से रिपोर्ट प्राप्त करने और तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए भी प्रक्रिया को सुधृढ़ करने की आवश्यकता है।
27.	एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	कोई अलग से सतर्कता विभाग/विंग नहीं है।
28.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> भंडारों की खरीद के लिए आर्थिक मांग मात्रा को कम्पनी द्वारा नियत नहीं किया गया था। कम्पनी के पास विहित नियेश नीति नहीं है।
29.	युरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया	कार्य के ठेके के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण और लेखांकन प्रणाली की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी।

30.	उर्वरक विदेश लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none">कोई अलग से सतर्कता विभाग/विंग नहीं है।कोई अनुमोदित आइटी योजना नहीं है।
-----	----------------------	---

परिशिष्ट -XXI
(पैरा सं. 3.1.5 देखें)

निगमित अभिशासन अध्याय के अन्तर्गत रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और
शिपिंग मंत्रालय के अधीन कवर की गई सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम
1	बीइएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	बीईएमएल लिमिटेड
3	बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
4	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
5	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
6	ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पोलीमरस लिमिटेड
7	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
8	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
9	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
10	ट्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
12	इनोर पोर्ट लिमिटेड
13	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
14	फर्टीलाइसर्ज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
16	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
17	हिन्दुस्तान एयरोटिक्स लिमिटेड
18	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
19	हिन्दुस्तान फर्टीलाइसर्ज कारपोरेशन लिमिटेड
20	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड
21	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड
22	हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड
23	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
24	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
25	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
26	इंडियन इग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
27	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूरिकल्स लिमिटेड
28	केआइओसीएल लिमिटेड
29	मद्रास फार्टिलाइजर्स लिमिटेड
30	मज़गांव डॉक लिमिटेड
31	मेकॉन (इंडिया) लिमिटेड
32	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
33	एमओआईएल लिमिटेड
34	एमएसटीस लिमिटेड

35	नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
36	प्रोजेक्ट एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड
37	राजस्थान इग्स एंड फार्मास्यूरिकल्स लिमिटेड
38	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
39	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
40	सेल रिफ्रेक्टरी कम्पनी लिमिटेड
41	सेनु समुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
42	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
43	दि फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड
44	दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
45	विगन्यान इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

परिशिष्ट- XXII

(पैरा सं. 7.2 देखें)

सीपीएसईज के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दिए गए पीपीपी करार

क्र. सं.	सोपीएसई	पीपीपी प्रकार	जेवी में जेवी में नियेश किया गया (₹ करोड़ में)	प्रचालन को बढ़ावा देने के कार्राई गई सुविधा को वापसी	परियोजना का नाम	पीपीपी परियोजना की प्रस्थिति	निचो परिचालक	पीपीपी अधिक
1	एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया	पीपीपी-झूट एवं जेवी	637.00	26% कुछ भाग के वाणिज्यिक उपयोग के अधिकार के साथ एयरपोर्ट भ्रमि	राजस्व शेयरिंग	दिल्ली एयरपोर्ट का विकास	दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल)	30 वर्ष
2	एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया	पीपीपी-झूट एवं जेवी	312.00	26% कुछ भाग के वाणिज्यिक उपयोग के अधिकार के साथ एयरपोर्ट भ्रमि	राजस्व शेयरिंग	मुन्बई एयरपोर्ट का विकास	मुन्बई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)	30 वर्ष
3	भारतीय राज्य राजनीति प्राधिकरण	पीपीपी-झूट	शून्य	शून्य भ्रमि/अनुदान/वार्षिक वेतन/पर्यावरण मंजूरी/वीजीएफ इत्यादि	वार्षिक राजस्व शेयरिंग	गांदीजी राजनीति प्रान्तीय राजनीति/राजस्व सङ्केत	विभिन्न स्तरों पर 200 से अधिक सं. में पीपीज	प्रत्येक पीपीपी के लिए अलग परिचालक समन्वय के आधार पर 30 वर्ष तक
4	दिल्ली मेट्रो रेल कापारेशन लिमिटेड	पीपीपी-झूट	शून्य	₹ 2812 करोड़ की सिविल संरचना लागत	राजस्व शेयरिंग	एयरपोर्ट से मेट्रो रेल को जोड़ना	डी ए एम एक्सप्रेस प्रा. लि.	30 वर्ष
5	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	पीपीपी-झूट	शून्य	लाइसेंस करार और एन्नोर पतन पर भू शेयरिंग	एन्नोर पोर्ट पर कोयला	प्रचालन के अधीन	चेटिनाद इन्टरनेशनल	30 वर्ष

			क्षेत्र		टमिनल		कोयला टमिनल	
							पा.लि.	
6	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	पीपी-फूट	शैल्य	लाइसेंस करार और एन्नोर पतन पर भूक्षेत्र	राजस्व शेयरिंग	एन्नोर पोर्ट पर लौह अयस्कर टमिनल	प्रचालन के अधीन	एसआईसीएएल आयरन और टमिनल लिमिटेड 30 वर्ष
7	डैंगलोर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	पीपी-फूट	शैल्य	स्टेशन की स्काई स्पेस	राजस्व शेयरिंग	स्थास्तक मेट्रो स्टेशन (बीएमआरपी-1)	प्रचालन के अधीन	मंत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पा.लि. 99 वर्ष

परिशिष्ट -XXIII

(जैसा पैरा सं. 7.4.1 में संदर्भित है)

31 मार्च 2013 को संयुक्त उद्यमों में सीपीएसईज़ का निवेश

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	जेवी की सं.	नेवी की शेयर पूँजी में सीपीएसईज़ का निवेश (₹ करोड़ में)
31 मार्च 2013 को भारत में निगमित जेवीज़ में सीपीएसईज़ का निवेश			
1	एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया	4	1,048.14
2	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	1	2.44
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2	4.37
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	1,096.77
5	वेन्चर्फ पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	26.23
6	इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	1	0.74
7	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	3	453.50
8	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	11	224.15
9	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	1	7.84
10	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	3,702.23
11	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	1	8.78
12	हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेन्ट लिमिटेड	4	2.40
13	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	365.50
14	एमएमटीसी लिमिटेड	5	80.27
15	मंगलोर रिफाईनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2	75.05
16	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	5	402.31
17	एनएचपीसी लिमिटेड	1	2.19
18	एनटीपीसी लिमिटेड	4	13.07
19	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	140.60
20	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2.19
21	आयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	467.90
22	उडीसा मिनरल्स डेवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2.81
23	स्टीलअथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	8	102.00
	जोड़ (ए)	76	8,231.48
31 मार्च 2013 को गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों में सीपीएसईज़ का निवेश			
1	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	454.97
2	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	5	1,613.92
	जोड़ (बी)	8	2,068.89
	सकल जोड़ (ए+बी)	84	10,300.37